इतिहास और नागरिक शास्त्र

कक्षा VII की पाठ्यपुस्तक

एन सी ई आर टी
NCERT
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

इस पुस्तक का प्रथम संस्करण जून 1977 में मेसर्स ऑक्सफोर्ड एण्ड आई०बी०एच० पब्लिशिंग कं० द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की अनुमति से प्रकाशित किया गया था। बाद के संस्करण परिषद ने स्वयं प्रकाशित किए है।

प्रथम संस्करण
जून 1977 : आषाढ़ 1899

पुनर्मुद्रण
जून 1979 : ज्येष्ठ 1901
अप्रैल 1980 : चैत्र 1902
मार्च 1981 : चैत्र 1903
मार्च 1983 : चैत्र 1905

मूल्य : रु० 5.40

प्रकाशन विभाग में श्री विनोद कुमार पंडित, सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली - 110016 द्वारा प्रकाशित तथा माया इन्टर प्राईजज, शाहदरा दिल्ली-110032 में मुद्रित।

प्राक्कथन

इतिहास और नागरिक शास्त्र की यह पाठ्यपुस्तक, माध्यमिक स्तर की सातवीं कक्षा के लिए लिखी गई पाठ्यपुस्तक माला की दूसरी कड़ी है। कक्षा छः के लिए लिखी गई, प्रथम पाठ्यपुस्तक में 'प्राचीन भारतीय इतिहास' तथा 'हमारे नागरिक जीवन' का उल्लेख था। यह प्रथम पुस्तक सन् 1977 में प्रकाशित की गई।

वर्तमान पाठ्यपुस्तक के दो खंड हैं : 'मध्यकालीन भारत' और 'हम अपना शासन कैसे चलाते हैं'। दोनो खंडों की विषय-सामग्री केन्द्रीय माध्यमिक बोर्ड द्वारा सातवीं कक्षा के लिए अनुमोदित पाठ्यक्रम पर आधारित है। इतिहास विषय का खंड मध्यकालीन भारत के निवासियों के हर पहलू का सर्वेक्षण करता है। लेखक ने इस खंड में इस युग पर हुई शोध सामग्री, नई खोजों तथा इस कक्षा के विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमताओं को भली प्रकार ध्यान में रखा है। खंड 'हम अपना शासन कैसे चलाते हैं' विद्यार्थियों को भारतीय संविधान तथा शासन की उस आधारभूत जानकारी का ज्ञान कराता है जो वर्तमान स्थितियों में अत्यन्त महत्व का है।

'परिषद्', प्रो० रोमिला थापर और उनके सहयोगियों तथा डा० दि० सी० मुले, श्री अ० च० शर्मा और श्रीमती सुप्ता दास के प्रति आभारी है जिन्होंने इस पुस्तक को संयुक्त रूप में तैयार करने के सभी सम्भव प्रयास किए हैं। यह सभी कार्य प्रो० भा० स० पारख के निर्देशन में सम्पन्न हुआ।

'परिषद्' उन सभी महानुभावों के प्रति आभारी होगी जो अपने ठोस सुझावों, टिप्पणियों तथा समालोचना, पुस्तक के किसी भी पहलू पर भेजने की कृपा करेंगे। इस प्रकार की वांछनीय सामग्री का आगामी संस्करणों में उपयोग किया जाएगा।

नई दिल्ली

शिव कुमार मित्र
निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्

इतिहास

मध्यकालीन भारत

रोमिला थापर

प्रस्तावना

यह पाठ्यपुस्तक हमारी प्रकाशन श्रेणी में दूसरी है। गत वर्ष कक्षा छः के लिए पहली पुस्तक का प्रकाशन हुआ था। प्रस्तुत पुस्तक कक्षा सात के लिए है और प्राचीन काल के अंत से आधुनिक काल के प्रारम्भ के वर्षों तक, ईसा की लगभग आठवीं शताब्दी से लेकर अठारवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इन पाठ्यपुस्तकों की रचना में हमारा उद्देश्य नवीनतम अनुसंधान का समावेश करना तथा विषय का वैज्ञानिक पद्धति से विवेचन करना है। भारतीय इतिहास के सभी पक्षों का इसमें सर्वेक्षण किया गया है। कक्षा छः की पाठ्यपुस्तक की भाँति यह पाठ्यपुस्तक भी संपादक-मंडल की सदस्या डा० रोमिला थापर ने लिखी है। मंडल के अन्य सदस्यों ने पुस्तक को पढ़ा है और पारस्परिक विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप इसमें कुछ परिवर्तन भी किए गए हैं। हम विशेष रूप से प्रो० नूरुल हसन और प्रो० सतीशचन्द्र के प्रति आभार प्रकट करना चाहेंगे जिन्होंने विशेष रुचि के साथ इस कार्य में सहायता प्रदान की। अंतिम रूप में पुस्तक आपके समक्ष है। इसका दायित्व सभी सदस्यों पर है।

पाठ्यपुस्तक का यह हिन्दी अनुवाद प्रो० त्रिभुवनशंकर मेहता के निर्देशन में श्री श्याममोहन त्रिवेदी ने प्रस्तुत किया है।

संपादक वृन्द

आभार

इस पुस्तक में प्रयुक्त पांच मानचित्र—भारत (सन् 800 ई० से 1200 ई० तक), भारत (चौदहवीं-पंद्रहवीं सदी का उत्तरकाल), भारत (मुगलों की विजय के समय के ठीक पहले), मुगल साम्राज्य (सन् 1605 ई०), भारत (अठारहवीं सदी का प्रारंभ)—भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारत सर्वेक्षण विभागीय मानचित्रों पर आधारित हैं और उनका प्रतिलिप्याधिकार भारत सरकार का है।

पुस्तक में प्रयुक्त सभी फोटोग्राफ भारत सरकार के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के सौजन्य से प्राप्त हुए हैं।

पुस्तक में प्रयुक्त तीन प्लेटों के फोटोग्राफ भारतीय वाइ० एम० सी० ए० की राष्ट्रीय परिषद् के प्रकाशन विभाग की कृपा से उपलब्ध हुए हैं।

विषय-सूची

अध्याय 1

भारत और संसार

इतिहास में मध्यकाल अथवा मध्ययुग शब्द का प्रयोग उस काल के लिए किया जाता है जो प्राचीन काल और आधुनिक काल के बीच का युग है। हम कैसे जान सकते है कि कब प्राचीन काल समाप्त होता है और कब मध्यकाल का आरंभ होता है ? हमनें ईसा की आठवी शताब्दी को मध्यकाल का आरंभ तथा अठारहवीं शताब्दी को उसका अंत मान लिया है। ऐसा क्यों ? जब तुम इस पुस्तक को पढ़ोगे, तुम देखोगे कि आठवीं शताब्दी के आस-पास भारत के सामाजिक जीवन में बहुत-से परिवर्तन हो रहे थे। इन परिवर्तनों ने भारत के इस काल के सामाजिक जीवन के अनेक पक्षों को प्रभावित किया था। जीवन के राजनीतिक और आर्थिक पक्षों पर उनका प्रभाव पड़ा। सामाजिक नियम, धर्म, भाषा, कला—थोड़े में हम कह सकते हैं कि जीवन के सभी क्षेत्रों को इन परिवर्तनों ने प्रभावित किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के इतिहास का एक नया युग आरंभ हुआ। हम कह सकते हैं कि ये परिवर्तन आठवीं शताब्दी के आसपास हुए। इसीलिए हमने आठवीं शताब्दी को मध्यकाल का प्रारंभ माना है।

जिस प्रकार एक व्यक्ति एक वर्ष में अचानक नहीं बदल जाता उसी प्रकार समाज भी अल्प समय में नहीं बदलता। उसके बदलने में समय लगता है। नए विचारों से समाज के सभी व्यक्ति एक साथ प्रभावित नहीं होते। यों तो भारत के इतिहास में कुछ परिवर्तन आठवीं शताब्दी से भी पहले आरंभ हो गए थे पर देश के कुछ भागों में उनका प्रभाव कुछ समय बाद ही अनुभव किया गया। इसलिए सामान्य दृष्टि से देखते हुए हम कह सकते हैं कि नए विचारों का बीजारोपण आठवीं शताब्दी में हुआ। इसी प्रकार मुगल साम्राज्य के पतन और अंग्रेजों के आने के समय अठारहवी शताब्दी में भी अनेक परिवर्तन हुए। इसी कारण हम मध्यकाल का अंत इसी शताब्दी में मानते हैं।

मध्यकालीन भारत का इतिहास प्राचीन भारत के इतिहास से अनेक प्रकार से भिन्न है क्योंकि हम मध्यकाल की घटनाओं से अधिक परिचित हैं। भारत में बोली जाने वाली वर्तमान काल की सभी भाषाओं का विकास इसी काल में हुआ। आज प्रयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ एवं वस्त्र इसी काल से लोकप्रिय हुए। हम लोगों में प्रचलित अनेक धार्मिक विश्वासों का विकास भी इसी काल से हुआ। प्राचीन भारत की अपेक्षा हम को मध्यकालीन भारत की अधिक जानकारी प्राप्त है अतः इसके संबंध में हमारा ज्ञान भी अधिक है। मध्यकाल हमारे अधिक निकट है अतः इस काल का इतिहास जानने के लिए अनेक साधन मिलते हैं और हमारे सामने इस काल का चित्र अधिक स्पष्ट आता है।

तुम्हें स्मरण होगा कि प्राचीन काल के इतिहास की सामग्री हमको दो प्रमुख साधनों से प्राप्त हुई। पहला साहित्यिक और दूसरा पुरातत्त्वीय। मध्यकाल के संबंध में भी यही सत्य है। मध्यकाल के आरंभिक भाग अर्थात् ईसा की 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक की अनेक सूचनाएँ हमको अभिलेखों से प्राप्त होती हैं। ये लेख या तो ताम्रपत्रों पर लिखे गए थे या शिलाओं पर और ये सारे भारत के गाँवों और मंदिरों में बहुत बड़ी संख्या में मिलते हैं। यह आश्चर्य की बात नहीं कि इन अभिलेखों का अध्ययन इस काल में इतिहास जानने का एक मुख्य साधन बन गया है।

मध्यकाल के इतिहास को जानने के लिए विभिन्न प्रकार के साहित्यिक साधन भी प्राप्त हैं। यह साहित्य आरंभ में ताड़ पत्रों और भोज पत्रों पर लिखा गया था पर तेरहवीं शताब्दी से कागज पर लिखा जाने लगा। इन पुस्तकों में से अनेक अब तक मौजूद हैं। इनमें से कुछ में राजाओं के जीवन और राजवंशों द्वारा किए गए कार्यों का विस्तार से वर्णन किया गया है। कुछ में प्राचीन संस्मरण हैं और कुछ में आत्म-चरित्र के रूप में शासकों के जीवन के वर्णन हैं जैसे बाबर और जहाँगीर के संस्मरण। इस काल में भारत की यात्रा करने वाले विदेशी यात्रियों के यात्रा-वर्णन भी मिलते हैं। कुछ धार्मिक तथा साहित्यिक ग्रंथ भी हैं जिनमें से अनेक छोटे-छोटे चित्रों से जिनको लघु-चित्र कहते हैं, सजे हुए है। इस काल के इतिहास के अध्ययन को सरल बनाने के लिए इसको दो भागों में बाँट दिया गया है। आठवीं शताब्दी से तेरहवीं शताब्दी तक के काल को पूर्व मध्यकाल कहते है। इसके अंतर्गत प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट राजाओं के शासन-काल, उनके द्वारा कन्नौज के लिए किए गए पारस्परिक संघर्ष तथा उत्तर भारत के राजपूत राज्यों और दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य का इतिहास आता है। तेरहवीं शताब्दी के बाद के काल को उत्तर मध्य-काल कहते हैं जिसके अंतर्गत दिल्ली के सुल्तानों, बहमनी और विजयनगर के राज्यों और मुगल साम्राज्य का इतिहास आता है।

पूर्व मध्यकाल में भारतीय समाज में जो परिवर्तन हुए उनके विकास के कारण प्राचीन प्रणाली में निहित थे। इस पर **इतिहास** की **'प्राचीन भारत'** पुस्तक में विचार किया जा चुका है। उत्तर मध्यकाल में ये परिवर्तन समाज के द्वारा इस प्रकार स्वीकार कर लिए गए कि उनमें कुछ नवीनता ही न रही। अब कुछ और नवीन विचार एवं परिवर्तन समाज में आए जो भारत के बाहर से नवीन राजवंशों द्वारा लाए गए। ये राजवंश उस समय इस विशाल देश के कुछ भागों पर शासन कर रहे थे। प्रमुख रूप से ये शासक तुर्क, अफगान तथा मुगल थे जो भारतवर्ष में आकर बस गए थे। जो विचार ये अपने साथ लाए उनसे भारतीय समाज में कोई मूल परिवर्तन नहीं हुआ परंतु उनसे भारतीय संस्कृति और अधिक समृद्ध बन गई।

इसीलिए बावजूद इस बात के कि इस देश की तेरहवीं शताब्दी से बाद के शासक प्रायः विदेशी ही थे हम इसको भारतीय इतिहास का मध्य युग कहते हैं। केवल शासकों के अदल-बदल जाने से साधारणतया सामाजिक जीवन में परिवर्तन नहीं होते। पूर्व मध्यकाल में तुर्क और मुगल भारतीयों पर शासन करते हुए भी उन्हीं की तरह जीवन व्यतीत करते थे। तुर्कों और मुगलों ने भारत को अपना देश बना लिया और वे स्वयं भारतीय समाज के अंग बन गए।

इस काल में विदेशियों के भारत में आने के कारण भारत का बाहरी संसार से घनिष्ठ संबंध स्थापित हो गया। भारत में विदेशियों के आगमन को समझने के लिए यह जानना आवश्यक हो जाता है कि इस समय पश्चिम एशिया, यूरोप, मध्य-एशिया, चीन और दक्षिण-पूर्वी एशिया में किस प्रकार की घटनाएँ हो रही थीं।

जैसा कि हमने पहली पुस्तक में देखा है, ईसा की सातवीं शताब्दी में अरब में एक बड़ी महत्त्वपूर्ण घटना हुई थी। मुहम्मद ने एक नवीन धर्म इस्लाम का उपदेश दिया। इससे अरब जातियों का संगठन हुआ और शीघ्र ही उनका राजनैतिक समूह बन गया। उन्होंने पश्चिमी एशिया के अनेक भागों जैसे जोर्डन, सीरिया, इराक, तुर्की, फारस, सिन्ध और मिस्र आदि को भी जीत लिया। पैगंबर की मृत्यु के पश्चात् अरब जातियों पर एक के बाद एक कई खलीफा शासन करते रहे (खलीफा का शाब्दिक अर्थ है उत्तराधिकारी अथवा प्रतिनिधि शासक)। पहले चार खलीफा मुहम्मद के साथी थे। उनके बाद उमैय्यदों का शासन-काल आया। ये दमिश्क से शासन करते थे। उमैय्यदों के बाद अब्बासी वंश के शासकों ने बगदाद से शासन किया। हारुन-उल-रसीद जिनका दरबार सारे संसार में प्रसिद्ध था बगदाद के खलीफा थे।

धीरे-धीरे अरबों ने अन्य प्रदेश, विशेष रूप से उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्र, जीत लिए। शीघ्र ही वे स्पेन में पहुँच गए और फ्रांस की ओर बढ़े किन्तु वे फ्रांस के दक्षिण में रोक लिए गए। अरबों का उद्देश्य केवल विजय प्राप्त करना ही नहीं था। वे अपने साम्राज्य के अंदर व्यापार पर अधिकार करके उसको प्रोत्साहित भी

करते थे। शीघ्र ही अरब लोग संसार के विभिन्न भागों—भारत, चीन, यूरोप तथा पूर्व और पश्चिम अफ्रीका—से व्यापार करने लगे। इस व्यापार से अरब धनवान हो गए और उन्होंने एक नवीन सभ्यता के विकास में अपने धन का उपयोग किया। इस काल में यूनान, फारस, चीन तथा भारत की विद्या में उन्होंने विशेष रुचि दिखलाई और अपने विद्या-केन्द्रों में उसका और अधिक विकास किया। इस युग में अरब सभ्यता संसार की सबसे अधिक विकसित सभ्यताओं में से थी।

इस समृद्धि और सांस्कृतिक विकास के बीच अरब निवासियों को दो दलों से युद्ध करने की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहला समूह था यूरोप-निवासियों का और दूसरा मंगोलों का। रोमन साम्राज्य के पतन के साथ यूरोप की शक्ति का ह्रास हो चुका था। रोम के ऊपर हूण, (उसी जाति की एक शाखा जिसने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया था) गाथ, वैंडल्स आदि जातियों के लगातार आक्रमण होते रहे और सन् 500 ई० के लगभग रोमन साम्राज्य का अंत हो गया। इसके परिणामस्वरूप यूरोप को बड़ी हानि हुई। पाँचवीं से लेकर ग्यारहवीं शताब्दी का समय यूरोप के इतिहास का अंधकार काल कहा जाता है। लगातार युद्धों के कारण यूरोप में राजनैतिक सुरक्षा नहीं थी, नियम और कानून की कोई व्यवस्था नहीं थी और विशेष रूप से किसानों का कभी-कभी अनाज भी लूट लिया जाता था। व्यापार की अवनति हुई जिसके परिणामस्वरूप यूरोप के बड़े-बड़े नगरों का भी पतन हो गया। ज्ञान का महत्त्व बहुत घट गया क्योंकि साधारण व्यक्तियों को शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा नहीं रही। ज्ञानार्जन केवल धार्मिक केन्द्रों, मठों और गिरजाघरों तक सीमित रह गया। इस काल में जिस सांस्कृतिक जीवन का विकास हुआ वह केवल ईसाई धर्म से संबंधित था। ईसाई पादरी सारे महाद्वीप में यात्रा करते थे और लोगों को ईसाई बनाते थे। फलत: ईसाई धर्म लोकप्रिय होता गया। जर्मनी के कुछ राजाओं ने ईसाई धर्म के प्रचार में उत्साह दिखाया और दसवीं शताब्दी ईसवी में जर्मनी, इटली तथा कुछ अन्य क्षेत्रों को मिलाकर एक साम्राज्य की स्थापना की गई जो पवित्र रोमन साम्राज्य कहलाया।

यूरोप के अंधकार युग का दूसरा प्रमुख परिवर्तन सामंतवादी व्यवस्था (फ्यू-डलिज्म) की उत्पत्ति थी। फ्यूडलिज्म (Feudalism) शब्द लैटिन भाषा के फ्युडम (Feudum) शब्द से बना है जिसका अर्थ है "जमीन का एक टुकड़ा जो किसी सेवा के बदले दिया गया हो।" राजा अफसरों को नकद वेतन के बदले जमीन देता था। जमीन उन अन्य लोगों को भी दी जाती थी जिनको राजा पुरस्कृत करना चाहता था। इसलिए किसानों को, जमींदारों या उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें जमीन दे दी जाती थी और जो सामंत कहलाते थे, काम करना पड़ता था। सामंतों का कर्त्तव्य राजा के लिए सैनिक एकत्र करना था। बहुत-से किसान मजदूर होते थे और उनको सामंत की भूमि पर काम करना पड़ता था। किसान न गुलाम होते थे और न उन पर जमींदार का अधिकार होता था पर कभी-कभी उनके साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया जाता था। सामंतीय व्यवस्था की सारी सुविधाएँ इन जमींदारों को ही प्राप्त थीं। भूमि पर किसान कठिन परिश्रम करते थे पर धन का समान वितरण नहीं था। जमीदार और राजा धन का अधिकांश ले लेते थे और विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। किसान गरीब ही बने रहे।

अंधकार युग में यूरोप का अरब जगत से संबंध टूट गया पर बाद में यूरोप के लोग अरब देशों में रुचि लेने लगे। यूरोप के निवासियों में यह रुचि धर्म और व्यापार के कारण उत्पन्न हुई। व्यापार के कारण अरब धनवान हो गए थे। इस कारण यूरोप के कुछ व्यापारी भी इस व्यापार में भाग लेना चाहते थे। यूरोप के नए बने ईसाई इस्लाम धर्म के प्रचार के कारण चिन्तित थे। इस कारण अनेक धर्म युद्ध संगठित किए गए। इन धर्म युद्धों को क्रूसेड कहते हैं। इन युद्धों में यूरोप के राजा और वीर सरदार अपनी-अपनी सेनाएँ लेकर पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेशों में मुसलमानों से लड़ने जाते थे। इन्हें धर्म युद्धों में भूमि प्राप्त करने में सफलता नहीं मिली पर इन युद्धों से यूरोप-निवासी अरब-निवासियों के अधिक निकट संपर्क में आए और वे अरब व्यापार में भाग लेने लगे। यूरोप के लोग अरब-विद्याओं में भी

रुचि लेने लगे। पंद्रहवीं और सोलहवी शताब्दी के यूरोप में विद्या का विकास करने में अरब-निवासियो के ज्ञान का महत्त्वपूर्ण हाथ है।

नवीं शताब्दी में अब्बासी खलीफाओं की शक्ति घट गई। उनका राज्य क्षेत्र जो प्रांतों में विभाजित था उनके नियंत्रण में न रहा और सभी प्रांत स्वतंत्र हो गए (उन प्रांतों में गजनी और गौर के प्रांत भी थे)। सलजक तुर्क जो मध्य एशिया में शक्तिशाली थे पश्चिम की ओर बढ़े और उन्होने इनमें से कुछ प्रांतों पर अपना शासन स्थापित कर लिया। ग्यारहवीं शताब्दी तक सलजक तुर्क पश्चिम एशिया में शक्तिशाली बन रहे थे और अपने शासन की स्थापना कर रहे थे। उन्होने फारस, ईराक़, सीरिया और बैजंटाइन साम्राज्य पर आक्रमण किया और शीघ्र ही उस क्षेत्र में बस गए। बैजंटाइन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया (आधुनिक इस्तंबोल) थी और किसी समय वह साम्राज्य वैभव और विस्तार में रोम साम्राज्य का प्रतिद्वंद्वी था। बैजंटाइन सभ्यता प्राचीन यूनानी सभ्यता की नींव पर खड़ी हुई थी। पूर्वी भूमध्यसागर, रूस तथा स्कैंडिनेविया के व्यापार पर उसका अधिकार था और चीन से लेकर फारस तक मध्य-एशिया से होकर आने वाले व्यापारियों के व्यापार में भी यह साम्राज्य भाग लेता था और इसी कारण यह वैभव-संपन्न बनता जा रहा था। तेरहवीं शताब्दी में चंगेज खाँ के नेतृत्व में मध्य एशिया के मंगोलों ने फिर बैजंटाइन पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण ने पश्चिम एशिया में सलजक तुर्की को कमजोर कर दिया। इससे केवल आटोमन तुर्क ही बच सके जो अनातूलिया में बस गए थे और जिनको **1453** ई० में कुस्तुन्तुनिया को विजय करने में सफलता मिली। पश्चिमी एशिया के इस भाग पर वे अपना अधिकार जमाए रहे।

इस बीच में मंगोलों की शक्ति बढ़ी और उन्होंने पश्चिमी एशिया और दक्षिण रूस से लेकर मध्य एशिया के उस पार चीन तक के क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लिया। तेरहवीं शताब्दी के मध्य से लेकर चौदहवीं शताब्दी के मध्य तक मंगोल चीन पर शासन करते रहे। सातवी शताब्दी से तेरहवीं शताब्दी तक टाँग और सुंग वंशों के शासन काल में चीन भी वैभवशाली और शक्तिशाली देश रहा था। इससे

चीन पर विजय प्राप्त करके मंगोलों ने अपनी राजनैतिक शक्ति भी बढ़ा ली और वे धनवान भी हो गए। इस समम मध्य एशिया के क्षेत्र का महत्त्व अधिक बढ़ गया था क्योंकि चीन और पश्चिमी एशिया का व्यापार इसी क्षेत्र द्वारा हो रहा था। व्यापार करने वाले काफिले (कारवाँ) जिस मार्ग से होकर जाते थे उसको रेशम का मार्ग कहते थे क्योंकि चीन का रेशम व्यापार की महत्त्वपूर्ण वस्तु थी। इसके अतिरिक्त चीन के नवीन आविष्कार भी अन्य वस्तुओं के साथ पश्चिम एशिया में आए। बारूद, कागज और कंपास (कुतुबनुमा) बनाने की तथा छापने की कला आदि सब चीन से यूरोप पहुँचे। इसलिए व्यापार के कारण मध्य एशिया के क्षेत्र पर अपना अधिकार रखना बहुत महत्त्वपूर्ण हो गया था। मंगोलों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया इसलिए उन्होंने चीन के कुछ भागों और मध्य एशिया में रहने वाली जातियों को इस्लाम धर्म का मानने वाला बना लिया।

चीन के व्यापार में केवल रेशम के मार्ग का ही प्रयोग नहीं किया जाता था बल्कि चीन के व्यापारी जहाजों से भी अपना सामान ले जाते थे। ये जहाज कैंटन अमॉय तथा दक्षिणी चीन के अन्य बंदरगाहों से चलते थे। इनमें से कुछ जहाज भारत और पूर्वी अफ्रीका तक की यात्रा करते थे और अन्य दक्षिण-पूर्वी एशिया के बंदरगाहों में रुक जाते थे। अनाम, लाओस, कंबोडिया, जावा-सुमात्रा और मलाया जैसे देशों में चीन और भारत के व्यापारियों में प्रतिद्वंद्विता चलती थी। ये व्यापारी केवल सामग्री ही नहीं, अपने साथ अपने-अपने देश की सभ्यता और संस्कृति भी लाते थे। चौदहवीं शताब्दी में अरब के व्यापारियों ने भी दक्षिण-पूर्वी एशिया में अपने पैर जमा लिए थे।

इस प्रकार हम देखते हैं कि मध्य काल में संपूर्ण संसार के विभिन्न देश एक दूसरे के निकट आ रहे थे। व्यापार के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के लोगों का पारस्परिक संपर्क स्थापित हो रहा था। अब कोई देश अकेला नहीं रह सकता था।

भारत भी इन सब घटनाओं के बीच में खिंच आया। भारत का अरब और चीन के साथ संबंध व्यापार के माध्यम से ही स्थापित हुआ। तुर्की और मध्य एशिया

के मुगलों ने इस व्यापार को प्रोत्साहित किया। कुछ समय बाद वे भारत में विजयी बन कर आए। उनका भारत में आना यूरोप-निवासियों के आने की तरह ही था जो पहले व्यापारी बन कर आए और फिर शासक बन गए।

पूर्व मध्यकाल में उत्तर भारत अनेक राज्यों में बँटा हुआ था। ये राज्य प्रायः एक दूसरे से लड़ा करते थे। दक्षिण भारत में इस काल के शक्तिशाली चोल राजाओं का शासन था। उन्होंने दक्षिण भारत के विस्तृत क्षेत्र को जीत लिया और उनकी सेनाएँ उत्तर भारत में गंगा नदी तक आ गईं। वे लोग बड़े धनवान थे क्योंकि दक्षिण भारत के व्यापारी इस समय दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों और चीन के साथ व्यापार करते थे। उनका धन बहुत बड़ी मात्रा में उन सुंदर मंदिरों के निर्माण करने में व्यय होता था जो ज्ञानार्जन के केन्द्र भी थे। इस समय वहाँ ऐसे विचारक और दार्शनिक विद्यमान थे जिनकी शिक्षा और उपदेशों ने संपूर्ण भारतीय विचारधारा को प्रभावित किया। दक्षिण भारत में ही मध्यकाल में भारतीय सभ्यता और संस्कृति और भी अधिक संपन्न होकर विकसित हुई।

अभ्यास

1– पारिभाषिक शब्द जिनको तुम्हें जानना चाहिए :

1– धर्म युद्ध (क्रूसेड्स)—ग्यारहवीं और चौदहवीं शताब्दी के बीच में पवित्र भूमि (विशेषरूप से जेरूसलम) को इस्लाम धर्म मानने वालों से पुनः प्राप्त करने के लिए यूरोप के ईसाइयों द्वारा किए गए युद्ध।

2– अंधकार युग—पश्चिम यूरोप के इतिहास में उस युग को कहते हैं जो पश्चिम के रोम साम्राज्य (476 ई०) के पतन से आरंभ होकर यूरोप में विद्या के पुनर्जागरण काल के आरंभ के साथ समाप्त होता है।

3– अभिलेख—कुछ सूचना देने के उद्देश्य से किसी कठोर और स्थाई वस्तु (साधारणतया पत्थर अथवा धातु) पर प्रचलित संकेतों अथवा अक्षरों में खुदे हुए लेख।

4– खलीफा—हजरत मुहम्मद की मृत्यु के पश्चात् मुस्लिम समाज के सर्वोच्च नेता की उपाधि। सबसे पहला खलीफा अबूबकर था।

5– सामंतवाद (फ्यूडलिज्म)--नवीं शताब्दी के मध्य में पश्चिमी यूरोप में विकसित होने वाली एक राजनैतिक और सामाजिक व्यवस्था जिसका पतन तेरहवीं शताब्दी में हो गया।

2– नीचे लिखे स्तंभ 'अ' और 'आ' में दिए गए तथ्यों में सही संबंध स्थापित करो :

—अ	आ
(1) हमारे बीच प्रचलित अनेक धार्मिक विश्वासों का आरंभ	(1) भारत को संसार के अन्य देशों के निकट संपर्क में ले आया।
(2) हमारे इतिहास का पूर्व मध्य-काल	(2) बगदाद का खलीफा था।
(3) मध्यकाल में भारत के बाहर से लोगों का आगमन	(3) मध्यकाल से होता है।
(4) हारुन-उल-रसीद जिसका दरबार संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध था	(4) यूरोप के इतिहास में प्राय: अंधकार युग कहलाता है।
(5) पाँचवीं शताब्दी से ग्यारहवी शताब्दी तक का समय	(5) आठवीं और तेरहवीं शताब्दी के बीच में माना जाता है।

3– कोष्ठ में दिए हुए सही शब्द या शब्दों से नीचे लिखे वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति करो :

1– मुगल साम्राज्य के पतन और अंग्रेजों के आगमन के साथ·········शताब्दी में देश में अनेक परिवर्तन हुए। (आठवीं, दसवीं, अठारहवीं)।

2– अंधकार युग में·········में होने वाला दूसरा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन सामंतवादी व्यवस्था का विकास था। (एशिया, अफ्रीका, भारत, यूरोप)।

3– ·········उस बैजंटाइन साम्राज्य की राजधानी थी जो किसी समय·········का प्रतिद्वंद्वी था। (कुस्तुनतुनिया, अनोटोलिया, बगदाद, भारत, चीन, रोम)।

4– 13वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक मंगोल···········में शासन करते रहे। (भारत, चीन, इराक, तुर्की)।

5– पैगंबर की मृत्यु के बाद··············के ऊपर खलीफाओं का शासन चलता

रहा। (भारतवासियों, अफ्रीका के निवासियों, चीन के निवासियों, अरब के निवासियों)।

4– निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो :

1– अरबों ने अपनी शक्ति का विस्तार किस प्रकार किया ?

2– मंगोल कौन थे ? उन देशों के नाम बतलाओ जिन पर उन्होंने आक्रमण किया।

3– ईसा की पाँचवीं से लेकर ग्यारहवीं शताब्दी तक का काल यूरोप के इतिहास का अंधकार-युग क्यों कहा जाता है ?

4– भारतवासियों का संपर्क अरब और चीन के निवासियों के साथ किस प्रकार स्थापित हुआ ?

5 - करने के लिए रुचिकर कार्य :

1– यूरोप, एशिया और अफ्रीका के मानचित्र में उन स्थानों को दिखलाओ जिन पर अरब निवासियों ने विजय प्राप्त की थी।

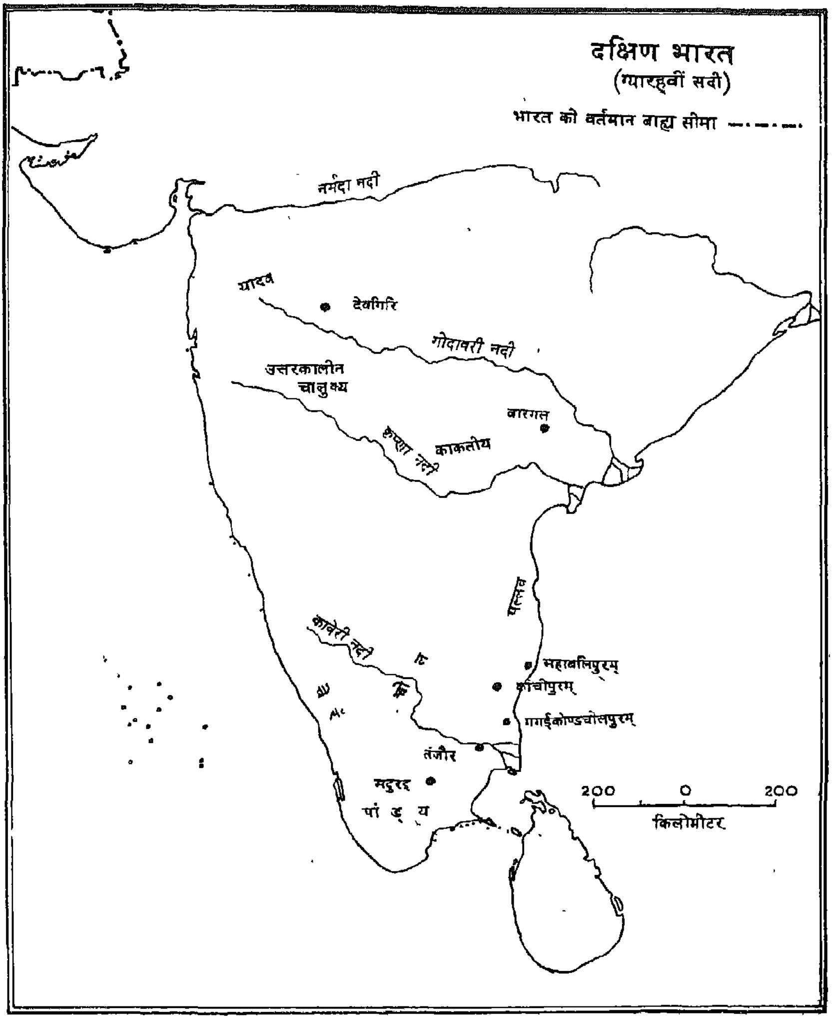
2– संसार के मानचित्र में उस मार्ग का प्रदर्शन करो जिसके द्वारा विदेशी भारत में व्यापार करने के लिए आए।

अध्याय 2

दक्षिणी भारत के राज्य

(800 ई० से 1200 ई० तक)

भारतीय इतिहास के मध्यकाल में हमारे विशाल देश के उत्तरी और दक्षिणी अर्द्ध-भाग अधिक निकट संपर्क में आ गए। विन्ध्याचल पर्वत ने अब इस संपर्क मे बाधा डालने का काम नहीं किया। यह क्षेत्र उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच संबंध स्थापित करने का साधन बन गया। यह कथन विशेष रूप से आगे लिखे तीन कारणों से स्पष्ट हो जाता है। पहला यह कि दक्षिण भारत के उत्तरी राज्यों ने अपने राज्य अधिकार को गंगा नदी की घाटी तक फैलाने का प्रयत्न किया। दूसरा यह कि दक्षिण भारत के धार्मिक आंदोलन उत्तर भारत में भी लोकप्रिय बन गए और तीसरा यह कि उत्तर भारत के बहुत-से ब्राह्मण दक्षिण भारत में बस जाने के लिए आमंत्रित किए गए और उनको भूमि प्रदान की गई। इस विशाल देश के राज्य अब एक दूसरे से उस प्रकार अलग नहीं रहे जिस प्रकार वे प्राचीन काल में रहते थे।



भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित।

समुद्र में भारत का जल प्रदेश उपयुक्त आधार रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है।

प्रायद्वीप के राज्य

दक्षिण प्रायद्वीप के राज्यों में उत्तरी क्षेत्र का राष्ट्रकूट राज्य सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण राज्य था जिसने गंगा की घाटी के एक भाग पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न किया। जैसा कि हम अगले अध्याय में देखेंगे, राष्ट्रकूट बार-बार दो शक्तिशाली वंशों—प्रतिहारों और पालों—से कन्नौज और उसके आस-पास के क्षेत्रों पर अधिकार पाने के लिए लड़ते रहते थे। प्रतिहारों ने पश्चिमी और मध्य भारत में अपना राज्य स्थापित कर लिया था और पालों ने पूर्वी भारत में। किन्तु राष्ट्रकूटों को दक्षिण के शक्तिशाली चोल शासकों के विरुद्ध भी अनेक युद्ध करने पड़े थे। चोल राजाओं ने तंजौर के आसपास के क्षेत्र तमिलनाद से अपना शासन आरंभ किया। धीरे-धीरे उन्होंने पल्लव वंश के शासक और अन्य स्थानीय शासकों को पराजित करके अपने को शक्तिशाली बना लिया। ईसा की ग्यारहवीं शताब्दी में दक्षिण भारत में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण साम्राज्य उन्हीं का था। आधुनिक मदुरइ क्षेत्र में चोल साम्राज्य के दक्षिण में पांड्य राज्य था। पश्चिमी किनारे पर आधुनिक केरल प्रांत में चेरँ वंश का राज्य था। बारहवीं शताब्दी तक इन राज्यों में से कुछ का पतन हो गया और इन क्षेत्रों में नवीन राज्यों की स्थापना हुई। सातवीं शताब्दी के चालुक्य वंश से संबंध रखने वाले एक वंश ने राष्ट्रकूटों के राज्य पर अधिकार कर लिया। इतिहासकारों ने इस वंश को उत्तर-चालुक्य वंश कहा है। बाद में यादव वंश के शासकों ने उत्तर-चालुक्य वंश के शासकों को पराजित करके अपना राज्य स्थापित कर लिया और देवगिरि (महाराष्ट्र में आधुनिक दौलताबाद) से शासन किया। वारंगल (आधुनिक आंध्र प्रदेश) में काकतेय वंश का शासन आरंभ हुआ और आधुनिक मैसूर के निकट होयसल वंश ने अपना राज्य स्थापित कर लिया। चोल शासकों को अपनी शक्ति की रक्षा के लिए इन सभी राज्यों से युद्ध करने पड़े। चोल शासक तेरहवीं शताब्दी तक अपनी महत्ता को दक्षिण भारत में स्थापित किए रहे।

चोल शासक

साम्राज्य की स्थापना करने वाले आरंभिक चोल शासकों में विजयालय

(846-871) था, जिसने तंजौर को जीता। इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण परांतक प्रथम (907-955) था जिसने पांड्य राज्य को जीता और 'मदुरइकोण्डा' की उपाधि ग्रहण की जिसका अर्थ होता है 'मदुरइ का विजेता'। परंतु परांतक को भी राष्ट्रकूट राजा कृष्ण द्वितीय ने पराजित कर दिया। परांतक ने यह अनुभव कर लिया कि वह तब तक युद्ध में सफल नहीं हो सकता जब तक वह अपने राज्य को शक्तिशाली नहीं बना लेता। वह यह भी जानता था कि उसका राज्य तभी शक्तिशाली होगा जब उसकी प्रजा को पर्याप्त भोजन मिलेगा, उसके जीवन की सभी आवश्यकताएँ पूर्ण होंगी और उस पर अच्छा शासन होगा। इसलिए उसने अपने राज्य में कृषि को प्रोत्साहन दिया। कृषि कार्य अधिक सरल नहीं था, क्योंकि राज्य की कुछ भूमि चट्टानी थी और उस पर फसलें नहीं उगाई जा सकती थी। इसके अतिरिक्त खेतों की सिंचाई की भी समस्या थी। नदी के पास के खेतों में तो सिचाई के लिए नदी के जल का प्रयोग किया जा सकता था पर अन्य क्षेत्रों में केवल वर्षा के जल पर ही निर्भर रहना पड़ता था। इसलिए बड़े-बड़े तालाब खोदे गए जिनमें वर्षा के जल को एकत्र किया जा सकता था। तालाबों के जल को खेतों तक पहुँचाने के लिए सिंचाई की नहरों का निर्माण किया गया।

चोल वंश के राजाओं में सबसे उल्लेखनीय राजराज प्रथम और उसका पुत्र राजेन्द्र हैं। राजराज प्रथम (985-1016) एक कुशल सेना संचालक था और उसने अनेक दिशाओं में आक्रमण किए। उसने पांड्य और चेर वंश के राज्यों पर और मैसूर के कुछ भागों पर भी आक्रमण किए। उसने उत्तर की ओर आधुनिक आंध्र प्रदेश के वंगी क्षेत्र पर आक्रमण किया। चोल राज्य की सैनिक शक्ति को दूसरे राज्यों से अधिक श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए ही उसने ये युद्ध लड़े। राजराज समुद्र पर अधिकार रखने के महत्त्व को भी समझता था। वह समझता था कि यदि वह दक्षिण भारत के समुद्र तट को भी अपने अधिकार में रखेगा तो चोल राज्य और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। अतः वह एक सामुद्रिक विजय के लिए निकला और उसने लंका और मालदीप नामक द्वीपों पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के

अन्य कारण भी थे। केरल, लंका और मालदीप के व्यापारी समुद्र तटीय व्यापार से प्राप्त धन से बड़े धनवान बन गए थे। भारत से पश्चिम एशिया को वस्त्र, मसाले और बहुमूल्य रत्न आदि अनेक वस्तुएँ भेजी जाती थीं। अरब व्यापारी इन वस्तुओं का व्यापार करने पश्चिम एशिया से भारत आते थे। उनमें से अनेक भारत के पश्चिमी समुद्र तट के नगरों में बस गए थे। वहाँ वे स्थानीय स्त्रियों से विवाह करके शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे और अपने व्यापार में लगे रहते थे। चूंकि वे भारतवासियों से मिलजुल कर रहते थे और अपने व्यापार से भारत में धन लाते थे, इसलिए उनका सम्मान किया जाता था और उनके साथ अच्छा व्यवहार होता था। चेर राज्य, मालदीप द्वीप समूह और लंका इस व्यापार के प्रमुख केन्द्र थे। इस प्रकार इन क्षेत्रों की विजय से पश्चिमी व्यापार से प्राप्त होने वाला धन चोल साम्राज्य में आने लगा। यद्यपि राजराज ने इन क्षेत्रों पर आक्रमण करके उनको अपने अधिकार में कर लिया पर बहुत अधिक समय तक वह उनको अपने नियंत्रण में नहीं रख सका।

राजराज का पुत्र राजेन्द्र उससे भी अधिक महत्वाकांक्षी था। उसने सन् **1044** ई० तक दीर्घकालीन शासन किया। उसने अपने पिता की विजय-नीति को जारी रखा और दक्षिण प्रायद्वीप में अनेक युद्ध लड़े। उसके इन युद्धों में से दो युद्ध बड़े ही साहसिक और वीरतापूर्ण थे। एक तो वह जिसमें उसकी सेनाएँ पूर्वी भारत के समुद्र तट से होकर उड़ीसा को पार करती हुई गंगा नदी तक पहुँच गईं। दक्षिण लौटने से पूर्व उन्होंने बंगाल में शासन करने वाले पाल वंश के राजा को आतंकित किया। राजेन्द्र का उत्तर भारत का यह युद्ध-अभियान सात सौ वर्ष पूर्व किए गए समुद्रगुप्त के दक्षिण भारत के युद्ध-अभियान के समान ही था।

राजेन्द्र का दूसरा साहसपूर्ण युद्ध दक्षिण-पूर्व एशिया में हुआ था जिसमें उसने सामुद्रिक अभियान किया था। अनेक शताब्दियों से भारत के व्यापारी दक्षिण-पूर्वी एशिया के विभिन्न भागों से व्यापार करते आ रहे थे। यह व्यापार दक्षिण चीन तक फैल गया था। भारत की वस्तुएँ जहाजों से दक्षिण चीन भेजी जाती थी और

वे जहाज केवल चीन से ही नहीं, दक्षिण-पूर्वी एशिया के अन्य देशों से भी सामग्री लाते थे। भारतीय जहाजों को मोलक्का की जल-संधि (जलडमरूमध्य) से होकर गुजरना पड़ता था। उस समय इस पर श्रीविजय का अधिकार था। इस राज्य के अंतर्गत मलाया प्रायद्वीप और सुमात्रा का द्वीप भी था। श्रीविजय के व्यापारियों ने स्वाभाविक रूप में यह अनुभव किया कि यदि वे इस व्यापार पर अधिकार कर लें तो इसका लाभ उनको प्राप्त होने लगे। इसलिए वे भारतीय जहाजों के मार्ग में कठिनाइयाँ उत्पन्न करने लगे। भारतीय व्यापारियों ने राजेन्द्र चोल से अपनी सुरक्षा की प्रार्थना की और उसने एक विशाल जल-सेना भेज दी। श्रीविजय की पराजय हुई और उसने भारतीय जहाज़ों को उस जल मार्ग से सुरक्षा के साथ यात्रा करने की आज्ञा दे दी। राजेन्द्र इन व्यापारियों की सहायता करने के लिए इसलिए तैयार हो गया कि उनमें से अधिकतम चोल राज्य के निवासी थे और वे व्यापार में जो लाभ प्राप्त करते थे उससे चोल राज्य की आय में वृद्धि होती थी।

राजेन्द्र प्रथम के उत्तराधिकारियों ने अपनी शक्ति, समय और धन का बहुत बड़ा भाग प्रायद्वीप के अन्य राज्यों के साथ युद्ध करने में व्यय कर दिया। इनमें से कुछ युद्धों में उन्हें सफलता भी नहीं मिली। धीरे-धीरे चोल राज्य शक्तिहीन हो गया और अन्य राज्य अधिक शक्तिशाली बन गए। तेरहवीं शताब्दी के अंत तक चोल राज्य का अंत हो गया।

चोल शासन-प्रणाली

राज्य में राजा सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति होता था। फिर भी यह आशा की जाती थी कि वह अपनी मंत्रि-परिषद् या अपने पुरोहित की सलाह से शासन कार्य का संचालन करेगा। शासन के विभिन्न विभागों के विशेष अधिकारी होते थे। राज्य का प्रांतों में विभाजन किया गया था जिसको मंडलम कहते थे। प्रत्येक मंडलम को कई वलनाडुओं में बाँट दिया गया था। प्रत्येक वलनाडु में निश्चित संख्या में गाँव होते थे। आरंभ में चोल राज्य की राजधानी तंजौर थी पर बाद में आधुनिक मद्रास के निकट कांचीपुरम को राजधानी बनाया गया। कुछ समय तक

तंजौर के निकट बने नए नगर गंगई-कोण्ड चोलपुरम को राजधानी बनाया गया था। इस नगर के नाम का अर्थ है "गंगा पर विजय पाने वालों का नगर"।

बहुत-से गाँवों में शासन का संचालन राजकीय कर्मचारियों के द्वारा न किया जाकर स्वयं ग्रामवासियों के द्वारा किया जाता था। इन गाँव वालों की एक ग्राम परिषद् होती थी जिसको 'उर' या सभा कहते थे। गाँवों के मंदिरों की दीवालों पर लंबे अभिलेख (शिला-लेख) मिलते हैं जिनमें विस्तार के साथ वर्णन किया गया है कि उर अथवा सभा किस प्रकार आयोजित की जाती थी। जिनके पास भूमि थी अथवा गाँव के जो लोग ऊँची जाति के होते थे वे सभा के लिए लाटरी द्वारा चुन लिए जाते थे। इन सभाओं में गाँव के जीवन और वहाँ के कार्यों के संबंध में विचार किया जाता था। यह लोकप्रिय शक्ति का स्रोत था क्योंकि गाँव के लोग संगठित हो जाते थे। गाँव की संपन्नता का उत्तरदायित्व गाँव में रहने वाले लोगों पर भी आता था। यह सभा कभी-कभी कई छोटी समितियों में विभाजित कर दी जाती थी और प्रत्येक समिति गाँव के शासन के एक-एक अंग की देखरेख करती थी। उदाहरण के लिए एक गाँव की सभा में एक तालाब-समिति थी जिसका काम इस बात की देख-भाल करना था कि गाँव के तालाब में पानी रहता है या नहीं और उस पानी का ठीक वितरण ग्रामवासियों के लिए होता है या नहीं।

चोल राज्य की आय दो साधनों से प्राप्त होती थी—भूमि और भूमि की उपज पर लगाए गए कर से तथा व्यापार कर से। इस लगान का एक भाग राजा के लिए रख दिया जाता था और शेष भाग सार्वजनिक निर्माण कार्यों, जैसे सड़क और तालाब बनाने, राज कर्मचारियों को वेतन देने, स्थल सेना और जल सेना का व्यय वहन करने अथवा मंदिर-निर्माण में खर्च किया जाता था। भूमि कर प्रायः ग्राम परिषद् से एकत्र किया जाता था। भूमि के मालिक अधिकारियो को कर देते थे। व्यापार कर व्यापारियों से, जो प्रायः नगरों में रहते थे, वसूल किया जाता था।

समाज

राजा, राजदरबार और दरबारियों के अतिरिक्त दो अन्य श्रेणी के लोग

थे जिनका समाज में अत्यधिक सम्मान किया जाता था। ये ब्राह्मण और व्यापारी थे। ब्राह्मणों का इसलिए आदर किया जाता था कि वे धार्मिक कृत्यों को करते थे और विद्वान थे। वास्तव में जो ब्राह्मण बहुत बड़े विद्वान होते थे उनको राजा से भूमि और ग्राम उपहार के रूप में मिलते थे। यह ब्रह्मदेय उपहार कहलाते थे। इसलिए कुछ ब्राह्मण बड़े धनवान हो गए। उनकी संतान इस भूमि और इन गाँवों को उत्तराधिकार में प्राप्त करती थी और बड़े आराम का जीवन व्यतीत करती थी। कुछ ब्राह्मण तो इतने धनी हो गए कि वे अपना धन व्यापार में भी लगाने लगे।

चोल राज्य में व्यापारी बड़े संपन्न हो गए थे। उनका चीन, दक्षिण-पूर्वी एशिया और पश्चिम एशिया के साथ व्यापार होता था। इसके अतिरिक्त उनका विशाल भारत के अनेक प्रांतों से भी व्यापार होता था तथा उत्तरी-दक्षिणी राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान-प्रदान होता था। कुछ व्यापारी मिलकर एक व्यापार-मंडल बना लेते थे जिसको मणिग्रामम् कहा जाता था। व्यापार-मंडल प्रायः एक ही व्यवसाय में लगे हुए व्यक्तियों का संगठन होता है। ऐसी परिस्थिति में सभी व्यापारियों का धन मिलकर एक प्रकार का बैंक बन जाता था। हर व्यापारी अपने भाग का धन देता था। यह प्रणाली बड़ी उपयोगी थी क्योंकि मंडल के रूप में उनके पास अधिक धन हो जाता था और वह अकेले व्यापारी क्षेत्र से अधिक विस्तृत क्षेत्र में व्यापार कर सकते थे। हर एक व्यापार-मंडल के पास सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने के लिए अपना एक काफिला होता था। उनमें से कुछ के पास सशस्त्र सैनिक भी होते थे जो डाकुओं के आक्रमण से काफिलों की रक्षा करने के लिए उनके साथ यात्रा करते थे।

नगरों में नगर के व्यापार-मंडल वहीं की बनी हुई वस्तुओं को एकत्र करके बेचते थे। व्यापार-मंडल इन नगर-मंडलों से वस्तुओं को खरीदते थे और उन स्थानों को भेजते थे जहाँ उनकी माँग अधिक होती थी। वस्तुएँ कभी तो अन्य वस्तुओं के बदले में दे दी जाती थी और कभी नकद बेची जाती थीं। व्यापारियों की संपन्नता का अर्थ था नगर की संपन्नता। राजा भी चाहता था कि व्यापार-मंडल वैभव-संपन्न

बनें क्योंकि यदि वे धनवान हुए और राज्य को उन्होंने अधिक कर प्रदान किया तो राजकोष में अधिक धन एकत्र होगा। यह जान कर आश्चर्य होना चाहिए कि सन् 1077 ई० में 72 व्यापारियों का एक राजदूत-मंडल यह देखने के लिए चीन भेजा गया कि उस देश के साथ व्यापार बढ़ाने की और कौन-सी संभावनाएँ हैं।

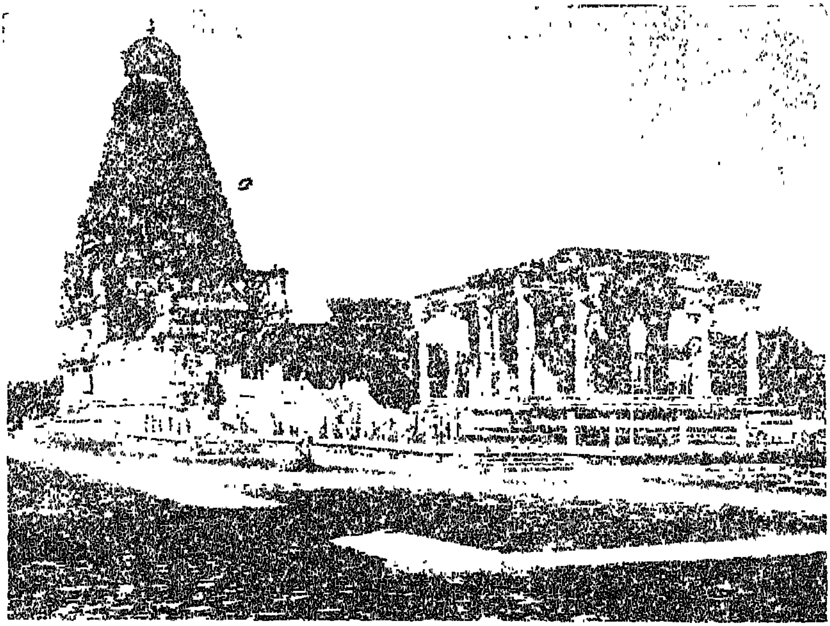
प्रत्येक व्यक्ति धनी और वैभव-संपन्न नहीं था। नगरों के मजदूर और गाँवों के किसान प्रायः बहुत गरीब होते थे। उनको कठोर परिश्रम करना पड़ता था जिससे राजा और कुछ अन्य व्यक्ति विलासिता का जीवन व्यतीत कर सकें। शूद्रों को प्रायः बड़ी मुसीबत उठानी पड़ती थी। कुछ शूद्रों को तो मंदिर में जाने तक की मनाही थी।

मंदिर

मंदिरों के निर्माण और उनकी सुरक्षा के लिए राजा और धनी व्यक्ति उदारता से धन और भूमि का दान करते थे। प्रत्येक गाँव और नगर में एक मंदिर बनाया जाता था किन्तु कुछ बड़े-बड़े नगरों और धार्मिक स्थानों के मंदिर अन्य स्थानों के मंदिरों से बड़े होते थे। चोल राजाओं के बनवाए हुए राजमंदिर बहुत वैभवशाली तथा भव्य थे, जैसे तंजौर का वृहदेश्वर मंदिर।

पल्लव काल में मंदिर चट्टानों को काटकर बनाए गए थे। ये मंदिर बड़ी-बड़ी चट्टानों एवं पहाड़ियों को काटकर बनाए जाते थे। मद्रास के निकट महाबलीपुरम में इस प्रकार के मंदिर सबसे अधिक सुंदर हैं। धीरे-धीरे कलाकारों ने पहाड़ी चट्टानों को काटने की बजाय बड़े-बड़े पत्थरों के टुकड़ों को काटकर मंदिर बनाने शुरू किए। काँचीपुरम नगर में इस प्रकार के अनेक प्राचीन मंदिर हैं। प्रारंभ के इन मंदिरों में एक तो देवता की मूर्ति का कमरा होता था और एक प्रवेश करने का हाल या बरामदा होता था। ज्यों-ज्यों धार्मिक कर्मकांड बढ़ने लगे और मंदिरों में अधिक पूजा-पाठ और उत्सव होने लगे, त्यों-त्यों मंदिर के प्रांगण में अधिक कमरों और हालों का बनाना आवश्यक हो गया। बाद में इस प्रांगण के चारों ओर चारदीवारी भी बनाई जाने लगी। मंदिर का प्रवेश द्वार गोपुरम कह-

लाता था। इस प्रांगण में बहुत-से छोटे-छोटे मंदिर भी बनाए जाते थे जिनमें दूसरे देवता अथवा महात्माओं की मूर्तियाँ प्रतिष्ठित की जाती थी और प्रायः इनकी भी

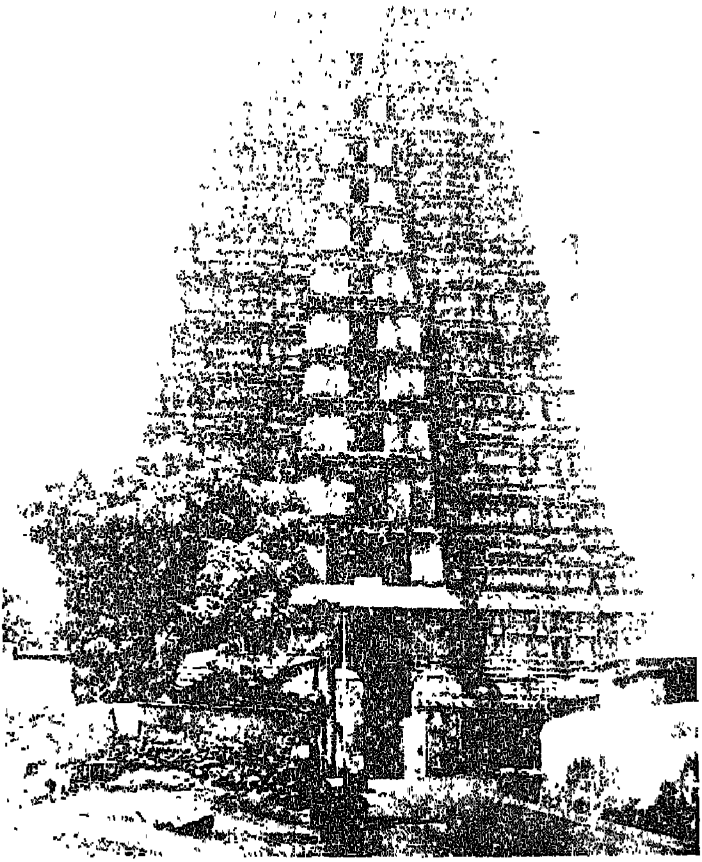


तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर

पूजा की जाती थी। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय मंदिर के ऊपर एक ऊँचा शिखर बनाया जाने लगा। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति जो मंदिर देखना चाहता था जान लेता था कि मंदिर का केन्द्रीय गर्भ गृह कहाँ पर अवस्थित है।

गर्भ गृह में देवी या देवता की मूर्ति स्थापित की जाती थी। ये मूर्तियाँ या तो पत्थर की बनी होती थीं या काँसे की। काँसे की बनी हुई मूर्तियाँ विशेष रूप से सुंदर हैं और अपने सौंदर्य के लिए संसार भर में प्रसिद्ध हैं।

चोल राज्यों का मंदिर सामाजिक कार्यों का केन्द्र भी बन गया था। वह केवल पूजा करने का धार्मिक स्थान ही नहीं था बल्कि एक ऐसा स्थान था जहाँ



श्री वल्लिपुत्तुर के वानपत्रशायी मंदिर का गोपुरम

लोग मिलते-जुलते थे। उत्सवों और धार्मिक त्योहारों पर आसपास के क्षेत्रों के लोगों के एकत्र होने का स्थान मंदिर ही था। धनवान लोग मंदिरों को धन और बहुमूल्य वस्तुओं की भेंट देते थे। इस धन का कुछ भाग मंदिर को सजाने में लगाया जाता था। दीवारों को मूर्तियों से सजाया जाता था। इन मूर्तियों के द्वारा देवता और मनुष्य दोनों के दृश्य चित्रित किए जाते थे। दीवारों पर बने हुए इन दृश्यों में राज-दरबार, युद्ध, पूजा-उपासना तथा संगीत और नृत्य के दृश्य होते थे। देवताओं की पत्थर और काँसे की मूर्तियों को बड़ी भक्ति से बनाया जाता था। उत्सवों और त्योहारों के दिन उनको मूल्यवान रेशमी वस्त्रों और सोने के आभूषणों से सजाया जाता था और बड़े-बड़े लकड़ी के रथों में उनका जलूस निकाला जाता था। मंदिर केवल एक सुंदर भवन ही नहीं होता था बल्कि मूल्यवान वस्तुओं का एक संग्रहालय भी था।

शिक्षा

जैसा कि हम देख चुके हैं मंदिर पूजा का स्थान तो था ही, साथ ही परस्पर एकत्र होने का स्थान भी था। मंदिर में ही गाँव सभाएँ अपनी बैठकें किया करती थीं। व्यापार पर होने वाले विचार-विमर्श को मंदिर की दीवारों पर अंकित कर दिया जाता था। मंदिर के पुजारी स्थानीय अध्यापक भी होते थे क्योंकि वहाँ कोई अच्छा विद्यालय नहीं होता था। मंदिर के प्रांगण में ही विद्यालय लगता था। विद्यार्थी प्रायः ब्राह्मण होते थे और वे दो भाषाओं में शिक्षा प्राप्त करते थे जिनमें एक भाषा संस्कृत होती थी। अधिकतर धार्मिक शिक्षा संस्कृत भाषा के माध्यम से दी जाती थी क्योंकि वेद आदि धार्मिक ग्रंथों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक था। विद्यार्थी चोल राज्य के विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने वाली तमिल भाषा भी पढ़ते थे। संस्कृत भाषा का प्रयोग किए जाने के पहले भी भारत के इस भाग में तमिल भाषा बोली जाती थी। तमिल के ऊपर संस्कृत भाषा का प्रभाव पड़ा और धीरे-धीरे उसमें कुछ संस्कृत शब्दों का भी प्रयोग किया जाने लगा। कंबन की **रामायण** जैसे प्रसिद्ध ग्रंथ जब तमिल में लिखे गए तब संस्कृत के बहुत-से साहित्यिक और धार्मिक

ग्रन्थ लोकप्रिय हो गए। चोल राजाओं के अनेक शिला-लेख संस्कृत और तमिल दोनों भाषाओं में लिखे हुए हैं। इस काल में प्रसिद्ध कवियों और नाटककारों के द्वारा तमिल भाषा में काव्य-ग्रंथों तथा नाटकों की भी रचना की गई।

तमिल यद्यपि दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा है पर इस काल में दक्षिण भारत में केवल इसी एक भाषा का प्रयोग नहीं होता था। आंध्र प्रदेश में स्थानीय जनसमुदाय द्वारा तेलुगु भाषा का प्रयोग किया जाता था। तेलुगु भाषा में भी रामायण और महाभारत की कथाओं को लिखा गया। कुछ अन्य मौलिक साहित्य भी इस भाषा में लिखा गया जो बड़ा लोकप्रिय रहा। महाभारत की कुछ कथाओं को लेकर श्रेष्ठ रचना करने वाले नन्नय्या का आज भी स्मरण किया जाता है। आगे चलकर कवि तिक्कन्ना और यरन्ना ने उसकी रचना में अपनी रचनाओं को भी जोड़ दिया। आधुनिक मैसूर के चारों ओर के क्षेत्र में अधिक संख्या में लोग कन्नड़ भाषा बोलते थे जैसे कि आज भी उस क्षेत्र में वही भाषा बोली जाती है। अपनी श्रेष्ठ साहित्यिक रचनाओं के कारण कवि पंप, पौन्न और रन्न कन्नड़ साहित्य के तीन रत्न कहे जाते है। धार्मिक उपदेशकों का एक दल जिसको लिंगायत कहते थे अपने धार्मिक उपदेश संस्कृत में न देकर कन्नड़ भाषा में देता था। इस कारण कन्नड़ भाषा लोकप्रिय हो गई। तुमको स्मरण होगा कि तमिल महात्मा अलवार और नयनार प्राचीन काल में संस्कृत के स्थान पर तमिल भाषा के प्रयोग को अधिक पसंद करते थे और उसीका उन्होंने प्रयोग भी किया। लिंगायत महात्माओं ने कन्नड़ का प्रयोग इसलिए किया कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह धनी हो या गरीब, उनकी भाषा को समझ सके और यह जान सके कि लिंगायत महात्मा किस प्रकार की शिक्षा देते थे। यदि उन्होंने संस्कृत में उपदेश दिए होते तो केवल कुछ सीमित वर्ग के शिक्षित व्यक्ति ही उनके उपदेशों को समझ सकते थे।

धर्म

इस काल में दक्षिण भारत में कुछ लोकप्रिय धार्मिक आंदोलन भी आरंभ हुए। इनमें से कुछ तो अलवारों और नयनारों की दी हुई शिक्षाओं को लेकर चल रहे

थे। अन्य ने नवीन विचारों का प्रचार-आरंभ किया। इनमें से अनेक ने यह उपदेश दिया कि केवल मूर्तियों की पूजा तथा पुजारियों की गाई हुई प्रार्थनाओं को दुहराना ही धर्म नही है। उन्होने कहा कि ईश्वर से प्रेम करना और मनुष्यो के प्रति अपने हृदय में दया की भावना जागृत करना धर्म है। वे यह नही चाहते थे कि समाज का वर्णों और जातियों में विभाजन किया जाए क्योंकि उनका विश्वास था कि सभी मनुष्य समान हैं। इन संप्रदायों में सबसे महत्त्वपूर्ण संप्रदाय था लिंगायत जिसका संस्थापक वासव बारहवीं शताब्दी में हुआ।

इस काल में अनेक विद्वानों ने दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में भी अपनी प्रतिभा दिखलाई। प्रसिद्ध दार्शनिकों ने दक्षिण भारत में अपने दार्शनिक सिद्धांतों का प्रचार किया पर उनके सिद्धांतों का ज्ञान भारत के विभिन्न क्षेत्रों के विद्वानों को हो गया। अनेक धार्मिक महात्मा दक्षिण भारत से उत्तर में आए यद्यपि बाद में उत्तर भारत में भी कुछ धार्मिक महात्मा उत्पन्न हुए और उन्होने भी अपने सिद्धांतों का प्रचार किया।

इन महात्माओं में शंकर और रामानुज सबसे अधिक प्रसिद्ध थे। शंकर जो आठवीं शताब्दी में हुए थे, केरल के रहने वाले थे। उनका दर्शन अद्वैत सिद्धांत कहलाता है जिसका अर्थ है विश्व में केवल एक सत्ता है, उसके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। उन्होंने ज्ञान मार्ग का उपदेश दिया। उनका कहना था कि केवल ज्ञान प्राप्त करके ही ईश्वर की उपासना की जा सकती है। शंकर ने अपने दर्शन के जिज्ञासुओं को शिक्षा देते हुए संपूर्ण भारत की यात्रा की। उन्होंने अन्य विद्वानों, दार्शनिकों और उपदेशकों से शास्त्रार्थ किया। उन्होंने दर्शन शास्त्र के अनेक केन्द्र स्थापित किए।

रामानुज का जन्म ग्यारहवीं शताब्दी में हुआ। उन्होंने उपदेश दिया कि व्यक्ति को भक्ति भाव से अपने को पूर्ण रूप से ईश्वर की शरण में छोड़ कर उसकी उपासना करनी चाहिए। अतः उनका मत शंकर के मत के अनुकूल नहीं था। उनका कहना था कि ईश्वर की उपासना ज्ञान की अपेक्षा प्रेम और भक्ति भाव से की जानी चाहिए। रामानुज को इसकी भी चिन्ता हुई कि कुछ लोगों को मंदिर में इस कारण

प्रवेश नही करने दिया जाता कि वे नीच जाति के हैं। उनकी दृष्टि में ऊँच-नीच का कुछ ग्रर्थ नहीं था क्योंकि वे सभी मनुष्यों को समान समझते थे। दूसरे धार्मिक महात्मा मध्व थे जिनके बहुत-से ग्रनुयायी थे। यह तेरहवीं शताब्दी के महात्मा थे। उनके विचार ग्रौर उनकी शिक्षा बहुत कुछ रामानुज के विचारों ग्रौर शिक्षाग्रों के समान थी।

इस प्रकार चोल शासन-काल का भारतीय संस्कृति को ग्रच्छा योगदान रहा। चोल राजाग्रों की राजनीतिक शक्ति ने उनके राज्य को दक्षिण का सबसे ग्रधिक शक्तिशाली राज्य बना दिया। कुछ समय तक उनका राज्य इस विशाल देश के सबसे ग्रधिक शक्तिशाली राज्यों में रहा। इस काल के व्यापार से राज्य के व्यापारी धनवान हो गए ग्रौर चोल राजकोष की भी वृद्धि हुई। तमिल, तेलुगु ग्रौर कन्नड़ कवियों ग्रौर लेखकों ने ग्रपनी-ग्रपनी भाषाग्रों में ग्रनेक ग्रंथों की रचना की। भव्य मंदिरों का निर्माण किया गया। लोकप्रिय धार्मिक ग्रांदोलन ने भक्ति भावना का प्रचार किया ग्रौर हिन्दू धर्म में नवीन विचारों का समावेश किया। इस काल के दार्शनिकों ने भारतीय दर्शन को ग्रपने विचारों से ग्रधिक पुष्ट किया। इन परिवर्तनों का प्रभाव केवल दक्षिण भारत के ही जीवन पर नहीं, संपूर्ण भारत के ग्रनेक क्षेत्रों की जनता के जीवन पर भी पड़ा।

ग्रभ्यास

1– पारिभाषिक शब्द जिनको तुम्हें जानना चाहिए :

1– मंडलम् — प्रांत।
2– वलनाडु — जिला।
3– उर — सभा या परिषद्।
4– ब्रह्मदेय — ब्राह्मणों को उपहार में दी गई बिना लगान की भूमि।
5– मणिग्रामम् — व्यापार-मंडल का नाम।
6– गोपुरम् — मंदिर का प्रवेश द्वार।
7– शिखर — मीनार के ग्राकार की मंदिर के मध्य गर्भ के ऊपर की इमारत।
8– ग्रद्वैत — शंकर के द्वारा प्रचारित भारतीय दर्शन का एक सिद्धांत।

2– नीचे दिए गए कथनों में से कौन-सा कथन सही है ? कथन के ग्रागे "हाँ" ग्रथवा "नहीं"

में उत्तर दीजिए :

1– शक्तिशाली प्रतिहार और पाल वंशों के साथ चोल शासक बार-बार युद्ध करते रहे।

2– चोल राजाओं ने आधुनिक तंजौर के आसपास के क्षेत्र तमिलनाद पर अधिकार करके अपना शासन आरंभ किया।

3– राष्ट्रकूट मैसूर के निकट द्वारसमुद्र पर शासन करते थे।

4– राष्ट्रकूट राजा कृष्ण द्वितीय ने परांतक को पराजित किया।

5– राजेन्द्र के उत्तराधिकारियों ने अपना बहुत-सा समय, धन और शक्ति दक्षिण प्रदेश के अन्य राजाओं से युद्ध करने में नष्ट कर दिया।

3– निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों को उनके आगे कोष्ठों में दिए हुए शब्द या शब्दों से पूर्ण करो :

1– ·········दक्षिण प्रदेश का एक प्रसिद्ध राज्य था जिसने गंगा के मैदान के एक भाग को जीतने का प्रयत्न किया। (चोल, राष्ट्रकूट, चालुक्य)।

2– राष्ट्रकूटों को दक्षिण भारत के अत्यधिक शक्तिशाली·········वंश के राजाओं से अनेक युद्ध लड़ने पड़े। (काकतीय, होयसल, चोल)।

3– चोल वंश के आरंभिक राजाओं में जिन्होंने राज्य की स्थापना में सहायता दी ·········था जिसने तंजौर को जीता। (राजेन्द्र, विजयालय, परांतक)।

4– नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

1– श्रीविजय और चोल राजाओं के बीच होने वाले संघर्ष के क्या कारण थे ?

2– चोल शासकों की मुख्य विशेषताएँ क्या थीं ?

3– "चोल शासकों का मंदिरों के निर्माण में उल्लेखनीय स्थान है।" —क्या आप इस कथन से सहमत हैं ? संक्षिप्त विवरण से अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए।

4– क्या यह कहना ठीक होगा कि इस युग में दक्षिणी भारत में अत्यधिक साहित्यिक कार्य हुए ?

5– करने के लिए रुचिकर कार्य :

1– एशिया के नक्शे पर उन स्थानों को दिखाइए जहाँ चोल व्यापारी अपना व्यापार करते थे।

2– भारत के मंदिरों के चित्र एकत्र कीजिए और भवन-निर्माण की उत्तरी तथा दक्षिणी शैलियो के अंतर पर ध्यान दीजिए।

अध्याय 3

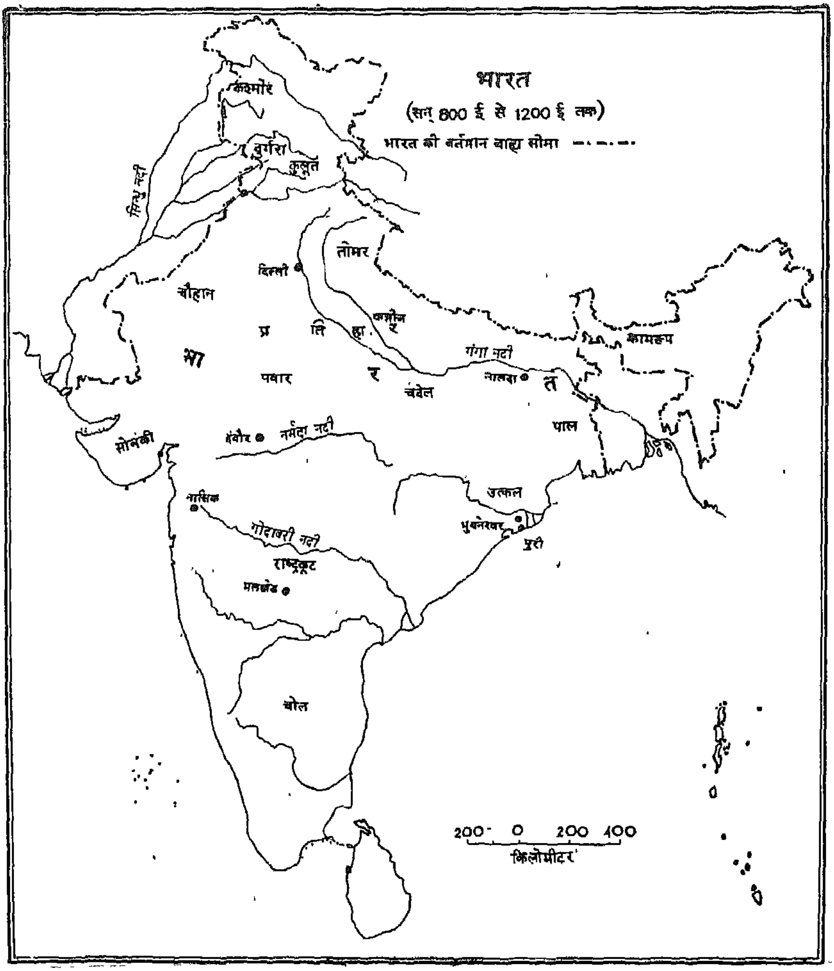
उत्तर भारत के राज्य

(800 ई० से 1200 ई० तक)

उत्तर भारत के इतिहास में गुप्त शासन-काल के पश्चात् छोटे-छोटे राज्यों का युग आया। समय-समय पर हर्ष जैसे शासकों ने अपना साम्राज्य स्थापित करने के प्रयत्न किए किन्तु ये प्रयत्न कदाचित ही सफल हुए। फिर भी साम्राज्य स्थापित करने की इच्छा समाप्त नहीं हुई। 750 ई० से 1000 ई० तक तीन बड़े राज्य उत्तर भारत पर अपना अधिकार स्थापित करने के प्रयत्न में परस्पर युद्ध करते रहे लेकिन किसी भी राज्य को अधिक काल के लिए सफलता नहीं मिली।

कन्नौज के लिए संघर्ष

उत्तर भारत में कन्नौज नगर पर अधिकार करने के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी गईं। यह नगर हर्ष की राजधानी और उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध नगर था। उत्तर भारत में इस नगर की बड़ी अच्छी स्थिति थी क्योंकि जो इस नगर पर अधिकार कर लेता वह गंगा के मैदान पर अधिकार कर सकता था। तीन प्रमुख



भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित।

समुद्र में भारत का जल प्रदेश उपयुक्त आधार रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है।

राज्य इस संघर्ष में लगे हुए थे और बारी-बारी से उन्होंने कन्नौज पर अधिकार किया। आधुनिक इतिहासकारों ने इसको कन्नौज के लिए त्रिदलीय (तीन दलों का) संघर्ष कहा है। ये तीन राज्य राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल थे।

दक्षिणापथ के उत्तरी भाग में नासिक के आसपास के क्षेत्र पर राष्ट्रकूटों का शासन था। मालखेद उनकी राजधानी थी। यह एक सुंदर और वैभवशाली नगर था। जैसा कि हम देख चुके हैं, राष्ट्रकूट राजा पल्लवों और चालुक्यों से दक्षिण के प्रायद्वीप में युद्ध करते रहे। पर अमोघवर्ष उनका एक महत्त्वाकांक्षी शासक था जो राष्ट्रकूटों को उत्तर भारत में भी उतना ही शक्तिशाली बना देना चाहता था जितने कि वे दक्षिणापथ में थे। इसलिए कन्नौज पर अधिकार करके उसने उत्तर भारत पर शासन करने का प्रयत्न किया।

प्रतिहार दक्षिण राजस्थान के कुछ भागों और अवंती पर शासन करते थे। वे पहले स्थानीय अधिकारियों के परिवार थे पर अब वे स्वतंत्र राजवंश बन गए थे। उस समय के इतिहास जानने के साधनों से एक म्लेच्छ वंश का पता चलता है। पहले प्रतिहार इन्हीं म्लेच्छों को पराजित करके शक्तिशाली बन गए। म्लेच्छ शब्द का अर्थ है असभ्य जाति अथवा बहिष्कृत व्यक्ति। इस शब्द का प्रयोग विदेशियों के लिए किया जाता था। हम निश्चित रूप से नहीं जानते कि इस प्रसंग में म्लेच्छ किसको कहा गया। पर संभवतः इस शब्द का प्रयोग अरब-निवासियों के लिए किया गया है। इस समय तक अरब-निवासी सिन्ध प्रदेश को जीत कर उसमें बस गए थे। अरबों के साथ संघर्ष में सफलता प्राप्त करके प्रतिहार अपनी सेनाओं को पूर्व की ओर ले गए और उन्होंने आठवीं शताब्दी के अंत तक कन्नौज पर अधिकार कर लिया।

किन्तु बंगाल पर शासन करने वाले पाल वंश के राजा भी कन्नौज पर अधिकार करना चाहते थे। पाल वंश के राजाओं ने लगभग चार सौ वर्ष राज किया। संपूर्ण बंगाल और बिहार के बहुत से भाग में उनका राज्य फैला हुआ था। गोपाल, पाल वंश का पहला राजा था। राजवंश का पहला राजा बिना किसी उत्तराधिकारी

के मर गया था अतः वहाँ के सरदारों ने गोपाल को अपना शासक चुन लिया था। पाल वंश की स्थापना के लिए गोपाल का ही स्मरण किया जाता है।

गोपाल के पुत्र धर्मपाल ने अपने राजवंश को और अधिक शक्तिशाली बनाया। अपने शासन के आरंभिक काल में वह राष्ट्रकूट राजा से पराजित हुआ। फिर भी उसने अपनी सेना का संगठन किया और कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। इस बार उसको सफलता मिली और उसने अपने संरक्षित शासक को कन्नौज की गद्दी पर बैठाया। पाल शासकों ने कुछ तो शक्तिशाली सेना बनाकर अपनी शक्ति का संगठन किया पर साथ ही साथ उन्होंने पड़ोसी राज्यों से भी संधियाँ कीं। उदाहरण के लिए पाल वंश के राजा और तिब्बत के राजा के बीच एक मित्रता की संधि हुई थी। इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत के चोल शासकों की भाँति पाल राजाओं ने भी दक्षिण-पूर्वी एशिया के व्यापार में अपनी रुचि दिखलाई। उन्होंने इस व्यापार में भाग लेने के लिए अपने व्यापारियों को प्रोत्साहित किया।

किन्तु पाल शासकों का कन्नौज पर बहुत अधिक समय तक अधिकार नहीं रहा। राजा भोज के शासन काल में प्रतिहारों ने अपनी खोई हुई शक्ति को फिर से प्राप्त कर लिया। उसने 836 ई० से 882 ई० तक राज किया। वह अपने समय का उत्तर भारत का सबसे अधिक प्रसिद्ध राजा था। वह एक शक्तिशाली योद्धा था और प्रतिहारों के लिए उसने कन्नौज पर फिर से अधिकार कर लिया। फिर भी जब भोज ने राष्ट्रकूट राज्य पर आक्रमण करना चाहा, तब प्रसिद्ध राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने उसको पराजित कर दिया। 851 ई० के लगभग एक अरब सौदागर सुलेमान ने भारत का हाल लिखा है। इस वर्णन में उसने जुज्र के राजा का उल्लेख किया है जो बड़ा शक्तिशाली था और एक वैभवशाली राज्य पर शासन करता था। इतिहासकारों का विश्वास है कि संभवतः जुज्र गुजरात का अरबी नाम था और जिस राजा का सुलेमान ने उल्लेख किया है वह राजा भोज ही था। भोज अपनी साहित्यिक रुचि और वैष्णव धर्म के संरक्षण के लिए भी याद किया जाता है। इसके कुछ सिक्कों में विष्णु के अवतार वाराह के चित्र मिलते हैं और उसने आदि

वाराह की पदवी भी धारण की थी। कहा जाता है कि एक लंबे शासन के बाद उसने अपने राज्य का परित्याग कर दिया पर हो सकता है कि यह सही न हो।

सन् 916 ई० में राष्ट्रकूटों ने अपनी शक्ति का फिर से संगठन किया और उन्होंने फिर से कन्नौज पर आक्रमण किया। इस समय तक कन्नौज पर अपना अधिकार स्थापित करने की इच्छा रखने वाले तीनों राज्य राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार लगातार परस्पर युद्ध करते-करते थक गए थे। वे आपस के युद्धों में इतने व्यस्त हो गए कि उनको यह भी पता न चला कि वे कितने अधिक कमजोर हो गए हैं। सौ वर्षों के अंदर इन तीनों राज्यों का पतन हो गया। जिस क्षेत्र पर राष्ट्रकूटों का राज्य था उस पर उत्तरकालीन चालुक्य शासन कर रहे थे। पाल राज्य पर चोल सेनाओं ने आक्रमण किया और बाद में उस राज्य पर सेन वंश का शासन स्थापित हुआ। प्रतिहार राज्य बहुत-से छोटे-छोटे राज्यों में बँट गया जिनमें से कुछ का संबंध राजपूतों के उत्थान से था।

राजपूत

राजपूतों का एक लंबा और मनोरंजक इतिहास है। वह कौन थे और कहाँ से आए यह आज भी रहस्य है। इतिहासकारों का विचार है कि उनमें से कुछ मध्य एशिया की उन जातियों से संबंधित हैं जो हूणों के उत्तर भारत के आक्रमण के बाद भारत में बस गईं। वे कुलों में विभाजित थीं। राजपूत हमेशा जोर देकर कहते थे कि वे क्षत्रिय जाति के हैं। राजपूत राजाओं ने अपने वंशों के इतिहास लिखवाए जिनमें उनका संबंध प्राचीन सूर्यवंशी या चंद्रवंशी राजाओं से जोड़ा गया। किन्तु चार ऐसे राजपूत वंश भी थे जो अपने को इन दो प्राचीन वंशों का उत्तराधिकारी नहीं कहते थे। वे अपने को अग्निकुल का बतलाते थे। ये चारों वंश इस काल के इतिहास में सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। वे प्रतिहार (या परिहार), चौहान (या चहमान), सोलंकी (या चालुक्य) और पँवार (या परमार) थे।

अग्निकुल के इन चार राजपूत राज्यों ने पश्चिमी भारत, राजपूताना और मध्य भारत के कुछ भागों में अपने राज्य स्थापित किए। परिहार कन्नौज

क्षेत्र पर शासन करते थे। राजपूतों के मध्य भाग में चौहानों का शक्तिशाली राज्य था। काठियावाड़ और उसके आसपास के क्षेत्र में सोलंकियों की शक्ति का उदय हुआ। पँवारों ने इंदौर के निकट धार को अपनी राजधानी बनाकर मालवा प्रदेश में अपना राज्य स्थापित किया। इनमें से बहुत-से वंशों ने प्रतिहार और राष्ट्रकूट राजाओं के संरक्षण में अपना शासन प्रारंभ किया और बाद में अपने संरक्षकों के विरुद्ध विद्रोह किया और अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया।

दूसरे छोटे शासक भी शक्तिशाली बन गए और धीरे-धीरे उन्होंने उत्तर भारत के विभिन्न भागों में अपने छोटे-छोटे राज्य स्थापित कर लिए। नेपाल, आसाम में कामरूप, कश्मीर और उड़ीसा में उत्कल इसी प्रकार के राज्य थे। इसी समय पंजाब के पर्वतीय राज्यों चंबक (चंबा), दुर्गरा (जम्मू) और कुलूत (कुलू) आदि की स्थापना हुई। ये राज्य या तो पहाड़ियों पर थे या राजपूत राज्यों से बहुत दूर थे और राजपूतों के इतिहास से कोई संबंध नहीं रखते थे। जो राज्य राजपूतों के इतिहास से संबंध रखते थे वे मध्य भारत और राजस्थान के राजा थे जैसे बुंदेलखंड के चंदेले या चौहानों के दक्षिण में राज्य करने वाले मेवाड़ के गुहिल। चौहान राज्य के उत्तर-पूर्व में तोमर वंश का राज्य था और वे हरियाणा और दिल्ली के चारों ओर के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने भी प्रतिहारों के संरक्षण में छोटे शासक के रूप में राज करना आरंभ किया किन्तु जब प्रतिहार कमजोर हो गए तो वे स्वतंत्र हो गए। तोमरों ने सन् 736 ई० में ढिल्लिका (दिल्ली) नगर का निर्माण कराया। बाद मे चौहानों ने तोमरों को पराजित करके उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। हिन्दी के कवि चंदबरदायी के लिखे 'पृथ्वीराज रासो' नामक प्रसिद्ध गाथा-काव्य का नायक पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश का ही था।

ये राज्य अधिकतर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए परस्पर युद्ध करते रहते थे। इन युद्धों ने उनको कमजोर कर डाला। जब उन पर उत्तर-पश्चिम से आक्रमण हुए तब वे उचित ढंग से अपनी रक्षा न कर सके। इन आक्रमण करने वालों में सबसे पहला महमूद गजनवी था।

महमूद गजनवी

गजनवी अफगानिस्तान का एक छोटा-सा राज्य था। एक तुर्क सरदार ने दसवीं शताब्दी में इस राज्य की स्थापना की थी। उसके उत्तराधिकारियों में एक महमूद था। वह गजनी को एक बड़ा शक्तिशाली साम्राज्य बनाना चाहता था अतः उसने मध्य एशिया के कुछ भागों को जीत लेना चाहा। पर इस कार्य के लिए, उसको एक विशाल सुसज्जित सेना की आवश्यकता थी। इसका अर्थ था कि पहले वह सैनिकों को वेतन देने के लिए और हथियार खरीदने के लिए धन एकत्र करे। उसने सुना था कि अफगानिस्तान के पड़ोस में भारत एक बहुत धनी देश है। अतः धन प्राप्त करके अपनी विशाल सेना को सुसज्जित करने के लिए उसने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई।

पहला आक्रमण 1000 ई० में आरंभ हुआ। पच्चीस वर्षों के थोड़े-से समय में महमूद ने भारत पर सत्रह आक्रमण किए। इस बीच उसने मध्य एशिया और अफगानिस्तान में भी लड़ाइयाँ लड़ीं। उसके इन आक्रमणों से उत्तर भारत के निवासी बड़े भयभीत हो गए क्योंकि लूटमार करके वह धन और सोना एकत्र करना चाहता था। इस काम में जो भी उसका विरोध करके रोकना चाहता था उसी को वह अपने रास्ते से साफ कर देता था। बाद में उसने पंजाब को जीत कर अपने साम्राज्य में मिला लिया।

सन् 1010 और 1025 ई० के बीच महमूद ने उत्तर भारत के केवल उन नगरों पर आक्रमण किया जिनमें बहुत से मंदिर थे। उसने सुना था कि भारत के मंदिरों में धन और सोना बहुत है। इसी कारण उसने मंदिरों को नष्ट किया और उनका सोना तथा बहुमूल्य रत्न लूटकर ले गया। उसके आक्रमणों में से पश्चिमी भारत के सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण और विनाश का सबसे अधिक उल्लेख किया जाता है। मंदिर नष्ट करने से उसको एक और लाभ हुआ। उसने मूर्तियों को तोड़ा और इससे वह धार्मिक नेता भी बन गया।

1030 ई० में महमूद की मृत्यु हो गई और इससे उत्तर भारत के निवासियों

को बड़ी राहत मिली। यद्यपि भारत में महमूद ने विनाश करने का ही कार्य किया परंतु अपने देश में उसने एक बड़ी सुंदर मस्जिद और एक बड़ा पुस्तकालय बनवाया। शाहनामा नामक महाकाव्य का लेखक फिरदौसी उसी के संरक्षण में रहा। उसी ने मध्य एशिया के प्रसिद्ध विद्वान अलबेरुनी को भारत भेजा। अलबेरुनी भारत में कई वर्षों तक रहा और उसने भारत के संबंध में एक बड़ी सुंदर पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक में भारत का और यहां के निवासियों के सामाजिक जीवन का विस्तार से वर्णन किया गया है।

मुहम्मद गौरी

महमूद गजनवी के आक्रमणों का उद्देश्य केवल धन लूटना था। पर बारहवीं शताब्दी के अंत में मुहम्मद गौरी के आक्रमण हुए। वह भी अफगानिस्तान के एक छोटे-से राज्य का शासक था पर उसकी इच्छा केवल लूट-मार करने की ही नहीं थी बल्कि वह उत्तर भारत को भी जीत कर अपने राज्य में मिला लेना चाहता था। पंजाब पहले भी गजनी राज्य का भाग रहा। मुहम्मद गौरी को भारत विजय की योजना बनाने में इससे बड़ा उत्साह मिला।

मुहम्मद के अभियान बड़े व्यवस्थित होते थे। जब वह देश जीत लेता था तो अपनी अनुपस्थिति में देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए अपना एक जनरल (सेनापति) छोड़ जाता था। मुहम्मद को प्रायः अफगानिस्तान में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था इसलिए वह भारत से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से भारत आता-जाता रहता था। उसका भारत पर सबसे महत्त्वपूर्ण आक्रमण चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय पर हुआ। 1192 ई० में मुहम्मद ने उसको तराइन की दूसरी लड़ाई में पराजित किया। इससे दिल्ली का क्षेत्र मुहम्मद के अधिकार में आ गया और वह अपनी शक्ति को बढ़ाने लगा। किन्तु सन् 1206 ई० में मुहम्मद की हत्या कर दी गई। उत्तर भारत में उसका राज्य कुतबुद्दीन ऐबक के अधिकार में आ गया। कुतबुद्दीन ऐबक उसका जनरल था।

इस प्रकार दिल्ली पर तुर्कों का शासन आरंभ हुआ। प्रायः यह प्रश्न पूछा

जाता है कि किस प्रकार 14 वर्ष के थोड़े से समय में तुर्क उत्तर भारत के प्रमुख नगरों और व्यापार के मार्गों के ऊपर विजय प्राप्त करने में सफल हुए। इसका उत्तर केवल उत्तर भारत के राज्यों की राजनैतिक परिस्थिति पर ही निर्भर नहीं है बल्कि उनकी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था पर भी निर्भर है।

आर्थिक व्यवस्था

मध्यकाल में जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ वह यह कि मध्यकाल में भूमि के लगान को वसूल करने की वह प्रणाली नहीं रही जो प्राचीनकाल से चली आ रही थी। लगान के ऊपर अब राजा का सीधा अधिकार नहीं रहा। इस परिवर्तन का जीवन के अन्य पहलुओं पर भी प्रभाव पड़ा।

हमने देखा था कि गुप्तकाल में कुछ अधिकारियों को नकद वेतन नहीं दिया जाता था। उनको लगान वसूल करने का अधिकार मिल गया था। किसी गाँव या भूमि भाग के लगान को वसूल करने का अधिकार अधिकारी को दे दिया जाता था। यह लगान उस धन के बराबर था जो सामान्यतया उसको वेतन के रूप में मिलता। आरंभ में अधिकारी उस भूमि भाग पर अपना कोई स्वामित्व नहीं समझता था। वह केवल उस भूमि का लगान ही वसूल कर सकता था। पर मध्यकाल तक आते-आते ऐसे अनेक अधिकारी उस भूमि भाग पर अपना स्वामित्व भी समझने लगे। वेतन की बजाय भूमि के लगान वसूल करने का अधिकार देकर वेतन देने की प्रणाली मध्यकाल में बढ़ गई। इस प्रकार लगान वसूल करने का अधिकार पाने वाले राय या ठाकुर कहलाते थे। ये अनेक प्रकार के होते थे। इनमें से कुछ तो राजकीय अधिकारी थे और कुछ वे स्थानीय सरदार थे जिनको युद्ध में पराजित कर दिया गया था पर उनको अनुदान के रूप में भूमि पर अधिकार मिला हुआ था। अनुदानित व्यक्तियों का दूसरा बड़ा समुदाय ब्राह्मणों और विद्वानों का था जिनको वास्तव में भूमि तो मिली ही हुई थी साथ ही उस भूमि के लगान को वसूल करने का अधिकार भी मिला हुआ था। इस प्रकार के अनुदान अग्रहार या ब्रह्मदेय अनुदान कहलाते थे। जिन ब्राह्मणों को ये अनुदान प्राप्त थे उन पर राजा का अन्य किसी प्रकार का बंधन नहीं

था। वे और उनके परिवार भूमि के लगान पर अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते थे। वह परिस्थिति बहुत कुछ उसी प्रकार की थी जैसी दक्षिण भारत के ब्रह्मदेय अनुदान की थी। परंतु दूसरे अनुदानित व्यक्तियों पर राजा के बंधन भी थे। अनुदानित किसानों से लगान वसूल करता था और उसका बड़ा भाग अपने उपयोग के लिए ले लेता था किन्तु उसका थोड़ा भाग उसको राजा को भी देना पड़ता था। उसको राजा की सेवा के लिए कुछ सैनिक भी रखने पड़ते थे जिनको आवश्यकता पड़ने पर राजा माँग भी सकता था।

जैसे-जैसे अनुदानित व्यक्तियों की संख्या बढ़ती गई वैसे-वैसे और भी अधिक भूमि उनके अधिकार मे चली गई। अत: राजा को प्राप्त होने वाली लगान की धनराशि कम हो गई। कभी-कभी राज्य के किसी बड़े अधिकारी जैसे मंत्री को एक पूरा जिला जिसमें बहुत-से गाँव होते थे अनुदान में दे दिया जाता था। चूँकि उसके लिए सभी गाँव से लगान वसूल कर लेना संभव नही था अत: वह अपने अधीन कर्मचारियों को अपने गाँवों को अनुदान में दे देता था। ये अधीन कर्मचारी गाँव के किसानों से लगान वसूल करते थे। इस प्रकार राजा और किसानों के बीच में बहुत से मध्यवर्ती लोग आ गए।

लगान वसूल करने की प्रणाली में परिवर्तन के परिणामस्वरूप अनेक अन्य परिवर्तन हुए। अब अधिकारी राजा पर बहुत कम निर्भर रहते थे। जिन लोगों के पास बड़े-बड़े भूमि भागों के अनुदान थे वे प्राय: स्वतंत्र शासकों का सा व्यवहार करने लगे। भूमि पर खेती करने वाले किसान अब सामंतों को अधिक महत्त्व प्रदान करने लगे क्योंकि उन पर सामंतों का ही सीधा अधिकार होता था। आरंभिक युग में अधिकारी राजा के नाम पर लगान वसूल करते थे। अब लगान सामंतों और अधिकारियों के नाम पर वसूल किया जाता था। अत: अब राजा किसानों से दूर रहने लगा और उसका उनसे संबंध टूट गया। पहले सब लगान राजकोष में जाता था अत: यदि राजा को एक बड़ी शक्तिशाली सेना संगठित करनी होती तो वह लगान में से कुछ अतिरिक्त धन अपनी सेना पर व्यय कर सकता था। अब लगान राजा और

सामंतों में बँट जाता था इसलिए राजा अपनी सेना पर अतिरिक्त धन नहीं व्यय कर सकता था। यह भी एक कारण था जिससे उत्तर भारत के राज्य तुर्कों के आक्रमणों से अपना समुचित बचाव न कर सके।

राजा और सामंतों को ठीक पारस्परिक सबंध कायम रखना भी कठिन हो गया। यह आशा की जाती थी कि राजा सामंतों पर नियंत्रण रखेगा पर सामंत जब चाहते कठिनाइयाँ उत्पन्न करते रहते। कोई सामंत राजा के भाग का लगान समय पर न भेज कर या आवश्यकता पड़ने पर सैनिक सहायता देने में धोखा देकर राजा की स्थिति को कमजोर कर सकता था। जितना अधिक राजा सामंत पर निर्भर करता था उतना ही अधिक वह कमजोर हो जाता था। कभी-कभी राजा सामंत के अनुदान को छीन भी सकता था परंतु ऐसा बहुत कम होता क्योंकि सामंत प्रायः बड़े शक्तिशाली होते थे। इस प्रकार अपने सामंत से व्यवहार करने मे राजा को बड़ा सतर्क रहना पड़ता था।

सामंतों में एक दूसरे के प्रति बड़ी ईर्ष्या होती थी। यद्यपि वे एक ही राजा के लिए कार्य करते थे पर वे एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी होते थे। इस प्रतिद्वंद्विता के कारण अनेक युद्ध होते थे। यदि उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य किया जाता था या कोई बात कही जाती थी तो वे तुरंत अपमानित अनुभव करते थे। प्रत्येक झगड़े का निपटारा लड़ाई से होता था। एक सामंत दूसरे को चुनौती देता और परिणामस्वरूप युद्ध होता था। युद्ध ही अपनी शक्ति के प्रदर्शन का एकमात्र साधन था। इस प्रकार इस काल में लगान का अधिकतर भाग व्यर्थ ही युद्ध में व्यय होने लगा।

जब कोई सामंत यह अनुभव करता कि वह पर्याप्त मात्रा में शक्तिशाली बन गया है तो वह अपने को स्वतंत्र घोषित कर देता और अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेता था। प्रायः राजा इतना कमजोर होता कि वह अपने सामंत को ऐसा करने से रोक नहीं सकता था। इस प्रकार राष्ट्रकूट जो आरंभ में चालुक्यों के सामंत थे स्वतंत्र हो गए और अंत में उन्होंने चालुक्यों के राज्य पर कब्जा कर लिया। आगे चलकर इनके सामंत उत्तर चालुक्य बने और उन्होंने भी इसी रीति से राष्ट्रकूटों के

हाथ से राज्य छीन लिया। इसी प्रकार प्रतिहार राजाओं के संरक्षण में शासन करने वाले चंदेले भी स्वतंत्र हो गए। दक्षिण के चोल वंश के शासक भी आरंभ में सामंत ही थे। जब कभी किसी सामंत को स्वतंत्र होना होता था तब वह पहले महाराजाधिराज जैसी बड़ी-बड़ी पदवियाँ धारण करता था। वास्तव में ये पदवियाँ सही नहीं होती थीं पर सुनने में बड़ी प्रभावशाली प्रतीत होती थीं।

इस परिस्थिति में सबसे अधिक कष्ट किसानों को होता था। उनको अपने सामंत को केवल लगान ही नहीं देना पड़ता था बल्कि उसके लिए बेगार भी करनी पड़ती थी। प्रायः सामंत किसानों से अतिरिक्त कर भी वसूल करते थे जैसे किसानों को सड़कों, कारखानों और सिंचाई के पानी के प्रयोग के लिए भी कर देना पड़ता था। किसान इसकी शिकायत राजा से नहीं कर सकते थे क्योंकि राजा का सामंतों के ऊपर अधिक अंकुश नहीं था। ऐसी परिस्थितियों में किसान के लिए कोई अंतर नहीं था चाहे उसका राजा राजपूत हो या तुर्क। किसान अधिक से अधिक परिश्रम करता था किन्तु वह गरीब ही बना रहा।

समाज

यद्यपि राजा की राजनीतिक और आर्थिक शक्ति प्राचीनकाल के मुकाबले में बहुत कम हो गई फिर भी वह बड़ी शान-शौकत से रहता था। उसकी आमदनी का बहुत-सा धन राजमहलों और मंदिरों के निर्माण में व्यय होता था। वह बहुमूल्य वस्त्रों, अलंकारों और रत्नों को धारण करने में तथा अपने दरबार की शान-शौकत में अपना अधिकतर धन व्यय करता था। राजा के द्वारा अपनाए गए फैशन को सामंत भी अपनाते थे।

राजा के दरबार में केवल सामंत ही नहीं, धनवान ब्राह्मण भी उपस्थित होते थे। ब्राह्मणों में से बहुत से धनवान और शक्तिशाली होते थे क्योंकि उनको भी अनुदान में भूमि प्राप्त थी। इस भूमि से उनको अधिक लगान मिलता था क्योंकि उस पर उनका पूरा अधिकार था और उनको राजा को कोई लगान नहीं देना पड़ता था। भूमि अधिकारी ब्राह्मणों को स्वयं खेती भी नहीं करनी पड़ती थी अतः वे बड़ा

सुखमय जीवन व्यतीत करते थे। उनकी जमीन पर किसान उनके लिए खेती करते थे। इस भूमि के बदले में कुछ ब्राह्मण राजा के लिए धार्मिक कर्मकांड और पूजा-पाठ करते थे और कुछ राजा का जीवन-चरित्र, उसके वंश का इतिहास और उसकी प्रशंसा में काव्य लिखते थे। बहुत से ब्राह्मण राज्य अधिकारी और राज्य कर्मचारी भी थे।

शहरों में रहने वाले लोग अब भी मुख्यतया उद्योग-धंधों और व्यापार में लगे हुए थे। भारत के पश्चिमी समुद्रतट पर अरब-व्यापारियों के निवास करने के कारण भूमध्य सागर के प्रदेशों तथा एशिया के देशों के साथ व्यापार की उन्नति हो रही थी। भारत की बनी हुई वस्तुएँ पूर्वी अफ्रीका के नगरों में भी बिक्री के लिए भेजी जाती थीं। केसर, रेशम, रूई, ऊनी वस्त्रों, बहुमूल्य रत्नों, सुगंधित लकड़ी (चंदन) और मसालों का निर्यात होता था। भारत में विदेशों से घोड़े मँगाए जाते थे। ये घोड़े मध्य एशिया व अरब से आते थे और भारत के व्यापारी अच्छे घोड़ों को बहुत अधिक मूल्य देकर खरीदते थे। पश्चिमी एशिया से खजूर और शराब का बहुत बड़ी मात्रा में आयात होता था।

समाज के सभी वर्गों में शूद्रों का जीवन सबसे अधिक कष्टपूर्ण था। उनमें से अधिकांश किसान थे। इस कारण वे सबसे अधिक गरीब थे। इस काल में संसार के सभी देशों में किसानों के साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया जाता था। यूरोप और चीन के किसानों का जीवन भी बड़ा कष्टपूर्ण था। वे अन्न का उत्पादन करते थे और इस कारण सबको उन पर निर्भर रहना पड़ता था। फिर भी उनको समाज में कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। न तो वे किसी से कोई प्रार्थना कर सकते थे और न अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों का विरोध ही कर सकते थे। भारत के किसान नीची जातियों के थे इसलिए उनको नीची निगाह से देखा जाता था। कभी-कभी जब उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता तो वे देश के दूसरे भागों में भागने का प्रयत्न करते थे। पर यह भी बहुत कम संभव हो पाता था। इन शूद्रों के अतिरिक्त अछूत वर्ग के लोग भी थे जो बहुत नीच कामों को करते रहते थे।

शिक्षा और ज्ञान

ब्राह्मणों पर धार्मिक कर्मकांडों के करने का ही नहीं, शिक्षा देने का भी उत्तरदायित्व था। मंदिरों में स्कूल लगते थे और वहाँ ऊँची जातियों के बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। उनमें से बहुत से संस्कृत और गणित का अध्ययन करते तथा धार्मिक पुस्तकें पढ़ते थे। नालंदा (बिहार) में एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ और विश्वविद्यालय था। गुप्तकाल में सभी विषयों पर विशेषकर विज्ञान के अध्ययन में विशेष रुचि दिखलाई गई थी। पर अब परिस्थिति बदल चुकी थी। विज्ञान के अध्ययन के प्रति रुचि कम हो गई थी। भारतीय विद्वान नई खोजें करने में कोई उत्साह नहीं दिखलाते थे। वे जो कुछ पहले से जानते थे उसी को दुहराने में संतुष्ट रहते थे। उनके पास जो ज्ञान था उसका भी वह दुरुपयोग करते थे। उदाहरण के लिए ज्योतिषशास्त्र के क्षेत्र में आर्य भट्ट द्वारा की गई खोजों का प्रयोग सूर्य, पृथ्वी और ब्रह्मांड के संबंध में नवीन खोजों के लिए नहीं बल्कि फलित-ज्योतिष के अज्ञान और अंधविश्वास से पूर्ण विचारों से जोड़ दिया गया था। भारत का आयुर्वेद का ज्ञान संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध था परंतु इस विषय के ज्ञान की वृद्धि भी रुक गई थी क्योंकि यह कहा जाने लगा कि जो कोई मृतक शरीर का स्पर्श करेगा वह जाति-च्युत हो जाएगा। यह भारत का दुर्भाग्य था क्योंकि इस काल में संसार के अन्य देशों में और विशेष रूप से चीन और अरब देशों में ज्ञान का बहुत अधिक विकास हो रहा था। इस प्रकार भारतवर्ष अन्य देशों से बहुत पिछड़ा जा रहा था।

अब भी ज्ञान और साहित्य की भाषा संस्कृत थी। इस काल की सबसे अधिक लोकप्रिय पुस्तक 'कथा सरित्सागर' थी। यह एक कहानी-संग्रह है। राजाओं के जीवन-चरित्र भी लिखे जाते थे। विल्हण ने 'विक्रमांकदेव-चरित' की रचना की। कल्हण ने 'राजतरंगिणी' नामक कश्मीर का संसार प्रसिद्ध इतिहास बारहवीं शताब्दी में लिखा। उत्तर भारत में कृष्ण की उपासना का प्रचार बढ़ा और राधा और कृष्ण की प्रेम-कथा बड़ी लोकप्रिय हो गई। इस कथा के आधार पर बहुत-सी कविताएँ लिखी गईं। जयदेव का 'गीत गोविन्द' उनमें से एक है।

संस्कृत के अतिरिक्त दूसरी भाषाओं का भी विकास हो रहा था। ये वही भाषाएँ थीं जिन्हें क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में हम अच्छी तरह जानते हैं। इनका विकास सर्वसाधारण के द्वारा बोली जाने वाली अपभ्रंश भाषाओं से हुआ। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है बिगड़ी हुई भाषा। इस समय विद्वानों की भाषा संस्कृत थी। किन्तु साधारण जन अपभ्रंश भाषाओं का व्यवहार करते थे। पश्चिमी भारत में गुजराती और मराठी के आरंभिक रूप और पूर्वी भारत में बँगला के आरंभिक रूप का बोलचाल में व्यवहार होता था।

धर्म

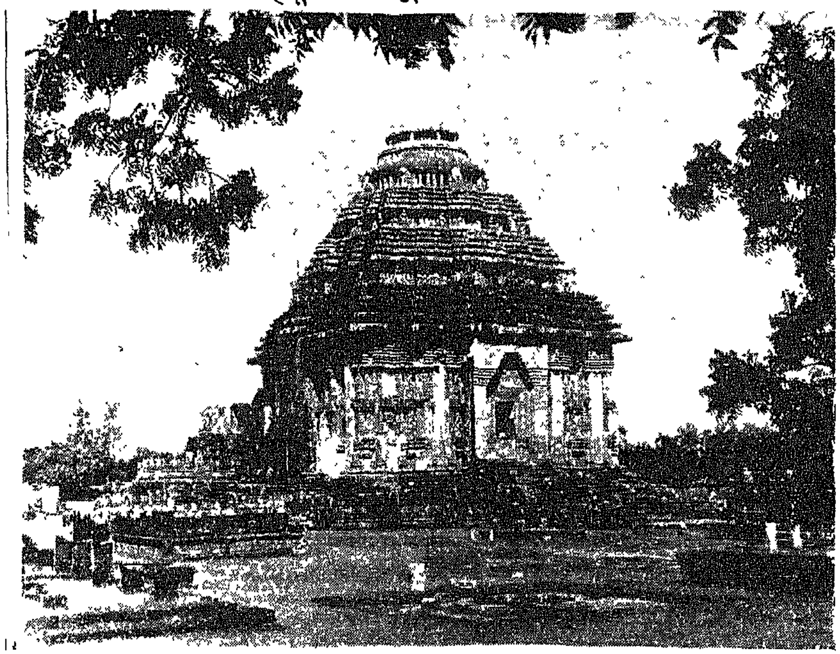
हिन्दू धर्म के अंतर्गत भक्ति भावना के प्रचार से इन भाषाओं के विकास में बड़ी सहायता मिली। दक्षिणी भारत के तमिल भक्त संतों ने इस भावना को आरंभ किया और धीरे-धीरे यह भावना उत्तर भारत में भी फैलने लगी। भक्त उपदेशक क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग करते थे क्योंकि वे निम्न वर्ग के लोगों, नगर के शिल्पकारों और गाँव के किसानों को उपदेश देते थे। भक्ति संप्रदाय की बढ़ती हुई लोकप्रियता के कारण भी बौद्ध धर्म का कुछ सीमा तक पतन हुआ। मध्यकाल में केवल पूर्वी भारत में बौद्ध धर्म लोकप्रिय रहा। वहाँ उसको पाल राजाओं और धनी व्यापारियों से प्रोत्साहन मिला। बौद्ध धर्म अब वह सामान्य धर्म नहीं रह गया था जिसकी शिक्षा गौतम बुद्ध ने दी थी। जब तुर्कों ने नालंदा के मठ पर आक्रमण किया तब बौद्ध भिक्षु दक्षिण-पूर्व एशिया के विभिन्न भागों में भाग गए।

उत्तर भारत में वैष्णव और शैव दोनों संप्रदायों को मानने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में थे। विष्णु की उपासना का सर्वश्रेष्ठ रूप उनका कृष्ण का अवतार था। कृष्ण के बाल जीवन की, उनकी गोपों के साथ मथुरा में गाय चराने की, राधा के प्रेम की तथा उनसे कंस के युद्ध की अनेक कथाएँ प्रचलित हो गईं। इन कहानियों को कविता के रूप में गाया जाता था और मंदिरों की दीवारों पर मूर्तियों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता था। अयोध्या के राजकुमार के रूप में विष्णु का राम-अवतार भी बड़ा लोकप्रिय था।

वास्तुकला और चित्रकला

प्रत्येक प्रसिद्ध राजा और शक्तिशाली सामंत मंदिर बनवाता था। इस काल के बने हुए सैकड़ों छोटे-बड़े मंदिर हैं। उड़ीसा के पुरी और भुवनेश्वर के मंदिर तथा कोणार्क का सूर्य मंदिर सबसे अधिक प्रसिद्ध व प्रभावोत्पादक मंदिर हैं। चंदेल राजाओं ने मध्य भारत में खजुराहो के मंदिर बनवाए। राजस्थान और गुजरात में भी बहुत-से सुंदर मंदिरों का निर्माण हुआ। राजस्थान में आबू पर्वत पर बने सफेद संगमरमर के जैन मंदिरों का एक समूह है। हिन्दुओं के लगभग सभी मंदिरों में विष्णु और शिव की मूर्तियाँ थी।

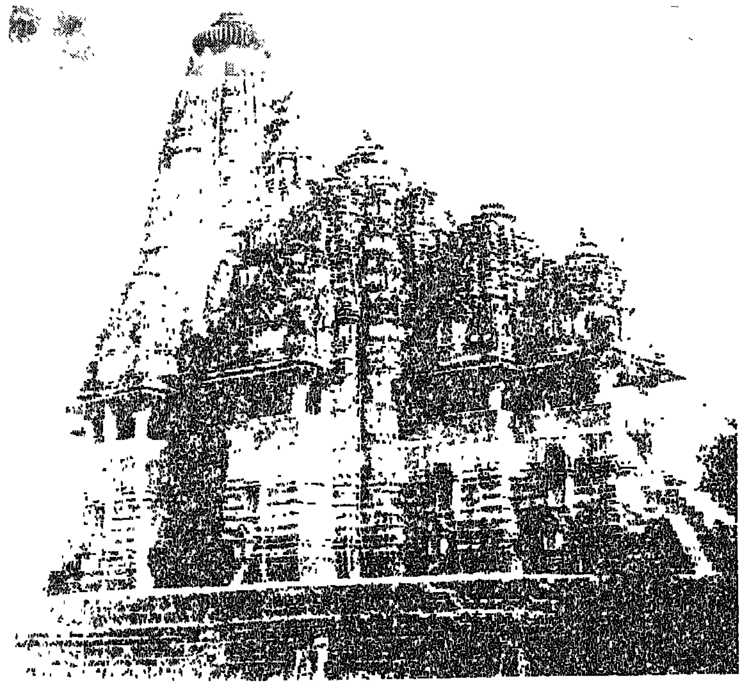
पाल वंश के राजा हिन्दू और बौद्ध दोनों धर्मों के संरक्षक थे। उनके मंदिरों



कोणार्क का सूर्य मंदिर

में काँसे की अथवा स्थानीय काले पत्थर की बनी देवी-देवताओं की अनेक मूर्तियाँ सुशोभित थी। इन मूर्तियों में से अनेक नालंदा के पड़ोस में हुई खुदाई से प्राप्त हुई हैं।

वास्तुकला और मूर्तिकला के अतिरिक्त इस कला में चित्रकला का भी विकास हुआ। मंदिरों और राजमहलों की दीवारों को सजाने के लिए भित्ति चित्रों की प्राचीन



खजुराहो का महादेव मंदिर

परंपरा को जारी रखा गया। इस काल में एक भिन्न प्रकार की चित्रकला का आरंभ हुआ जो बाद में मुगल काल में बड़ी लोकप्रिय हुई। यह लघु चित्रों के बनाने की

कला थी। चित्रकार पुस्तकों को सचित्र करने के लिए ये चित्र बनाते थे। पश्चिम भारत के जैन भिक्षुओ और पूर्वी भारत तथा नेपाल के बौद्ध भिक्षुओ को अपनी हस्तलिखित पुस्तकों को सचित्र बनाने का बड़ा शौक था। पुस्तक के ताड़ पत्र के बने पृष्ठों पर वे छोटे-छोटे चित्र बनाते थे जिसमें वे उस पृष्ठ में लिखे हुए विषय और दृश्यों का चित्रण करते थे। आरंभ में ये चित्र बड़े साधारण होते थे। धीरे-धीरे उनमें अधिक बारीकी का प्रदर्शन और अधिक रंगों का प्रयोग किया जाने लगा जिससे वे अपने आप चित्रकला के आदर्श नमूने बन गए।

800 ई० से 1200 ई० तक के समय मे भारत के सामाजिक और आर्थिक जीवन मे बडे परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों ने जीवन के नवीन आदर्शों का निर्माण किया। इस काल मे उत्तर और दक्षिण भारत में एक ही प्रकार की घटनाएँ हुई। इस काल में इस विशाल देश के विभिन्न भाग एक दूसरे के अधिक निकट संपर्क में आए। तुर्क और अफगान शासक संपूर्ण भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने का स्वप्न देखते थे। इससे संपर्क बढ़ाने की यह भावना और अधिक दृढ़ बनती गई।

अभ्यास

1- -पारिभाषिक शब्द जिनको तुम्हें जानना चाहिए :

1– म्लेच्छ—जाति बहिष्कृत, असभ्य
2– सूर्य वंश—सूर्य से उत्पन्न हुआ परिवार
3– चंद्र वंश—चंद्रमा से उत्पन्न हुआ परिवार
4– अग्नि कुल—अग्नि से उत्पन्न हुआ परिवार
5– अपभ्रंश—जॅन साधारण के द्वारा बोली जाने वाली भाषाएँ

2—'अ' स्तंभ में दिए तथ्यों का 'आ' स्तंभ में दिए हुए तथ्यों से संबंध स्थापित कीजिए :

अ	आ
1– राष्ट्रकूट वंश के राजा	1– अवंती और राजस्थान के दक्षिणी भाग के कुछ क्षेत्रों पर शासन करते थे।
2– प्रतिहार वंश के राजा	2– बारहवीं शताब्दी में लिखा गया।
3– महमूद गजनवी के आक्रमणों का उद्देश्य	3– दक्षिण भारत के उत्तरी क्षेत्र मे नासिक के आसपास की भूमि पर शासन करते थे।
4– कल्हण का कश्मीर का प्रसिद्ध	4– बहुत बड़ी संख्या में उत्तर भारत में

इतिहास	थे।
5– शैव और वैष्णव संप्रदायों के अनुयायी	5– विशेष रूप से लूट का धन प्राप्त करना था।

3– प्रत्येक वाक्य के सामने कोष्ठकों में दिए हुए शब्दों या शब्द समूहों द्वारा वाक्य के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :

1– उत्तर भारत में बहुत से युद्ध............नगर पर अधिकार करने के लिए लड़े गए। (तंजौर, नासिक, कन्नौज)।

2– उत्तरी दक्षिणापथ में............के चारों ओर के क्षेत्र में शासन करते थे। (प्रतिहार, पाल, चालुक्य, राष्ट्रकूट, उत्तर भारत, मध्य भारत, बंगाल, कन्नौज, नासिक)।

3– पाल वंश के राजाओं ने लगभग सौ वर्ष शासन किया और उनके राज्य का विस्तार लगभग संपूर्ण............में विशेष रूप से............क्षेत्र में था। (एक, दो, चार, भारत, दक्षिणापथ, बंगाल, असम, मद्रास, बिहार, उड़ीसा)।

4– पाल वंश के राजा............के चोल वंश के राजाओं की भाँति............ के व्यापार में विशेष रुचि रखते थे। (उत्तर भारत, मध्य भारत, दक्षिणापथ, सुदूर दक्षिण, उत्तर-पूर्वी एशिया, दक्षिण-पूर्वी एशिया, मध्य एशिया।

5– ....वर्षों के थोड़े-से समय में महमूद ने भारत पर............आक्रमण किए। (पाँच, दस, पंद्रह, पच्चीस, दस, बारह, सत्रह, अठारह)।

4– निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो :

1– त्रिदलीय संघर्ष से तुम क्या समझते हो ? उस संघर्ष का क्या परिणाम हुआ ?

2– महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के कौन-से प्रमुख कारण थे ?

3– महमूद गजनवी और मुहम्मद गौरी के आक्रमणों में क्या अंतर था ?

4– इस काल में देश की आर्थिक व्यवस्था और शासन प्रणाली में किस प्रकार परिवर्तन हुए ?

5– करने के लिए रुचिकर कार्य :

1– एशिया के मानचित्र में उस भागों को दिखलाओ जिनसे महमूद गजनवी और मुहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किए। उन स्थानों को भी दिखलाओ जिन पर उनके आक्रमण हुए।

2– नालंदा से प्राप्त पाल-वास्तुकला की और इस काल के लघु चित्रों की कुछ तस्वीरें एकत्र करने का प्रयत्न करो।

अध्याय 4

दिल्ली के सुल्तान

गुलाम सुल्तान (1206 ई० से 1290 ई० तक)

दिल्ली के सुल्तानों में आरंभिक शासक ममलूक थे। वे गुलाम बादशाह भी कहे जाते हैं क्योंकि उनमें से कुछ तो गुलाम थे और कुछ गुलामों के पुत्र थे जो सुल्तान बन गए थे। इन शासकों में सबसे पहला मुहम्मद गौरी का सेनापति कुतबुद्दीन ऐबक था। मुहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतबुद्दीन ने भारत में रहकर अपना साम्राज्य स्थापित करने का निश्चय किया। गजनी के शासक ने कुतबुद्दीन ऐबक के राज्य को अपने राज्य में मिला लेना चाहा पर उसको इसमें सफलता नहीं मिली। जब कुतबुद्दीन के बाद इल्तुतमिश सुल्तान बना तब यह स्पष्ट हो गया कि उत्तर भारत एक अलग राज्य रहेगा। तभी इस नए राज्य की जिसको दिल्ली की सल्तनत कहा जाता है, स्थापना हुई। धीरे-धीरे दिल्ली के सुल्तानों ने पूर्व में बंगाल और पश्चिम में सिन्ध तक अपने राज्य का विस्तार कर लिया।

परंतु इस सल्तनत पर शासन करना आसान काम नहीं था। सुल्तानों ने दो

बड़ी समस्याओं का सामना किया। एक का संबंध तो उन्हींके साथियों से था और दूसरी का उत्तर भारत के स्थानीय राजाओं से। बहुत से तुर्क सरदार और गुलाम मध्य एशिया से आकर भारत में बस गए थे। सुल्तान अपने राज्य को अपने सरदारों में बाँट देता था और उसके बदले में वे सुल्तान को सैनिक देते थे और सल्तनत का शासन चलाने में उसकी सहायता करते थे। जैसा कि उत्तर भारत में पहले से होता आया था, सरदारों को केवल भूमि का लगान दिया जाता था, भूमि पर उनका कोई स्वामित्व नहीं होता था। इस प्रकार सुल्तान समझता था कि वह सरदारों को अपने अधिकार मे रख सकता है। किन्तु सरदार उस प्राप्त अनुदान से सदैव संतुष्ट नहीं रहते थे और सुल्तान के लिए उनको संतुष्ट रखना कठिन हो गया था।

सुल्तान के सामने उन स्थानीय राजाओं की भी समस्या थी जिनके ऊपर विजय प्राप्त की गई थी। कुछ की भूमि तो उनसे ले ली गई थी और कुछ को अपनी भूमि पर फिर अधिकार दे दिया गया था। जिनको भूमि पर फिर अधिकार दे दिया गया था वे सुल्तान को कर के रूप में कुछ धन देते थे और आवश्यकता पड़ने पर वे सुल्तान को सैनिक सहायता देने के लिए राजी हो गए थे। इन राजाओं में वे राजपूत सरदार भी थे जिनको पराजित किया गया था। वे अपने सैनिक एकत्र कर लेते थे और सुल्तान की सेनाओं को परेशान करते रहते थे। फिर भी सभी राजपूत सरदार विरोधी नहीं थे। कुछ सल्तनत के साथ मित्रता का संबंध भी बनाए हुए थे।

उत्तर-पश्चिमी सीमा पर एक और नई कठिनाई थी। अफगानिस्तान के शासक तो शांत थे किन्तु मध्य एशिया के मंगोल चंगेजखाँ के नेतृत्व में नवीन प्रदेशों को जीत रहे थे। सिन्धु नदी के किनारे का क्षेत्र मंगोलों के अधिकार में आ गया। प्रायः वे नदी को पार करके पंजाब पर आक्रमण करते थे। कुछ समय के लिए उन्होंने पंजाब पर भी अधिकार कर लिया और सल्तनत के लिए संकट का कारण बन गए।

ये सभी समस्याएं सुल्तान इल्तुतमिश के सामने मुसीबत बनकर खड़ी थीं। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसकी पुत्री रजिया के सामने भी यही समस्याएँ आईं।

स्त्री होने के कारण उसके लिए ये समस्याएँ और अधिक कठिन हो गई । किन्तु उसने केवल थोड़े समय तक शासन किया। कई साधारण सुल्तानों के बाद शक्तिशाली और दृढ़ निश्चय वाला बलबन दिल्ली का सुल्तान बना।

बलबन को इन समस्याओं के सुलझाने में इल्तुतमिश से अधिक सफलता मिली। उत्तर में मंगोलों के आक्रमणों से उसने सल्तनत की रक्षा की। सल्तनत के अंदर और उसकी सीमा पर विद्रोह करने वाले स्थानीय शासकों से उसने कई लड़ाइयाँ लड़ीं। उसके सरदार इस समय बड़े शक्तिशाली हो गए थे और वे सुल्तान के सम्मान का भी ध्यान नहीं रखते थे और उसको धमकी देते रहते थे। बलबन के सामने यह सबसे गंभीर समस्या थी। धीरे-धीरे, किन्तु दृढ़ता से बलबन ने उनकी शक्ति को नष्ट कर दिया और अंत में सुल्तान ही सबसे अधिक शक्तिशाली बन गया। उसने अपने सरदारों को राजभक्त बनाने में भी सफलता प्राप्त की। उसने सेना के संगठन में तथा शासन-प्रणाली में कुछ परिवर्तन किए जिससे कुछ हद तक उसको अपनी समस्याओं को सुलझाने में सफलता मिल गई। वह इस बात पर अधिक बल देता था कि सेना और शासन पर सुल्तान का पूर्ण अधिकार हो। इस प्रकार वह सरदारों के किसी भी विद्रोह को दबा देने के लिए पूर्णरूप से शक्तिशाली था।

बलबन सुल्तान की निरंकुश शक्ति पर विश्वास करता था। सुल्तान की शक्ति को कोई चुनौती नहीं दे सकता था। उसने रूमी और सासानी वंश के ईरान के महान् सम्राटों के विषय में सुना था और अपने को वह उन्हीं के समान बनाना चाहता था। उसने लोगों को अपने सामने सिजदा करने के लिए उत्साहित किया। सिजदा अर्थात् सुल्तान को सलाम करने के लिए घुटनों के बल बैठकर, अपने मस्तक को झुका कर पृथ्वी का स्पर्श करना। परंपरावादी मुसलमान इससे भयभीत हुए क्योंकि इस्लाम धर्म के अनुसार सभी मनुष्य समान है इसलिए सिवा ईश्वर के और किसी के सामने सिजदा नहीं करना चाहिए।

खिलजी सुल्तान (1290 ई० से 1320 ई० तक)

सन् 1290 ई० में गुलाम वंश के बाद एक नए वंश, खिलजी वंश का शासन

आरंभ हुआ। इस वंश का महत्त्वाकांक्षी नवयुवक अलाउद्दीन सन् 1296 ई० में सुल्तान हुआ। वह बलबन से भी अधिक ऊँचे सपने देखता था। वह दूसरा सिकंदर बनकर संसार को विजय करना चाहता था। इसलिए सुल्तान बनते ही उसने संपूर्ण भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित करने का प्रयत्न आरंभ किया। इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए उसको तीन कार्य करने थे। पहला सरदारों को अपना स्वामिभक्त बनाना और उनकी शक्ति को अपने कब्जे में रखना, दूसरा दक्षिण और राजस्थान को जीतना और तीसरा मंगोलों को पीछे हटने के लिए विवश करना। यद्यपि इस समय तक मंगोलों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था पर वे सल्तनत पर आक्रमण करते रहते थे। इन सब कार्यों को करने के लिए उसको एक विशाल सेना की आवश्यकता थी। वह जब सुल्तान हो गया तब उसने नागरिकों को सोने-चाँदी के उपहार दिए। साथ ही उसने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह एक शक्तिशाली शासक है और जो उसके प्रति स्वामिभक्ति का प्रदर्शन न करेगा, उसके साथ वह कठोरता का व्यवहार करेगा।

एक विशाल सेना के लिए प्रचुर धनराशि की आवश्यकता थी। इसलिए अलाउद्दीन को अधिक लगान प्राप्त करने के उपाय सोचने पड़े। गंगा-यमुना के बीच के उपजाऊ क्षेत्र दोआब के धनी व्यक्तियों पर उसने भूमि-कर बढ़ा दिया। इसके अतिरिक्त सरदारों द्वारा वसूल किए जाने वाले लगान पर भी उसने अपनी कठोर दृष्टि रक्खी और उनको अपने भाग से अधिक प्राप्त करने का अवसर नहीं दिया। कोई व्यापार में अधिक लाभ न प्राप्त कर सके और सभी लोग आसानी से सब वस्तुओं का मूल्य दे सकें इसलिए उसने वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण किया। उसका दूसरा महत्त्वपूर्ण कार्य था लगान और खेती की भूमि के कर का फिर से निर्धारण। पहले उसने अपने राज्य की खेती की भूमि की नाप करवाई और फिर इस नाप के आधार पर लगान निर्धारित किया गया। विभिन्न व्यक्तियों द्वारा वसूल किए गए लगान का वह लेखा रखता था और उसका उस पर पूरा नियंत्रण था।

इस समय मंगोल अपनी कुछ कठिनाइयों में फँस गए थे। इसलिए कुछ समय

तक के लिए सल्तनत को उनसे कोई भय नहीं रहा। इसीलिए अलाउद्दीन पश्चिम भारत के शासकों की ओर पूरा ध्यान दे सका। उसने गुजरात और मालवा के राज्यों पर चढ़ाई की। रणथंभौर और चित्तौड़ के प्रसिद्ध किलों को जीतकर उसने राजस्थान पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहा।

उसने दक्षिण भारत की ओर भी एक बड़ी सेना मलिक काफ़ूर को सेनापति बनाकर भेजी। इसका उद्देश्य केवल दक्षिण प्रदेश पर विजय प्राप्त करना ही नहीं बल्कि धन-दौलत प्राप्त करना भी था। मलिक काफ़ूर ने सभी दिशाओं में लूट-मार की और देवगिरि के यादवों, वारंगल के काकतीयों, द्वारसमुद्र के होयसलों तथा दक्षिण के अन्य राज्यों से बहुत अधिक मात्रा में सोना इकट्ठा किया। इन शासकों को अपने राज्य पर इस शर्त पर शासन करने दिया गया कि वे सुल्तान को कर देते रहें। मलिक काफ़ूर ने मदुरई नगर पर भी आक्रमण किया। उत्तर भारत की कोई भी सेना इससे पहले इतने सुदूर दक्षिण तक नहीं पहुँच सकी थी। इस प्रकार कुछ काल तक अलाउद्दीन ने उतने ही बड़े साम्राज्य पर शासन किया जितने पर अशोक ने किया था। फिर भी उसका दक्षिण भारत पर सीधा अधिकार नहीं था।

खिलजी वंश के अंतिम सुल्तान को मार डाला गया और उसके स्थान पर तुगलक वंश के सुल्तान दिल्ली पर शासन करने लगे।

तुगलक सुल्तान (सन् 1320 ई० से सन् 1399 ई० तक)

तुगलक वंश के सुल्तान भी संपूर्ण भारत पर शासन करने का सपना देखते थे। आरंभ में तो उनको सफलता मिली पर शीघ्र ही विरोधी घटनाएँ होने लगीं। कुछ समय तक उन्होंने दक्षिण पर अपना अधिकार ही नहीं स्थापित किया बल्कि उस पर सीधा शासन भी करते रहे। किन्तु जब धीरे-धीरे सल्तनत कमजोर हो गई, तब स्थिति बदल गई। सुदूर दक्षिण क्षेत्र और दूर के प्रांतों के शासकों (गवर्नरों) ने सुल्तान राज्य की कमजोरी को समझ लिया और विद्रोह कर दिया और अंत में अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए।

तुगलक वंश के शासकों में मुहम्मद बिन तुगलक (1325 ई०–51 ई०) अधिक

प्रसिद्ध था। मुहम्मद तुगलक के शासन-काल का ज्ञान प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के अनेक साधन मिलते हैं। इस काल में उत्तर अफ्रीका का अरब यात्री इब्नबतूता भारत में आया और उसने मुहम्मद के शासन काल में यहाँ के निवासियों के जीवन का विस्तार के साथ वर्णन किया है। मुहम्मद ऊँचे आदर्शों पर विश्वास करने वाला शासक था। उसने तर्क पर आधारित सिद्धांतों पर शासन चलाने का प्रयत्न किया। उसके सलाहकारों में एक गणितज्ञ और एक तर्क-शास्त्री भी था। उसके बहुत-से विचार बड़े ही बुद्धिमत्तापूर्ण और विवेकपूर्ण थे परंतु उसने उनको सही तरीके से कार्यान्वित नहीं किया अतः परिणाम में उसको सफलता नहीं मिली।

मुहम्मद भारतवर्ष में ही नहीं मध्य एशिया में भी विजय प्राप्त करना चाहता था इसलिए उसको एक बड़ी सेना की आवश्यकता थी और सेना के खर्च के लिए उसको बहुत-सा धन चाहिए था। इसलिए दोआब के किसानों पर उसने कर बढ़ा दिए। सबसे अधिक कठिनाई इस कारण बढ़ गई कि उस समय दोआब में अकाल पड़ रहा था। लोगों ने इस बढ़े हुए कर को देने से इनकार कर दिया और सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अंत में सुल्तान को अतिरिक्त कर वसूल करने के आदेश को रद्द करना पड़ा।

मुहम्मद अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर देवगिरि ले गया और उसका नया नाम दौलताबाद रखा। दौलताबाद औरंगाबाद के निकट है। वहाँ से दक्षिण भारत के प्रशासन पर भी अच्छा नियंत्रण रखा जा सकता था। फिर भी राजधानी का यह परिवर्तन सफल नहीं रहा। यह स्थान उत्तर भारत से दूर था और यहाँ से उत्तरी सीमा की सुरक्षा नहीं की जा सकती थी। इसलिए मुहम्मद दिल्ली लौट आया और दिल्ली एक बार फिर राजधानी बन गई। इस कार्य में दक्षिण के राज्यों को सल्तनत की कमजोरी के चिह्न दिखलाई पड़े। इसके बाद ही दक्षिण में दो स्वतंत्र राज्यों—बहमनी राज्य और विजयनगर राज्य का उदय हुआ। अब सुल्तान का दक्षिण भारत के राजनीतिक मामलों में कोई दखल नहीं रहा।

मुहम्मद तुगलक का किया हुआ एक और नया प्रयोग असफल रहा। यह

प्रयोग भी अधिक धन प्राप्त करने का प्रयत्न था। उसने पीतल और ताँबे के सांकेतिक सिक्के चलाए जिनको राजकोष में देकर बदले में सोने-चाँदी के सिक्के प्राप्त किए जा सकते थे। यदि सुल्तान सांकेतिक सिक्कों के बनाने पर अपना नियंत्रण रखता और केवल राज्य ही के द्वारा इन सिक्कों का प्रचलन किया जाता तो इस योजना में सफलता मिलती किन्तु बहुत-से लोग ताँबे और पीतल के सांकेतिक सिक्के बनाने लगे। अतः अर्थ-व्यवस्था पर सुल्तान का कोई अधिकार नहीं रह गया। फलतः सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन सुल्तान को बंद करना पड़ा।

दुर्भाग्य से मुहम्मद को अपनी सभी नीतियों और योजनाओं में असफलता मिली और उससे राज्य की जनता ही नहीं, उलेमा (विद्वज्जन) और सरदार भी असंतुष्ट हो गए। उलेमा इस्लाम धर्म के विद्वान व्यक्ति थे और अपने दृष्टिकोण में कट्टर परंपरावादी थे। यदि सुल्तान को जनता, अपने सरदारों और उलेमाओं का पूर्ण सहयोग प्राप्त होता तो उसको उनसे अधिक अच्छी सलाह मिलती और हो सकता है कि अपनी कुछ योजनाओं में उसको सफलता भी मिलती।

मुहम्मद के बाद उसका चचेरा भाई फीरोजशाह (1351 ई० से 1388 ई०) गद्दी पर बैठा। फीरोज ने इस बात को अच्छी तरह से समझ लिया कि मुहम्मद की असफलता का एक कारण यह भी था कि उसे सरदारों और उलेमाओं का सहयोग नहीं मिला। अतः फीरोज ने उनके साथ समझौता कर लिया और उनको लगान का अनुदान देकर संतुष्ट रखा। वह सरदारों के साथ व्यवहार करने में उदार था। उसने प्रशासन की कुछ नीतियों को परंपरावादी उलेमा द्वारा प्रभावित होने दिया। वह केवल उन पर ही असहिष्णु नहीं था जो मुसलमान न थे बल्कि उन मुसलमानों पर भी असहिष्णु था जो परंपरावादी नहीं थे। इस प्रकार फीरोज ने दरबार के शक्तिशाली समुदायों के साथ अपने संबंध अच्छे बना लिए पर इसके साथ ही साथ सुल्तान की शक्ति भी कम हो गई।

इस बीच में कुछ प्रांतों (आधुनिक बिहार और बंगाल) के शासकों ने सुल्तान

के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। सुल्तान ने विद्रोह को दबाने का प्रयत्न किया पर उसको अधिक सफलता नही मिली।

सुल्तान को अपनी प्रजा की भलाई का बड़ा ध्यान था। उसने सिंचाई की योजनाएँ बना कर नहरों और इस प्रकार अपने राज्य के कुछ क्षेत्रों की उन्नति की। यमुना नहर इन्हीं नहरों में से एक है। उसने फिरोजपुर, फिरोजाबाद, हिसार, फिरोजा और जौनपुर आदि नए नगर बसाए तथा शिक्षा संस्थाओं और अस्पतालों की संख्या में वृद्धि की। फीरोज को भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति में भी रुचि थी। उसके आदेश से संस्कृत की अनेक पुस्तकों का जिनमें धर्म और दर्शन की भी कुछ पुस्तकें थीं, अरबी और फारसी में अनुवाद किया गया। उसने अशोक के दो स्तंभों को दिल्ली मँगवाया और उनमें से एक को अपने राजमहल की छत पर लगवाया।

फीरोज की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों में गृह युद्ध आरंभ हुआ। बहुत-से प्रांतों के गवर्नर स्वतंत्र होकर अपने प्रांत के शासक बन गए। अंत में तुगलक वंश के सुल्तानों का राज्य केवल दिल्ली के आस-पास के क्षेत्र में सीमित रह गया।

दिल्ली सल्तनत का पतन

सन् **1398** में उत्तर भारत पर फिर मध्य एशिया की सेनाओं का आक्रमण हुआ। तुर्क सरदार तैमूर ने जिसे तैमूरलंग भी कहा जाता है, अपनी विशाल सेना लेकर भारत पर आक्रमण कर दिया। उद्देश्य केवल उत्तर भारत पर आक्रमण करना और लूट का माल लेकर मध्य एशिया लौट जाना था। तैमूर के सैनिकों ने दिल्ली में प्रवेश किया। उन्होंने नगर को लूटा और नगर निवासियों की हत्या की। यह किसी भी नगर के लिए एक बड़ी भयानक घटना थी। जब उन्होंने पर्याप्त मात्रा में धन लूट लिया तब वे समरकंद लौट गए। महमूद गजनवी की भाँति तैमूर ने भी

भारत से लूटे धन को शानदार इमारतें, राजमहल और मस्जिदें बनवाकर समरकंद को सजाने में व्यय किया। वह मध्य एशिया के कुछ भागों के विशाल क्षेत्र पर शासन करता था और उसका साम्राज्य ईरान तक फैला हुआ था। उस समय पश्चिमी एशिया में तुर्क बड़े शक्तिशाली थे और उनको अरब और बैजंटाइन दोनों संस्कृतियाँ उत्तराधिकार में मिली थीं।



तैमूरलंग

किन्तु भारत की दशा बड़ी दयनीय और असहाय थी। सन् **1413** ई० में तुगलक वंश का अंत हो गया और एक स्थानीय शासक ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। उसने अपने को सुल्तान घोषित किया और सैयद वंश (**1414** से **1451** ई० तक) की स्थापना की। पर इस वंश का शासन काल बहुत थोड़ा रहा। एक दूसरे गवर्नर ने जो लोदी वंश का एक अफगान सरदार था दिल्ली के राज्य पर जबरदस्ती अपना अधिकार कर लिया।

लोदी वंश (सन् 1451 ई० से 1526 ई० तक)

लोदी वंश के शासकों ने सल्तनत को संगठित करने का प्रयत्न किया। विद्रोही गवर्नरों की शक्ति को दबाने का प्रयत्न किया गया। जौनपुर के राज्य से बहुत समय तक संघर्ष चलता रहा पर अंत में उसको अधीन कर लिया गया। सिकंदर लोदी (सन् **1489** ई० से **1517** ई० तक) ने पश्चिमी बंगाल तक गंगा की घाटी पर अपना अधिकार कर लिया। वह राजधानी को दिल्ली से हटाकर एक नए नगर में ले गया जो बाद में आगरा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह अनुभव करता था कि आगरा से वह और भी अच्छी तरह से अपने राज्य का नियंत्रण कर सकेगा। जनता

की भलाई के अनेक कार्य करके सिकंदर ने प्रजा को राजभक्त और राज्य को शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न किया। वस्तुओं का मूल्य घटाकर और मूल्यों का नियंत्रण करके उसने राज्य की आर्थिक दशा को सुधारने का प्रयत्न किया।

लोदी सुल्तान अफगान थे। अतः वे अफगान सरदारों की राजभक्ति पर अधिक निर्भर थे। किन्तु राजा की शक्तिशाली स्थिति को देखकर ये सरदार अधिक प्रसन्न नहीं थे। उनमें से कुछ ने विद्रोह करके अपने असंतोष को व्यक्त किया। प्रमुख अफगान सरदारों ने अंतिम लोदी सुल्तान इब्राहीम का बड़ा विरोध किया। अंत में काबुल के शासक बाबर के साथ उन्होंने षड्यंत्र किया और सन् 1526 ई० में इब्राहीम को पराजित करने में सफल हुए।

सरदार

हमने प्रायः यह उल्लेख किया है कि सरदार बड़े शक्तिशाली थे। कभी वे प्रशासन की नीति को प्रभावित करते थे, कभी गवर्नर की हैसियत से विद्रोह कर स्वतंत्र शासक बन जाते थे और कभी दिल्ली के सिंहासन पर जबरदस्ती अधिकार भी कर लेते थे। इन सरदारों में से अधिकांश उन तुर्क और अफगान परिवारों के थे जो भारत में बस गए थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो भारत में अपना भाग्य आजमाने विदेशों से आए थे और सुल्तान की सेवा करने लगे थे। प्रांतों में काम करने वाले गवर्नर और सेनापति जैसे अधिकांश अधिकारी ऐसे ही परिवारों के वंशज थे। इन अधिकारियों के रूप में भारतीय मुसलमानों और हिन्दुओं की भी नियुक्ति अलाउद्दीन खिलजी के शासन-काल के बाद होने लगी।

नकद वेतन देने के स्थान पर गाँव या किसी क्षेत्र की भूमि का लगान अधिकारियों को अनुदान में देने की प्रथा को सुल्तानों ने जारी रखा। यह अनुदान पैतृक संपत्ति नहीं था। इसको एक अधिकारी से लेकर दूसरे को दे दिया जाता था। किन्तु जैसा कि प्राचीन काल में होता था, जब केन्द्रीय शासन कमजोर हो जाता था, तब यह अनुदान पैतृक संपत्ति बन जाता था। किसी भूमि भाग से लगान वसूल कर रख लेने का अनुदान इक्ता प्रणाली कहलाता था। अधिकारी अपने इकट्ठे किए हुए

लगान से कुछ भाग अपने वेतन के रूप में ले लेता था। शेष भाग से वह सुल्तान के लिए सैनिकों की व्यवस्था करता था। यदि अब भी लगान बच जाता तो वह सुल्तान को भेज दिया जाता था। अधिकारी से यह आशा की जाती थी कि वह अपनी आमदनी और व्यय का पूरा हिसाब रखेगा। अधिकारी पर उस भूमि भाग में कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी थी जिस भूमि भाग का वह लगान वसूल करता था। कभी-कभी भिन्न प्रणाली का प्रयोग किया जाता था। सुल्तान को भेजी जाने वाली धन राशि निश्चित थी और उसको साल के अंत में अदा किया जाता था। इतना होने पर भी सरदारों के पास काफी धन रहता था और वे बड़ी शान-शौकत का जीवन व्यतीत करते थे। कभी-कभी उनमें से कुछ हिन्दू महाजनों के कर्जदार भी रहते थे।

सुल्तान की शासन-प्रणाली

सुल्तान की शासन-प्रणाली का मुख्य संबंध भूमि का लगान वसूल करने तथा उसका हिसाब रखने के काम से था। साथ ही वह कानून-व्यवस्था को भी स्थापित रखता था। कुछ आरक्षित भूमि भी थी और उस पर सीधे सुल्तान का अधिकार था। इस भूमि के लगान को सुल्तान अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए व्यय करता था। इस प्रकार की भूमि का लगान निश्चित था। उपज का एक तिहाई भाग लगान के रूप में लिया जाता था। यह राज्य का हिस्सा था। गाँव और जिले में काम करने वाले स्थानीय अधिकारी इस लगान को वसूल करते थे। ये अधिकारी उसी प्रकार कार्य करते थे जिस प्रकार वे तुर्कों और अफगानों के आने से पहले किया करते थे। गाँवों के प्रशासन की प्रणाली में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ था। कई अधिकारी ये कार्य करते थे जैसे **मुकद्दम** गाँव का वंश-परंपरागत मुखिया होता था। **पटवारी** स्थानीय कागजात रखता था। **मुशरिफ** लगान वसूली के समय सहायता करता था और उसके हिसाब की देखभाल करता था। पटवारी के बही-खाते में हिसाब लिखा जाता था। इन गाँव के अधिकारियों के बहुत से नामों का प्रयोग आज भी किया जाता है।

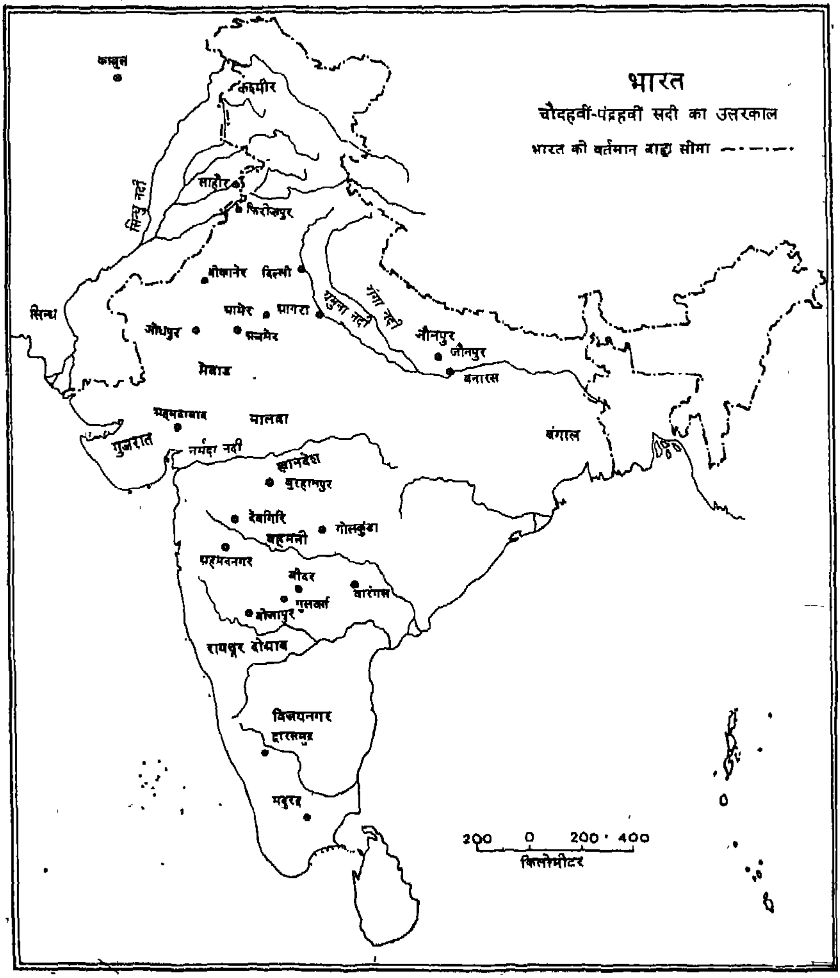
दरबार में भी ऐसे अधिकारी होते थे जो लगान का हिसाब रखते थे। इन अधिकारियों में **वजीर** और **बख्शी** (सेना का अधिकारी) सबसे प्रमुख थे। वजीर और उसके कर्मचारी लगान वसूल हो जाने पर उसके हिसाब की देखभाल करते थे और अनुदान का लेखा रखते थे।

दरबार के अन्य अधिकारी भी थे जो प्रशासन के अन्य कार्यों की देखभाल करते थे। कुछ सेना और उसके साज-सामान की देखभाल करते थे। कुछ सल्तनत और अन्य राज्यों के पारस्परिक संबंधों को बनाए रखने का कार्य करते थे। प्रमुख **काजी** प्रमुख न्यायाधीश होता था और वह धार्मिक मामलों में भी अपनी राय देता था। वजीर इन सभी अधिकारियों के कार्यों की देख-रेख करता था। सुल्तान बहुत अधिक मात्रा में वजीर के कार्य-कौशल और उसकी सलाह पर निर्भर था किन्तु अंतिम निर्णय सुल्तान ही लेता था।

नए राज्य

जैसे-जैसे सल्तनत की शक्ति कम होती गई इस विशाल देश के विभिन्न भागों में बहुत-से नए राज्य बनते गए। इसमें से बहुत-से पहले सल्तनत के प्रांत थे और बाद में स्वतंत्र राज्य बन गए।

पश्चिमी भारत में मालवा और गुजरात के राज्य थे। अहमदाबाद नगर की स्थापना करने वाले अहमदशाह ने गुजरात के राज्य को शक्तिशाली बनाया। सुंदर दुर्ग-नगर मांडू को बनवाने वाले हुसंगशाह के शासन-काल में मालवा का राज्य महत्त्वपूर्ण हो गया। गुजरात और मालवा लगातार परस्पर युद्ध करते रहे जिससे उनकी शक्ति नष्ट हो गई। राजपूतों के दो राज्यों मेवाड़ और मारवाड़ के संबंध में यही बात सत्य हुई। यद्यपि दोनों राज्यों में वैवाहिक संबंध थे पर दोनों परस्पर युद्ध करते रहे। यह दूसरा अवसर था जब राजपूत केवल सुल्तान से ही नहीं बल्कि आपस में भी युद्ध करते रहे। मेवाड़ के राणा कुंभा का स्मरण लोग आज तक करते हैं। वह बहुमुखी प्रतिभा वाला व्यक्ति था। शासक होने के साथ-



भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित।

समुद्र में भारत का जल प्रदेश उपयुक्त आधार रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है।

साथ वह अच्छा कवि और संगीतकार भी था। इसी समय के लगभग राजपूतों के जोधपुर और बीकानेर जैसे अन्य बहुत-से राज्यों की स्थापना हुई।

इस काल में कश्मीर का राज्य भी महत्त्वपूर्ण बन गया। जैनुल आबदीन कश्मीर का बड़ा ही लोकप्रिय शासक था। वह बादशाह कहलाता था। उसने पंद्रहवीं शताब्दी में राज किया। फीरोज तुगलक की भाँति उसने संस्कृत और फारसी के अध्ययन को प्रोत्साहन दिया। आज भी लोग कहते हैं कि वह अपनी प्रजा की भलाई का बड़ा ध्यान रखता था और बड़ा ही नेक शासक था।

पूर्वी भारत में जौनपुर और बंगाल दो प्रमुख राज्य थे। दिल्ली सुल्तान के गवर्नरों ने इन राज्यों की स्थापना की। बाद में उन्होंने सल्तनत के विरुद्ध विद्रोह किया। जौनपुर पर शरकी वंश के लोगों का राज्य था। उनकी इच्छा दिल्ली पर अधिकार कर लेने की थी पर वास्तव में वे कभी दिल्ली पर अधिकार न कर सके। बाद में जौनपुर हिन्दी साहित्य और शिक्षा का प्रमुख केन्द्र बन गया। बंगाल पर विभिन्न वंश के लोगों का राज्य था। वे प्रायः अफगान और तुर्क थे। उन्होंने थोड़े समय तक शासन किया। फिर अबीसीनिया के एक स्थानीय सरदार ने सिंहासन पर अधिकार कर लिया। ये सभी शासक स्थानीय संस्कृति के संरक्षक थे और बँगला भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहन देते थे।

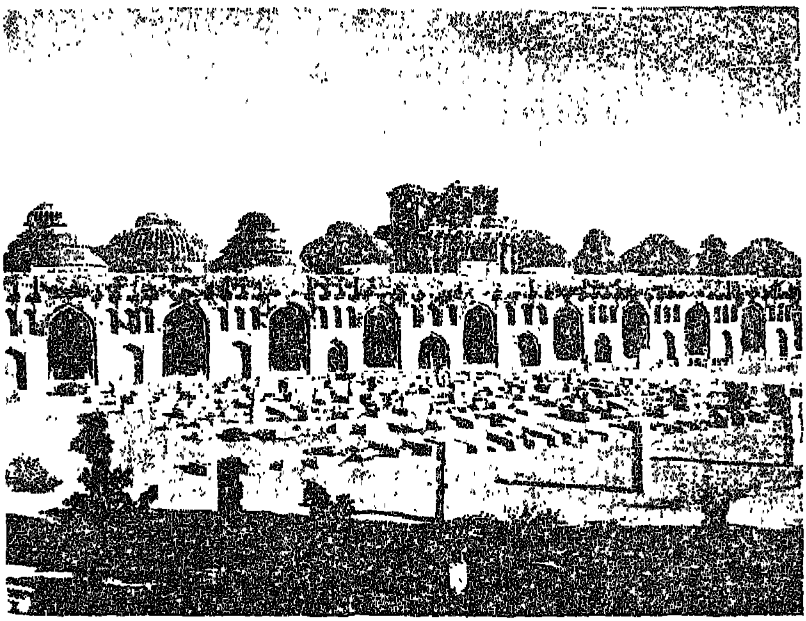
दक्षिण और सुदूर दक्षिण में बहमनी और विजयनगर राज्यों की स्थापना हुई। जब मुहम्मद बिन तुगलक के शासन-काल में सल्तनत का दक्षिणी भारत पर अधिकार कमजोर हो गया तब इन राज्यों का उदय हुआ। सुल्तान के अधिकारियों ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया और इन राज्यों की स्थापना की।

मुहम्मद बिन तुगलक के एक अधिकारी हसन गंगू ने बहमनी राज्य की नींव डाली। सन् 1347 ई० में हसन ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया और बहमनी राज्य को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। उसने बहमन शाह की उपाधि धारण की और वह इस राज वंश का पहला शासक बना। बहमनी राज्य के अंतर्गत कृष्णा नदी तक का दक्षिण प्रदेश का संपूर्ण उत्तरी क्षेत्र था।

इस राज्य के दक्षिण में विजयनगर का राज्य था। हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने इस राज्य की नींव डाली। उन्होंने भी सल्तनत की घटती हुई शक्ति का अनुभव किया। इन्होंने होयसल के राज्य (आधुनिक मैसूर राज्य) के क्षेत्र को विजय किया और सन् 1336 ई० में अपने को विजयनगर राज्य का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। उन्होंने हस्तिनावती (आधुनिक हंपी) को अपनी राजधानी बनाया। यदि बहमनी और विजयनगर में परस्पर मित्रता का संबंध होता तो वे बड़े शक्तिशाली राज्य बन सकते थे। पर दुर्भाग्य से उनमें सदैव युद्ध होता रहता था। इसके अनेक कारण थे। उनमें से एक कारण यह था कि दोनों राज्य रायचूर दोआब को अपने राज्य का हिस्सा (अंग) मानते थे। यह कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का उपजाऊ भूमि भाग था और दोनों राज्यो के बीच में स्थित था। बहमनी राज्य के गोलकुंडा क्षेत्र में हीरे की खानें थीं और विजयनगर के शासक गोलकुडा को जीतना चाहते थे। यह दूसरा कारण था। फिर एक कारण यह भी था कि दोनों राज्यों के शासक बड़े महत्त्वाकांक्षी थे और संपूर्ण प्रायद्वीप पर अपना अधिकार चाहते थे।

ये युद्ध इन्हीं दो बड़े राज्यों-तक सीमित नहीं रहे। प्रायद्वीप के छोटे राज्यों को भी इन दलों में सम्मिलित होकर लड़ना पड़ा। पूर्वी समुद्रतट पर उड़ीसा, आंध्र और मदुरइ आदि बहुत-से छोटे-छोटे राज्य थे। इन राज्यों पर लगातार बहमनी या विजयनगर के शासक आक्रमण करते रहे। अतः इन राज्यों को बहुत हानि उठानी पड़ी। विजयनगर ने सन् 1370 ई० में मदुरइ को जीत लिया। पश्चिमी किनारे पर भी विजयनगर क्रियाशील रहा। रेवातिद्वीप (आधुनिक गोआ) एक महत्त्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र था। उस पर भी अधिकार कर लिया गया। इस बीच बहमनी राज्य अपने उत्तरी पड़ोसी राज्यों—मालवा और गुजरात से युद्ध करने में लगा हुआ था।

इस विशाल देश के ये सभी राज्य बड़े शक्तिशाली बन गए क्योंकि इनके धन प्राप्त करने के दो साधन थे। पहला साधन तो भूमि का लगान था। जौनपुर जैसे



हंपी का फीलखाना (हाथी घर)

उपजाऊ क्षेत्र में इस साधन से बहुत बड़ी मात्रा में धन प्राप्त होता था। दूसरा साधन व्यापार था। गुजरात और बंगाल को अपने समुद्र पार के देशों से व्यापार में बड़ा लाभ होता था। वे पश्चिमी एशिया, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी-पूर्वी एशिया के देशों और चीन के साथ व्यापार करते थे। बहमनी और विजयनगर के राज्य भी इस व्यापार में भाग लेते थे। राजस्थान और मालवा इस विशाल देश के आंतरिक व्यापार से वैभवशाली बन गए थे। व्यापार का माल देश के विभिन्न भागों में ले जाया जाता था। अतः व्यापारी प्रायः इन क्षेत्रों में यात्राएँ किया करते थे। राजनीतिक दृष्टि से ये राज्य उतने शक्तिशाली नहीं थे जितने दिल्ली सल्तनत के, पर इन्हीं क्षेत्रों में आरंभिक संस्कृति का विकास हुआ और उसको परिपक्वता प्राप्त हुई। इन्हीं

राज्यों में क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य, वास्तुकला, चित्रकला और नवीन धार्मिक विचारों का विकास हुआ।

अभ्यास

1—पारिभाषिक शब्द जिनको तुम्हें जानना चाहिए :

1– सिजदा : सलाम करने का एक तरीका जिसे करने वाले व्यक्ति को घुटनों के बल झुककर अपने मस्तक से भूमि को छूना पड़ता था।

2– उलेमा : ('आलिम' शब्द का बहुवचन), इस्लाम धर्म के विद्वज्जन जो अपने दृष्टिकोण में बड़े परंपरावादी थे।

3– इक्ता : किसी भूमि भाग या गाँव के लगान का अनुदान।

4– पटवारी : स्थानीय कागजात को सँभालने वाला कर्मचारी।

5– वजीर : सुलतान का सलाहकार (मुख्य मंत्री)।

2—निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठकों में दिए हुए सही शब्द या शब्द समूहों से करो :

1– ············बलबन ने भी उन्हीं समस्याओं का सामना किया जो·········के सामने थीं परंतु वह उन समस्याओं के समाधान में अधिक सफल रहा। (कुतबुद्दीन, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन, काकती, यादव)।

2– दिल्ली सल्तनत के आरंभिक शासक············थे। (अफगान, तुर्क, मंगोल)।

3– ············ने दक्षिण की ओर मलिक काफ़ूर के नेतृत्व में एक सेना भेजी। (बलबन, रजिया, अलाउद्दीन)।

4– उत्तर अफ्रीका के अरब यात्री············ने············के शासन काल के भारत और उसके निवासियों के जीवन का विस्तार के साथ वर्णन किया है। (होयसल, काकतीय, चंगेजखाँ, इब्नबतूता, कुतबुद्दीन, अलाउद्दीन, मुहम्मद बिन तुगलक)।

5– बहमनी राज्य का क्षेत्र············में कृष्णा नदी तक था। (विजयनगर, हस्तिनावती, बहमनी, पूर्वी दक्षिण, सुदूर दक्षिण, उत्तरी दक्षिण)।

3– नीचे दिए हुए कथन में कौन-से सही हैं ? प्रत्येक कथन के सामने 'हाँ' अथवा 'नहीं' में उत्तर दो :

1– बलबन एक शक्तिशाली और दृढ़ निश्चय वाला शासक था।

2– अलाउद्दीन खिलजी के हाथ से सुदूर दक्षिण के राज्य निकल गए और दक्षिण के उत्तरी भाग मे उसका नाम मात्र का अधिकार रह गया।

3– गुलाम वंश के शासकों के बाद सन् 1290 ई० मे दिल्ली में तुगलक वंश का नया राज्य स्थापित हुआ।

4– खिलजी वंश का अंतिम शासक मार डाला गया और दिल्ली पर सैयद वश नामक एक नए शासन का आरंभ हुआ।

5– मुहम्मद बिन तुगलक ने पीतल और तांबे के ऐसे सांकेतिक सिक्के चलाए जिनको राजकोष से चाँदी के सिक्कों से बदला जा सकता था।

6– अलाउद्दीन के एक अधिकारी हसन गंगू ने बहमनी राज्य की नींव डाली।

4– नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर दो :

1– बलबन कौन था ? सुल्तान राज्य का संगठन करने के लिए उसको किन समस्याओं का सामना करना पड़ा ?

2– मुहम्मद तुगलक के बहुत-से विचार बुद्धिमत्तापूर्ण थे किन्तु उनको सफलता के साथ कार्यान्वित न किया जा सका। ऐसा क्यों ?

3– अलाउद्दीन दूसरा विश्व-विजेता सिकंदर बनना चाहता था। इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए उसने कौन-से कदम उठाए ? उसको कहाँ तक सफलता मिली ?

4– दिल्ली सल्तनत के प्रशासन को किस प्रकार व्यवस्थित किया गया ?

5– इक्ता प्रणाली से तुम क्या समझते हो ?

5– करने के लिए रुचिकर कार्य :

1– सल्तनत के कमजोर हो जाने पर इस देश के विभिन्न भागों में बहुत-से नवीन राज्यों का उदय हुआ। इन नए राज्यों की एक सूची बनाओ और भारत के मानचित्र में उन्हें दिखलाओ।

2– एशिया के मानचित्र में तैमूरलंग के दिल्ली पहुँचने के मार्ग का प्रदर्शन करो।

अध्याय 5

जनता का जीवन

जब कोई विदेशी जाति किसी देश को जीत कर उस देश में बस जाती है तो उसके साथ जीवन के नए आदर्श और नए तौर-तरीके भी आ जाते हैं। ये आदर्श पराजित देश की सभ्यता और संस्कृति को प्रभावित करते हैं। किन्तु कभी-कभी इसका उलटा भी होता है। पराजित देश की संस्कृति विजेता जाति के जीवन के तौर-तरीकों को प्रभावित करती है। तुर्कों और अफगानों की विजय के साथ भी ये दोनों बातें हुई। उन्होंने अपने जीवन को ईरान के सम्राटों के आदर्शों में ढाला था। वे अपने साथ ईरान और मध्य एशिया से वहाँ की संस्कृति और विचार लाए और जब वे भारत में बस गए तब भारतीय जीवन के रीति-रिवाज उनके विचारों और व्यवहारों को प्रभावित करने लगे। साथ ही तुर्कों और अफगानों के आने से भारतीय समाज में भी बहुत-से परिवर्तन हुए। ये परिवर्तन जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिफलित होते रहे। कुछ ही समय में कुछ रीति-रिवाजों की एक निश्चित एकरूपता सामान्य जनता के जीवन में दिखलाई देने लगी।

सल्तनत के युग में भारतीय समाज चार प्रमुख वर्गों में विभाजित था। अभिजात वर्ग और पुरोहित वर्ग को समाज में उच्चतम स्थान प्राप्त था, साधारण नगर निवासी और किसान अन्य वर्गों के थे।

अभिजात

अभिजात वर्ग शासन करने वालों का वर्ग था और इसके अंतर्गत सुल्तान, सरदार, हिन्दू राजे और जमींदार होते थें। दिल्ली के राज दरबार में सुल्तान बड़ी शान-शौकत से रहता था। जब कोई नया सुल्तान दिल्ली के सिंहासन पर बैठता था तब शुक्रवार की नमाज में उसके नाम का खुतबा पढ़ा जाता था और उसके नाम खुदे हुए सिक्के टकसाल से जारी किए जाते थे। इस प्रकार नए शासक के सिंहासन पर बैठने की पुष्टि की जाती थी। सुल्तान एक विशिष्ट व्यक्ति होता था। प्रतिदिन उसके विशेष गुणों को प्रमुख रूप से व्यक्त करने के लिए उसके दरबार के कार्यों को विधिवत् संपादित किया जाता था। उसके राजमहल के प्रबंध के लिए बहुत से अधिकारी और कर्मचारी होते थे। उसके कार्य करने के लिए उसके बहुत से गुलाम होते थे। सुल्तान का अनुसरण करते हुए अन्य सरदार भी विलासिता का जीवन व्यतीत करते थे।

पुरोहित वर्ग

ब्राह्मण और उलेमा जैसे पुरोहित और धर्मशिक्षक भी समाज के महत्त्वपूर्ण अंग थे। विशेषकर जो शासकों के सलाहकार थे उनका तो जनता पर अत्यधिक प्रभाव था। उनमें से कुछ बहुत धनवान थे और उनको भूमि का अनुदान मिला हुआ था। सुल्तान प्रमुख ब्राह्मणों का बड़ा आदर करता था और उनको भूमि का अनुदान देता था। इन ब्राह्मणों और उलेमा में बहुत से ऐसे थे जो देहाती क्षेत्रों में बस गए थे। इस प्रकार ये दोनों ही हिन्दू और इस्लामी संस्कृतियों के प्रचार में सहायता देते थे। कुछ ऐसे लोग भी थे जो इन हिन्दू और मुसलमान पुरोहितों के व्यवहार से संतुष्ट नही थे। जन-साधारण का अनुभव था कि ये पुरोहित धर्म में पर्याप्त रुचि नही रखते थे बल्कि उनकी सांस्कृतिक कार्यो में अधिक रुचि थी।

नगर निवासी

इस काल में बहुत से नगरों में व्यापार की बड़ी उन्नति हुई। नगरों में रहने वाले लोग प्रायः व्यापारी, दूकानदार, शिल्पकार तथा कुछ सरदार और अधिकारी होते थे। अधिकतर नगर व्यापार के केन्द्र होते थे। कुछ नगर प्रशासन और सेना के केन्द्र भी थे और इनमें अधिक संख्या में अधिकारी और सैनिक रहते थे। कुछ नगर तीर्थ स्थान थे जिनमें बहुत बड़ी संख्या में पुरोहितों और यात्रियों की भीड़ लगी रहती थी।

शिल्पकार अपने शिल्प के अनुसार नगर के किसी विशेष भाग में रहते थे। उदाहरण के लिए नगर के एक भाग में जुलाहे रहते थे। पीतल के बर्तन बनाने वाले ठठेरे दूसरे भाग में रहते थे। सुनारों की बस्ती एक अलग क्षेत्र में थी। इसी प्रकार अन्य शिल्पकार भी नगर में बसे हुए थे। आज भी बहुत-से नगरों और कस्बों में हमको मुहल्लों के नाम उन शिल्पकारों के नाम पर मिलते हैं जो किसी समय उन मुहल्लों में रहते थे। सरदारों और उनके परिवारों को कीमती रेशम और ज़री के कपड़े जैसी विलासिता की और बर्तन आदि प्रतिदिन की वस्तुओं की आवश्यकता रहती थी। वे शिल्पकार उनकी इस माँग की पूर्ति करते थे। शिल्पकार ऐसी वस्तुओं को भी बनाते थे जो देश के विभिन्न भागों को और विदेशों को भी भेजी जाती थीं और जिन पर उस काल का व्यापार आधारित था। सुल्तान विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन के लिए कारखानों में सैकड़ों गुलामों को नौकर रखते थे।

व्यापार

प्रत्येक नगर में हाट या बाजार होता था जहाँ व्यापारी वस्तुओं को खरीदने और बेचने के लिए एकत्र होते थे। अक्सर बड़े-बड़े मेले लगा करते थे। समाज के कुछ ऐसे समुदाय भी थे जो विशेष रूप से व्यापार ही करते थे। बनिए और मुल्तानी लोग व्यापार में बड़ी रुचि लेते थे और वे सारे देश में यात्रा करते थे। वे लोग दक्षिण में मलाबार तक पहुँचते थे। बंजारों के पास बड़े-बड़े काफिले रहते थे और वे वस्तुओं को एक बाजार से दूसरे बाजार तक पहुँचाया करते थे।

इब्नबतूता ने दिल्ली का वर्णन करते हुए लिखा है कि उसने जितने नगर अपनी यात्रा में देखे उनमें दिल्ली सबसे अधिक सुंदर नगर था। देश के सब भागों से दिल्ली नगर में सामान आता था। पूर्व से चावल, कन्नौज से चीनी, दोआब से गेहूँ और दक्षिण भारत से बहुमूल्य रेशम आता था। सूती कपड़े, धातु के बर्तन, बहुमूल्य रत्नों, आभूषणों और हाथी दाँत की वस्तुओ आदि का तो कुछ कहना ही नहीं। अरब, पूर्वी अफ्रीका, श्रीविजय और चीन से भी बहुत-सा सामान आता था। चीन के साथ व्यापार का मुख्य केन्द्र बंगाल था। पंद्रहवीं शताब्दी में चीन के बहुत से व्यापारी और मिशन बंगाल आए और उनके लिखे बंगाल के बहुत से वर्णन मिलते हैं जिनसे वहाँ के जीवन पर प्रकाश पड़ता है।

व्यापार की उन्नति से धन का प्रयोग अधिक होने लगा। टकसालों में बहुत बड़ी संख्या में सिक्के ढाल कर चलाए गए। चाँदी के सिक्के टंका का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता था। सुल्तान इल्तुतमिश ने इस सिक्के को जारी किया था। इसी सिक्के के आधार पर बाद में चाँदी का रुपया चलाया गया। इस समय के तोले के बाँटों का प्रयोग आधुनिक काल में मीट्रिक प्रणाली के अपनाए जाने के पहले तक जारी रहा।

किसान

गाँवों में किसानों का जीवन बहुत कुछ पहले जैसा ही रहा। तुर्कों और अफगानों के इस देश में आने से होने वाले परिवर्तन उच्च वर्ग तक ही सीमित रहे। किसानों के जीवन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ।

जाति प्रणाली इस काल के समाज की प्रमुख विशेषता बनी रही। जिन हिन्दुओं को मुसलमान बना लिया गया था वे प्रायः अपनी पहले की जाति का स्मरण करते रहे और उनके विवाह के रीति-रिवाज पहले की भांति ही चलते रहे। सरदारों में भी तुर्क, अफगान और उन हिन्दुओं में जो मुसलमान बना लिए गए थे परस्पर विवाह-संबंध होते रहे। इसलिए रीति-रिवाजों और विचारों का आदान-प्रदान स्वाभाविक था। मुसलमानों के बहुत से रीति-रिवाज हिन्दू जीवन के अंग बन गए

और हिन्दुओं के बहुत से रीति-रिवाज मुसलमानों के जीवन में दिखलाई देने लगे।

धर्म

भारत में इस्लाम धर्म के आ जाने के अनेक परिणाम हुए। इसका एक सबसे महत्त्वपूर्ण परिणाम यह था कि हिन्दुओं और मुसलमानों ने परस्पर एक दूसरे के बहुत से धार्मिक विचार अपना लिए। इससे दो प्रकार की धार्मिक विचार-धाराएँ--एक सूफी आंदोलन और दूसरी भक्ति आंदोलन—बड़ी लोकप्रिय बन गईं।

सूफी

ग्यारहवीं शताब्दी में फारस और अन्य देशों से आने वाले मुसलमानों में सूफी संप्रदाय के कुछ संत भी थे। वे भारत के विभिन्न भागों में बस गए और बहुत से भारतीय उनके अनुयायी बन गए। सूफियों ने ईश्वर के निकट पहुँचने के लिए प्रेम-साधना और भक्ति का उपदेश दिया। उनका कहना था कि यदि व्यक्ति के हृदय में भगवान के प्रति सच्चा प्रेम भाव है तो वह भगवान और अपने साथी मनुष्यों के अधिक निकट आ जाता है। ये सूफी संत ईश्वर के सच्चे प्रेम के सामने प्रार्थना, उपवास और पूजापाठ को अधिक महत्त्व नहीं देते थे। ईश्वर के प्रेम के महत्त्व के कारण उनका दृष्टिकोण अन्य धर्मों और संप्रदायों के प्रति उदार था और उनका विश्वास था कि ईश्वर के निकट पहुँचने के अनेक मार्ग हो सकते हैं। वे मनुष्य मात्र के आदर पर अधिक बल देते थे। सूफियों के इस दृष्टिकोण से परंपरावादी उलेमा सहमत नहीं थे क्योंकि उनका कहना था कि सूफियों के कुछ सिद्धांत प्राचीन परंपरागत इस्लाम धर्म से मेल नहीं खाते। बहुत से हिन्दू भी सूफी संतों का आदर-सम्मान करते थे। सूफियों का विश्वास था कि लोगों को पीरों के उपदेशों को मानना चाहिए। उनका पीर हिन्दुओं के गुरु के समान था। पास-पड़ोस के नगरों और गाँवों से लोग पीरों के उपदेश सुनने आते थे। सूफी संतों ने हिन्दुओं को मुसलमान बनाने का प्रयत्न नहीं किया बल्कि उन्हें एक सच्चे ईश्वर से प्रेम करके अच्छा हिन्दू बनने का उपदेश दिया।

मुईनुद्दीन चिश्ती अपने समय के एक प्रसिद्ध सूफी महात्मा थे। वे बहुत समय

तक अजमेर में रहे। वहीं सन् 1236 ई० में उनकी मृत्यु हुई। उनका विश्वास था कि भक्ति-संगीत भी ईश्वर के निकट पहुँचने का एक रास्ता है। यदि संगीत सुंदर ढंग से गाया-बजाया गया हो तो उससे उतना ही आनंद प्राप्त होता है जितना कि ईश्वर के सम्मुख उपस्थित होने से। उलेमा संगीत को धर्म से संबंधित करने के सिद्धांत को नहीं मानते थे। चिश्ती के अनुयायी धर्म सभाएँ (महफिल) करते थे जिनमें उच्चकोटि का संगीत सुना जा सकता था। इन सभाओं में होने वाले संगीत का परिचित रूप कव्वाली था। हिन्दी में गाए जाने वाले गीत भी बड़े लोकप्रिय थे।

दूसरे प्रसिद्ध सूफी महात्मा बाबा फरीद थे। वे अजोधन या पाकपाटन के रहने वाले थे जो अब पाकिस्तान में है। अन्य सूफी महात्मा भारत के दूसरे भागों में रहते थे। सैयद मुहम्मद गेसूदराज गुलबर्ग में, शाह आलम बुखारी गुजरात में, बहाउद्दीन जकरिया मुल्तान में और शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी सिलहट में रहते थे। दिल्ली के पड़ोस में निजामुद्दीन औलिया रहते थे जिनको सुल्तान और जनता दोनों का सम्मान प्राप्त था। वे ईमानदार और साहसी व्यक्ति थे और स्वतंत्रतापूर्वक अपने विचार प्रकट करते थे। यदि वे सुल्तान के किसी कार्य को पसंद नहीं करते तो स्पष्ट कह देते और अन्य व्यक्तियों की भाँति डरते नहीं थे।

भक्ति आंदोलन

केवल सूफी ही उस काल के लोकप्रिय धर्म-प्रचारक नहीं थे। भक्ति आंदोलन के चलाने वाले और संत भी थे। उनका भारत में अपना प्राचीन इतिहास था। तमिल देश के भक्ति संप्रदाय के चलाने वाले आलवार नयन्नार संतों ने कहानियों और गीतों के द्वारा भक्ति भावना की परंपरा को प्रारंभ किया था। नगरों में व्यापारियों और शिल्पकारों तथा गाँवों में किसानों के बीच यह आंदोलन बहुत लोकप्रिय हुआ। भक्ति आंदोलन में इसी प्रकार के उपदेश जारी रहे। इस आंदोलन के समर्थक अधिकांश संत-महात्मा अब्राह्मण थे। भक्ति मार्ग के उपदेशकों ने बतलाया कि मनुष्य और ईश्वर का संबंध प्रेमभाव पर आधारित है और धार्मिक कर्मकांडों के करने की अपेक्षा भक्तिभाव से ईश्वर की उपासना करना कहीं अधिक श्रेष्ठ है।

मनुष्यों और धर्मों में उन्होंने सहिष्णुता की भावना पर अधिक बल दिया।

चैतन्य एक धर्मोपदेशक थे जिन्होंने बंगाल में धर्म का उपदेश दिया। वे कृष्ण के भक्त हो गए और उन्होने कृष्ण-लीला के बहुत से पदों की रचना की। वे जनता के एक समूह को एकत्र करके भक्ति का उपदेश देते थे और उन्हें अपने भक्ति-पद सिखाते थे। उन्होंने देश के विभिन्न भागों की यात्रा की और फिर उड़ीसा प्रांत में पुरी में रहने लगे। ज्ञानेश्वर ने महाराष्ट्र में भक्ति का उपदेश दिया। उन्होंने गीता को फिर से मराठी भाषा में लिखा जिससे जो लोग संस्कृत के विद्वान नहीं थे वे भी उसे समझ सकें। उनसे अधिक लोकप्रिय नामदेव और कुछ समय पश्चात् तुकाराम हुए। दोनों ही प्रेम के माध्यम से ईश्वर के प्रति भक्ति का उपदेश देते रहे।

बनारस में कबीर,जो एक जुलाहे थे, रहते थे। वे भी एक भक्त महात्मा थे। उनके लिखे हुए दोहे जिनके द्वारा वे अपने शिष्यों को उपदेश देते थे आज तक पढ़े जाते हैं। कबीर ने हिन्दू और मुसलमानों के भेदभाव को दूर करने का प्रयत्न किया। उनका कहना था कि धर्मों का अंतर कोई महत्त्व नहीं रखता। महत्त्व इस बात का है कि प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर के प्रति प्रेम भाव रखे। ईश्वर के अनेक नाम हैं। कोई उसको राम कहता है कोई रहीम। कोई उसको हरि कहता है कोई अल्लाह। लोग व्यर्थ ही उसके नामो के ऊपर झगडा करते हैं। कबीर के शिष्यों ने कबीर-पंथ के नाम से अपना अलग संप्रदाय बनाया। बाद में सूरदास और दादू ने इस भक्ति मार्ग की परंपरा को कायम रखा।

नानक एक अन्य धर्मोपदेशक थे, जिनका महत्त्व कबीर से कम नहीं है। उन्होंने सिक्ख धर्म की स्थापना की। उनके अनुयायी कुछ शताब्दियों बाद उत्तर भारत में बहुत शक्तिशाली हो गए। सिक्खों के कथनानुसार नानक एक गाँव के लेखाकार के पुत्र थे और पंजाब में रहते थे। नानक के बहनोई ने उन्हें स्थानीय प्रशासक दौलत खां लोदी के कार्यालय में नौकरी दिलवाने में मदद की। पर नानक को इस काम में कोई रुचि नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और फकीरों और सूफी संतो के साथ कुछ समय बिताया। उन्होंने सारे देश का भ्रमण किया और अंत में अपने गाँव लौटकर शिष्यों के एक समुदाय को

उपदेश दिया। पदों में दिए गए उनके उपदेशों को एक पुस्तक में एकत्र किया गया जिनको आदि–ग्रन्थ कहा जाता है। नानक ने भी यही उपदेश दिया कि ईश्वर के निकट केवल प्रेम करके ही पहुँचा जा सकता–है। उन्होंने बड़ी दृढ़ता से कहा कि सब मनुष्य बराबर है अतः जाति के कारण कोई भेद-भाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपने शिष्यों को विशेष बल देकर कहा कि उन्हें एक सार्वजनिक भोजनालय, **लंगर** में भोजन करने के लिए तैयार रहना चाहिए जिसमें सभी जाति के लोग भोजन कर सकें। उन्होंने अपने शिष्यों का संगठन किया और अपनी मृत्यु के समय उनका नेतृत्व करने के लिए एक गुरु नियुक्त किया। उनके अनुयायी आगे चलकर अपने को 'खालसा' कहने लगे जिसका अर्थ है शुद्ध। सत्रहवीं शताब्दी में खालसा लोगों का एक शक्तिशाली सैनिक दल बन गया। तब सिक्खों ने अपने को अन्य लोगों से इन पाँच विशेषताओं के द्वारा अलग कर लिया—केश, कंघा, कड़ा, कृपाण और कच्छा। ये विशेषताएँ सामान्य रूप से 'पंच ककार' या 'पाँच कक्के' कहलाती हैं।

भक्ति आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन मात्र ही नहीं था बल्कि उसका प्रभाव समाज के विचारों पर भी पड़ा। आरंभ के भक्ति सम्प्रदाय के संतों, जैसे तमिल देश के भक्त संतों और बंगाल के चैतन्य जैसे महात्मा ने मुख्य रूप से धर्म भावना से ही अपना संबंध रखा परंतु कबीर और विशेष रूप से नानक ने इस पर भी विचार किया कि समाज का संगठन किस प्रकार किया जाना चाहिए। उन्होंने समाज को जातियों में विभाजित किए जाने का विरोध किया। उन्होंने समाज में नारी को दिए गए निम्न स्थान को भी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने स्त्रियों को पुरुषों के अनेक कार्यों में सहयोग देने के लिए प्रोत्साहित किया। जब कबीर और नानक के शिष्य एकत्र होते तो उस समुदाय में स्त्रियों को भी सम्मिलित किया जाता था। मीराबाई ने भक्ति भावना से ओत-प्रोत कुछ श्रेष्ठ पदों की रचना की। वे राजस्थान के एक राजवंश की थीं। उन्होंने अपने वैभव और विलास के जीवन का परित्याग कर दिया और कृष्ण की भक्त हो गईं।

भाषा और साहित्य

सारे देश के भक्त संतों ने क्षेत्रीय भाषाओं में उपदेश दिए जिससे कि साधारण लोग भी उनके उपदेशों को समझ सकें। सर्वसाधारण के बीच में जो भाषाएँ बोली जाती थीं वे हमारी वर्तमान भारतीय भाषाओं से बहुत मिलती-जुलती थीं। वास्तव में इन आरंभिक रूपों से ही हमारी वर्तमान भाषाओं का विकास हुआ। हिन्दी के दो रूपों—ब्रज और अवधी का प्रयोग किया जाता था। उत्तर में पंजाबी, पश्चिम में गुजराती, पूर्व में बंगला, उत्तरी-पश्चिमी दक्षिण में मराठी, मैसूर के आसपास के क्षेत्र में कन्नड़ और आंध्र प्रदेश में तेलुगू भाषाओं का विकास हो रहा था। आंध्र प्रदेश के दक्षिण के क्षेत्र में तो तमिल कई शताब्दियों से बोली जा रही थी। इसी समय के आसपास उड़ीसा में उड़िया, आसाम में असमिया, सिन्ध में सिन्धी और केरल में मलयालम भाषाओं का विकास आरंभ हुआ। इनमें से कुछ भाषाएँ अपभ्रंश और प्राकृत भाषाओं से विकसित हुईं।

देश के बहुत से भागों में इस काल में फारसी राजभाषा रही। अतः बहुत-सी भारतीय भाषाओं पर फारसी का प्रभाव पड़ा और फारसी के बहुत से शब्द भारतीय भाषाओं में आ गए। हिन्दी और फारसी के सम्मिश्रण से एक नई भाषा उर्दू बनी। 'उर्दू' का शाब्दिक अर्थ है 'शिविर'। विभिन्न मातृभाषाओं वाले सैनिक पारस्परिक वार्तालाप के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते थे उसे उर्दू कहने लगे। उर्दू का व्याकरण हिन्दी व्याकरण के समान ही था पर उसके शब्द फारसी, तुर्की और हिन्दी भाषाओं से लिए गए थे। दक्षिण भारत में बोली जाने वाली उर्दू पर तमिल और मराठी भाषाओं का बड़ा प्रभाव था। धीरे-धीरे उर्दू भाषा का प्रयोग सामान्य रूप से नगरों में बहुत होने लगा। पश्चिमी समुद्र तट पर पश्चिमी एशिया के व्यापारी अरबी भाषा का प्रयोग करते थे। अरबी भाषा का प्रभाव भी भारत की उन स्थानीय भाषाओं पर पड़ा।

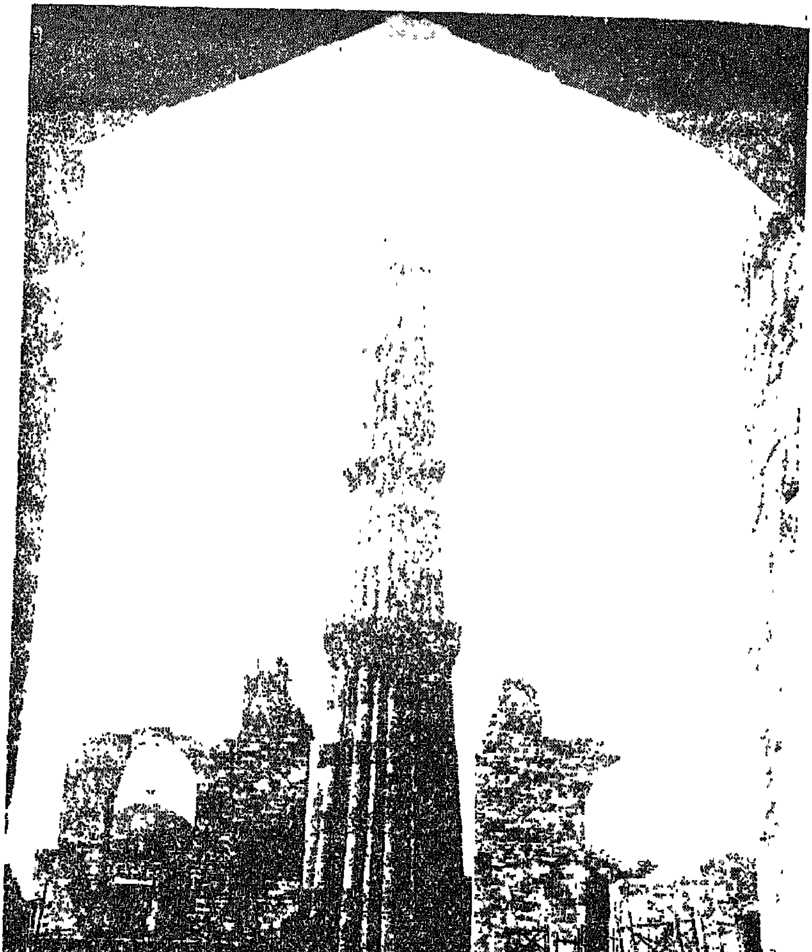
सीमित संख्या में कुछ विद्वान संस्कृत भाषा का भी प्रयोग करते थे। शैव और वैष्णव संप्रदाय के धार्मिक कर्मकांडों के अवसर पर तथा कुछ हिन्दू राज्यों जैसे विजय-

नगर के उत्सवों के अवसर पर राज दरबारों में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। यह भाषा उच्च शिक्षा का माध्यम थी। संस्कृत भाषा का बहुत-सा लोकप्रिय साहित्य जैसे पुराण, रामायण और महाभारत अब क्षेत्रीय भाषाओं में भी अनुवाद के रूप में उपलब्ध था। तमिल में कंबन और तेलुगू में पोथन के साहित्य को वे लोग पढ़ने लगे जो संस्कृत भाषा समझ सकते थे। संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद अब केवल भारतीय भाषाओं में ही नहीं फारसी और अरबी में भी मिलने लगे।

इस काल के साहित्य में केवल संस्कृत के ग्रंथों के अनुवाद ही नहीं मिलते बल्कि इस काल में बहुत-से कवि और लेखक ऐसे भी हुए जिन्होंने विन्भिन भाषाओं में अनेक मौलिक ग्रंथों जैसी महाकाव्यों, गीत काव्यों और नाटकों की रचना की। तेलुगू के कवि श्री नाथ ने शिव के सम्मान में 'हरविलास' जैसी अनेक कविताओं की रचना की। मलिक मुहम्मद जायसी ने हिन्दी भाषा में 'पद्मावत' नाम का प्रसिद्ध महाकाव्य लिखा। इसी प्रकार विद्यापति के मैथिली भाषा में लिखे पद भी बहुत प्रसिद्ध हुए। कुछ कवियों और लेखकों की रचनाओं पर फारसी के साहित्य का प्रभाव पड़ा। उदाहरण के लिए अमीर खुसरों ने अपना बहुत-सा साहित्य फारसी भाषा में लिखा पर उसके साहित्य के विषय भारतीय हैं और उनमें खुसरों ने भारत के प्रति अपना प्रेम और अपने भारतीय होने का गर्व प्रकट किया है।

वास्तुकला

फारस और मध्य एशिया से तुर्क और अफगान अपने साथ वास्तुकला की नई शैलियाँ और तकनीक भी लाए। इन शैलियों का प्राचीन भारतीय शैलियों से सम्मिश्रण हुआ और वास्तुकला के नवीन रूपों का विकास हुआ। इस काल की वास्तुकला की दो महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ नुकीले महराब और गुंबद थे। इनको इस काल में बहुत अधिक प्रयोग किया जाने लगा। नुकीले महराब को सँभालने के लिए किसी धरन का प्रयोग नहीं किया जाता था बल्कि पत्थरों को तिरछा सटाकर महराब की नोक बनाई जाती थी। गुंबद अर्ध-वृत्ताकार खोखली छत से ढका हुआ विस्तृत क्षेत्र होता था। ये दोनों रूप उच्च गणित और इंजीनियरिंग के



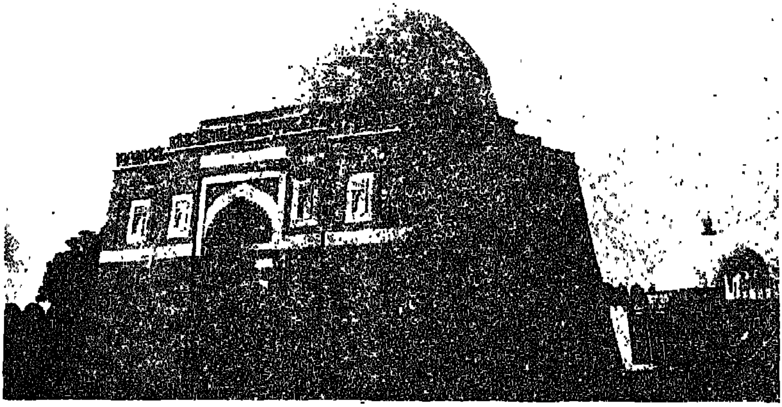
दिल्ली की कुतुबमीनार

कौशल पर आधारित थे। तुर्कों के आने के पूर्व भारतीय वास्तुकला में इस प्रकार के ज्ञान और कौशल के अधिक प्रयोग नहीं किए गए यद्यपि भारतीय शिल्पकार नुकीले महराबों को बनाना जानते थे। इसी कारण आरंभिक भवनों में केवल शिखरों और मीनारों के अतिरिक्त गुंबद नहीं होते थे। महराब भी दो सीधे खंभों पर एक धरन रख कर बनाई जाती थी। नई शैलियों के आ जाने पर मस्जिदों, राजमहलों, मकबरों और कुछ समय बाद निजी घरों के निर्माण में नुकीले महराब और गुंबद दोनों ही का प्रचुरता से प्रयोग किया जाने लगा। ऊँची सँकरी मीनारों का निर्माण इस काल की दूसरी शैली थी जिसका प्रयोग बहुधा इमारतों के निर्माण में किया गया था।

इन इमारतों का रूप और आकार फारस और मध्य एशिया की इमारतों से मिलता-जुलता था किन्तु उनकी सजावट भारतीय थी क्योंकि भारतीय कारीगर उनको बनाते थे। वास्तुकला की दो शैलियों के एक दूसरे के संपर्क में आने से कुछ बहुत सुंदर इमारतों का निर्माण किया गया। मामलूक सुल्तानों के शासन काल में बनी दिल्ली की कुतुब मीनार तथा उसके निकट की मस्जिद इन इमारतों में से सबसे पहले की हैं। दिल्ली के सुल्तान बड़ी शान-शौकत से रहते थे और अपने रहने के लिए बड़े सुंदर राजमहल बनवाते थे। फीरोज शाह का दुर्ग—फीरोज शाह कोटला—इन सुंदर इमारतों का अच्छा उदाहरण है। इसी प्रकार का तुगलकाबाद का किला भी है। प्राचीन समय में दिल्ली में बने लोदी सुल्तानों के मकबरे और भी अधिक सुंदर रहे होंगे। उनके गुंबदों की बाहरी सतह रंग-बिरंगे खपरैलों की डिजाइनों से सजी हुई थी। इससे बैंगनी, नीले, हरे, पीले और गुलाबी आदि अनेक हलके और गहरे रंगों की चमक उन इमारतों को प्राप्त होती थी।

ये नई इमारतें केवल दिल्ली में ही नहीं बनवाई गई थीं। भारत और फारस की शैलियों के सम्मिश्रण से इमारतों के निर्माण के अनेक नए प्रयोग हुए। प्रांतीय राजवंशों ने भी अपनी राजधानी और दुर्गों को सुंदर इमारतों से सुशोभित किया। जौनपुर के शरकी के शासकों ने उस नगर में सुंदर मस्जिदें बनवाईं। गुजरात के

शासक अहमदशाह ने अहमदाबाद का निर्माण कराया जो अपने समय के भारत के सर्वश्रेष्ठ नगरों में से एक था। मालवा के शासक ने मांडू की पहाड़ियों पर अपने सुंदर राजमहल बनवाए। इस क्षेत्र की प्रायः सभी इमारतें पत्थर की बनी हुई हैं क्योंकि इस क्षेत्र में पत्थर बड़ी आसानी से मिल जाता था। पर बंगाल में गौड़ और पांडुआ के राजमहलों के बनवाने में ईंटों का प्रयोग किया गया। सारे पूर्वी भारत में पत्थर आसानी से नहीं प्राप्त होता। कश्मीर में भवन-निर्माण में मध्य एशिया की शैली अपनाई गई और वहाँ लकड़ी की इमारतें बनाई गईं। जहाँ कहीं व्यापार की उन्नति हुई और देश धनी हुआ, राजाओं और सरदारों ने नई इमारतें बनवाईं।



दिल्ली में गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा

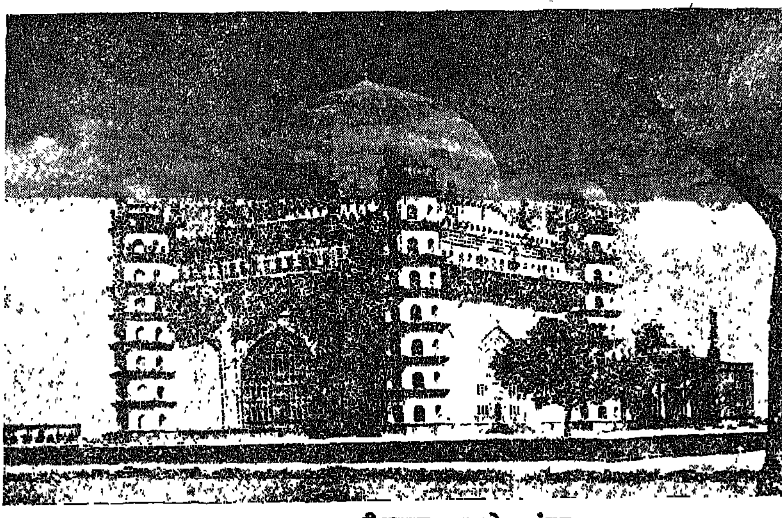
बहमनी राज्य के शासकों ने वास्तुकला के क्षेत्र मे दिल्ली के सुल्तानों के साथ प्रतिद्वंद्विता की। गुलबर्गा और बीदर की राजधानियाँ अपनी सुंदर इमारतों पर गर्व करती थीं। इनमें से कुछ के निर्माण में पुरानी शैली का अनुसरण हुआ। कुछ इमारतें जैसे गुलबर्गा की जामा मस्जिद और बीदर का मदरसा फारस की शैली में बनाए गए। बीजापुर का गोल गुंबद और बीजापुर के बादशाहों में से एक का मकबरा इन इमारतों में संभवतः सबसे प्रसिद्ध इमारतें हैं। कहा जाता है कि इस इमारत का गुंबद संसार के सबसे बड़े गुंबदों में से एक है। दक्षिण के शासक

अपने किलों के अंदर भी शानदार इमारतें बनवाते थे। दौलताबाद और गोलकुंडा के किले इसके उदाहरण हैं।

सुदूर दक्षिण में विजयनगर के शासकों ने मंदिरों के निर्माण के लिए बहुत-सा धन दिया। दूआर्ते बारबरोसा, नुनेज तथा पेइस जैसे विदेशी व्यापारियों और यात्रियों ने हंपी नगर के ऐश्वर्य-वैभव का बड़े सुदर शब्दों में वर्णन किया है। विजयनगर के राजाओं ने चोल राजाओं के बनवाए मंदिरों की मरम्मत और पुनर्निर्माण में बहुत सा धन व्यय किया। विजयनगर-काल के भवन-निर्माण का कार्य वहाँ की इमारतों की सजावट और नक्काशी में देखा जा सकता है। मदुरइ के पांड्य वंश के शासकों के संबंध में भी यही सच है।

चित्रकला और संगीत

बारीक लघु चित्रों के बनाने की प्राचीन कला जारी रही। कलाकार इस काल



बीजापुर का गोल गुंबद

में शासकों और दरबारियों की पुस्तकों को चित्रों से सजाने में लगे हुए थे। अतः वे राज्याश्रय में रहने लगे थे। कभी-कभी वे अपने आश्रय देने वाले राजाओं के चित्र बनाते थे और कभी-कभी केवल पुस्तकों की वर्णित घटनाओं का चित्रण करते थे।

नए रूपों के समावेश से संगीतकला की भी उन्नति हुई । फारस और अरब की संगीत शैलियों का प्रभाव उस काल में विकसित होने वाले भारत के संगीत पर पड़ा । सितार, सारंगी और तबला जैसे वाद्य यंत्र इस समय बड़े लोकप्रिय हो गए । कुछ सूफी संतों ने संगीत में विशेष रुचि दिखलाई । इससे संगीत के नवीन रूपों को लोकप्रिय होने में बड़ी सहायता मिली ।

तुर्कों और अफगानों के आने से जीवन-यापन की शैलियों में बहुतसे नए प्रयोग किए गए । इन प्रयोगों के परिणामस्वरूप नए धार्मिक आंदोलनों, भाषाओं तथा चित्रकला, वास्तुकला एवं संगीतकला की सुंदर नवीन शैलियों का विकास हुआ ।

अभ्यास

1– पारिभाषिक शब्द जिनको तुम्हें जानना चाहिए :

1– खुतबा – शुक्रवार की नमाज में बादशाह के नाम पर पढ़ी जाने वाली उद्-घोषणा ।

2– बंजारा – व्यापारियों की एक जाति जिसके पास काफिले होते थे और जो सामान को एक बाजार से दूसरे बाजार ले जाते थे ।

3– सूफी – ईश्वर की भक्ति-उपासना में व्यक्तिगत प्रेम भावना पर अधिक बल देने वाले मुसलमान संत ।

4– पीर – सूफी संप्रदाय के धर्म-उपदेशक ।

5– दोहा – दो पंक्तियों का एक छंद जिसमे कबीर, तुलसी आदि कवियों ने काव्य रचना की है ।

6– आदिग्रंथ – सिक्खों का धार्मिक ग्रंथ जिसमें पदों के रूप में गुरु नानक के उपदेश एकत्र किए गए हैं ।

2– स्तंभ अ के कथन का स्तंभ आ के कथन से संबंध स्थापित कीजिए :

अ	आ
1– अभिजात वर्ग के अंतर्गत शासन करने वाले लोग और	1– वास्तुकला की नई शैलियाँ लाए ।
2– ब्राह्मण, उलेमा, पुरोहित और धर्मोपदेशक	2– और प्रायः मस्जिदें लकड़ी की बनाई गई ।
3– मुसलमानों के बहुत से रीति-रिवाज हिन्दुओं के जीवन में आ गए	3– सुल्तान, सरदार और हिन्दू राजा आते थे ।
4– तुर्क और अफगान फारस और मध्य एशिया से	4– और बहुतसे हिन्दू रीति-रिवाज मुसलमानों के जीवन में मिलने लगे ।
5– कश्मीर में भवन-निर्माण में मध्य	5– भी समाज के महत्त्वपूर्ण अंग थे ।

3– निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति उनके सामने दिए हुए कोष्ठकों के सही शब्द या शब्द समूहों से कीजिए :

1. सूफी मुसलमान भक्त थे और उन्होंने ईश्वर तक पहुँचने के लिए······पर बल दिया।	(घृणा, प्रार्थना, प्रेम, पूजा, उपवास-व्रत)
2. ·········एक·········थे। उन्होंने बंगाल में उपदेश दिया।	(कबीर, मुईनुद्दीन, भक्ति, उलेमा, चैतन्य, सूफी)
3. ·········के शासक अहमद शाह ने·········नामक नगर बसाया जो अपने समय के·········के सर्वश्रेष्ठ नगरों में गिना जाता था।	(बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, कलकत्ता, पूना, पटना, अहमदाबाद, अफ्रीका, दक्षिणा-पथ, भारत)
4. ·········के राजाओं ने मंदिर के निर्माण के लिए बहुत-सा धन दिया।	(बहमनी, विजयनगर, सल्तनत)
5. ······ने अपना बहुत-सा काव्य फारसी भाषा में लिखा पर उस काव्य का विषय प्रायः·········के प्रति प्रेम था और उसको भारत-निवासी होने का गर्व था।	(कबीर, नानक, मुईनुद्दीन चिश्ती, अमीर खुसरो, अफगानिस्तान, कन्नड़, भारत)

4– निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो :

1. सल्तनत काल से अभिजात वर्ग में आने वाले कौन-से लोग थे ?
2. सूफी संप्रदाय के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं ? भारत के कुछ प्रमुख सूफी संतों का उल्लेख कीजिए ?
3. कबीरदास कौन थे ? उनके धार्मिक सिद्धांतों पर कुछ पंक्तियाँ लिखिए।
4. सिक्ख धर्म की स्थापना करने वाले कौन थे ? उन्होंने किस प्रकार के उपदेश दिए ?
5. इस काल में भारतीय भाषाओं में विकसित होने वाली कुछ प्रमुख विशेषताएँ बतलाओ ?
6. तुर्कों और अफगानों ने भारत की वास्तुकला और संगीत को किस प्रकार प्रभावित किया?

5– करने के लिए रुचिकर कार्य :

1. सूफी संत और भक्त कवियों की कुछ काव्य रचनाएँ पढ़ो। तुमको किसका काव्य अधिक अच्छा लगा और क्यों ?
2. अपने नगर के कुछ प्राचीन स्मारक देखो। क्या तुम उनकी वास्तुकला शैली को पहचान सकते हो ?

अध्याय 6

मुगलों और यूरोप-वासियों का भारत में आगमन

मुगलों के उत्तर भारत पर विजय प्राप्त करने के पूर्व दिल्ली से शासन करने वाले राजवंशों में लोदी वंश अंतिम था। सल्तनत छोटी और कमजोर हो गई थी क्योंकि उसके बहुत-से प्रांतों ने उससे अपना संबंध तोड़ लिया था और वे स्वतंत्र हो गए थे।

लोदी सुल्तानों ने सरदारों पर अपना अधिकार जमाने का प्रयत्न किया पर सरदार इसको पसंद नहीं करते थे। उनको अपनी स्वतंत्र शक्ति के प्रयोग करने का अभ्यास हो गया था अतः उन्होंने लोदी सुल्तानों के शासन से छुटकारा प्राप्त कर लेने का निश्चय कर लिया। उन्होंने काबुल के शासक बाबर के साथ षड्यंत्र किया और उससे सहायता माँगी। बाबर तैमूर का उत्तराधिकारी था। बाबर ने हिन्दुस्तान की सीमाओं तक आक्रमण किए। वह जानता था कि भारत एक धनवान और उपजाऊ देश है। जब भारत के सरदारों ने उससे सहायता माँगी तो वह सहायता देने के लिए तैयार हो गया और अपनी सेनाएँ लेकर पंजाब में पहुँच गया। लोदी सुल्तानों का विरोध करने वाले केवल अफ़गान सरदार ही नहीं थे। लोदी सुल्तानों

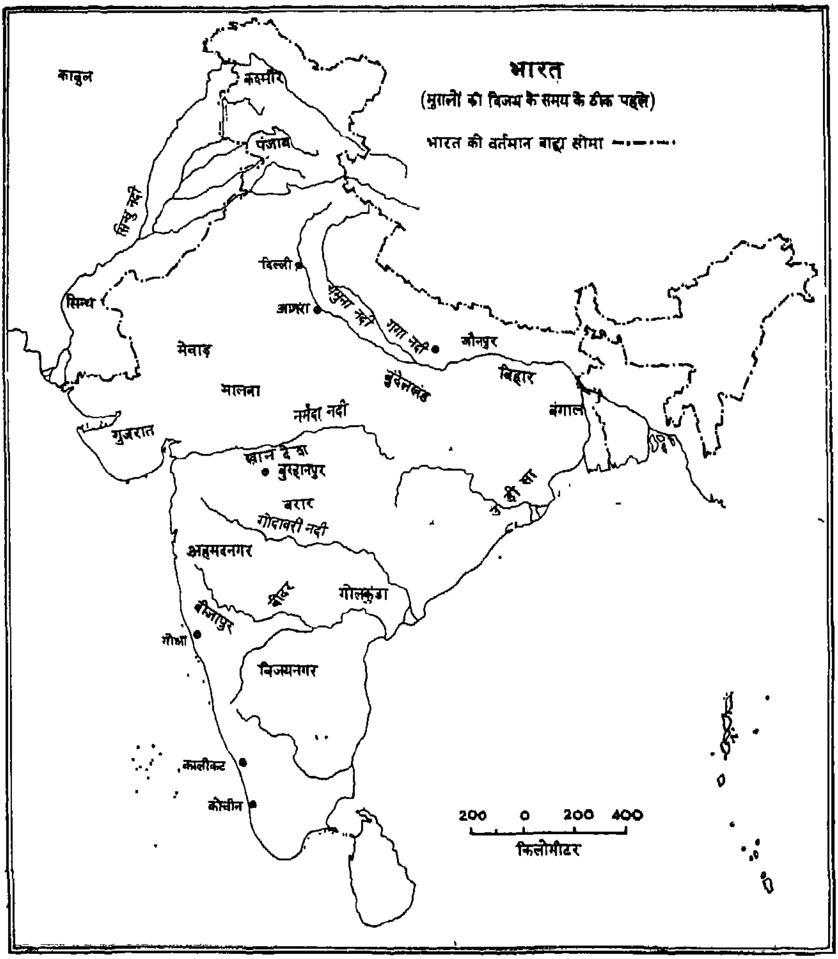
के विरुद्ध बाबर की सहायता करने के लिए मेवाड़ का राजपूत शासक राणा साँगा भी तैयार हो गया।

बाबर

सन् 1526 ई० में पानीपत के प्रसिद्ध मैदान में एक युद्ध हुआ जिसमें बाबर ने लोदी सुल्तान की सेना को पराजित कर दिया। वह मध्य एशिया से अपने साथ तोपखाना भी लाया था जो भारत की सेनाओं के लिए नई चीज थी। यह तोपखाना उसकी विजय के कारणों में एक प्रमुख कारण बन गया। बाबर के पास एक छोटी पर कुशल व प्रशिक्षित घुड़सवार सेना भी थी। उसने अपनी सेना के सैनिकों को इस प्रकार खड़ा किया कि वे एक युद्ध क्षेत्र से दूसरे युद्ध क्षेत्र की ओर आसानी से जा सकते थे। वास्तव में वह एक कुशल सेनाध्यक्ष था। वह जानता था कि अपने सैनिकों का सबसे अधिक उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है। भारत के सरदार सोचते थे कि बाबर लोदी सुल्तान को पराजित करके तथा लूट के धन का अपना भाग लेकर काबुल लौट जाएगा किन्तु ऐसा नहीं हुआ। बाबर ने भारत में ठहरने का निश्चय किया और इसलिए उसने दिल्ली और आगरा पर भी अधिकार कर लिया। अब अफगान और राणा साँगा उसके विरोधी बन गए। उन्होंने यह प्रयत्न किया कि बाबर अपने राज्य का और अधिक विस्तार न कर सके पर उसने सभी को पराजित कर दिया।



बाबर



भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित।

समुद्र मे भारत का जल प्रदेश उपयुक्त आधार रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है।

इसके बाद वह बहुत समय तक जीवित नहीं रहा। सन् 1530 में उसकी मृत्यु हो गई। उसने पंजाब, दिल्ली और बिहार तक गंगा के मैदान पर अपना अधिकार कर लिया था। बाबर केवल एक बहादुर सेनापति ही नहीं था जो केवल यही जानता हो कि सेना को संगठित और व्यवस्थित करके किस प्रकार युद्ध किया जाता है बल्कि वह तुर्की भाषा का उच्च कोटि की शैली में रचना करने वाला कवि और लेखक भी था। वह अपनी डायरी भी लिखता था जिसमें उसके विचार और उसके समय की घटनाओं का उल्लेख मिलता है। वह प्राकृतिक सौंदर्य से बहुत प्रभावित होता था। पर्वतों, वृक्षों, फूलों और पशुओं के सौंदर्य को देखकर वह मुग्ध हो जाता था। इसी कारण जहाँ कहीं भी वह रहा, वहाँ उसने सुंदर बाग-बगीचे लगवाए। उसको पोलो खेलने में बड़ा आनंद आता था। उस समय यह खेल सरदारों में बड़ा लोकप्रिय हो गया था।

हुमायूँ

यद्यपि बाबर ने भारत के एक क्षेत्र की विजय करके मुगल वंश के शासन की स्थापना कर दी थी किन्तु वह शत्रुओं से उसको सुरक्षित बनाने के लिए बहुत अधिक समय तक जीवित नहीं रहा। इसी कारण उसके पुत्र हुमायूँ को आरंभ से ही मुसीबतों का सामना करना पड़ा। भारत में मुगल अभी नए-नए आए थे इसलिए उनको अपनी स्थिति को जमाए रखने में बड़ी कठिनाई हो रही थी। अफगान सरदार जो अब भी मुगलों को भारत से निकाल देना चाहते थे, नवनिर्मित साम्राज्य पर आक्रमण कर रहे



हुमायूँ

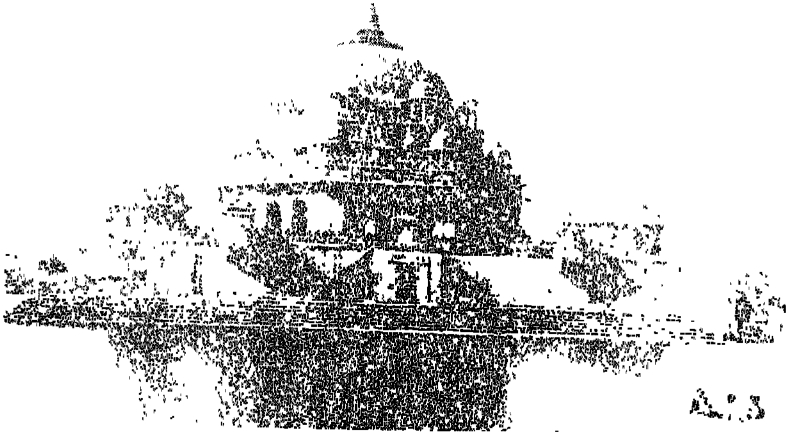
थे। गुजरात का शासक बहादुर शाह भी दिल्ली पर आक्रमण करने की ताक में था। हुमायूँ को शासन तथा लगान के प्रबध का अवसर ही नहीं मिला। वह गुजरात और मालवा के प्रांतों की विजय करने में तो सफल हुआ पर पश्चिमी भारत पर वह अपना अधिकार स्थापित न कर सका। पूर्वी भारत में इस समय एक महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली अफगान सरदार शासन कर रहा था जो दिल्ली को जीत कर अपने को सुल्तान घोषित करना चाहता था। वह शेरशाह था। उसने मुगल बादशाह को केवल धमकाया ही नहीं, उस पर आक्रमण भी कर दिया। उसने हुमायूँ के साथ दो लड़ाइयाँ लड़ीं और दोनों ही में हुमायूँ की पराजय हुई। पंजाब और काबुल में शासन करने वाले उसके भाई ने उसकी सहायता नहीं की। मुगलों को उत्तर भारत छोड़ देना पडा। बाबर का विजय किया हुआ राज्य हुमायूँ के हाथों से निकल गया। हुमायूँ सिन्ध और राजस्थान मे एक स्थान से दूसरे स्थान को भटकता फिरा। इसी अवसर पर जब वह अमरकोट मे था उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। यही पुत्र आगे चलकर महान् सम्राट अकबर के नाम से भारत का शासक बना। अंत में हुमायूँ को सिन्ध छोड़ कर फारस चला जाना पड़ा।

शेरशाह

शेरशाह का असली नाम फरीद था किन्तु एक शेर को मार डालने के बाद उसका नाम शेरखाँ पड़ गया था। वह एक सरदार का पुत्र था जिसकी एक छोटी जागीर जौनपुर के पास थी। शेरशाह ने भूमि के विस्तृत क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, एक शक्तिशाली सेना बनाई और फिर अपने को एक स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। हुमायूँ को पराजित करने के बाद वह भारत का बादशाह बन बैठा। यही उसकी सफलता की चरम सीमा थी। उसकी अभिलाषा केवल भारत का शासक बनने की ही नहीं थी बल्कि वह एक योग्य शासक बनना चाहता था। वह अलाउद्दीन की नीतियो से बहुत प्रभावित हुआ विशेषकर उसकी सेना-संगठन तथा लगान वसूल करने की नीति से।

सुल्तान होते ही उसने अपनी सेना का संगठन किया और अपनी सैनिक-शक्ति को बढ़ा लिया। उसने अधिकारियों को नियमित रूप से वेतन देने पर जोर दिया, उनको असंतुष्ट नहीं होने दिया और इस प्रकार उसने अपने प्रशासन को

सुधारा। यदि किसी को कोई शिकायत होती तो वह सीधे शेरशाह के पास जाकर उससे कह सकता था। इससे वह अपनी प्रजा में लोकप्रिय हो गया। वह स्वयं दौरे



सहसराम में शेरशाह का मकबरा

पर जाता था। इससे वह अपने अधिकारियों के कार्य की देखभाल कर सकता था। लगान की वसूली में वह बड़ा सतर्क था और इस बात का ध्यान रखता था कि उसके किसानों को बहुत अधिक लगान न देना पड़े। उचित लगान निश्चित करने के लिए उसने अपने राज्य की सारी भूमि का नए ढंग से बंदोबस्त किया। अलाउद्दीन के शासन-काल की भाँति उसने भूमि की नाप करा कर लगान निश्चित किया।

शेरशाह को अपनी सड़कों पर विशेष गर्व था। ये सड़कें उसी के आदेश से बनवाई गई थीं। इन सड़कों के दोनों ओर छायादार वृक्ष लगवाए गए तथा कुएँ खुदवाए गए थें और थके हुए यात्रियों के विश्राम के लिए थोड़ी-थोड़ी दूर पर सराएँ बनवाई गई थीं। उत्तरी भारत से बंगाल तक मौर्यों की बनवाई हुई सड़क की फिर से मरंमत कराई गई। आधुनिक काल की पेशावर से कलकत्ता तक की ग्रैण्ड ट्रंक रोड इसी का नया रूप है। सड़कों के द्वारा दिल्ली को बुरहानपुर और जौनपुर से

जोड़ दिया गया था। इन सड़को का निर्माण बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ क्योंकि इससे जनता की यात्रा ही नहीं सरल हो गई बल्कि सुल्तान के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी एक स्थान से दूसरे स्थान को शीघ्रता से आना-जाना सुविधाजनक हो गया। इन सड़कों के कारण व्यापारियों को भी अपने माल को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को ले जाने में सुविधा हो गई। शेरशाह ने ही एक नए सिक्के, रुपया का चलन आरंभ किया जो आज तक प्रचलित है।

शेरशाह एक महान् सुल्तान होता पर दुर्भाग्य से वह केवल पाँच ही वर्ष शासन कर सका और इस थोड़े से समय में वह अपनी नीति को पूर्ण रूप से कार्यान्वित भी नहीं कर सका। सन् 1545 ई० में कालिंजर के घेरे में उसके चेहरे के सामने एक बंदूक फट गई और इसी दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। शेरशाह की मृत्यु की यह घटना हुमायूँ के लिए वरदान सिद्ध हुई। बिना योग्य शासक के उत्तरी भारत के राज्य की स्थिति डावाँडोल हो गई। हुमायूं ने इस सुअवसर को देखा और उसने दिल्ली के सिंहासन को फिर से प्राप्त करने का प्रयत्न आरंभ कर दिया। फारस के सफावी वंश के शासक की सहायता से हुमायूं ने कंधार को जीत लिया और काबुल पर फिर से अपना अधिकार स्थापित कर लिया। भारत पर आक्रमण के लिए वह काबुल को अब आधार-स्थल बना सकता था। सन् 1555 में पंजाब को जीत कर उसने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया और इस प्रकार फिर से भारत में मुगलों के साम्राज्य की स्थापना हो गई। हुमायूं अपनी इस सफलता का आनंद केवल एक ही वर्ष ले सका। सायंकाल की नमाज के बाद जब वह सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, फिसल गया और गिरकर मर गया। उसका पुत्र अकबर उत्तराधिकारी बना और उसके शासन-काल में भारत फिर एक बार अपनी सभ्यता पर गर्व कर सका।

बहमनी राज्य

उत्तर भारत में होने वाली इन घटनाओं का दक्षिण के राज्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पर मुगलों की शक्ति स्थापित हो जाने पर यह परिस्थिति वदल गई।

मुगलों को अपने अधिकार का विस्तार दक्षिण भारत में भी करना था और इस प्रकार उनको लगभग संपूर्ण भारत को एक साम्राज्य के रूप में संगठित करना था।

पंद्रहवी शताब्दी मे बहमनी राज्य की बड़ी उन्नति हुई। अंशतः इसका श्रेय बुद्धिमान मंत्री महमूद गवाँ के कुशल शासन को दिया जाता है। सन् 1453 ई० में फारस का एक व्यापारी महमूद गवाँ भारत आया और उसने बहमनी राज्य के सुल्तान की नौकरी कर ली। धीरे-धीरे उन्नति करके वह बहमनी राज्य का मुख्य मंत्री बन गया। लगभग 25 वर्षों तक महमूद गवाँ ने बहमनी सुल्तानों को कौशल और बुद्धिमानी से न्यायपूर्ण शासन चलाने में सलाह दी। उसने लगान वसूल करने की फिर से व्यवस्था बनाई जिससे राज्य को एक शक्तिशाली सेना का व्यय वहन करने के लिए पर्याप्त धन प्राप्त हो सके। लेकिन अन्य मूर्ख शासकों की भाँति उसने धन एकत्र करने के लिए प्रजा पर अत्याचार नहीं किए। वह इस बात पर विशेष सतर्कता के साथ ध्यान रखता कि वह जनता से कितना कर वसूल करता है। इसके अतिरिक्त लगान प्राप्त करने के अन्य साधनों पर भी उसने विचार किया। उदाहरण के लिए उसने विजयनगर से गोआ जीत लिया जिससे वहाँ के व्यापार के लाभ का सारा धन अब बहमनी राज्य को प्राप्त होने लगा।

यद्यपि महमूद गवाँ जनता में बड़ा लोकप्रिय था पर उसके शत्रु भी हो गए थे। बहमनी सुल्तानों के दरबार में दो दल थे। एक दल तो स्थानीय मुसलमानों का था जो दक्षिण भारत के रहने वाले थे और दूसरा दल महमूद गवाँ जैसे मुसलमानों का था जो विदेश से आए थे और बहमनी सुल्तानों की नौकरी करने लगे थे। इन दोनों दलों में मित्रता की भावना न थी और दोनों परस्पर एक दूसरे से ईर्ष्या-द्वेष रखते थे। अंत में सन् 1481 ई० में स्थानीय दल के लोगों ने सुल्तान को महमूद गवाँ की हत्या करवाने के लिए राजी कर लिया।

गवाँ एक योग्य मंत्री था। अतः उसकी हत्या से बहमनी राज्य को बड़ी क्षति पहुँची। बाद के कुछ शासक कमजोर थे अतः उनके शासन-काल में राज्य भी कमजोर हो गया था। सरदार आपस में लड़ने लगे और सुल्तान उन पर नियंत्रण नहीं

रख सका। कुछ सरदारों ने सुल्तान की शक्ति को भी चुनौती दी। इसके अतिरिक्त विजयनगर राज्य के आक्रमण भी बढ़ रहे थे। परिणामस्वरूप बहमनी राज्य पाँच नए राज्यों में विभाजित हो गया। ये बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर और बरार के राज्य थे। बाद में अहमदनगर ने बरार को और बीजापुर ने बीदर को विजय कर लिया। इस प्रकार अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर के केवल तीन राज्य रह गए।

विजयनगर राज्य

इस काल में विजयनगर में किस प्रकार की घटनाएँ हो रही थीं? वंशों के परिवर्तन के साथ इस राज्य में भी अपनी आंतरिक कठिनाइयाँ पैदा हो रही थीं। पंद्रहवीं शताब्दी में इन समस्याओं ने विजयनगर राज्य को शक्तिहीन कर दिया। परंतु पंद्रहवीं शताब्दी के अंत में महमूद गवाँ की मृत्यु के पश्चात् जब बहमनी राज्य का पतन हो रहा था, विजयनगर साम्राज्य फिर बड़ा शक्तिशाली हो गया। इस समय विजयनगर राज्य का शासक कृष्णदेव राय था। उसने सन् 1509 से 1530 ई० तक शासन किया।



कृष्णदेव राय

कृष्णदेव राय ने केवल रायचूर दोआब पर ही विजय नहीं प्राप्त की बल्कि वह अपनी सेनाएं लेकर बहमनी राज्य के अंदर प्रवेश कर गया। ऐसा उसने केवल यह सिद्ध करने के लिए किया कि विजयनगर राज्य बहमनी राज्य से अधिक शक्तिशाली है। उसने उड़ीसा के राज्य पर आक्रमण किया और वहाँ के राजा को भी पराजित किया। पश्चिमी समुद्र तट

पर सभी स्थानीय राज्यों के साथ उसका व्यवहार मैत्रीपूर्ण था। ये शासक पश्चिमी एशिया और दक्षिण-पूर्वी एशिया के व्यापार पर निर्भर थे। कृष्णदेव राय समझता था कि यदि वह इन राज्यों को शांतिमय जीवन व्यतीत करने देगा तो वे विजय-नगर से व्यापार करेंगे और इस व्यापार से विजयनगर राज्य समृद्धिशाली बनेगा।

कृष्णदेव राय प्रायः अपनी प्रजा की दशा को समझने के लिए अपने संपूर्ण राज्य की यात्रा करता था। वह चाहता था कि उसके अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन करें और उसकी प्रजा सुखी रहे। वह अपने राज्य में कृषि की उन्नति के लिए भी प्रयत्नशील रहा जिससे प्रजा को अधिक अन्न प्राप्त हो और राज्य को अधिक लगान मिले। इसके लिए विस्तृत सिंचाई योजना की आवश्यकता थी। इसलिए जहाँ पानी एकत्र किया जा सकता था वहाँ उसने बड़े बाँध बनाने का आदेश दिया जिससे आवश्यकता पड़ने पर एकत्र किया पानी नहरों द्वारा खेतों तक ले जाया जा सके। उसने मंदिरों के निर्माण और उनकी मरंमत पर भी बड़ा धन व्यय किया। कृष्ण-देव राय को संस्कृत और तेलुगू की अच्छी शिक्षा मिली थी। उसने तेलुगू में एक लंबे काव्य 'अमुक्तमाल्यदा' की रचना की जिसमें उसने यह बतलाया कि राजा को किस प्रकार शासन करना चाहिए।

दक्षिण के तीन राज्य

सन् **1530** ई० में कृष्णदेव राय की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के साथ विजयनगर राज्य का पतन आरंभ हो गया। दक्षिण भारत के उत्तरी क्षेत्र के तीन राज्य अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर विजयनगर पर आक्रमण करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। यह अवसर **1565** ई० में आया जब इन राज्यों ने मिलकर तालीकोट की लड़ाई में विजयनगर को पराजित किया। अब विजयनगर का ऐश्वर्य-वैभव नष्ट हो गया। किन्तु दक्षिण के इन तीन राज्यों को भी अधिक समय तक अपनी विजय का आनंद भोगने का अवसर नहीं मिला। उत्तर भारत की घटनाओं का प्रभाव दक्षिण के इतिहास पर भी पड़ा। हम देख चुके हैं कि सोलहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में दिल्ली की सल्तनत का पूर्ण पतन और मुगल वंश की नवीन

शक्ति का उदय हो चुका था। मुगल यह समझते थे कि संपूर्ण भारत पर अधिकार करने के लिए उनको दक्षिण भारत पर भी अपना अधिकार स्थापित करना पड़ेगा। अतः मुगल राज्य का दक्षिण की ओर विस्तार बढ़ने से दक्षिण के ये राज्य नष्ट हो गए।

भारत और यूरोप

भारत के इतिहास की गतिविधि को केवल मुगलों ने ही प्रभावित नहीं किया। पंद्रहवीं शताब्दी के अंत में एक नितांत भिन्न प्रकार के लोग बड़े-बड़े जहाजों में भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर आए। ये पुर्तगाली थे। सन् 1498 ई० में वास्को डि-गामा का पहला पुर्तगाली जहाज भारत के समुद्र तट पर पहुँचा। पुर्तगाली व्यापार करने के लिए भारत आए थे। इस व्यापार से उनको बहुत अधिक लाभ हुआ जिससे और अधिक संख्या में यहाँ आने का उन्हें प्रोत्साहन मिला। पुर्तगाल से भारत तक की इस लंबी यात्रा में कई महीनों का समय लग जाता था क्योंकि व्यापारियों को अफ्रीका की दक्षिणी नोक आशा अंतरीप (केप ऑफ गुड होप) का चक्कर काटकर आना पड़ता था। फिर भी वे आते थे। धीरे-धीरे उन लोगों ने छोटे-छोटे भूमि भागों पर अपना अधिकार कर लिया और वहाँ अपने कारखाने बना लिए। कभी वे भूमि का मूल्य दे देते थे और कभी बलपूर्वक अधिकार कर लेते थे। पुर्तगाली व्यापारी अपने कारखानों और बंदरगाहों के निकट रहते थे। यहीं उनकी बस्तियाँ थीं। जहाँ पर्तगालियों की बस्तियाँ थीं वहीं उनके धर्म प्रचारक भी रहते थे जो भारतवासियों को ईसाई बनाने के लिए आते थे। गोआ उनका प्राचीन उपनिवेश था जिसको पुर्तगालियों ने सन् 1510 ई० में प्राप्त किया था।

यूरोप से भारत आने वाले व्यापारियों में पुर्तगाली ही सबसे पहले नहीं थे। जैसा कि हमने देखा है व्यक्तिगत रूप से यूरोपीय व्यापारी व्यापार के लिए भारत के विभिन्न भागों की यात्रा पहले भी कर चुके थे। वेनिस का यात्री मार्को पोलो दक्षिण भारत आया था। निकितिन रूस से आया था और उसने दक्षिण भारत की यात्रा की थी। पर ये सब व्यापारी अकेले आते थे। जब पुर्तगाली आए तो वे समूहों

में आए और बस्तियाँ बनाने के लिए उनको अपने सम्राट से भी सहायता मिली। वे अपने साथ सैनिकों को भी लाते थे और विभिन्न क्षेत्रों को जीत कर वहाँ अपनी बस्तियाँ बनाते थे। यूरोप के अन्य देशों ने भी सोलहवीं शताब्दी में व्यापारियों के साथ अपने जहाज भेजे और व्यापार करने के उद्देश्य से अपनी बस्तियाँ बसाने की चेष्टा की। इंग्लैंड, फ्रांस, डेनमार्क, हालैंड और स्पेन से ये जहाज आए। यूरोप के सभी देश केवल भारत से ही नहीं बल्कि एशिया के बहुत-से देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए उत्सुक थे। मुख्यतः वे व्यापार करने के लिए ही आए पर उनका उद्देश्य केवल व्यापार करना ही नहीं था। वे संसार की खोज करना चाहते थे और नए लोगों और उनकी सभ्यताओं का परिचय प्राप्त करना चाहते थे। वे ऐसा क्यों चाहते थे, यह जानने के लिए हमें यूरोप में होने वाली घटनाओं का अधिक विस्तार से अध्ययन करना होगा।

यूरोप में पुनर्जागरण

पंद्रहवीं शताब्दी में इटली में पुनर्जागरण हुआ जिसको 'रिनैसाँ' कहा जाता है। 'रिनैसाँ' शब्द का अर्थ है 'पुनर्जन्म'। यूरोप में अज्ञान के लंबे अंधकार-युग के बाद एक नया आंदोलन आरंभ हुआ जिसमें कुछ ऐसी प्रवृत्तियाँ विकसित हुई जिनका संबंध हमारे आधुनिक जीवन और विचार-धारा से है। रिनैसाँ आंदोलन में लोगों के मन में यूरोप की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के प्रति फिर रुचि उत्पन्न हुई। लोगों का ध्यान ईसाई धर्म के आरंभ होने से पूर्व की यूनान और रोम की सभ्यताओं और संस्कृतियों की ओर गया। इन सभ्यताओं के इतिहास, दर्शन, साहित्य और कलात्मक उपलब्धियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। इस अध्ययन के परिणामस्वरूप नवीन विचार-शैलियों का विकास हुआ। विद्वान समाज, न्याय, दर्शन और धर्म से संबंध रखने वाले प्रश्न करने लगे। पहले लोग ईसाई चर्च के द्वारा दिए गए इन प्रश्नों के उत्तरों को स्वीकार कर लेते थे पर अब वे अन्य उत्तरों की खोज करने लगे। चारों ओर जिज्ञासा दिखलाई देने लगी। इटली के छोटे-छोटे अनेक राज्यों के शासक ही नहीं बल्कि धनी व्यापारी भी इस ज्ञान में

रुचि लेने लगे। अरब-निवासियों के साथ वर्षों के व्यापारिक सबंध के कारण अरब देशों की विद्याएँ इटली और स्पेन में भी पहुँचीं। इससे भी यूरोप-निवासियों की जिज्ञासा की प्रवृत्ति अधिक तीव्र हुई।

विश्व
(तोलेमी द्वारा बनाया मानचित्र)
[सन् 150 ई. के लगभग]



मिस्र का गणितज्ञ, ज्योतिर्विद और भूगोलवेत्ता क्लाउदस तोलेमियस दूसरी शताब्दी ईसवी में अलक्जेंड्रिया में रहता था। अपनी महत्त्वपूर्ण कृति **आलमागेस्ट** (ब्रह्मांड की भू-केन्द्रीय प्रणाली का संश्लेषण जिसका विकास यूनानी ज्योतिर्विदों ने किया और जिसे तोलेमिक प्रणाली कहा जाता है) के अतिरिक्त उसने मानचित्र-रचना तथा प्रक्षेपणों पर एक निबंध लिखा जिसके साथ लगभग 8000 स्थानों के अक्षांश और देशांतर की सारिणी संलग्न थी। इस निबंध का उसमें दिए गए आँकड़ों के आधार पर बने मानचित्रों सहित (यद्यपि जहाँ तक पूर्ण का संबंध है वे सही नहीं थे और केवल उत्तरी-पश्चिमी यूरोप के तटों पर आंशिक रूप से सही थे) 15वीं शताब्दी के आरंभ में लैटिन में अनुवाद हुआ और इसने पुनर्जागरण काल के भूगोलवेत्ताओं को अत्यधिक प्रभावित किया।

धीरे-धीरे विद्वानों पर चर्च का प्रभाव कम होने लगा। मध्य युग में यह प्रभाव बहुत अधिक था। ब्रह्मांड, ईश्वर और मनुष्य-जीवन के संबंध में चर्च में जो कुछ बतलाया जाता उसको अब लोग पूर्णतः स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। व्यक्ति की विचार-धारा अब उसको दिलाए गए विश्वासों पर निर्भर नहीं करती थी। उसकी विचार-धारा का आधार वह था जो वह देखता था और अनुभव करता था। इस प्रक्रिया से आधुनिक विज्ञान का जन्म हुआ। विद्वान अपने चारों ओर होने वाली घटनाओं का निरीक्षण करते और सभी वस्तुओं के साथ वैज्ञानिक प्रयोग भी करते थे और इस प्रकार अपने ज्ञान की वृद्धि करते थे। वे इस पर विश्वास नहीं करते थे कि ज्ञान ईश्वरप्रदत्त है। उनका विश्वास था कि अपने चारों ओर के संसार का बुद्धिमानी से अध्ययन करके ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। प्रयोग में लाए जाने वाले औजारों और विधियों की ओर और भी ध्यान आकर्षित किया गया और प्राविधिक ज्ञान की उन्नति का प्रयत्न किया गया।

इस सबका अर्थ था मनुष्य को विश्व के केन्द्र के रूप में देखना और उसको विशेष महत्त्व प्रदान करना। 'रिनैसाँ' युग के विचारक इस पर विशेष बल देते थे कि ज्ञान का प्रयोग मानव कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के महत्त्व को स्वीकार किया गया और साथ ही सहयोग और सामूहिक भावना के विकास पर भी बल दिया गया। मनुष्य को मनुष्य के साथ इसलिए भलाई नहीं करनी चाहिए कि ऐसा करना ईश्वर का आदेश है बल्कि इसलिए कि वे सब मनुष्य हैं।

ज्योतिष विद्या के विकास में रिनैसाँ युग की विचार-धारा का परिचय प्राप्त होता है। पंद्रहवीं शताब्दी में पोलैंड के एक दार्शनिक कोपर्निकस ने एक नया क्रांतिकारी सिद्धांत संसार के सामने रखा। उसने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि सूर्य ब्रह्मांड का केन्द्र है और पृथ्वी तथा अन्य ग्रह उसके चारों ओर चक्कर काटते हैं। उसका यह सिद्धांत क्रांतिकारी समझा गया क्योंकि अभी तक चर्च का कहना था कि पृथ्वी को ईश्वर ने बनाया है अतः पृथ्वी ही ब्रह्मांड का केन्द्र है। गणित की

गणना से कोपर्निकस ने अपने सिद्धांत को उसी प्रकार सत्य सिद्ध करने का प्रयत्न किया जिस प्रकार भारत में कई शताब्दियों पूर्व आर्य भट्ट ने किया था। सत्रहवीं शताब्दी के आरंभ में इटली के ज्योतिषी और वैज्ञानिक गैलीलियो ने इसी तथ्य को सिद्ध किया। उसके परिणाम केवल सैद्धांतिक गणना पर ही आधारित नहीं थे। उसने निरीक्षण और प्रयोगों की विधि का प्रयोग किया। दूरबीन का आविष्कार उन्हीं दिनों हुआ था। उसने दूरबीन से सूर्य और अन्य ग्रहों को देखा फिर अपने इस निष्कर्ष पर पहुँचा। गैलीलियो का यह कार्य बड़ा महत्त्वपूर्ण था। अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए वह वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग कर रहा था। वह चर्च के ज्ञान को असत्य घोषित करके उसको चुनौती दे रहा था। इससे चर्च के साथ उसका संघर्ष आरंभ हुआ। चर्च ने उसको यह घोषित करने के लिए विवश किया कि उसका सिद्धांत ठीक नहीं यद्यपि वह ठीक था। किन्तु उसके निरीक्षण और प्रयोगों के द्वारा प्राप्त यह ज्ञान यूरोप के अन्य देशों में फैलने लगा और परिणामस्वरूप क्रमशः अन्य वैज्ञानिक खोजें की गईं।

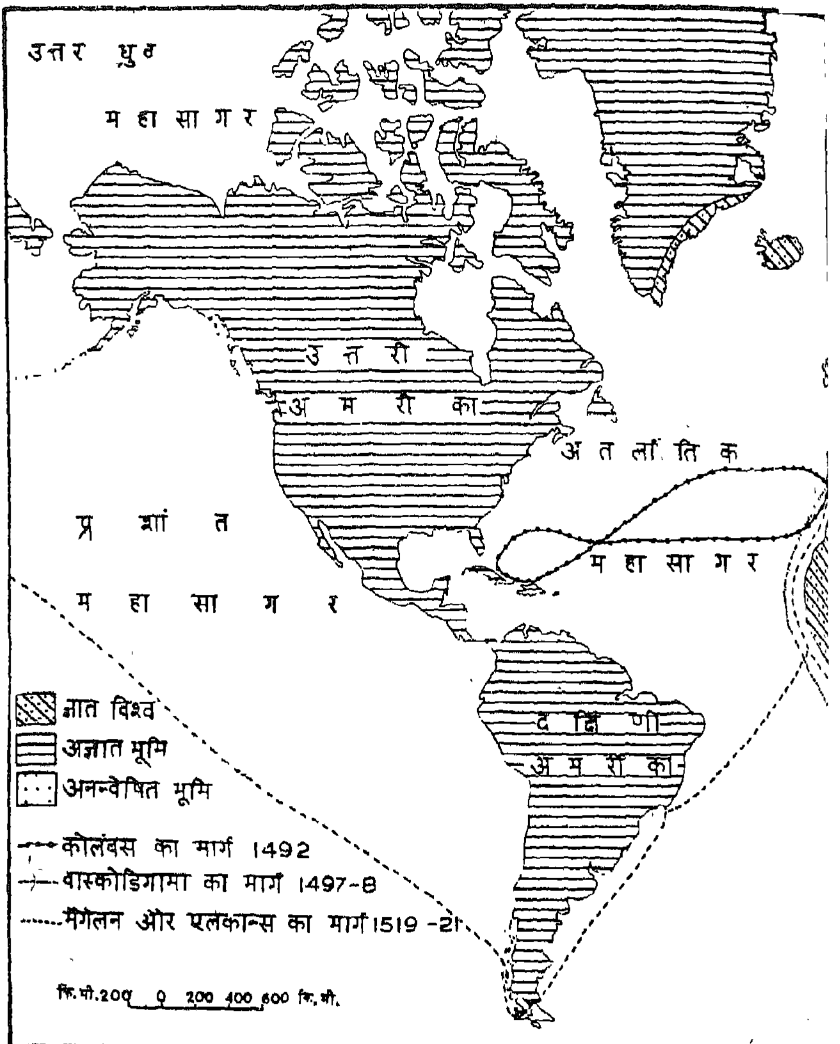
ये सब परिवर्तन बहुत शीघ्र नहीं हो गए। इस आंदोलन के यूरोप के सभी देशों में फैलने और लोगों की विचार-धारा को प्रभावित होने में कम से कम दो शताब्दियों का समय लगा। यह आंदोलन इटली के नगरों से आरंभ हुआ और धीरे-धीरे यूरोप के अन्य देशों, विशेष रूप से फ्रांस, हालैंड, बेलजियम और इंग्लैंड के नगरों में फैल गया। नगरों के व्यापारी यह नहीं चाहते थे कि चर्च बहुत शक्तिशाली बन जाए। सामंतों के साथ भी उनके संबंध बहुत अच्छे नहीं थे क्योंकि वे हमेशा व्यापारियों से अधिक कर प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहते थे। इस प्रकार रिनैसाँ युग की विचार-धारा व्यापारियों में बहुत लोकप्रिय हो गई क्योंकि उसमें चर्च और सामंतशाही शक्ति का विरोध किया जाता था।

वह व्यक्ति जिसको प्रायः रिनैसाँ आंदोलन का प्रतीक माना जाता है लियानार्डो द विन्सी था। उसकी विचार-धारा में इस नए आंदोलन के प्रभाव की झलक दिखती है। लियोनार्डो (**1452-1519**) इटली का रहने वाला एक अत्यंत प्रतिभावान

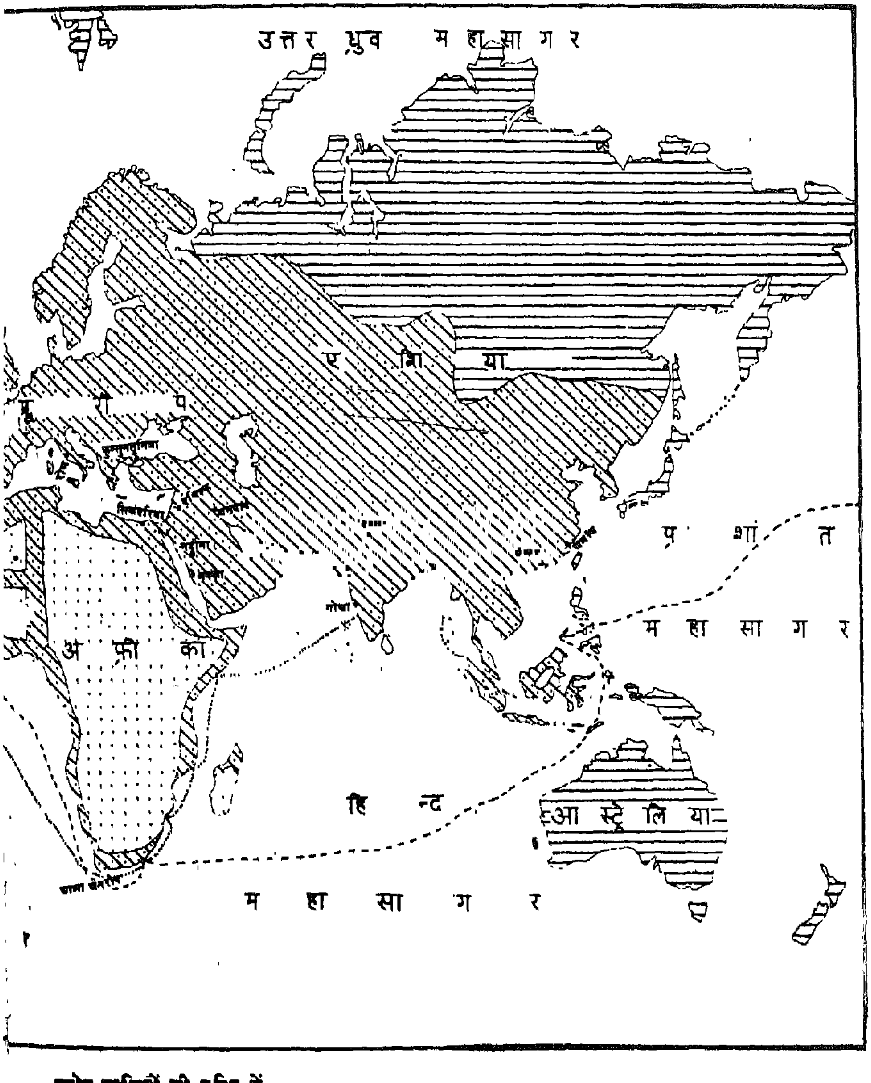
चित्रकार था। उसके चित्रों में रूप और रंग का सूक्ष्म अध्ययन देखने को मिलता है। लेकिन वह एक कलाकार भी था और वैज्ञानिक भी। उदाहरण के लिए जब उसे कार्यशील व्यक्तियों का चित्रण करना होता तो वह पहले शरीर की मांसपेशियों और व्यक्ति की क्रियाओं पर उनके प्रभाव का अध्ययन करता था। विज्ञान में रुचि होने के कारण उसने अनेक प्रकार की मशीनों का आविष्कार किया। उड़ने वाली मशीन के आविष्कार का प्रयत्न उसका सबसे अधिक रोमांचक प्रयोग था। सारे संसार के लोग पक्षियों को उड़ते देखते थे और उनके मन में भी उन्हीं की तरह उड़ने की इच्छा उत्पन्न होती थी। अनेक कवियों ने आकाश में उड़ने की कल्पना की थी। कुछ ने उड़नखटोलों का वर्णन भी किया पर ये सब वर्णन कल्पनात्मक थे। लियोनार्डो मनुष्य के उड़ने की केवल कल्पना करके संतुष्ट नहीं हो गया। उसने विद्यमान तकनीकी ज्ञान और आविष्कृत मशीनों का प्रयोग करके एक ऐसी मशीन बनाने का प्रयत्न किया जिसकी सहायता से मनुष्य आकाश में उड़ सके। उसके बनाए इस मशीन के चित्रों और वर्णन से हमको पता चलता है कि उसका मस्तिष्क कितने अच्छे वैज्ञानिक का मस्तिष्क था।

अनुसंधान का युग

रिनैसाँ के विचार एक शहर से दूसरे शहर में फैल गए। व्यापारी बहुत-से विचार यूरोप के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले गए। शहरों के दूकानदार भी इन विचारों में रुचि रखते थे और शीघ्र ही एक ऐसा समय आने वाला था जब वैज्ञानिकों के साथ मिलकर दोनों का एक दूसरे की सहायता के लिए संगठन होने वाला था। सन् 1453 ई० में आटोमन तुर्कों ने कुस्तुंतुनिया पर आक्रमण किया और उस पर अधिकार कर लिया। पश्चिमी एशिया का एक बहुत बड़ा भाग पहले से ही तुर्कों के अधिकार में था। इससे यूरोप को बहुत बड़ा धक्का लगा क्योंकि एशिया के साथ बहुत-सा व्यापार इसी क्षेत्र से होता था। अब एशिया के साथ यूरोप का व्यापारिक संबंध टूट गया। इसलिए यूरोप के व्यापारियों के लिए यह आवश्यक हो गया कि वे एशिया और भारत के लिए एक नया मार्ग खोज निकालें।

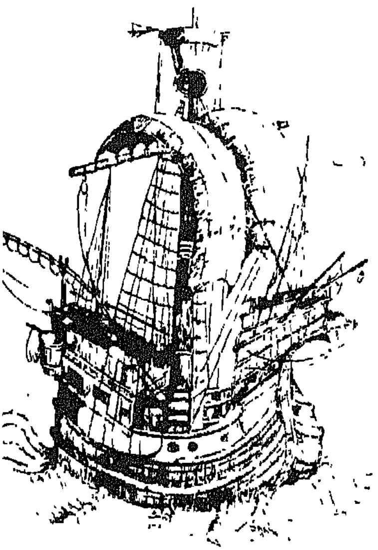


पंद्रहवीं शताब्दी का वि



—यूरोप-वासियों की दृष्टि में

यूरोप को दो कारणों से एशिया के साथ अपने व्यापारिक संबंध बनाए रखना आवश्यक था। एक तो यूरोप को एशिया के मसालों की आवश्यकता पड़ती थी। मांस को बहुत समय तक उपयोग में लाए जाने योग्य बनाए रखने के लिए इन मसालों का उपयोग किया जाता था। उत्तरी यूरोप में जाड़े के मौसम की भयानक सर्दी में केवल इन्हीं साधनों का प्रयोग करके लोग मांस खा सकते थे। एशिया के मसालों का व्यापार अरब-निवासियों के हाथ में था। वे पश्चिमी एशिया के बाजारों में मसाले लाते थे और लाभ लेकर इटली के व्यापारियों के हाथ बेच देते थे। फिर इटली के व्यापारी बहुत अधिक लाभ पर उनको यूरोप के अन्य क्षेत्रों में बेचते थे। दूसरा कारण यह था कि यूरोप के बहुत-से नगर एशिया के इसी व्यापार पर निर्भर थे और यदि यह व्यापार रुक जाता तो उन नगरों का पतन हो जाता। इसलिए इन नगरों के धनी व्यापारी इस व्यापार को कायम रखने के लिए और व्यापार के नए साधन खोजने के लिए धन व्यय करने को तैयार रहते थे।



1740 ई० का जहाज

यदि तुम यूरोप के मानचित्र को देखो तो तुम्हें यह पता चलेगा कि यूरोप से एशिया के लिए सबसे सीधा और सरल स्थल-मार्ग पश्चिमी एशिया से होकर है। अब यह मार्ग यूरोप-निवासियों के लिए बंद हो गया था। अतः उनको इसके स्थान पर समुद्री-मार्ग पर विचार करना था। परंतु उत्तरी भागों को छोड़ कर अफ्रीका के विषय में उन दिनों लोगों की बहुत कम जानकारी थी। उत्तरी और दक्षिणी अमरीका के अस्तित्व का भी कोई ज्ञान नहीं था। रिनैसां युग के वैज्ञानिक इन

व्यापारियों को भारत के लिए नया समुद्री मार्ग खोजने में सहायता प्रदान करने के लिए तैयार थे। इसी के परिणामस्वरूप यूरोप में 'नई खोजों का युग' आरंभ हुआ और भारत की ओर से जाने वाले समुद्री मार्ग खोजने के लिए यूरोप के बंदरगाहों से विभिन्न दिशाओं की ओर जहाज चलने लगे।

इस क्षेत्र में सबसे पहले पुर्तगाली आए। सन् 1488 ई० में बार्थोलोम्यू डियाज ने अफ्रीका के पश्चिमी समुद्रीतट की यात्रा की और वह अफ्रीका की दक्षिणी नोक आशा अंतरीप (केप ऑफ गुड होप) तक गया। दस वर्ष बाद वास्को डि-गामा ने डियाज के मार्ग का अनुसरण करते हुए अपनी यात्रा पूर्वी समुद्र तट पर भी जारी रखी। वह अरब सागर को पार कर सन् 1498 ई० में भारत पहुँच गया। एक अरबी समुद्र-यात्री की सहायता से भारत का समुद्री मार्ग खोजकर पुर्तगालियों ने अरब के व्यापारी उपनिवेशों पर आक्रमण किया और अरबों के व्यापार पर अपना अधिकार कर लिया। वे यूरोप को मसाले देने लगे और इस व्यापार से उनको बड़ा लाभ हुआ।

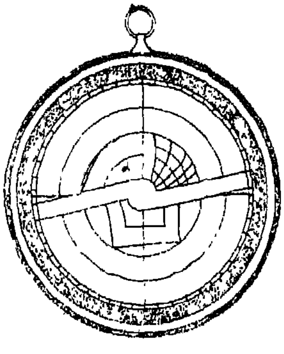


वास्को डि-गामा

स्पेन के निवासी इस क्षेत्र में बहुत पीछे नहीं रहे। प्रसिद्ध यात्री क्रिस्टोफर कोलंबस के नेतृत्व में एक सामुद्रिक अभियान के व्यय को स्पेन के बादशाह ने वहन किया। कोलंबस ने सोचा कि यदि वह स्पेन से पश्चिम की दिशा में समुद्र को पार करेगा तो वह भारत पहुँच जाएगा क्योंकि उस समय लोगों को यह जानकारी न थी कि बीच में अमरीका के महाद्वीप हैं। इसलिए उसने पश्चिम की ओर यात्रा आरंभ की और वह वेस्ट इंडीज के द्वीपों तक जा पहुँचा जिनको वह भारत का ही भाग समझता था। इसीलिए उसने उसको वेस्ट इंडीज

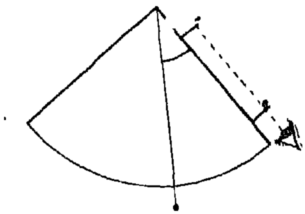
कहा। यह घटना सन् 1492 ई० की है। सन् 1497 ई० में अमेरिगो वेस्पुस्सी ने भी अमरीका की यात्रा की। अब तक उस समय के भूगोलवेत्ता यह जान गए थे कि वह अमरीका महाद्वीप था, एशिया नहीं। उसका नामकरण अमेरीगो वेस्पुस्सी के नाम पर अमरीका (अमेरिका) हुआ। बाद में सन् 1519 ई० में जब मैगेलन ने संसार के चारों ओर समुद्र-यात्रा की तो अमरीकी महाद्वीपों का अस्तित्व सिद्ध हो गया। स्पेन-निवासी भारत के समुद्री मार्ग का पता नहीं लगा पाए इसलिए एशिया के व्यापार में वे कोई भाग नहीं ले सके। लेकिन उन्होंने अमेरिका में दो बड़ी महान् सभ्यताओं की खोज की। एक मेक्सिको की एजटेक्स सभ्यता थी और दूसरी पेरू की इनकैस सभ्यता। यहाँ उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में सोना, चाँदी और बहुमूल्य रत्न प्राप्त किए। इसीलिए उन्होंने इन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की, इन सभ्यताओं को नष्ट किया और वहाँ का सोना-चाँदी स्पेन ले आए। इस प्रकार स्पेन बड़ा धनी देश बन गया।

वैज्ञानिकों ने नए व्यापार और नए देशों की खोज में इन व्यापारियों की किस प्रकार सहायता की? भौगोलिक ज्ञान और वैज्ञानिक साधनों के सहारे ही संसार के विभिन्न भागों की खोज इतनी शीघ्रता से संभव हो सकी। सबसे पहले तो मानचित्रों की रचना में उन्नति और सुधार हुए। आरंभ में यूनानी और रोमन लोगों के बनाए मानचित्रों का प्रयोग यूरोप के नाविकों के द्वारा किया गया। पर अब जब कोई जहाज किसी नए देश को जाता तो अपने साथ जो नया ज्ञान और नई सूचना लाता वह भूगोलवेत्ताओं के पास पहुँच जाती जिसके आधार पर वे मानचित्र में सुधार कर देते। दूसरे बहुत-से नए यंत्रों और विधियों का प्रयोग किया जाने लगा। इनके द्वारा कुछ नए प्रयोग भी किए गए। परिणाम-स्वरूप नाविक कला के ज्ञान की बड़ी उन्नति हुई। यूरोप-निवासियों ने अरब-निवासियों के दो यंत्रों का प्रयोग किया।



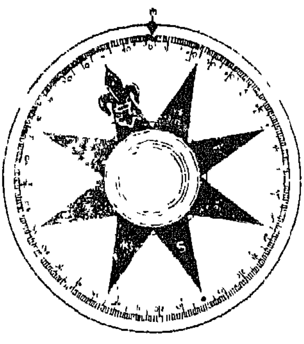
बेधयंत्र

वे लगातार उनका बार-बार परीक्षण करते रहे और धीरे-धीरे उन्होंने उनको और अधिक शुद्ध तथा निश्चित सूचना देने वाला बना दिया। ये वेधयंत्र तथा क्वाड्रांत (चतुर्थांश) थे जिनकी सहायता से किसी निश्चित स्थान के देशांतर की नाप की जाती थी। पृथ्वी से दूर मध्य समुद्र में यात्रा करता हुआ जहाज अपनी दिक्स्थिति नहीं खो सकता था



क्वाड्रांत

क्योंकि गणना करके वह अपनी स्थिति का पता लगा सकता था। इन यंत्रों के प्रयोग के पहले नाविकों को अपनी दिशा को पता लगाने के लिए तारों की स्थिति पर निर्भर रहना पड़ता था। 'मैरिनर्स कपास' (कुतुबनुमा) के आविष्कार के बाद समुद्र में खो जाने का भय और कम हो गया। अब जहाज़ों को समुद्र तट के सहारे यात्रा नहीं करनी पड़ती थी। वे समुद्र को सीधे पार कर सकते थे। इससे अब वे अधिक तेज गति से एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने लगे। व्यापारियों को भी अब सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कम व्यय करना पड़ता था। पुर्तगालियों ने अनेक प्रकार के पालों के प्रयोग आरंभ किए और अंत में उन्होंने घूमने वाले पाल का आविष्कार किया जिसको वायु की दिशा के अनुसार ठीक किया जा सकता था। इसका यह अर्थ हुआ कि समुद्र के आर-पार चलने वाली हवाओं का प्रयोग किसी भी दिशा



कुतुबनुमा

में किया जा सकता था और उनसे अधिक गति भी प्राप्त की जा सकती थी। पुर्तगालियों ने ही सबसे पहले अपने जहाजों में अच्छी किस्म की तोपें लगाईं और इस प्रकार अपनी लड़ने की शक्ति को बढ़ाया। यही कारण था कि वे समुद्र तट के स्थानीय लोगों से सफलता के साथ युद्ध कर सके। वे बंदरगाहों के ऊपर गोलाबारी कर सकते थे और समुद्र में भाग सकते थे। जब वे समुद्र तट की सेनाओं को कमजोर कर देते थे तब अपने सैनिकों को तट पर उतार कर युद्ध करते थे। विद्वान और वैज्ञानिक केवल पुस्तकीय ज्ञान का सहारा नहीं लेते थे बल्कि स्वयं मशीनों और यंत्रों का अध्ययन करते थे और उन व्यक्तियों के साथ मिलकर काम करते थे जो इन मशीनों और यंत्रों का प्रयोग करते थे। इसी कारण उनको अपने प्रयोगों और आविष्कारों में सफलता मिली थी।

स्पेन और पुर्तगाल के निवासी एशिया के लिए नए समुद्री मार्गों की खोज में लग गए। वे संसार के दूसरे क्षेत्रों से व्यापार करना चाहते थे पर यूरोप के अन्य देश हालैंड, बेल्जियम, इंग्लैंड और डेनमार्क भी इसमें उनके साथ सम्मिलित हो गए। ये देश इस क्षेत्र में बाद में आए और सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दी में पुर्तगाल और स्पेन का पतन हुआ तभी इनका महत्त्व बढ़ सका।

धर्म सुधार आंदोलन और उसकी प्रतिक्रिया

अनुसंधान और व्यापार के इस युग में पुर्तगाल और स्पेन के पतन तथा यूरोप के अन्य देशों के उत्थान का कारण यूरोप की धार्मिक पृष्ठभूमि थी। अंधकार युग से पुनर्जागरण (रिनैसां) युग तक यूरोप का सबसे अधिक प्रभावशाली धर्म ईसाई धर्म था। इस समय तक ईसाई धर्म दो दलों में विभाजित हो चुका था। इनमें एक रोमन कैथोलिक धर्म था और दूसरा यूनान का परंपरावादी ईसाई धर्म। यूनानी परंपरावादी धर्म का केन्द्र कुस्तुतुनिया था। उन लोगों का कहना था कि उनका धार्मिक दृष्टिकोण अधिक प्राचीन और परंपरावादी था। रोमन कैथोलिक धर्म का केन्द्र रोम था। ईसाई धर्म के संबंध में उनका दृष्टिकोण कुछ समय बाद का था और इसी दृष्टिकोण को सारे उत्तरी-पश्चिमी यूरोप में स्वीकार किया गया था। चर्च का

सबसे बड़ा नेता पोप कहलाता था। पोप का अर्थ होता है पिता। सारे मध्य युग में पोप राजनीतिक तथा धार्मिक मामलों में सबसे अधिक शक्तिशाली था। कोई पोप के अधिकारों का विरोध नहीं कर सकता था। यह वह परिस्थिति थी जब पुनर्जागरण (रिनैसाँ) युग के नवीन विचार लोगों की विचार-धारा को प्रभावित करने लगे।

पुनर्जागरण के विचारकों ने कुछ ऐसे नवीन विचारों को विशेष महत्त्व प्रदान किया जिनको कैथोलिक चर्च वाले नहीं स्वीकार करते थे। उदाहारण के लिए उनका कथन था कि ज्ञान केवल वह नहीं है जो पुस्तकों में लिखा है या जो समाज के धार्मिक नेता सोचते हैं। सामान्य व्यक्तियों के विचारों और प्रेक्षण से भी ज्ञान की बातें जानी जा सकती हैं। वे यह भी कहते थे कि धर्म के क्षेत्र में मनुष्य को केवल ईश्वर से ही नहीं अपने साथी मनुष्यों से भी संबंध रखना चाहिए। इसके साथ ही नई खोजें और नया ज्ञान आया जिससे रिनैसाँ युग के विचारकों का विश्वास अपने विचार करने के ढंग और अपने कार्यों पर दृढ़ हुआ। धीरे-धीरे चर्च और पोप के अधिकारों को चुनौती दी जाने लगी। लोग राजनीति जैसे धर्म-निपेक्ष विषयों में चर्च के हस्त-क्षेप पर आपत्ति प्रकट करने लगे। अभी तक चर्च को लोगों से अनेक प्रकार के कर लेने का अधिकार था लेकिन अब लोग इन करों का विरोध करने लगे। चर्च धन एकत्र करता था और उसको भूमि के अनुदान मिले हुए थे इसलिए पादरी विलासिता का जीवन व्यतीत करते थे। यह ईसा मसीह की शिक्षाओं के विरुद्ध था। रोमन कैथोलिक चर्च के विरुद्ध भावनाएँ शक्तिशाली होती गईं और अंत में बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने उससे अपना संबंध विच्छेद कर लिया। मार्टिन लूथर, इरैस्मस, जान कैल्विन जैसे ईसाई धर्मशास्त्रियों ने चर्च को त्याग दिया। सोलहवीं शताब्दी के आरंभ में चर्च से संबंध विच्छेद ने एक नवीन ईसाई दल का निर्माण किया जो प्रौटैं-स्टैंट कहलाया। ये वे लोग थे जो रोमन कैथोलिक चर्च का विरोध करते थे। यह आंदोलन धार्मिक सुधार आंदोलन कहलाया। ईसाई धर्म के इस विभाजन के परिणाम-स्वरूप बड़ी खून-खराबी हुई क्योंकि कैथोलिक और प्रोटैस्टैंट दलों में बहुत लंबे समय तक लड़ाइयाँ होती रहीं।

उत्तरी यूरोप के नगरों के व्यापारियों ने प्रोटैस्टैंट आंदोलन की विचारधारा को स्वीकार किया और उसको सहायता प्रदान की । प्रोटैस्टैंट लोगों ने चर्च के अधिकारों को चुनौती दी । धार्मिक मामलों में छान-बीन करने की प्रवृत्ति को उत्साहित किया गया और व्यक्ति के जीवन को महत्त्व मिला । अतः उनकी विचार-धारा का रिनैसाँ के नवीन विचारों से किसी प्रकार का संघर्ष नहीं हुआ । हालैंड, इंग्लैंड, नार्वे और स्वीडन जैसे उत्तरी यूरोप के देशों ने कैथोलिक चर्च से अपना संबंध तोड़ लिया और प्रोटैस्टैंट धर्म को स्वीकार कर लिया । फ्रांस दोनों धर्मों को मानने वालों में विभाजित हो गया । इन्ही देशों के व्यापारियों ने नवीन वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग किया और नवीन विचार-धारा का विकास हुआ ।

उत्तरी यूरोप में धार्मिक सुधार हो जाने पर दक्षिण यूरोप के कैथोलिक देशों में इस सुधार आंदोलन के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में सुधार का एक दूसरा आंदोलन- आरंभ हुआ । स्पेन के कैथोलिक इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे । कैथोलिक धर्म में सुधार करने के प्रयत्न आरंभ हुए । जेसस या जेसुइट्स दल का इसी उद्देश्य से निर्माण हुआ । इसी दल का प्रसिद्ध फ्रांसिस जेवियर था जिसने अपने जीवन के बहुत-से वर्ष भारत में धर्म-प्रचार में व्यतीत किए और अंत में उसकी मृत्यु यहीं पर हुई । किन्तु कैथोलिक चर्च ने इस सुधार के आंदोलन को स्वीकार करने से इनकार किया । साथ ही वह और अधिक परंपरावादी बन गया । यदि कोई व्यक्ति चर्च का विरोध करता था तो उस पर धार्मिक मुकदमा चलाया जाता था और उसको दंड दिया जाता था । प्रायः इस प्रकार के धर्म-विरोधियों को आग में जीवित जला दिया जाता था । इन मुकद्दमों को इंक्वीजिशन (Inquisition) कहा जाता है । लोगों को नवीन ढंग से विचार करने का अधिकार नहीं था । इससे बहुत बड़ी मात्रा में बौद्धिक पतन हुआ ।

इसके विरुद्ध उत्तरी देशों में परिस्थिति बिलकुल भिन्न थी । चर्च की जायदाद को छीन लिया गया और उसका लगान राजकोष में आने लगा । व्यापारियों को व्यापार में बड़ा प्रोत्साहन प्रदान किया गया क्योंकि इससे देश को बहुत-

सा धन प्राप्त होता था। जब कभी आवश्यकता पड़ती थी सरकार इन व्यापारियों की सहायता करती थी। इस प्रकार जैसा कि हम आगे चल कर देखेंगे, यूरोप और एशिया के संबंध व्यापार से आरंभ हुए पर धीरे-धीरे इसमें देशों की सरकारें भी रुचि लेने लगीं। अंत में एशिया और अफ्रीका में यूरोप के उपनिवेश बन गए।

भारतवर्ष में पुर्तगाली

पुर्तगाली भारत में व्यापार करने के लिए आए। उनका पहला उद्देश्य अरब व्यापारियों के मसाले के व्यापार को अपने अधिकार में लेना था। समुद्री डकैती का भी सहारा लेकर उन्होने इस उद्देश्य को पूर्ण करने में सफलता प्राप्त की। मसाले के इस व्यापार को कायम रखने के लिए उनको पश्चिमी एशिया, भारत और बाद में दक्षिणी-पूर्वी एशिया में भी अपने उपनिवेश स्थापित करने पड़े। एशिया में आकर वे मसाले के अतिरिक्त वस्त्रों आदि अन्य वस्तुओं का भी व्यापार करने लगे। पुर्तगाली कभी भारत को अपना घर नहीं बनाना चाहते थे। वे केवल कुछ समय तक अस्थायी रूप में उपनिवेशों में रहते थे और फिर पुर्तगाल लौट जाते थे। भारत में उनकी केवल इतनी रुचि थी कि यह एक ऐसा स्थान है जहाँ व्यापार से बड़ा लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

उनको एक और दिलचस्पी भी थी। वे अधिक से अधिक संख्या में भारत-वासियों को रोमन कैथोलिक चर्च का ईसाई बनाना चाहते थे। वे भारत में प्रचलित धर्मों के प्रति सहिष्णु न थे और लोगों को ईसाई बनने के लिए मजबूर करने में संकोच नहीं करते थे। उन्होंने भारत में अपने धार्मिक न्यायालय (इंक्वीजिशन) भी स्थापित किए। ईसाई धर्म भारत के लिए नवीन धर्म न था। यहाँ के सबसे पहले ईसाई सीरिया के ईसाई थे जिन्होंने पुर्तगालियों के यूरोप में ईसाई बनने से बहुत पहले इस धर्म को स्वीकार किया था। सीरिया के ईसाई शांतिपूर्ण ढग से कई शताब्दियों से भारत में रह रहे थे पर पुर्तगाली इतने से ही संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अधिक संख्या में भारतवासियों को ईसाई बनाने के लिए जो कुछ वे कर सकते थे किया।

भारत में मुगल

इसके विरुद्ध भारत में मुगलों के आगमन के भिन्न परिणाम रहे। मुगल भारत में व्यापार करने के लिए नहीं आए। वे अपना साम्राज्य स्थापित करने आए और इसमें उनको सफलता मिली। सबसे बड़ा अंतर तो यह था कि मुगलों ने भारत को अपना निवासस्थान बना लिया और यहाँ बस गए तथा भारतीय जनता का अंग बन गए। भारत की भलाई को वे सदैव अपनी दृष्टि के सामने रखते थे। मुगल यह भी नहीं चाहते थे कि बहुत बड़ी संख्या में हिन्दुओं को मुसलमान बना लिया जाए। भारत में पहले ही से बड़ी संख्या में मुसलमान रहते थे। औरंगजेब को छोड़कर अन्य मुगल शासक अपनी धार्मिक नीति में बड़े उदार थे। मुगल-शासन का परिणाम एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना थी जिसमें संपूर्ण भारत सम्मिलित था। भारत को एक नई सभ्यता का युग देखने को मिला। अकबर इस नई सभ्यता का प्रतीक था।

अभ्यास

1–स्तंभ अ के कथन का स्तंभ आ के कथन से सही संबंध स्थापित करो :

अ	आ
1– हुमायूं को पराजित करने के बाद	1– तब विजयनगर राज्य शक्तिशाली बन गया।
2– महमूद गवाँ ने बहमनी राज्य के शासकों को	2– वेनिस से आया और उसने दक्षिण भारत का भ्रमण किया।
3– पंद्रहवीं शताब्दी के अंत में जब बहमनी राज्य का पतन हो रहा था	3– शेरशाह ने अपने को भारत का शासक घोषित कर दिया।
4– मार्कोपोलो	4– रूस से आया और उसने दक्षिण भारत का भ्रमण किया।
5– निकितिन	5– बुद्धिमानी से 25 वर्ष तक न्यायपूर्ण शासन करने में सहायता दी।

2– नीचे दिए हुए कथनों के रिक्त स्थानों की पूर्ति उनके सामने कोष्ठकों में दिए सही शब्दों या शब्द समूहों से कीजिए :

1– सन् 1526 ई० में ·········के प्रसिद्ध मैदान में एक युद्ध हुआ जिसमें ········· ने लोदी सेना को पराजित किया। (तालीकोट, तराइन, पानीपत, हुमायूँ, बाबर, राणा साँगा)।

2– यह संभव था कि·········भी उतना ही महान् शासक बन जाता जितना········· यदि उसको और अधिक शासन करने का अवसर मिलता। (बाबर, हुमायूँ, शेरशाह, मुहम्मद गौरी, अलाउद्दीन, मुहम्मद बिन तुगलक)।

3– सन् 1453 ई० में ········नाम का फारस का एक व्यापारी············राज्य में पहुँचा और उसने वहाँ के शासक की नौकरी की। (इब्नबतूता, महमूद गवाँ, टामस रो, बहमनी, विजयनगर, बीजापुर)।

4– कृष्णदेव राय की सन्············ई० में मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के साथ ············ राज्य का पतन हो गया। (1453, 1530, 1543, बहमनी, विजय-नगर, बरार)।

5– ············ ने भारत में एक क्षेत्र को विजय किया और अपने पूर्वजों········· के नाम पर अपने राज्य की स्थापना की। (हुमायूँ, शेरशाह, बाबर, ममलूक, अब्बासी, मुगलों)।

6– ············ ने इस सत्य की खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है किन्तु············ने उसको यह कहने के लिए मजबूर किया कि यह असत्य था। (कोपर्निकस, लियोनार्डो दा विन्सी, गैलीलियो, मुसलमान, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक चर्च)।

7– ············ पहला यूरोप-निवासी था जो अमरीका पहुँचा पर उस महाद्वीप का नाम ············नाम पर रखा गया। (बार्थोलोम्यू, डियाज, वास्को डि गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, अमेरिगो वेस्पुस्सी, मैगेलन)।

3– नीचे दिए हुए कथनों में से कौन-से सही हैं ? प्रत्येक कथन के सामने 'हाँ' या '' लिखकर उत्तर दो :

1– सन् 1545 ई० में कालिंजर के घेरे में शेरशाह मारा गया।

2– सन् 1453 ई० में फारस का एक व्यापारी महमूद गवाँ बहमनी राज्य को छोड़कर विजयनगर चला गया और वहाँ के राजा की नौकरी कर ली।

3– अहमदनगर को बरार ने और बीजापुर को बीदर ने जीत लिया।

4– कृष्णदेव राय ने केवल रायचूर दोआब पर ही अधिकार नहीं कर लिया बल्कि वह अपनी सेनाएँ लेकर बहमनी राज्य में प्रवेश कर गया।

5– सन् 1498 ई० में वास्को डि गामा का पहला पुर्तगाली जहाज भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर पहुँचा।

4– नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो :

1– सरदारों ने बाबर को लोदी सुल्तानों से युद्ध करने के लिए क्यों आमंत्रित किया ?

2– शेरशाह कौन था ? उसको सफलता क्यों मिली ? यह क्यों कहा जाता है कि यदि वह अधिक दिन जीवित रहता तो एक महान् सुल्तान होता ?

3– बहमनी साम्राज्य छोटे-छोटे राज्यों में क्यों बँट गया और उसका क्या परिणाम हुआ ?

4– कृष्णदेव राय कौन था ? उसका क्यों स्मरण किया जाता है ?

5– पहले पहल कौन-से यूरोप निवासी भारत आए ? उनके आने का क्या उद्देश्य था ?

6– 'रिनैसाँ' शब्द का क्या अर्थ है ? उसका यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा ?

7– कोपर्निकस और गैलीलियो के सिद्धांतों में क्या अंतर है ?

8– लियोनार्डो दा विन्सी को रिनैसाँ का प्रतीक क्यों कहा जाता है ?

9– भारत के लिए नया मार्ग खोजने में यूरोप-निवासियों को किन खोजों से सहायता मिली ?

10– सोलहवीं शताब्दी में ईसाई चर्च रोमन कैथोलिक और प्रोटैस्टैंट दो दलों में क्यों विभाजित हो गया ?

5– करने के लिए रुचिकर कार्य :

1– अपनी एटलस में उस मार्ग को खोजो जिससे यूरोप और अरब के व्यापारी भारत आए।

2– यूरोप के उन राष्ट्रों की एक सूची बनाओ जिन्होंने संसार के नए क्षेत्रों की खोज की और अपनी एटलस में उन स्थानों को देखो जहाँ की उन्होंने यात्रा की।

अध्याय 7

अकबर

सन् 1556 ई० में पिता की मृत्यु होने पर जब अकबर को बादशाह घोषित किया गया तब वह केवल तेरह वर्ष का था। इस छोटी अवस्था के बालक के लिए यह एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व था। अकबर को कबूतर उड़ाने और चीतों के शिकार पर जाने का बड़ा शौक था। पढ़ने-लिखने में उसकी अधिक रुचि नहीं थी पर उसकी स्मरण-शक्ति बड़ी अच्छी थी और पुस्तकें पढ़वा कर सुनने में उसको आनंद प्राप्त होता था। चूँकि वह अभी बहुत छोटा था इसलिए उसका अभिभावक बैरम खाँ उसके लिए राज्य की देखभाल करने लगा। जब तक अकबर इस योग्य नहीं हो गया कि वह अपने राज्य का शासन चला सके तब तक राज्य के सारे मामलों की देखभाल, प्रशासन और युद्ध के कार्य बैरम खाँ ही करता था।

उत्तर भारत में मुगलों के राज्य को सुदृढ़ बनाने का हुमायूँ को अवसर नहीं मिला। यह कार्य अकबर के लिए रह गया था। सबसे पहला संघर्ष हेमूँ से हुआ। हेमूँ अफगान राजाओं (सरदारों) में से एक का सेनापति था और उसने

शेरशाह के राज्यकाल में अपनी शक्ति को सुदृढ़ कर लिया था। बैरम खाँ और हेमूँ के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। हेमू की पराजय हुई और दिल्ली और आगरा पर, जो मुगलों के हाथ से निकल गए थे, अकबर का फिर से अधिकार हो गया। अब एक बार फिर मुगलों की शक्ति की उत्तर भारत में स्थापना की जाने लगी। जब अकबर बालिग हो गया तो उसने बैरम खाँ से शासन की बाग-डोर अपने हाथ में ले ली। दिल्ली और आगरा में अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के बाद अकबर ने मुगल शासन क्षेत्र को देश के अन्य भागों तक विस्तृत करने का निश्चय किया। वह ग्वालियर, अजमेर और जौनपुर जैसे अन्य प्रमुख नगरों और किलों को जीतने के लिए अग्रसर हुआ। उसने मालवा को भी अपने राज्य में मिला लिया। इससे अकबर का राज्य राजपूत राज्यों का पड़ोसी बन गया।



अकबर

अकबर राजपूतों के साथ मित्रता का संबंध स्थापित करने के लिए उत्सुक था। अपने परिवार और विभिन्न राजपूतों के राजपरिवारों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके उसने इस मित्रता को स्थापित करने का एक उपाय खोजा। उसने स्वयं अनेक राजकुमारियों के साथ विवाह किए। राजपूतों के साथ संधि करने और मित्रता स्थापित करने की इस नीति से उसकी स्थिति बड़ी सुदृढ़ हो गई। उसने अपने प्रशासन में राजपूतों को उच्च पदों पर भी नियुक्त किया। उसके कुछ महत्त्व-

पूर्ण और स्वामिभक्त अधिकारी राजा मानसिंह जैसे राजपूत ही थे। उसको राणा प्रताप जैसे उन राजपूत राजाओं के साथ भी युद्ध करने पड़े जो उसका विरोध करते थे। रणथंभौर और चित्तौड़ जैसे राजस्थान के दो शक्तिशाली दुर्गों पर मुगलों का अधिकार हो गया।

अकबर ने संपूर्ण भारत को एक राष्ट्र समझा और उसने संपूर्ण भारत पर शासन करने की इच्छा की। इसलिए विजय करके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए उसने सब दिशाओं में अपनी सेनाएँ भेजीं। उसने गुजरात को विजय कर लिया। वह विजय इस कारण और महत्त्वपूर्ण थी कि गुजरात के समुद्र पार व्यापार से प्राप्त होने वाला कर अब मुगल साम्राज्य को मिलने लगा। गुजरात के व्यापारी, अरब और यूरोप दोनों देशों से व्यापार करते थे। इसलिए उनको बड़ा लाभ होता था। बाद में बंगाल को भी विजय करके साम्राज्य में मिला लिया गया। इस क्षेत्र का भी महत्त्व था क्योंकि यहाँ की उपजाऊ भूमि से बहुत-सा लगान और विदेशी व्यापार का बहुत-सा कर मिलता था। बंगाल में दक्षिण-पूर्वी एशिया और चीन के व्यापारी आते थे। बंगाल के व्यापारी मसालों के बदले कपड़े लेते थे।

सन् 1595 ई० तक अकबर ने कश्मीर, सिन्ध, उड़ीसा, मध्य भारत और अफगानिस्तान में कंधार को जीत लिया। उत्तर भारत का संपूर्ण क्षेत्र अब मुगलों के अधिकार में आ गया। अब भारत का उसके उत्तर तथा पश्चिम के क्षेत्रों, मध्य एशिया और फारस से घनिष्ठ संबंध स्थापित हो गया। इन क्षेत्रों से मित्रता का संबंध स्थापित करके अकबर ने उत्तरी सीमा को सुरक्षित कर लिया। साथ ही साथ फारस और मध्य एशिया के साथ व्यापारिक संबंध और अधिक बढ़ गए। भारत के केवल असम और दक्षिण प्रायद्वीप के राज्य स्वतंत्र रह गए। अकबर दक्षिण को विजय करने के लिए अधिक उत्सुक नहीं था। किन्तु उसने यह अनुभव कर लिया कि दक्षिण पर अधिकार करके ही वह संपूर्ण प्रायद्वीप पर अधिकार कर सकता है। इसलिए अहमदनगर राज्य के विरुद्ध अभियान आरंभ हुआ। यह घेरा आठ साल तक चला क्योंकि दक्षिण के राज्यों ने मुगलों का विरोध करने में अपनी सारी शक्ति

लगा दी थी। अंत में मुगलों ने खानदेश, बरार और अहमदनगर के कुछ भागों को अपने राज्य में मिला लिया। अब दक्षिण में गोदावरी नदी तक मुगल साम्राज्य का विस्तार हो गया। अकबर अब भारत के बहुत बड़े भाग का सम्राट बन गया।

प्रशासन

मुगलों की शासन-प्रणाली भारत में विद्यमान तथा मध्य एशिया और फारस से मुगलों के द्वारा ग्रहण की गई शासन-प्रणालियों का सम्मिश्रण थी। गाँवों और नगरों के प्रशासन में बहुत कम परिवर्तन किया गया। प्राचीन प्रणाली चलती रही और बहुत-से हिन्दुओं को स्थानीय अधिकारियों के पद पर नियुक्त किया गया। कहीं-कहीं पर दूर के गाँवों में लोगों को इस बात का भी पता नहीं चला कि दिल्ली में नए राजवंश का शासन आरंभ हो गया है पर धीरे-धीरे मुगल शासन का प्रभाव अनुभव किया जाने लगा।

मनसबदारी प्रथा मुगलों की शासन-प्रणाली की सबसे प्रमुख विशेषता थी। हर एक सरदार, अधिकारी और नागरिक कर्मचारी को एक पद या मनसब दिया जाता था। उसको मनसबदार कहा जाता था। मनसब सैनिकों की संख्या के अनुसार छोटा-बड़ा होता था। अधिकारियों और सरदारों को दिए गए ये मनसब 10 से 5000 तक के होते थे। अपने जीवनकाल में ही अधिकारी इस मनसब या पद पर रहता था। उसका पुत्र यदि बादशाह की नौकरी करना चाहता तो वही पद वह उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं कर सकता था। उसको अपनी योग्यता के अनुसार अपने पद पर नियुक्ति मिलती थी। इस प्रकार सम्राट अपने अधिकारियों और सरदारों की शक्ति पर पूर्ण नियंत्रण रखता था। सम्राट अपने मनसबदार की सेना का जब उसकी इच्छा होती थी प्रयोग कर सकता था। अकबर की एक चुनी हुई सेना उसके अपने अधिकार में रहती थी और उसका अपना तोपखाना भी था। अत: इस बात का भय नहीं था कि मनसबदार अपनी सेना का प्रयोग सम्राट के विरुद्ध करेगा।

सम्राट अनेक अफसरों के सहारे शासन करता था। इन अफसरों में सबसे

अधिक महत्त्वपूर्ण वजीर और बख्शी होते थे। वजीर लगान वसूल करने के प्रबंध की और बख्शी सेना के प्रबंध की देखभाल करता था। इस प्रकार इन अधिकारियों का महत्त्व तो था पर इनमें से कोई भी प्रशासन पर पूर्ण अधिकार नहीं रखता था। इनके होते हुए भी सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति सम्राट ही होता था। खानसामा बादशाह के घरेलू प्रबंध की देखभाल के लिए रहता था। न्यायाधीशों में सबसे ऊँचा स्थान प्रमुख काजी का था। एक अन्य अधिकारी बादशाह और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा दिए गए दान का हिसाब रखता था।

वजीर और बख्शी के नीचे काम करने वाले अनेक अधिकारी थे। केन्द्रीय शासक को साम्राज्य में होने वाले सभी कार्यों का पूर्ण ज्ञान रहता था। सम्राट दूसरों से भी राय लेता था। प्रायः वह उनको दीवाने-खास या अपने राजमहल में आमंत्रित करता था और उनके साथ विचार-विमर्श करता था। दीवाने-आम में वह अपनी प्रजा के सामने उपस्थित होता था जहाँ हर एक व्यक्ति उससे मिल सकता था। वह अपने राजमहल के झरोखे पर भी आता था जिसके नीचे से सामान्य जनता उसका दर्शन कर सकती थी।

मुगल साम्राज्य बहुत-से सूबों या प्रांतों में बँटा हुआ था। सूबों की शासन-प्रणाली वैसी ही थी जैसी राजधानी की। अकबर के शासन-काल में मुगल साम्राज्य पंद्रह सूबों में विभाजित था। प्रत्येक सूबा बहुत-सी सरकारों में बँटा हुआ था और प्रत्येक सरकार बहुत-से परगनों में विभाजित थी। कई गाँवों के एक समुदाय से एक परगना बनता था। सूबे में सूबेदार सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण व्यक्ति होता था जो अन्य अधिकारियों की सहायता से सूबे के प्रशासन की देखभाल करता था। दीवान भूमि के लगान का लेखा रखता था। बख्शी नियमित रूप से राजधानी को सूचनाएँ भेजता था और सूबे में सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। एक अन्य अधिकारी भी था जिसके नाम से आज भी उत्तर भारत के कस्बों और गाँवों में लोग परिचित हैं। यह कोतवाल होता था जिसके अधिकार में नगर का प्रशासन रहता था। पुलिस स्टेशनों को अब भी कहीं-कहीं कोतवाली कहा जाता है। अपराधियों को पकड़ने का

उत्तरदायित्व कोतवाल पर था। वह व्यापारियों के द्वारा नाप-तोल में प्रयोग किए जाने वाले बाटों की भी देखभाल करता था जिससे वे किसी को धोखा नहीं दे सकते थे। कोतवाल का दूसरा काम पड़ोस के सभी व्यक्तियों का नाम एक रजिस्टर में दर्ज करना था। वह विदेश से आनेवाले यात्रियों का नाम भी लिखता था। इस प्रकार वह जनगणना अधिकारी का कार्य भी करता था।

अकबर ने यह अनुभव किया कि यदि कोई अधिकारी एक ही नौकरी में या एक ही स्थान पर अधिक समय तक रहता तो वह बड़ा शक्तिशाली हो जाता था और अपने नीचे रहने वाले लोगों पर अत्याचार करने लगता था। इसलिए वह इस पर विशेष जोर देता था कि कोई अधिकारी एक ही स्थान पर बहुत अधिक समय तक रह चुका हो तो उसको स्थानांतरित कर दिया जाए। प्राचीनकाल में वजीर और मंत्री बड़े शक्तिशाली थे और वे बहुत-से कार्य जैसा चाहते थे कर सकते थे। अब सम्राट अधिक शक्तिशाली हो गया था।

राज्यों की आमदनी

मुगल राज्य को दो साधनों से धन प्राप्त होता था। एक साधन था भूमि का लगान और दूसरा व्यापार पर कर। बहुत बड़ी मात्रा में धन अधिकारियों के वेतन में व्यय किया जाता था। बड़े अधिकारियों को ऊँचा वेतन दिया जाता था जिससे वे अपना विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे।

यद्यपि अकबर चाहता था कि नकद वेतन दिया जाए पर वास्तव में बहुत-से अधिकारियों को भूमि के लगान का अनुदान मिला था जिसको जागीर कहते हैं। अधिकारी अपनी जागीर से लगान वसूल करते थे जो उनके वेतन के बराबर होता था। चूँकि इन अधिकारियों को लगान के अनुदान से वेतन दिया जाता था अतः यह निश्चित करना आवश्यक हो गया था कि किसी गाँव से कितना लगान वसूल किया जाना चाहिए। इससे सम्राट के लिए अनुदान देना सरल हो जाता था। भूमि के विभिन्न क्षेत्रों की उपज अलग-अलग होती है और समय-समय पर इस उपज में भी अंतर होता रहता है। अतः सरकार के लिए लाभदायक होता है कि लगान का

बंदोबस्त समय-समय पर किया जाए। अकबर चाहता था कि उसको साम्राज्य की उपज और उससे वसूल किए जाने वाले लगान का विस्तृत विवरण दिया जाए। सरकार को भेजे जाने वाले लगान की जाँच के लिए भी इसकी आवश्यकता थी। राज्य उपज का एक तिहाई भाग लगान के रूप में वसूल करता था। राज्य लगान को धन के रूप में प्राप्त करना अधिक पसंद करता था। राजा टोडरमल से भूमि के लगान का लेखा बनाने के लिए कहा गया। जब यह कार्य कर लिया गया तब इसका लेखा बहुत सावधानी से रखा गया। अकबर ने इस बात पर बड़ा जोर दिया कि इस हिसाब को सदैव तैयार रखा जाए। इस बंदोबस्त से किसानों को भी बड़ी सुविधा प्राप्त हुई। अब वे यह जान सकते थे कि अपनी उपज का कितना भाग उनको अपने पास रखना है और कितना राज्य को देना है।

व्यापार से इतना कर नहीं प्राप्त होता था जितना भूमि से लगान। किन्तु गुजरात और बंगाल जैसे क्षेत्रों में जहाँ व्यापार की बड़ी उन्नति हो रही थी इस व्यापार-कर से सूबे बहुत धनवान बन गए। व्यापारियों के ऊँटों के काफिले और उनकी बैलगाड़ियाँ देश के अंदर सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुँचाती थीं। कुछ व्यापारी देश की सीमा को पार करके अपना सामान मध्य एशिया, फारस और रूस तक ले जाते थे। समुद्र पार व्यापार की मुगल काल में बड़ी उन्नति हुई। भारत के समुद्र तट पर बहुत बड़े-बड़े बंदरगाह थे। भारत के व्यापारी कपड़े, नील, शोरा और मसाले दूसरे देशों को भेजते थे।

सामुद्रिक व्यापार के संबंध में बहुतसे यूरोप-निवासी अकबर के दरबार में आए। पुर्तगालियों ने पहले ही अपने व्यापारिक केन्द्रों की स्थापना कर ली थी और वे भारत के पश्चिमी समुद्र तट के व्यापारियों के साथ व्यापार करते थे। इंग्लैंड के व्यापारी पुर्तगालियों के इस व्यापार से होने वाले लाभ को देखकर उनसे ईर्ष्या करते थे। इसलिए उन्होंने कुछ व्यापारियों को अकबर के दरबार में इस उद्देश्य से भेजा कि वे उन्हीं स्थानों पर व्यापार करने की आज्ञा प्राप्त करें जिन

स्थानों पर पुर्तगाली व्यापार करते थे। पर अकबर यूरोप के इतने अधिक व्यापारियों को अनुमति प्रदान करने के लिए तैयार न था।

साहित्य और ललित कलाएँ

अकबर ने कभी पढ़ना-लिखना नहीं सीखा था पर वह श्रेष्ठ पुस्तकों से परिचित था और अपने को शिक्षित बनाने में उसने अपना बहुत-सा समय व्यतीत किया। उसने अनेक पुस्तकें पढ़वा कर सुनीं और सभी प्रकार के दार्शनिकों, विद्वानों और लेखकों के साथ विचार-विमर्श किया। उसको काव्य में भी विशेष रुचि थी और वह बहुत-सी कविताओं को उद्धृत कर सकता था। प्राकृतिक विज्ञान में उसकी रुचि न थी। यह भारत का दुर्भाग्य था क्योंकि यदि उसने रिनैसाँ के विचारों में या पुर्तगालियों की टेकनॉलॉजी में दिलचस्पी ली होती तो भारत में और अधिक शीघ्रता से विज्ञान का विकास हुआ होता।

उसके दो घनिष्ठ मित्र जिनसे वह बहुधा तर्क-वितर्क करता रहता था, दो भाई अबुलफजल और फैजी थे। अबुलफजल ने 'अकबरनामा (अकबर का जीवन चरित्र) नामक पुस्तक की रचना की। **'आइने अकबरी'** इसी पुस्तक का एक भाग है। इस भाग में साम्राज्य के नियम, कानून और लगान व्यवस्था का विवेचन किया गया है। इसमें उस काल की देश की दशा का भी वर्णन किया गया है। फैजी एक कवि था और वह फारसी भाषा में कविता लिखता था। मुगल साम्राज्य की राजभाषा फारसी थी। इसीलिए बहुत से शिक्षित व्यक्ति और विशेषकर वे लोग जो प्रशासन में कार्य करते थे फारसी भाषा जानते थे। अकबर और उसके मित्रों ने संस्कृत के प्रमुख ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करने को प्रोत्साहन दिया। इस काल में संपूर्ण **'महाभारत'** और **'रामायण'** का फारसी में अनुवाद किया गया और अबुलफजल ने इन अनुवादों की भूमिका लिखी। कुछ विद्वानों ने संस्कृत में कई सुल्तानों के जीवन चरित्र लिखे और उनको उन सुल्तानों से इन रचनाओं के लिए बहुत-से पुरस्कार और अनुदान प्राप्त हुए।

इसी काल में बहुत-से कवियों ने हिन्दी में काव्य रचना आरंभ की।

वल्लभाचार्य, केशवदास और रहीम उनमें प्रमुख थे। रहीम के दोहे आज भी पढ़े जाते हैं। तुलसी की रचना और अधिक महत्त्वपूर्ण थी। उन्होंने रामायण की कथा लिखी और उसका नाम 'रामचरितमानस' रखा। तुलसी का काव्य हिन्दी भाषी जन-समुदाय में बहुत लोकप्रिय हुआ।

अबुलफजल और फैजी के अतिरिक्त दूसरा व्यक्ति जो प्रायः अकबर के दरबार में देखा जाता था, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। उसने अनेक रागों की गायन शैली में नवीनता का समावेश करके भारतीय संगीत को समृद्ध किया। राग दरबारी इन रागों में बहुत लोकप्रिय था जिसके संबंध में कहा जाता है कि तानसेन ने उसकी रचना विशेष रूप से अकबर के लिए की थी। इस काल तक भारतीय संगीत में फारस की संगीत कला की बहुत-सी विशेषताएँ आ गई थीं।

अकबर के दरबार में बहुत-से चित्रकार भी थे जो उसके पुस्तकालय और पुस्तकों को सजाने के लिए छोटे आकार के चित्र (लघुचित्र) बनाते थे। ये चित्रकार भारत और फारस की मिश्रित शैली में चित्र रचना करते थे। वे जिन रंगों का प्रयोग करते थे वे विशेषतः भारतीय थे और उनके चित्रों की कोमलता और बारीकी विशेष रूप से फारसी शैली की थी। बहुत-से चित्रकार नीची जाति के हिन्दु थे पर इसमें सम्राट को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती थी। इनमें से कुछ ने अपने चित्रों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं अतः हम उनके नाम भी जानते हैं। लेकिन कभी-कभी किसी चित्र का अंकन चित्रकारों का एक समुदाय करता था। ये चित्रकार भारत के विभिन्न भागों—गुजरात, कश्मीर और दक्षिण भारत आदि से आते थे और इन क्षेत्रों की स्थानीय शैलियों का प्रभाव इन चित्रों में परिलक्षित होता है। जब ये चित्रकार किसी पुस्तक को सजाने के लिए चित्र नहीं बनाते थे तब वे प्रायः भारत और फारस की लोककथाओं के दृश्यों का चित्रण करते थे। उदाहरण के लिए वे कृष्ण की लीलाओं या लैला मजनूँ की प्रेम-कथा के दृश्यों का चित्रण करते थे। पर अकबर के दरबार के बहुत-से चित्रों का संबंध अकबर के जीवन और उसके दरबार की घटनाओं से था।

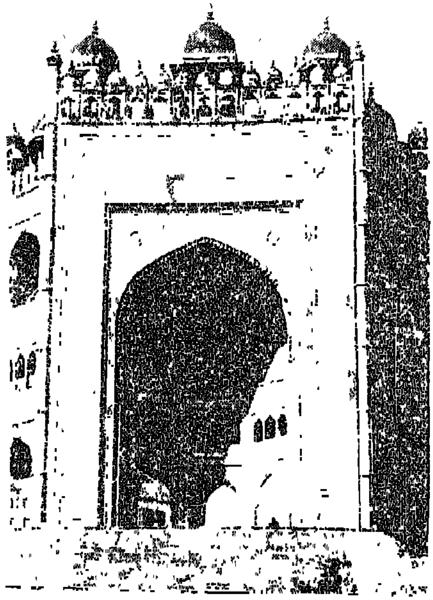
अब पुस्तकें ताड़ के पत्तों या वृक्षों की छालों पर नहीं लिखी जाती थीं बल्कि कागज पर लिखी जाती थी। कागज का अविष्कार चीन में हुआ और पश्चिमी एशिया में उसका निर्यात होता था। चौदहवीं शताब्दी तक भारतीय व्यापारी भी कागज का आयात करने लगे थे और बाद में वह भारत में भी बनाया जाने लगा था। इस काल में भी भारत में पुस्तकें हाथ से ही लिखी जाती थीं यद्यपि चीन और यूरोप में छापेखाने का आविष्कार किया जा चुका था और उसका प्रयोग भी किया जाता था। हाथ से पुस्तकों को लिखने में बड़ा समय लगता था अतः उतनी संख्या में पुस्तकें नहीं तैयार की जाती थीं जितनी संख्या में छापेखाने से। फारसी की पुस्तकें नास्तालिक जैसी विभिन्न प्रकार की सुंदर फारसी लिपियों में लिखी जाती थीं। हिन्दी और संस्कृत की पुस्तकों के लिखने में सामान्यतया देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता था।

वास्तुकला

दिल्ली और आगरा में अकबर का दरबार लगता था। पर अकबर ने अपनी राजधानी बनाने के लिए एक नए नगर के निर्माण का निश्चय किया। यह आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी था। इसी स्थान पर सूफी महात्मा शेख सलीम चिश्ती रहता था और अकबर उसका बड़ा आदर करता था। इसी कारण उसने इस स्थान पर अपनी राजधानी बनाने का निश्चय किया। उसने यहाँ पर लाल पत्थर से शानदार राजमहल और मंडप बनवाए। फ़तेहपुर सीकरी की वास्तुकला में फारस, मध्य एशिया तथा भारत की विभिन्न शैलियों का अद्भुत सम्मिश्रण देखने को मिलता है। यही बात दिल्ली में अपने पिता हुमायूँ के लिए अकबर द्वारा बनवाए गए मकबरे के संबंध में भी सही है। यह सल्तनत काल में बनवाए गए मकबरों से केवल अपनी भवन-निर्माण-शैली, जिसमें भारतीय शैली की अनेक विशेषताएँ हैं, में ही भिन्न नहीं है बल्कि इस कारण भी भिन्न है कि इसका निर्माण एक विस्तृत क्षेत्र में बनवाए गए बाग के बीच में किया गया है। संपूर्ण क्षेत्र में प्रवेश करने का मार्ग एक विशाल फाटक से

होकर है जो स्वयं एक स्मारक है। मुगल शैली के बने सभी मकबरों में एक फाटक और एक बाग होता है

इस काल की मुगल वास्तुकला ने आरंभिक भारतीय शैली की अनेक विशेषताएँ ग्रहण कीं, जैसे प्रवेश द्वारों पर वर्गाकार ब्रैकेट अथवा गुफाओं की डिजाइन इत्यादि। साथ ही साथ इस मुगल कला का प्रभाव हिन्दू राजाओं के राजमहलों और मंदिरों की निर्माण कला पर भी पड़ा। अनेक राजपूत राजाओं के महलों पर यह प्रभाव स्पष्ट दिखलाई देता है। वृंदावन का गोविन्द देव मंदिर, इस कारण कि वह लाल पत्थर का बना है और उसमें यह मिश्रित शैली स्पष्ट है, आसानी से पहचाना जा सकता है।



फतेहपुरसीकरी का बुलन्द दरवाजा

अकबर की धार्मिक नीति

फतेहपुर सीकरी की एक इमारत का नाम इबादतखाना था। इसी स्थान पर अकबर विभिन्न धर्मो के सिद्धांतों पर विचार-विमर्श करवाता था। अकबर को धर्म की समस्याओं में विशेष रुचि थी। वह अनुभव करता था कि प्रत्येक धर्म ईश्वर की ओर संकेत करता है। अतः उसे आश्चर्य होता था कि सभी धर्मों के मानने वालों के लिए यह संभव क्यों नहीं था कि वे परस्पर मिल-जुलकर शांतिपूर्वक रहें। वह ऐसा मार्ग खोजना चाहता था जो सभी धर्मों की विशेषताओं से पूर्ण हो और जो सभी धर्मो के अनुयायियों में परस्पर प्रेम भाव उत्पन्न कर सके।

इसलिए उसने सभी धर्मों और संप्रदायों के आचार्यों को आमंत्रित किया कि वे आकर उसके साथ धर्म पर विचार-विमर्श करें।

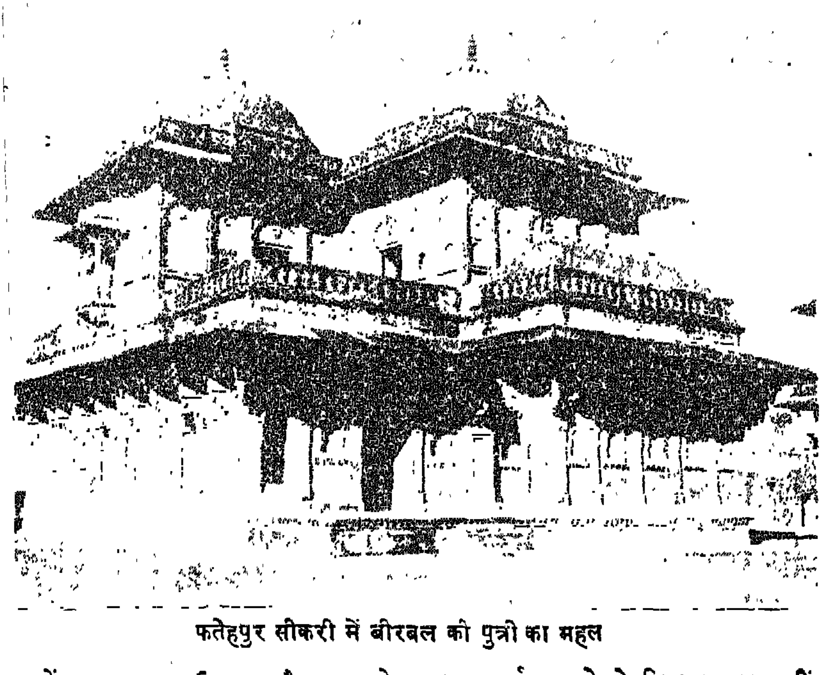
इबादतखाने में सबसे पहले इस्लाम धर्म के आचार्य आए। बाद में हिन्दू, फारसी, जैन और ईसाइयों को भी सम्राट के साथ विचार-विमर्श के लिए आमंत्रित किया गया। पुर्तगाली गवर्नर ने सम्राट को ईसाई बनाने के उद्देश्य से अपने पादरी भेजे। पर उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई। सम्राट ने उनको इसलिए आमंत्रित किया था कि उसको ईसाई धर्म की शिक्षाओं को समझने में रुचि थी न कि उसका ईसाई बन जाने का कोई इरादा रहा हो। वास्तव में इस्लाम धर्म के कुछ उपदेशक अकबर को अन्य धर्मों का इतना सम्मान करते देखकर विचलित हो गए थे।

अंत में इतने अधिक विचार-विमर्श के बाद अकबर ने निश्चय किया कि उसने एक मार्ग पा लिया है। उसने अपना कोई धर्म नहीं चलाया। उसने केवल एक नए धार्मिक मार्ग का सुझाव दिया। वह सब धर्मों के सामान्य सत्यों पर आधारित था और इसमें सब धर्मों के कुछ सिद्धांतों का समावेश कर दिया गया था। बाद में यही धार्मिक मार्ग दीन-ए-इलाही कहलाया जिसका तात्पर्य था एक ईश्वर का धर्म।

सबसे पहले अकबर ने इस बात की घोषणा की कि वह अपनी प्रजा का आध्यात्मिक पथ-प्रदर्शक है। फिर उसने एक धार्मिक मार्ग के नियमों का वर्णन किया। उसने शांति और सहिष्णुता की भावना को प्रोत्साहन दिया। उसने जीवहिंसा की भावना का विरोध किया और सुझाव दिया कि कम-से-कम वर्ष के एक निश्चित समय में लोगों को मांस खाना बंद रखना चाहिए। उसने कठोर दंड देने की प्रथा को उचित नहीं माना और अपराधियों के अंग-भंग करने के दंड को भी वह उचित नहीं समझता था क्योंकि उसकी धारणा थी कि अंग-भंग करने से अधिक अच्छा अपराधी को उसके अपराध का अनुभव करा देना है। पति की मृत्यु पर स्त्रियों के सती होने की प्रथा का वह घोर विरोध करता था। उसने अपनी प्रजा में सूर्य, अग्नि और प्रकाश को आदर-सम्मान देने की भावना का समावेश किया। जिन्होंने सम्राट को अपना आध्यात्मिक पथ-प्रदर्शक मान लिया उन्होंने यह शपथ ली

कि वे सम्राट के लिए अपनी सपत्ति, अपने सम्मान और अपने धर्म का उत्सर्ग कर देने को तत्पर रहेंगे।

दरबार के सभी लोगों ने अकबर के आध्यात्मिक नेतृत्व को स्वीकार नहीं किया। कुछ सरदार जैसे बीरबल, जो अकबर को बहुत प्रिय था, उसके सच्चे अनुयायी बन गए। अन्य ने केवल सम्राट को प्रसन्न करने के लिए ऐसा किया। राजा मानसिंह जैसे कुछ लोग और भी थे जिन्होंने इस सबका विरोध किया और स्पष्ट रूप से अपने विचारों को व्यक्त कर दिया। अकबर ने उनके भी धार्मिक

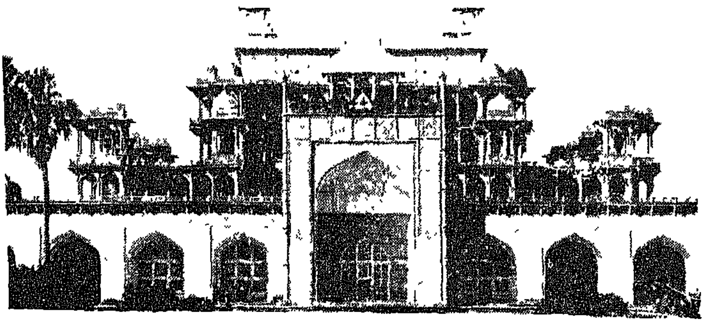


फतेहपुर सीकरी में बीरबल की पुत्री का महल

विचारों का सम्मान किया और उनको अपना धर्म मानने के लिए बाध्य नहीं किया। कुछ मुसलमान सरदार बहुत चिन्तित हो गए क्योंकि वे समझते थे कि अकबर इस्लाम धर्म को नष्ट करना चाहता है। अपने नए धर्म की घोषणा करके

अकबर किसी धर्म को नष्ट करने का प्रयत्न नहीं कर रहा था। वह केवल देश में एकता स्थापित करने के लिए उत्सुक था। उसका दीने-ए-इलाही भारत के निवासियों में एकता उत्पन्न करने का ही एक प्रयत्न था।

अकबर को एक महान् सम्राट इसलिए नहीं कहा जाता कि उसने एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया बल्कि इसलिए कि उसको अपने राज्य और अपनी प्रजा का बड़ा ध्यान रहता था। वह समझता था कि शासक प्रजा का संरक्षक होता है। अतः उसका कर्त्तव्य है कि वह अपनी प्रजा की भलाई के लिए कार्य करे। अनेक दृष्टिकोणों से अकबर के शासन संबंधी विचार बहुत कुछ वे ही थे जो सम्राट



सिकंदरा में अकबर का मकबरा

अशोक के थे। अपनी एक राजघोषणा में अशोक कहता है, सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। यदि अकबर को इसका पता होता तो वह भी इसको स्वीकार करता। भारत को एक राष्ट्र के रूप में संगठित करना अकबर का महान् स्वप्न था। वह चाहता था कि लोग अपने क्षेत्रीय और धार्मिक भेद भाव को भूल जाएँ और सभी अपने को केवल भारत का नागरिक समझें। अपने शासन-काल में वह कुछ सीमा तक अपने इस उद्देश्य में सफल हुआ। यह दुर्भाग्य था कि उसके उच्चाधिकारियों ने उसकी इस नीति का सदैव अनुसरण नहीं किया। अकबर का यह भी विश्वास था कि यदि लोग उसके नवीन धार्मिक दृष्टिकोण को स्वीकार कर लें

तो देश में एकता और शांति हो जाए। उसकी विचार-धारा की यही कमजोरी थी। एकता और शांति तभी हो सकती है जब प्रत्येक व्यक्ति उस पर विश्वास करे और उसके लिए प्रयत्नशील रहे। केवल एक व्यक्ति के प्रयत्न से चाहे वह सम्राट ही क्यों न हो, न एकता उत्पन्न हो सकती है और न शांति की स्थापना ही की जा सकती है।

अकबर में एक बड़ा भारी गुण था। वह गुण था उसकी निर्भीकता। जब वह क्रोधित हाथियों पर सवारी करके उनको पालतू बनाता था या जब वह वर्षा की बढ़ी हुई नदियों को तैर कर पार करता था तब उसका महान् साहस दिखलाई पड़ता था। उसने उस समय भी अपने महान् साहस का प्रदर्शन किया जब उसने उन व्यक्तियों का विरोध किया जो अपनी शक्ति का प्रयोग नए विचारों का प्रचार और भारतीय समाज और विचार-धारा में होने वाले परिवर्तनों को रोकने में कर रहे थे। उसकी निर्भीकता की जड़ें उसकी ईमानदारी के ऊपर जमी हुई थीं और यह उसका एक अद्भुत गुण था जो प्रायः प्रत्येक व्यक्ति के चरित्र में नहीं मिलता।

सन् 1605 ई० में अकबर की मृत्यु होने पर उसे उसी मकबरे में दफनाया गया जिसको उसने आगरे के निकट सिकंदरा में स्वयं अपने लिए बनवाना आरंभ किया था। उसका मकबरा उसके महान् व्यक्तित्व का प्रतीक है। यह मकबरा सीधा-सादा किन्तु प्रभावित करने वाला है।

अभ्यास

1– पारिभाषिक शब्द जिनको तुम्हें जानना चाहिए :

1– मनसबदार – मनसब का अर्थ है पद। मनसबदार सम्राट की आज्ञा के अनुसार नागरिक और सैनिक कार्यों की देखभाल करता था। उसके अधिकार में कुछ सैनिक रहते थे। इन्हीं सैनिकों की संख्या के अनुसार उसका पद और वेतन निश्चित किया जाता

था। यह पद परंपरागत नहीं थी। उसको भूमि के लगान के अनुदान के द्वारा वेतन दिया जाता था।

2– बख्शी – सैनिक व्यवस्था को देखने वाला अधिकारी।

3– कोतवाल – नगर प्रशासन की देखभाल करने वाला अधिकारी।

4– दीन-ए-इलाही – अकबर के द्वारा चलाया गया धार्मिक मार्ग। दीन-ए-इलाही का अर्थ है एक ईश्वर की उपासना का धर्म।

2– स्तंभ अ कथन का स्तंभ आ में दिए गए कथन से सही संबंध स्थापित कीजिए :

अ	आ
1– बंगाल में	1– और वे उसका पश्चिम एशिया में निर्यात करते थे।
2– मुगल साम्राज्य बहुत-से	2– इबादतखाना कहलाता है।
3– चीन के निवासियों ने कागज का आविष्कार किया	3– कि भारत एक राष्ट्र के रूप में संगठित हो जाए।
4– फतेहपुर सीकरी के भवनों में से एक भवन	4– दक्षिण पूर्वी एशिया और चीन से व्यापारी आते थे।
5– अकबर का महान् स्वप्न था	5– सूबों या प्रांतों में विभाजित था।

3– नीचे लिखे हुए वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति उनके सामने कोष्ठकों में दिए सही शब्द समूहों से करो :

1– ....के साथ मित्रता का संबंध स्थापित करने के लिए विशेष रूप से इच्छुक था। (हुमायूं, बाबर, अकबर, मुगलों, अफगानों, राजपूतों)

2– राजस्थान के दो प्रमुख दुर्गों—रणथंभौर और चित्तौड़ पर............ने अधिकार कर लिया। (लोदी, अफगानों, मुगलों)

3– अकबर के शासन-काल में............साम्राज्य............में............नदी तक फैला हुआ था। (अफगान, बहमनी, मुगल, दक्षिण-उत्तर भारत, पूर्वी भारत, यमुना, नर्मदा, गोदावरी)

4– ....ने फतेहपुर सीकरी में............पत्थर के शानदार राजमहल और गुंबद बनवाए। (बाबर, जहांगीर, अकबर, काले, लाल, सफेद)

5– अनेक प्रकार से............की शासन-प्रणाली के वे ही सिद्धांत थे जो.........के थे। (हुमायूँ, शेरशाह, अकबर, चंद्रगुप्त, अशोक)

4– नीचे दिए हुए कथनों में जो सही हों उनके सामने 'हाँ' और जो सही न हों उनके सामने 'नहीं' लिखो :

1– हुमायूँ को उत्तर भारत में मुगल राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए समय नहीं मिला।

2– अकबर ने भारत को एक राष्ट्र समझा और सारे देश पर नियंत्रण करने के लिए कार्य किया।

3– न्यायाधीशों में काजी का सबसे निम्न स्थान था।

4– अकबर ने अपने साम्राज्य की भूमि के लगान का विस्तृत लेखा प्राप्त करने का कभी प्रयत्न नहीं किया।

5– धर्म में अकबर की बड़ी रुचि थी।

5– नीचे दिए प्रश्नों का उत्तर दो :

1– अकबर ने मुगल साम्राज्य का संगठन किस प्रकार किया ?

2– अकबर ने अपने प्रशासन में कौन-से महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किए ?

3– मुगल साम्राज्य की आय के कौन-से प्रमुख साधन थे ? अकबर ने लगान वसूल करने की प्रथा में कैसे सुधार किए ?

4– इस काल की वास्तुकला की कौन-कौन-सी विशेषताएँ थीं ?

5– अकबर ने नए धर्म की स्थापना करने का क्यों निश्चय किया और उसका क्या परिणाम हुआ ?

करने के लिए रुचिकर कार्य :

1– मुगल काल के लघु चित्रों की एक पुस्तक खोजो और उस चित्र के दृश्य का वर्णन करो जो तुमको सबसे अधिक अच्छा लगता हो।

2– अकबर के शासन-काल के सूबों की सूची बनाओ और यह पता लगाओ कि उनमें से कितने सूबों के नाम भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आज भी प्रचलित हैं।

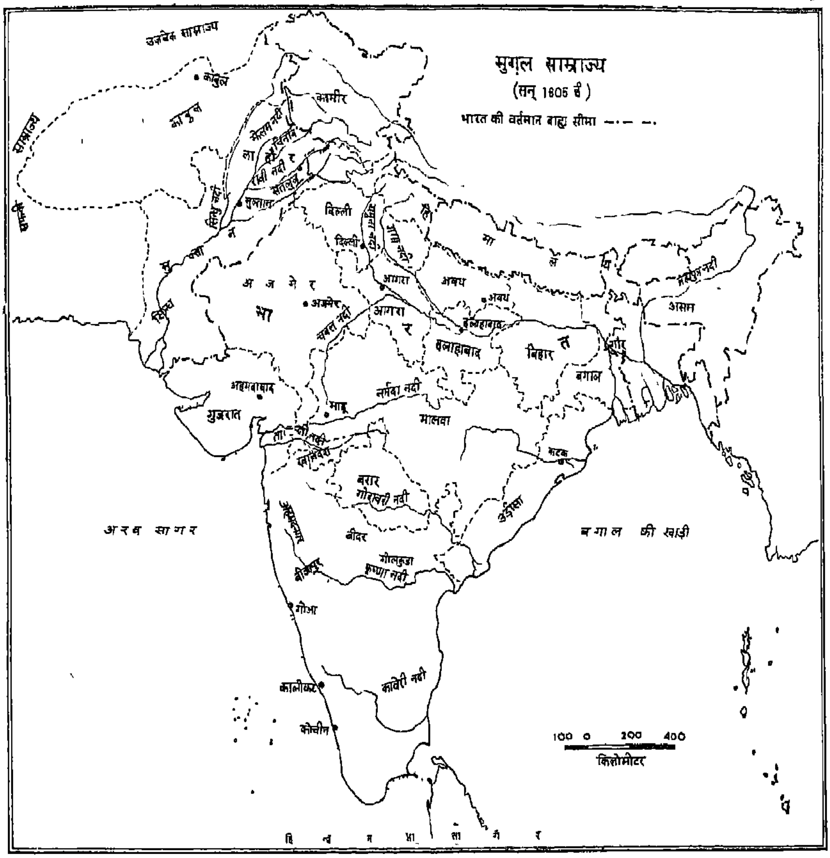
अध्याय 8

वैभव विलास का युग

अकबर का शासन-काल मुगल वंश के लिए बड़ा महत्त्वपूर्ण था क्योंकि उसने बड़ी योग्यता से अपने साम्राज्य का संगठन किया और बड़े कौशल से उसको व्यवस्थित किया। इससे उसके उत्तराधिकारी जहाँगीर और बाद के दो शासकों शाहजहाँ और औरंगजेब को अपना शासन आरंभ करने में अच्छी सुविधाएँ मिलीं। इन तीनों बादशाहों के शासन-काल में साम्राज्य के क्षेत्र का विस्तार बढ़ा और उसके लगान में भी वृद्धि हुई। दरबार का ज़ीवन बड़ा विलासितापूर्ण रहा। नए फैशन का आरंभ दरबार से ही होता था। केवल धनवान व्यक्ति ही समाज के नेता नहीं थे बल्कि विभिन्न बौद्धिक और सामाजिक रुचि वाले लोग भी थे। भारत में सत्रहवीं शताब्दी वास्तव में वैभव-विलास का युग था।

जहाँगीर

जैसा कि प्रायः सभी राज परिवारों के शाहजादों के साथ होता था जहाँगीर को भी युवावस्था में अवध और बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया



भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित।

समुद्र में भारत का जल प्रदेश उपयुक्त आधार रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है।

जिससे कि उसको प्रशासन का कुछ अनुभव प्राप्त हो। सन् **1605** ई० में अकबर की मृत्यु के बाद जहाँगीर बादशाह हुआ। जहाँगीर अपने व्यक्तित्व में अपने पिता से बिल्कुल भिन्न था। अकबर की भाँति वह भी धार्मिक और सामाजिक सुधारों में रुचि

रखता था पर अपने पिता की भाँति उसने धार्मिक समस्याओं का गंभीरता से अध्ययन नहीं किया। उसके पास अपने पिता के समान कुशाग्र बुद्धि भी न थी। किन्तु वह साहित्य में रुचि रखता था और उसका अध्ययन अच्छा था। उसने अपने संस्मरण 'तुजुके जहाँगीरी' में लिखे जिसमें उसकी सुंदर फारसी की शैली देखी जा सकती है। इन संस्मरणों में हमको जहाँगीर का व्यक्तित्व भी देखने को मिलता है और उसके शासन-काल की अनेक सूचनाएँ भी। उसको चित्रकला का अच्छा ज्ञान था और उसको अपने दरबार के श्रेष्ठ चित्रकारों पर गर्व भी था।

सन् **1611** में जहाँगीर ने नूरजहाँ से विवाह किया। वह एक सुंदर और बुद्धिमान स्त्री थी। उसने राज दरबार के लिए केवल फैशन और आचार-विचार ही नहीं निर्धारित किए बल्कि वह राज्य प्रशासन में भी रुचि रखती थी। जहाँगीर बहुत समय तक बीमार रहा। इस बीच में उसने ही उसके कार्य को सँभाला और साम्राज्य का प्रबंध चलाया। प्रत्येक महत्त्वपूर्ण कार्य में जहाँगीर उसकी राय लिया करता था। अंत में वह इतनी शक्तिशाली हो गई कि राज्य के सिक्कों में जहाँगीर के नाम के साथ उसका नाम भी लिखा जाने लगा।

बाद के मुगल शासकों के शासन-काल की तुलना में जहाँगीर का शासन-काल सामान्यतः शांतिपूर्ण था। इस काल में अधिक युद्ध नहीं हुए। जहाँगीर ने बंगाल पर मुगलों के अधिकार को शक्तिशाली बनाया। अकबर का मेवाड़ के महाराणा से आरंभ में जो संघर्ष हुआ था उसको समाप्त कर दिया गया। जहाँगीर ने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने की अपने पिता की नीति जारी रखी। उसने स्वयं अपना विवाह जोधाबाई और मानबाई जैसी राजपूत राजकुमारियों के साथ किया। उसने पंजाब की पहाड़ियों पर एक सेना भेजी और काँगड़ा को जीत लिया। अहमदनगर राज्य के साथ संघर्ष परेशानी का कारण बना हुआ था। इस संघर्ष को समाप्त कर दिया गया। भारत के विभिन्न भागों पर किए गए इन आक्रमणों का परिणाम यह हुआ कि बहुत-से छोटे अफगान सरदारों को, जो मुगल शासन

की अधीनता नहीं स्वीकार करते थे, ऐसा करने के लिए विवश कर दिया गया। इस प्रकार उसने साम्राज्य को शक्तिशाली बनाया।

पर जहाँगीर की कठिनाइयों का अंत नही हुआ। अफगानिस्तान में कंधार के प्रांत को फारस के बादशाह ने जीत लिया। इससे साम्राज्य की गंभीर हानि हुई क्योंकि भारत के पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार में कंधार नगर का बहुत बड़ा महत्त्व था। इसके अतिरिक्त जब तक कंधार मुगलों के अधिकार में था, वे पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया से अपनी रक्षा अधिक अच्छी तरह कर सकते थे। जहाँगीर के सामने उसके पुत्र शाहजहाँ ने भी कठिनाई उत्पन्न की। उसने जहाँगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। शाहजहाँ को इस बात की चिन्ता हुई कि कहीं उसके भाइयों में से कोई दूसरा जहाँगीर का उत्तराधिकारी न बना दिया जाए। इसलिए उसने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह करके यह सिद्ध करने का निश्चय किया कि वह सबसे अधिक शक्तिशाली है। जहाँगीर को अपने पुत्र पर नियंत्रण रखने में बड़ी कठिनाई हुई। फिर कुछ कठिनाइयाँ पुर्तगालियों के द्वारा भी उपस्थित की गई। भारत के व्यापार से बड़ा लाभ प्राप्त करके भी पुर्तगाली संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने समुद्री डकैती आरंभ की और वे भारतीय जहाजों पर आक्रमण करने लगे। उन्होंने मुगल राज्य के एक जहाज पर आक्रमण कर दिया। इससे जहाँगीर इतना अधिक नाराज हुआ कि जब तक पुर्तगालियों ने अपनी भूल को स्वीकार नहीं किया तब तक उसने मुगल राज्य के व्यापारियों के साथ उन्हें व्यापार करने की आज्ञा नहीं दी।



जहाँगीर

इस समय तक अंग्रेजों ने भी भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया। पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को इस क्षेत्र से दूर रखने का भरसक प्रयत्न किया क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना रखते थे। जहाँगीर के शासन-काल में ही इंग्लैंड के बादशाह ने सर टॉमस रो को आगरे के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा। सर टॉमस ने जहाँगीर के साथ एक व्यापारिक संधि करने का प्रयत्न किया पर जहाँगीर इसके लिए राजी न हुआ। सर टॉमस तीन वर्ष तक आगरे में रहा। उसने मुगल दरबार के जीवन का बहुत सजीव वर्णन किया है।



सर टॉमस रो

जहाँगीर को उसकी न्याय की जंजीर के लिए अब भी स्मरण किया जाता है। वह चाहता था कि उसके अधिकारी प्रजा के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करें। उसने सोने की एक लंबी जंजीर बनवाई जिसमें घंटियाँ बँधी हुई थीं और उसको राजमहल की दीवार से लटका दिया गया। उसने यह घोषणा की कि यदि किसी के साथ सरकार ने अन्यायपूर्ण व्यवहार किया हो तो वह इस जंजीर को खींचकर सरकारी अधिकारी के विरुद्ध अपनी फरियाद सुना सकता है। यह विचार तो बहुत सुंदर था पर प्रश्न तो यह है कि कितने व्यक्तियों ने इस जंजीर को खींचकर किसी राज्याधिकारी के विरुद्ध शिकायत करने का साहस किया होगा।

शाहजहाँ

जब कभी शाहजहाँ के नाम का उल्लेख किया जाता है तब लोगों का ध्यान दो बातों की ओर जाता है। एक ताजमहल और दूसरा तख्ते ताऊस। ताजमहल

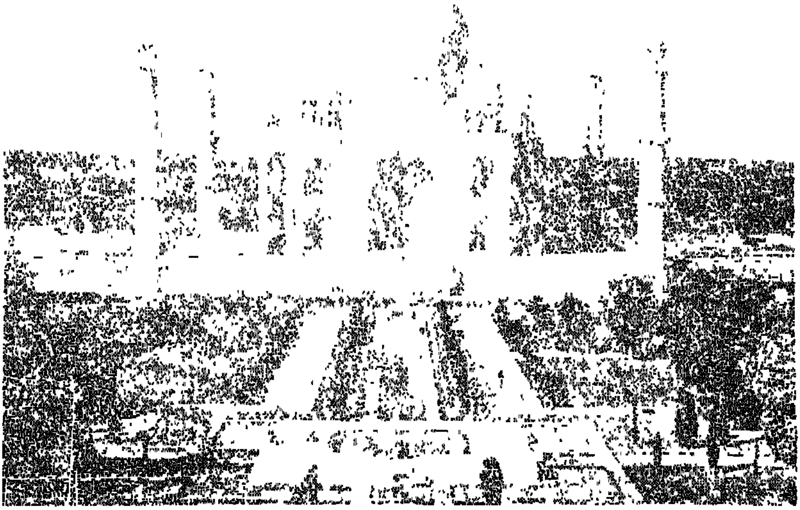
शाहजहाँ की पत्नी मुमताज की कबर के ऊपर बना हुआ संसार प्रसिद्ध मकबरा है। तख्ते ताऊस रत्नों से जड़ा हुआ सोने का सिंहासन था जिस पर शाहजहाँ बैठता था। वह बाद में लूटकर ईरान ले जाया गया। किन्तु शाहजहाँ के शासन-काल में कुछ अन्य घटनाएँ हुईं जिनका मुगल साम्राज्य के इतिहास में अधिक महत्त्व है।

अपने पिता की मृत्यु के बाद सन् **1628** में शाहजहाँ गद्दी पर बैठा। सबसे पहले उसको बुंदेलखंड और दक्षिण के विद्रोहो का सामना करना पड़ा। बुदेलखंड के विद्रोह को तो उसने आसानी से दबा दिया किन्तु दक्षिण के विद्रोह को दबाना आसान नही था। दक्षिण मुगलों के लिए कठिनाइयों का क्षेत्र बन गया। मुगलों ने अंत में अहमदनगर के राज्य को जीत लिया और गोलकुंडा तथा बीजापुर के राज्यों ने मुगलों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया और उसके साथ शांति बनाए रखने की संधि कर ली। शाहजहाँ ने अपने पुत्र शाहजादा औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार बनाया। औरंगजेब ने गोलकुंडा और बीजापुर के राज्यों को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिलाने का बड़ा प्रयत्न किया पर उसको सफलता न मिली। मुगलों की शक्ति का विरोध करने वाला दूसरा दल मराठों का था। हम उनके संबंध में बाद में अधिक विस्तार से विचार करेंगे।



शाहजहाँ

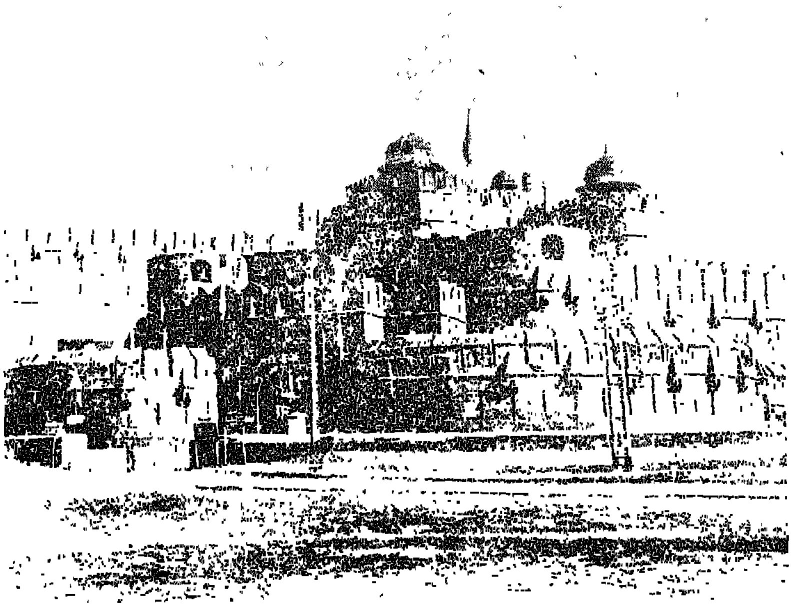
दक्षिण की समस्याओं को हल कर लेने के बाद शाहजहाँ का ध्यान उत्तर-पश्चिम की ओर आकर्षित हुआ। उसने उत्तरी-पश्चिमी सीमा को सुरक्षित करने के लिए मध्य एशिया के बल्ख और बदख्शाँ को अपनी सेनाएँ भेजी। शाहजहाँ ने ईरान के बादशाह से कंधार को पुनः जीत लिया था पर वह फिर उसके हाथ से निकल



ताजमहल

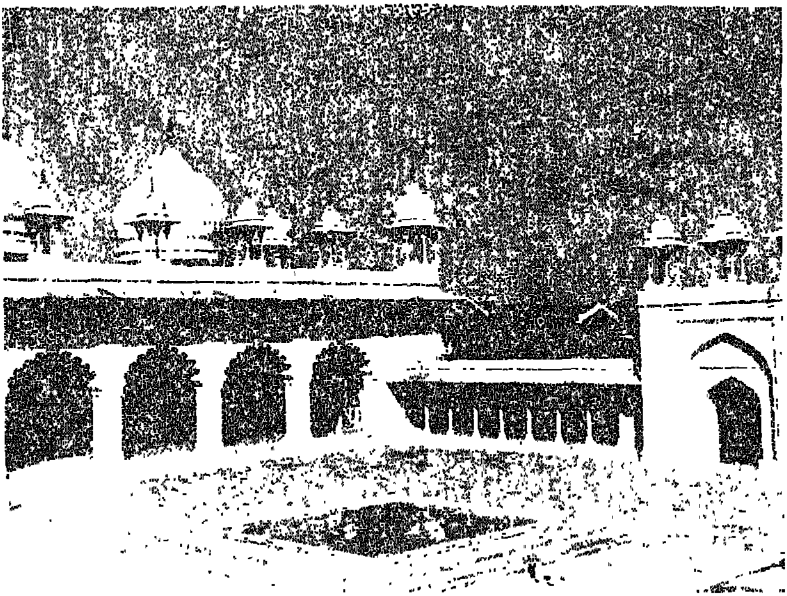
गया। उसने फिर तीन बार उस नगर पर अधिकार करने का प्रयत्न किया पर प्रत्येक बार वह असफल रहा। अंत में उसने प्रयत्न करना छोड़ दिया।

हुगली पुर्तगालियों का उपनिवेश था। शाहजहाँ का वहाँ के पुर्तगालियों से भी संघर्ष हुआ। पुर्तगाली इस स्थान को आधार बनाकर बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती करते थे। मुगल सेनाओं ने उनको हुगली से बाहर निकाल दिया। फिर वे सेनाएँ उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ीं और उन्होंने असम में कामरूप पर अधिकार कर लिया।



आगरे का किला

इस बीच में शाहजहाँ ने शाहजहानाबाद नामक नगर बसाकर उसको अपनी राजधानी बनाया। आज यह दिल्ली का एक भाग है। शाहजहाँ बीमार पड़ा और उसके चारों पुत्र सिंहासन प्राप्त करने के लिए परस्पर युद्ध करने लगे। इस युद्ध में औरंगजेब की विजय हुई। उसने अपने पिता को आगरे के किले में कैद कर दिया। इस किले से शाहजहाँ ताजमहल को देख सकता था और अपनी पत्नी मुमताजमहल को याद कर सकता था। जब 1666 ई० में उसकी मृत्यु हो गई तब उसको भी ताजमहल में उसकी पत्नी के बगल में दफना दिया गया।



मोती मस्जिद

औरंगजेब

औरंगजेब ने अपने सभी भाइयों को सफलता के साथ पराजित किया और सन **1658** ई० में सिंहासन पर अधिकार कर लिया। उसने लगभग **50** वर्ष तक शासन किया। उसका शासन-काल कठिनाइयों से पूर्ण था। औरंगजेब के शासन-काल में मुगल साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार था। वह लगभग संपूर्ण भारत पर शासन करता था। पर उसके समय में शासन-प्रणाली में अनेक परिवर्तन हो गए थे। अकबर के समय की शासन-प्रणाली अब नहीं रह गई थी। उसके साम्राज्य के अनेक भागों में लोगों ने विद्रोह किया इस कारण औरंगजेब की कठिनाइयाँ बढ़ गईं। इन विद्रोहों को दबाने में उसका बहुत-सा समय लग गया।

जैसा कि हम देख चुके हैं कि दक्षिण के बीजापुर और गोलकुंडा के राज्य वास्तव में कभी भी पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य के अंतर्गत नहीं रहे। औरंगजेब के शासन-काल तक ये राज्य शक्तिहीन हो गए। इस बीच मराठे शक्तिशाली होते जा रहे थे। अतः औरंगजेब को मराठों से गोलकुंडा और बीजापुर की रक्षा करने के लिए अपनी सेनाएँ दक्षिण भेजनी पड़ीं। मराठे दक्षिण में अपनी शक्ति का विस्तार कर रहे थे। अतः वहाँ की समस्याएँ बहुत बढ़ गई थीं।



औरंगजेब

मराठे

मराठे दक्षिण के राज्यों की अधीनता में रहने वाले छोटे सरदार थे। इनमें से अनेक दक्षिण के राज्यों के और मुगल साम्राज्य के भी अधिकारी थे। जब उन्होंने देखा कि मुगलों के उन राज्यों पर आक्रमण होने लगे तब उन्होंने उन राज्यों का साथ देना छोड़ दिया। कुछ सैनिक एकत्र करके वे दक्षिण के राज्यों के विरुद्ध विद्रोह करने लगे। पूना और कोंकण के आस-पास का क्षेत्र पहाड़ी प्रदेश है। इसी क्षेत्र में मराठे शक्तिशाली थे। यदि उनके विरुद्ध कोई सेना भेजी जाती तो वे पहाड़ियों में छिप जाते थे। इसी कारण वे आसानी से राज्यों का विरोध कर सके। छापामार गुरिल्ला-युद्ध-प्रणाली को अपनाकर वे मुगल सेनाओं को भी परेशान करने में सफल होते रहे। धीरे-धीरे वे इतने शक्तिशाली बन गए कि स्थानीय राज्यों का ही नहीं मुगल साम्राज्य का भी विरोध करने लगे।

शिवाजी सबसे अधिक शक्तिशाली मराठा सरदार था। उसका पिता बीजापुर के शासक के अधीन था और उसकी सेना का अधिकारी था। परंतु शिवाजी महत्त्वाकांक्षी था। बीजापुर को शक्तिहीन होता देखकर उसने अपने को स्वतंत्र

बनाने का प्रयत्न किया। बीजापुर के शासक ने अपने सेनापति अफजल खाँ को उसके विरुद्ध युद्ध करने को भेजा। किन्तु शिवाजी ने उसका वध कर दिया। तब औरंगजेब ने अपने अधिकारी जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा। जयसिंह को मराठों की शक्ति का अनुमान था। इसलिए वह इसके लिए बड़ा उत्सुक था कि मराठों और मुगलों में संधि हो जाए। जयसिंह ने समझा-बुझाकर शिवाजी को राजी कर लिया कि वह उसके साथ औरंगजेब के दरबार में जाए। पर शिवाजी के स्वतंत्र व्यवहार से औरंगजेब असंतुष्ट हो गया और उसने शिवाजी को कैद कर लिया। शिवाजी चालाकी से कैद से बाहर निकल आया। अब उसने मुगलों को परेशान करके अपमानित करने का निश्चय कर लिया। उसने अपने को मराठा राज्य का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और सन् **1674** ई० में वह राजसिंहासन पर बैठा। सन् **1680** ई० में अपनी मृत्यु के पूर्व के छः वर्षों में वह शक्तिशाली मराठा राज्य स्थापित करने में सफल हुआ।



शिवाजी

शिवाजी यह सफलता दो कारणों से प्राप्त कर सका। पहले तो दक्षिण पर मुगलों का नियंत्रण बड़ा कमजोर हो गया था। मुगल शासन न विद्रोहों का दमन कर सकता था और न सरदारों को स्वतंत्र होने से रोक सकता था। दूसरे मराठों ने लगान-वसूली की एक ऐसी प्रणाली अपनाई जिससे लगान के रूप में उनको बहुत-सा धन प्राप्त होता था और वे अच्छी सेनाएँ रख सकते थे।

मराठा राज्य का शासन राजा के हाथ में था। राजा को सहायता और मंत्रणा देने के लिए आठ मंत्रियों की एक समिति थी जो 'अष्टप्रधान' कहलाती थी।

राज्य की आय का मुख्य साधन भूमि-कर था। राज्य को उपज का 2/5 भाग लेने का अधिकार था पर हम नहीं कह सकते कि वास्तव में किसानों से कितना वसूल किया जाता था। इस नियम से लगान उन किसानों से वसूल किया जाता था जो मराठा राज्य में रहते थे। जो मराठा राज्य के बाहर मुगल साम्राज्य या दक्षिण के राज्यों में रहते थे उनसे मराठा सरकार दो प्रकार के कर वसूल करती थी। एक कर 'चौथ' कहलाता था। यह उस कर का चौथाई भाग था जो किसान दक्षिण के राज्यों को या मुगल साम्राज्य को देते थे। यह एक अतिरिक्त कर था जिसको वसूल करके मराठे यह विश्वास दिला देते थे कि वे उस क्षेत्र में अब लूटमार नहीं करेंगे और न आक्रमण ही करेंगे। दूसरा कर 'सरदेशमुखी' था जो उपयुक्त कर के अतिरिक्त दसवाँ भाग होता था। इस प्रकार जो किसान मराठा राज्य के बाहर रहता था उसको ये अतिरिक्त कर भी अदा करने पड़ते थे। इस सारे धन का प्रयोग मराठा राज्य का निर्माण करने में किया जाता था। इससे भी दक्षिण में मुगल शासन की कमजोरी का पता चल जाता है।

शिवाजी के उत्तराधिकारी अयोग्य शासक थे। केवल रानी तारा बाई जो अपने छोटे पुत्र की संरक्षक थी योग्य थी। शासकों की अयोग्यता के कारण धीरे-धीरे शासन का अधिकार पेशवाओं के हाथ में चला गया। पेशवा राज्य के ब्राह्मण मंत्री थे। आगे चलकर वे बहुत शक्तिशाली बन गए। जब तक औरंगजेब शासन करता रहा मुगलों ने किसी प्रकार मराठों के ऊपर अपना कुछ अधिकार बनाए रक्खा। पर औरंगजेब की मृत्यु के बाद शीघ्र ही मराठों ने बड़ी उन्नति कर ली और उनका राज्य भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया।

मुगल साम्राज्य में होने वाले अन्य विद्रोह

औरंगजेब के शासन-काल में मुगल साम्राज्य में अनेक विद्रोह हुए। ये सभी शासकों और सरदारों के ही विद्रोह नहीं थे। कुछ विद्रोहों के पीछे किसानों का भी हाथ था। मथुरा जिले के जाटों ने विद्रोह किया। किसानों को यह शिकायत थी कि

उनका लगान अकबर के शासन-काल में उपज का केवल एक तिहाई था। उसको अब धीरे-धीरे बढ़ाकर उपज का लगभग आधा कर दिया गया है। लगान का यह बोझ उनके वहन करने की शक्ति के बाहर था। फिर भी औरंगजेब इस लगान को कम न कर सका क्योंकि अपनी सेनाओं के लिए उसको अधिक धन की आवश्यकता थी।

मुगल सेनाएँ अब पूर्ण रूप से दक्षिण में व्यस्त हो गई थीं। बीजापुर और गोलकुंडा के घेरे वर्षों तक चलते रहे। अंत में ये दोनों राज्य सन् 1686 और 1687 ई० में मुगल साम्राज्य में मिला लिए गए। किन्तु इसी बीच में औरंगजेब का राजपूतों के साथ भी संघर्ष आरंभ हो गया। राजस्थान के दो प्रमुख राज्यों मेवाड़ और मारवाड़ के शासक औरंगजेब के विरोधी हो गए।

मुगलों का सिक्खों के साथ युद्ध आरंभ हो जाने से परिस्थिति और भी अधिक बिगड़ गई। यह संघर्ष मुगलों के लिए बड़ा हानिकारक रहा क्योंकि पंजाब एक धनी प्रदेश था और उससे मुगलों को बहुत अधिक लगान प्राप्त होता था। लगान की यह समस्या धर्म की समस्याओं से भी उलझ गई।

सिक्ख

गुरु नानक द्वारा स्थापित किए गए नए धर्म के अनुयायी सिक्ख थे। सत्रहवीं शताब्दी तक सिक्ख धर्म पंजाब के अनेक क्षेत्रों के किसानों और कारीगरों का धर्म बन गया।

गुरु नानक के पश्चात् इस धर्म में एक के बाद एक नौ गुरु हुए। आरंभिक गुरुओं का ध्यान केवल धार्मिक पहलू पर ही केंद्रित रहा। किन्तु धीरे-धीरे सिक्खों के गुरु उनके सैनिक नेता भी बनने लगे। सातवें गुरु की मृत्यु के पश्चात् औरंगजेब ने गुरुओं के उत्तराधिकार के झगड़े से फायदा उठाने का प्रयत्न किया। इस बीच सिक्खों की शक्ति लगातार बढ़ रही थी। इस बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए मुगल प्रशासन ने 1675 में गुरु तेगबहादुर को फांसी का हुक्म दिया। इससे स्वभावत: सिक्ख उससे बहुत नाराज हो गए। दसवें गुरु गोविन्दसिंह ने सिक्खों का



गुरु गोविन्दसिंह

सैनिकों के रूप में संगठन आरंभ किया और उनको मुगल सेनाओं के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार किया। अब सिक्खों के लिए 'खालसा' शब्द का प्रयोग होने लगा जिसका अर्थ है 'शुद्ध'। गुरु गोविन्दसिंह के नेतृत्व में अब उनके सैनिक दल बन गए। गोविन्दसिंह की सेना में अफगानिस्तान के सैनिक भी भरती किए जाने लगे। मराठों के समान सिक्खों ने भी अनेक स्थानों पर आक्रमण किए। किन्तु औरंगजेब के शासन-काल में मराठों की भाँति सिक्ख अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना नहीं कर सके। इस कार्य में सिक्खों को अठारहवीं शताब्दी में सफलता मिली।

इस प्रकार धार्मिक आंदोलन के रूप में जो कुछ आरंभ हुआ था उसने राजनैतिक रूप भी ग्रहण कर लिया। मुगल साम्राज्य अब इतना शक्तिशाली नहीं रह गया था कि वह सिक्खों के विद्रोह का दमन कर सके। अठारहवीं शताब्दी में मुगल और अधिक कमजोर हो गए और उनके साम्राज्य की छीना-झपटी आरंभ हो गई। सिक्ख सरदारों ने भी इस अवसर से लाभ उठाया और वे छोटे-छोटे राज्यों के शासक बन गए।

पुर्तगालियों और अंग्रेजों ने भी औरंगजेब के लिए समस्याएँ उत्पन्न कीं। पुर्तगाली समुद्री डाकुओं ने बंगाल की खाड़ी में जहाजों के लूटने का कार्य फिर आरंभ कर दिया था। इस बार उन्होंने चटगाँव को अपना केन्द्र बनाया। उनके विरुद्ध युद्ध करने के लिए औरंगजेब ने अपनी सेना भेजी। इस सेना को पूर्ण सफलता मिली क्योंकि उसने केवल चटगाँव पर ही अधिकार नहीं किया बल्कि बंगाल के पूर्वी भाग

को भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया। पश्चिमी समुद्र तट पर इस समय अंग्रेज समुद्री डाकू उपद्रव कर रहे थे। वे भारतीय जहाजों को लूट लेते थे। मुगल सरकार उनसे बहुत नाराज हो गई। सूरत में अंग्रेजों का एक कारखाना था। वहीं से अंग्रेज लोग भारत से व्यापार करते थे। इसलिए मुगल सरकार ने उनको धमकी दी कि जब तक वे समुद्री डाकेजनी का कार्य बंद नहीं करते और जुर्माने के डेढ़ लाख रुपए जमा नहीं करते तब तक उनको भारत के साथ व्यापार नहीं करने दिया जाएगा। इससे अंग्रेज भयभीत हो गए। उन्होंने जुर्माने का रुपया अदा कर दिया और समुद्री डाकुओं को पश्चिमी समुद्र तट पर आक्रमण करने से रोक दिया।

औरंगजेब के शासन-काल के अंतिम दिनों में मुगल साम्राज्य उतना शक्तिशाली नहीं रह गया था जितना वह अकबर के शासन-काल में था। वास्तव में उस समय साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया था। पर साम्राज्य किस ओर जा रहा है इसका औरंगजेब को कुछ भी ज्ञान न था। औरंगजेब कुछ परंपरावादी मुसलमानों के प्रभाव में आ गया और उसने इस्लाम धर्म के नियमों के अनुसार शासन करने का निश्चय किया; इससे परिस्थिति कुछ और बिगड़ गई। उसकी यह नीति उसके पूर्वजों की शासन-नीति से भिन्न थी। पूर्वजों की धार्मिक नीति उदारता और सहिष्णुता की नीति थी। भारत जैसे देश में, जिसमें अनेक प्रकार के अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, इस प्रकार की धार्मिक कट्टरता की नीति बरतना बड़ी भारी भूल थी। अकबर ने जितनी अच्छी तरह भारत की समस्याओं को समझा था, औरंगजेब उनको उतनी अच्छी तरह नहीं समझ सका।

मुगल दरबार में धर्म

सत्रहवीं शताब्दी में मुगल दरबार धार्मिक दृष्टि से दो दलों में विभाजित था। कुछ लोग कट्टर परंपरावादी थे और कुछ का दृष्टिकोण उदार था। भारत के बहुत-से मुसलमान अब भी उन प्राचीन परंपराओं का अनुसरण कर रहे थे जिनको वे इस्लाम धर्म स्वीकार करने के पूर्व अपनाए हुए थे। उनमें से अनेक पर उदार विचार-धारा का प्रभाव पड़ा। अनेक उदार मुसलमान जो अकबर के ही समान विचार वाले थे

अकबर के द्वारा चलाई गई धार्मिक परंपराओं को अपनाए हुए थे। उदार व्यक्तियों में नवयुवक शाहजादा दाराशिकोह सबसे अधिक लोकप्रिय था। वह बड़ा ही प्रतिभाशाली और विद्वान व्यक्ति था। उन्नीस वर्ष की अवस्था से ही वह धर्म और दर्शन के गंभीर विषयों पर लिखने लगा था। सूफी और वेदांत दर्शन पर उसकी सबसे प्रसिद्ध रचना वह है जिसमे उसने दोनों दर्शनों की समानता दिखलाई है। सन् 1657 ई० में दाराशिकोह ने उपनिषदों का भी फारसी में अनुवाद किया। सन् 1801 ई० में इस अनुवाद का फिर लैटिन भाषा में अनुवाद किया गया और इस प्रकार यूरोप के दार्शनिकों ने भारतीय दर्शन का प्रथम बार अध्ययन किया। दुर्भाग्य से दाराशिकोह उत्तराधिकार के लिए अपने भाई औरंगजेब के साथ होने वाले संघर्ष में मारा गया।

परंपरावादी मुसलमानों का नेता शेख अहमद सरहिन्दी था। वह अकबर और जहाँगीर के शासन-काल में रहा। वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति और प्रभावशाली धर्मोपदेशक था। इस कारण उसके जीवन-काल में और उसकी मृत्यु के पश्चात् उसकी शिक्षाओं का दरबार के लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ा। उसने एक धार्मिक केन्द्र की स्थापना की जहाँ उसके अनुयायियों और शिष्यों ने उसके कार्य को आगे बढ़ाया।

औरंगजेब एक परंपरावादी मुसलमान बन गया था और वह अपने धार्मिक सिद्धांतों के प्रति पूर्ण निष्ठावान था। वह दरबार के विलासितापूर्ण जीवन से विरक्त हो गया था और धार्मिक विश्वासों पर आधारित सादा जीवन व्यतीत करना चाहता था। जब उसने उन पर जो मुसलमान नहीं थे फिर से जजिया कर लगा दिया और मंदिरों को नष्ट करने लगा तब उसने अपनी लोकप्रियता खो दी। वह यह नहीं समझ सका कि बादशाह का काम बुद्धिमत्ता से शासन करना है और प्रशासन में धार्मिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।

लगान

जहाँगीर के शासन-काल से सत्रहवीं शताब्दी में लोगों की प्रवृत्ति शान-शौकत से रहने की हो गई थी। जहाँ तक संभव था लोग ऐश्वर्य-वैभव के बीच में रहना

पसंद करते थे। सरदार और उच्च अधिकारी राजमहलों में रहते थे, कीमती वस्त्र पहनते थे, रत्नाभूषण धारण करते थे और गायन-वादन से अपना मनोरंजन करते थे। मुगल दरबार वैभव-विलास का प्रतीक बन गया था। जब बादशाह शिकार खेलने जाता था तब उसके शिकार की व्यवस्था में बड़ा धन व्यय होता था। राज्य की आमदनी खूब होती थी इसलिए विलासिता का यह जीवन व्यतीत करना संभव हो सका था। किसान और शिल्पकार कठिन परिश्रम करते थे इससे साम्राज्य की आमदनी बढ़ी हुई थी।

किसानों के जीवन में किसी प्रकार का आराम नहीं था। वे जैसे कि शताब्दियों से करते आए है अपने खेतों पर प्रातःकाल से रात तक कठोर परिश्रम करते थे। उनका प्रमुख उद्देश्य अच्छी फसल उत्पन्न करना था जिससे वे आसानी से अपना लगान अदा कर सकें। सत्रहवीं शताब्दी में लगान उपज की एक तिहाई से बढ़कर लगभग आधा हो गया था। इससे किसानों का जीवन बड़ी कठिनाई का बन गया था। करों से प्राप्त यह अतिरिक्त आमदनी शीघ्र ही निगल ली जाती थी। अफसरों को उनका वेतन देना पड़ता था। साम्राज्य का विस्तार बहुत बढ़ गया था इसलिए प्रशासन को चलाने के लिए अधिक अधिकारियों की आवश्यकता थी। सेनाएँ भी रखी जाती थी। इनके अतिरिक्त मुगल दरबार की शान-शौकत और विलासिता के लिए भी अधिक धन की आवश्यकता थी।

शिल्पकारों को भी कठिन परिश्रम करना पड़ता था क्योंकि व्यापार से भी साम्राज्य को कुछ आमदनी होती थी। अब फारस, चीन, पूर्वी अफ्रीका, रूस और पश्चिमी यूरोप से भारत का व्यापार होता था। जैसा कि हमने देखा है पुर्तगाल और इंग्लैंड आदि यूरोपीय देशों से जहाज आते थे और भारत से सामान ले जाते थे। मुगल इस विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन देते थे क्योंकि इससे उनको बड़ा लाभ होता था। भारत के व्यापारी ऊँचे दामों पर अपना सामान बेचते थे। इस आमदनी से भारत संपन्न देश बन रहा था। व्यापार विशेष रूप से हिन्दू व्यापारियों के हाथ में था। व्यापार की उन्नति से नगरों के शिल्पकारों को अधिक कार्य करने को मिलता

था। नगर भी उन्नति कर रहे थे। इस काल के बहुत-से यात्रियों ने लाहौर, दिल्ली, आगरा, बनारस, सूरत और मछलीपट्टम आदि नगरों की संपन्नता का विस्तृत वर्णन किया है। यूरोप के व्यापारियों की भारतीय वस्त्र-उद्योग में विशेष रुचि थी और वे बंगाल से ढाके की मलमल, बनारस के रेशमी वस्त्र, पश्चिमी समुद्र तट से सूरत और अहमदाबाद तथा मदुरई के सूती वस्त्र ले जाते थे। विदेशी व्यापारियों के मन में मलाबार की काली मिर्च की बहुत अधिक लालसा रहती थी।

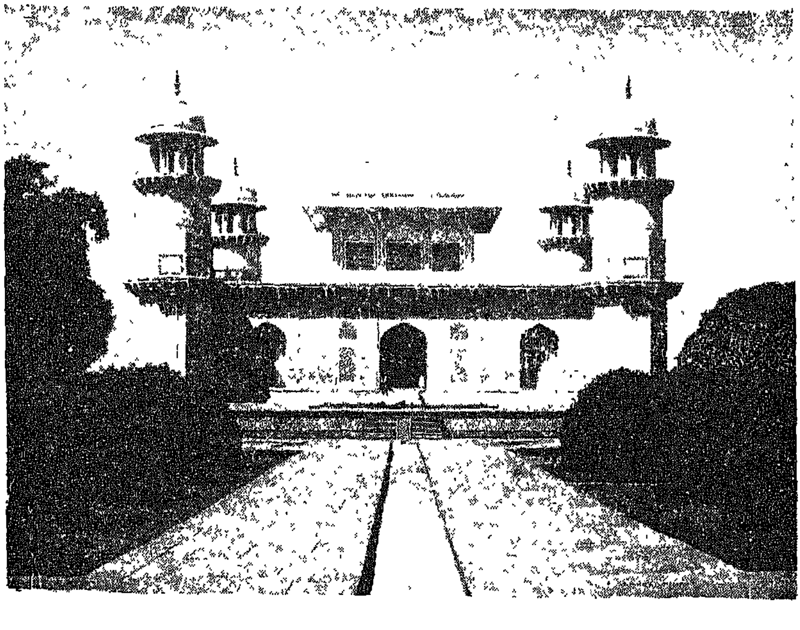
भारतीय व्यापार में अंग्रेजों की रुचि अधिकाधिक बढ़ती जा रही थी। अंग्रेज व्यापारियों ने अपनी एक व्यापार-कंपनी बना ली थी। यह ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाती थी। उन्होंने अपनी पहली कोठी (फैक्टरी) सूरत में स्थापित की और फिर धीरे-धीरे समुद्र तट के क्षेत्रों में फैलते गए। बंगाल में उनको अपनी इच्छा के अनुसार सभी स्थानों में व्यापार करने का अधिकार मिल गया था। इसके बदले में अंग्रेज स्थानीय सूबेदार को कुछ धन दे देते थे। कंपनी के द्वारा प्राप्त किए गए लाभ की तुलना में इस धन का कुछ भी महत्त्व नहीं था।

वास्तुकला एवं अन्य कलाएँ

मुगल साम्राज्य की आमदनी बढ़ गई तो केवल दरबार का जीवन ही अधिक विलासितापूर्ण नहीं हुआ बल्कि शासकों की बनवाई गई इमारतें भी अधिक सुंदर होने लगीं और उनको अधिक मूल्यवान वस्तुओं से सजाया जाने लगा। अकबर के समय में बहुत-सी इमारतें लाल पत्थर की बनाई गई थीं। अब इमारतों को राजस्थान से लाए गए अधिक मूल्यवान संगमरमर पत्थर से बनाया जाने लगा। इन इमारतों में दिल्ली, आगरा व लाहौर के किलों की मस्जिदें और राजमहल तथा आगरा के एतमादुद्दौला और ताजमहल जैसे मकबरे आते हैं।

शाहजहाँ ने बड़ी सुंदर इमारतें बनवाईं। उसके शासन-काल का विशेष रूप से इनके लिए ही स्मरण किया जाता है। दो कारणों से ये इमारतें बड़ी सुंदर हैं। एक तो उनमें भारतीय और विदेशी वास्तुकला के विभिन्न तत्त्वों का समन्वय किया गया है। इनमें अनेक आकार के गुंबद, सजी हुई मेहराबें, ऊँची मीनारें, झरोखे,

चौड़े झुके हुए छज्जे, छोटे दर्शक-मंडप और सजावट के अन्य उपकरण आते हैं जो भारतीय वास्तुकला में सामान्यत. पाए जाते हैं। दूसरे इन इमारतों के विभिन्न अंगों के अनुपात में बड़ा संतुलन रक्खा गया है। इन्हीं दोनों कारणों से ताजमहल सारे संसार में अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध हो गया है।



आगरे में एतमादुद्दौला का मकबरा

औरंगजेब के शासन-काल तक साम्राज्य की अवनति आरंभ हो गई थी और अब मुगलों की वास्तुकला उतनी प्रभावशाली नहीं रह गई थी जैसी कि वह पहले थी। इस काल की इमारतें प्रायः पहले की बनी इमारतों की नकल होती थीं। जब

लोग पुरानी वस्तुओं की नकल करने लगते हैं तब इसका अर्थ होता है कि उनके पास अपने मौलिक विचार और कल्पनाएँ नहीं हैं।

मुगल बादशाहों में जहाँगीर को चित्रकला का सबसे अधिक शौक था। वह केवल चित्र-रचना की शैली देखकर कलाकार को पहचान लेता था। बिशनदास, मुराद, मंसूर और बहजाद जैसे उस काल के श्रेष्ठ कलाकारों को उसके दरबार में संरक्षण मिला। वह अपने चित्रकारों को चित्रकला की अन्य शैलियों में रुचि लेने के लिए प्रोत्साहित करता था। जब टॉमस रो ने यूरोप के कुछ चित्र उसे दिखाए तो उसे यूरोपीय कला शैली की विशेषताएँ समझने की उत्सुकता हुई। जब औरंगजेब बादशाह बना तब कलाओं के क्षेत्र में एक भारी परिवर्तन हुआ। उसने चित्रकला का विरोध किया और अपने दरबार में चित्रकारों को चित्र बनाने से रोक दिया। इसलिए प्रोत्साहन न मिलने से चित्रकार मुगल दरबार को छोड़कर प्रांतीय शासकों के यहाँ चले गए। प्रांतीय सूबेदारों ने उनको अपने दरबार में रख लिया। कुछ काँगड़ा, गुलेर और गढ़वाल जैसे पंजाब के छोटे पहाड़ी राज्यों में चले गए और कुछ राजस्थान के मेवाड़, बीकानेर, बूँदी, कोटा और किशनगढ़ आदि स्थानों में। चित्रकला की दूसरी शैली का विकास दक्षिण के बीजापुर राज्य के संरक्षण में हुआ। इन्हीं अनेक स्थानों में चित्रकला के प्रति विशेष रुचि उत्पन्न हुई और यहीं पर अठारहवी शताब्दी के सुदरतम चित्रों की रचना की गई।

संगीत

आरंभिक शासक अपने दरबार में श्रेष्ठ संगीतकारों को एकत्र करते थे और उनकी संख्या पर गर्व करते थे। संगीत की हिन्दुस्तानी या उत्तर भारतीय शैली मुगल दरबार में बड़ी लोकप्रिय रही। लेकिन औरंगजेब ने अपने दरबार में संगीत के प्रति अपनी अरुचि का प्रदर्शन किया। इससे संगीतकार बड़े निरुत्साहित हुए और बहुत-से मुगल दरबार को छोड़कर प्रांतीय शासकों और राज्यों के दरबारों में चले गए। कुछ मुगल दरबार में भी रह गए क्योंकि कुछ सरदारों ने उनको संरक्षण

प्रदान किया। खयाल और ठुमरी जैसी संगीत की नवीन शैलियाँ, जिनका विकास मुगल दरबार में हुआ था, नए केंद्रों में भी लोकप्रिय हो गई।

साहित्य

मुगल बादशाह शास्त्र और काव्य के प्रेमी थे और इन दोनों में उनकी वास्तविक रुचि थी। जैसा कि हमने देखा है राज परिवार में भी उच्च कोटि के विद्वान और लेखक हुए। भारतीय विद्वानों के वैज्ञानिक ज्ञान का विवेचन करने वाली एक पाठ्यपुस्तक औरंगजेब के आदेश से उसके पोते के लिए लिखी गई थी। राज दरबार की भाषा फारसी ही बनी रही पर गाँवों और कस्बों में लोग उर्दू और हिन्दी भाषा का प्रयोग करते थे। कबीर और तुलसी के साथ-साथ अन्य कवियों की रचनाएँ भी बड़ी लोकप्रिय हुई। सूरदास आगरे का एक नेत्र-विहीन कवि था जिसका लिखा हुआ 'सूरसागर' आज तक पढ़ा जाता है। रसखान एक मुसलमान सरदार था जिसकी कृष्ण के जीवन से संबंधित रचनाएँ 'प्रेम वाटिका' के नाम से प्रसिद्ध हैं। बिहारी की लिखी 'सतसई' भी बड़ी लोकप्रिय हुई। बहुत-से कवियों ने उर्दू भाषा में काव्य-रचना आरंभ की। अठारहवीं शताब्दी में दिल्ली और लखनऊ उर्दू काव्य के केंद्र बन गए।

सत्रहवीं शताब्दी भारत के लिए वैभव और ऐश्वर्य का युग थी। मुगल दरबार ने ऊँचे रहन-सहन के तौर-तरीकों और रीति-रिवाजों के उदाहरण प्रस्तुत किए। अठारहवीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य का पतन हो गया पर जिस सभ्यता और संस्कृति का इस काल में विकास हुआ वे बाद में भी चलती रहीं। मुगल साम्राज्य के छिन्न-भिन्न हो जाने पर जो छोटे-छोटे राज्य बने उनमें मुगलों के द्वारा स्थापित किए गए रीति-रिवाज और तौर-तरीके चलते रहे।

अभ्यास

1—पारिभाषिक शब्द जिनको तुम्हें जानना चाहिए :

1—अष्टप्रधान	आठ मंत्रियों की एक समिति जो शासन संबंधी कार्यों में मराठा राजा को सलाह देने का कार्य करती थी।

2—चौथ	मुगल राज्य को दिए जाने वाले कुल लगान का एक चौथाई भाग जिसको अतिरिक्त कर के रूप में मराठे उन लोगों से वसूल करते थे जो मराठा राज्य के बाहर रहते थे। इसके बदले में मराठे उनको विश्वास दिलाते थे कि वे उनके क्षेत्र में लूटमार तथा आक्रमण नहीं करेंगे।
3—सरदेशमुखी	संपूर्ण लगान का दसवाँ भाग जिसको मराठे सारे क्षेत्र से वसूल करते थे।
4—खालसा	गुरु गोविन्दसिंह ने सिक्ख समाज का फिर से संगठन किया और उसको एक सैनिक दल का रूप दिया। सिक्खों को 'खालसा' कहा जाने लगा जिसका अर्थ है 'शुद्ध'।

2—निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति उनके सामने कोष्ठकों में दिए हुए सही शब्द या शब्दों से करो :

1————ने अपने साम्राज्य का संगठन किया अतः उसका शासन-काल———— वंश के लिए बड़ा महत्त्वपूर्ण रहा। (हुमायूँ, अकबर, औरंगजेब, मुगल, मराठा, अफगान)

2————ने अपने संस्मरण लिखे जिनमें उसने अपने और अपने दरबार के जीवन का वर्णन किया। (अकबर, शिवाजी, जहाँगीर)

3————के शासन-काल में इंग्लैंड के राजा ने————को अपना राजदूत बनाकर आगरे के दरबार में भेजा। (बाबर, अकबर, जहाँगीर, सर टॉमस रो, हाकिंस)

4————ने उत्तराधिकार के युद्ध में अपने सभी भाइयों को पराजित किया और सन् 1658 ई० में सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लिया। (बाबर, शाहजहाँ, औरंगजेब)

5————ने अपने सैनिकों के दल एकत्र किए और दक्षिण के राज्यों का विरोध करना आरंभ कर दिया। (मुगलों, अफगानों, जाटों, मराठों)

3—स्तंभ अ में दिए हुए तथ्यों का स्तंभ आ में दिए हुए तथ्यों से सही संबंध स्थापित कीजिए :

अ	आ
1—जहाँगीर का शासन-काल बाद के मुगल शासकों के	1—आधार क्षेत्र के रूप में पुर्तगाली हुगली का प्रयोग करते थे।
2—संसारप्रसिद्ध ताजमहल	2—सिक्ख सैनिक दल के रूप में संगठित हुए।

3–बंगाल की खाड़ी मे समुद्री डकैती करने के लिए	3–उसके साम्राज्य के विभिन्न भागों में लोगों ने विद्रोह कर दिया।
4–औरगजेब के सामने अनेक समस्याएँ इस कारण उत्पन्न हुई कि	4–शासन-काल की तुलना में अधिक शांतिपूर्ण था।
5–गुरु गोविन्दसिंह के नेतृत्व में	5–मुमताज महल का मकबरा है।

4—निम्नलिखित कथनों में सही के सामने 'हाँ' और गलत के सामने 'नहीं' लिखो :

1–जहाँगीर ने किसी राजपूत राजकुमारी से विवाह नही किया।

2–बीजापुर और गोलकुंडा के राज्यों ने कभी मुगल साम्राज्य का आधिपत्य स्वीकार नही किया और उन्होंने मुगल साम्राज्य से किसी प्रकार की संधि नही की।

3–शाहजहाँ का पुर्तगालियों के साथ बड़ा मित्रतापूर्ण व्यवहार था।

4–मराठा राज्य का शासन उनका राजा चलाता था जिसको आठ मंत्रियों की एक समिति सहायता और सलाह देती थी।

5–भारत के मुसलमान बने हिन्दुओं ने उन प्राचीन परंपराओं और सामाजिक जीवन के रीति-रिवाजों को छोड़ दिया जिनका वे मुसलमान बनने से पहले अनुसरण करते थे।

5—नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर दो :

1–जहाँगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब में किसका शासन-काल सबसे अधिक शांतिपूर्ण था और क्यों ?

2–सिक्ख कौन थे ? वे किस प्रकार एक राजनैतिक शक्ति बन गए ? संक्षेप में वर्णन कीजिए।

3–बाद के मुगल शासकों के शासन-काल में विभिन्न प्रकार के लोग क्यों असंतुष्ट हो गए ?

4–मराठों ने अपना शक्तिशाली स्वतंत्र राज्य किस प्रकार स्थापित कर लिया ?

5–मुगल दरबार के परंपरावादी तथा उदार विचारों वाले व्यक्तियों में क्या अंतर था ?

6–'सत्रहवीं शताब्दी भारत के इतिहास में ऐश्वर्य-वैभव का युग था।' क्या इस कथन से तुम सहमत हो ? अपने निष्कर्षों के समर्थन मे कुछ लिखो।

6—करने के लिए रुचिकर कार्य :

1–इस काल के महत्त्वपूर्ण व्यक्तियो के जितने चित्र तुम खोज सकते हो उनको एकत्र करो। इनमें से जो तुमको सबसे अच्छा लगता हो उसका वर्णन करो।

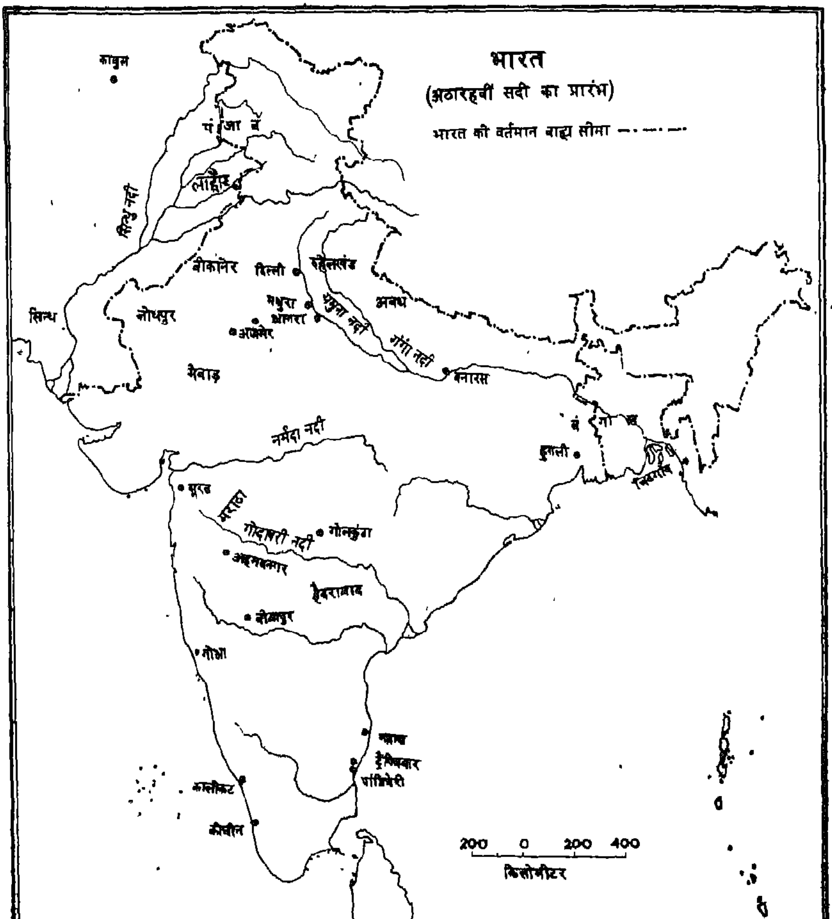
2–खयाल और ठुमरी को सुनकर संगीत की इन शैलियों की विशेषताएँ ज्ञात करो।

अध्याय 9

मुगल साम्राज्य का पतन

जैसा कि प्रायः होता आया है, सन् 1707 ई० में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात् उत्तराधिकार का युद्ध आरंभ हुआ। उसके तीन पुत्र जीवित थे जिन्होंने सिंहासन के लिए परस्पर युद्ध किया। जो विजयी हुआ उसने बहादुरशाह की पदवी धारण करके सन् 1707 ई० में शासन करना आरंभ किया। चार वर्षों का उसका छोटा-सा शासन-काल कठिनाइयों से पूर्ण था। बहादुरशाह ने राजपूतों पर अपना अधिकार स्थापित करने का प्रयत्न किया। राजपूतों ने विद्रोह कर दिया। इस बीच में सिक्खों ने भी विद्रोह कर दिया। इस कारण बहादुरशाह राजपूतों के विरुद्ध कुछ न कर सका। मराठे इस समय परस्पर युद्ध में लगे हुए थे अतः वे मुगल साम्राज्य के सामने कोई गंभीर समस्या प्रस्तुत करने के योग्य नहीं थे। यों वे समय-समय पर आक्रमण करते रहे। मराठा राजा शाहू ने मुगल दरबार में एक मनसब स्वीकार कर लिया था।

एक बार फिर उत्तराधिकार का युद्ध सन् 1712 ई० में बहादुरशाह की मृत्यु



भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित।

समुद्र मे भारत का जल प्रदेश उपयुक्त आधार रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है।

हो जाने पर उसके पुत्रों के बीच आरंभ हुआ। बहुत-से शक्तिहीन शासक हुए जिन्होंने थोड़े-थोड़े काल तक शासन किया। इसके बाद मुहम्मदशाह ने फिर साम्राज्य को संगठित करने का प्रयत्न किया। पर साम्राज्य का विघटन पहले ही आरंभ हो गया था। बंदा ने सिक्ख विद्रोह का नेतृत्व किया। उसने पहले ही पंजाब में अपना स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित करने का निश्चय कर लिया था। यद्यपि अपने इस उद्देश्य में वह सफल नहीं हुआ फिर भी मुगलों को परेशान करने में वह सफल रहा। ब्राह्मण मंत्री पेशवाओं की नई शासन-प्रणाली में मराठे फिर से अपना संगठन कर रहे थे। धीरे-धीरे वे उत्तर भारत की ओर अपना अधिकार बढ़ा रहे थे। रुहेलखंड में बसे हुए अफगान भी मुगल शासन के विरुद्ध विद्रोह कर रहे थे।

मुगल शासन के लिए सबसे बड़ी परेशानी की बात तो यह थी कि साम्राज्य में चारों ओर स्वतंत्र हो जाने की भावना फैल गई थी। उदाहरण के लिए हैदराबाद, बंगाल और अवध के महत्त्वपूर्ण प्रांतों के सूबेदारों ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए थे।



नादिरशाह

मुगल शासकों के लिए जैसे अपनी ही परेशानी काफी न रही हो इसलिए उन पर उत्तर-पश्चिम से भी हमले किए जा रहे थे। इन आक्रमणों ने मुगल साम्राज्य की शक्ति बहुत कम कर दी। सबसे पहला आक्रमण सन् 1739 ई० में ईरान के बादशाह नादिरशाह ने किया। उसने मुगलों से काबुल को पहले ही से जीत लिया था। उसने उत्तर-पश्चिम से आक्रमण किया और दिल्ली नगर को तहस-नहस कर डाला। मुगल उसके

सामने झुक गए। वे आशा करते थे कि नादिरशाह मनचाहा धन लेकर चला जाएगा। नादिरशाह की सेना ने नगर को बुरी तरह से लूटा और उसको खंडहर बना दिया। नादिरशाह शाहजहाँ का तख्तेताऊस और कोहनूर हीरा भी ईरान ले गया।

एक साहसी अफगान अहमदशाह अब्दाली ने नादिरशाह के चरण चिह्नों का अनुसरण किया। उसने पंजाब को जीतकर अपने अफगानिस्तान के राज्य में मिला लिया। इस बीच मराठे पेशवा के नेतृत्व में शक्ति संचय कर रहे थे और वे पहले पश्चिमी भारत, फिर मध्य तथा उत्तर भारत में अपने राज्य का विस्तार करने लगे। अब मराठे सीधे मुगल साम्राज्य पर आक्रमण नहीं करते थे। वे शक्तिहीन मुगल सम्राट् को अपने वश में रखकर अपने अधिकार का विस्तार करना चाहते थे। पर इसी समय अहमदशाह अब्दाली से उनका संघर्ष हो गया और उनको उससे युद्ध करना पड़ा। अफगानों और मराठों के बीच में सन् 1761 ई० में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। मराठों की पराजय हुई और उनको उत्तर भारत से हटने के लिए बाध्य होना पड़ा। मुगल साम्राज्य अब दिल्ली के आसपास के क्षेत्र तक सीमित रह गया मुगल सम्राट् सन् 1857 ई० तक केवल नाम के शासक बने रहे। अठारहवी शताब्दी में वास्तविक राजनीतिक शक्ति नए राज्यों के हाथ में थी।

यूरोपीय व्यापारी

अठारहवीं शताब्दी में मुगल राज्य का पतन हुआ और नए राज्य शक्तिशाली बन गए। इसी समय कुछ नए लोग भारत पर अपना अधिकार जमाने का प्रयत्न कर रहे थे। ये लोग यूरोप के निवासी थे। इनको दो विशेष सुविधाएँ प्राप्त थीं। एक तो मुगल साम्राज्य के स्थान पर मराठों का राज्य तथा हैदराबाद, अवध और बंगाल जैसे बहुत-से नए राज्य बन गए थे। यूरोप के लोगों के लिए अकबर अथवा औरंगजेब के समय के मुगल राज्य की संगठित शक्ति का सामना करने की अपेक्षा इन राज्यों से युद्ध करना अधिक सरल था। दूसरी सुविधा यह थी कि वे समुद्र के मार्ग से आए और वे सभी समुद्री लड़ाई में बड़े कुशल थे। मुगल शासकों ने समुद्री शक्ति के महत्त्व को कभी नहीं समझा इसलिए उनके पास वास्तव मे एक अच्छा जहाजी

बेड़ा भी नहीं रहा। इसलिए जब यूरोप के निवासी भारत के समुद्र तट के नगरों पर अधिकार करने लगे तो न तो उन्हें मुगल रोक सके और न कोई अन्य राज्य। इसके साथ-साथ यूरोप के लोगों को अपने श्रेष्ठ तकनीकी ज्ञान का भी लाभ था।

यूरोप-निवासियों ने किस प्रकार इन नगरों पर अधिकार किया और कैसे उन्होंने अपने को भारत में शक्तिशाली बना लिया ? यह एक अलग कहानी है जिसको तुम आधुनिक भारत पर लिखी गई पुस्तक में पढ़ोगे। पर इस कहानी का आरंभ मुगल काल से ही हो जाता है। यूरोप-निवासियों में भारत में सबसे पहले उपनिवेश बनाने वाले पुर्तगाली थे। हमने पहले अध्याय में देखा है कि किस प्रकार गोआ पर अपना अधिकार करके वे वहाँ बस गए।

बहुत दिनों तक यूरोप-निवासियों में से केवल पुर्तगाली ही भारत के साथ व्यापार करते रहे। समुद्री क्षेत्र में अपनी बढ़ी हुई शक्ति का उन्होंने फायदा उठाया। वह इस तरह कि भारतीय तथा एशिया के अन्य देशों के व्यापारियों को व्यापार चलाने की आज्ञा प्रदान करने के लिए वे उनसे जबर्दस्ती धन लेने लगे। इस प्रकार भारत के समुद्री व्यापार पर वे हावी हो गए। किन्तु सत्रहवीं शताब्दी में यूरोपीय देशों के बहुत-से अन्य व्यापारी भी भारत आए। ये व्यक्तिगत व्यापारियों की हैसियत से नहीं आए बल्कि उन्होंने अपना संगठन करके व्यापारिक कंपनियाँ बनाईं। व्यापार से होने वाले लाभ-हानि को वे आपस में बाँट लेते थे। यूरोप के लोगों के यहाँ आने के अनेक कारण थे। पहले तो यूरोप में भारतीय वस्तुओं की, विशेषकर वस्त्रों और मसालों की विशेष माँग थी। अरब व्यापारी इन वस्तुओं को यूरोप पहुँचाते थे और यूरोप के व्यापारियों के हाथ ऊँचे मूल्य में बेच देते थे। इसलिए यूरोप के व्यापारियों ने सीधे भारत से व्यापार करने का निश्चय किया। इससे भी अधिक महत्त्व इस बात का था कि यूरोप का व्यापारी-वर्ग बड़ा संपन्न हो गया था और व्यापारिक माल का उत्पादन भी बढ़ गया था। इसलिए व्यापारी नए-नए बाजार खोज रहे थे और ऐसे क्षेत्र भी खोज रहे थे जहाँ से उनको सस्ता, कच्चा माल प्राप्त हो सके। भारत के पश्चिमी तट पर आने वाले जहाज वापसी में भारत से रूई

श्रौर नील ले जाते थे श्रोर दक्षिण में मलाबार से काली मिर्च श्रौर मसालों का निर्यात होता था। मद्रास के चारों श्रोर के केन्द्रो से रूई श्रौर चीनी भेजी जाती थी। बंगाल से विशेष रूप से रेशम श्रौर शोरा का व्यापार होता था।

यूरोप की कंपनियाँ

यूरोप के एक छोटे-से राज्य डैनमार्क ने डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर भारत भेजी। उन्होंने पूर्वी समुद्र तट पर मद्रास के दक्षिण में ट्रैंक्वीबार में एक फैक्टरी बनाई। लेकिन इस कंपनी को श्रधिक सफलता नहीं मिली। हालैंड से भी एक कंपनी भारत से व्यापार करने श्राई। इसका नाम 'यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी श्रॉफ दि नीदरलैंड्स' था। डेनमार्क की कंपनी की श्रसफलता कुछ सीमा तक इस नई कंपनी की प्रतिद्वंद्विता के कारण थी। हालैंड के लोग एशिया में उन क्षेत्रों की खोज करते हुए श्राए जिनमें बहुत श्रधिक मसाले उत्पन्न होते थे। जावा श्रौर सुमात्रा में उनको ये क्षेत्र प्राप्त हो गए श्रौर वे मसाले का व्यापार करने लगे। श्रब उनको भारत से केवल इतनी ही दिलचस्पी रह गई कि यूरोप से दक्षिणी-पूर्वी एशिया जाने वाले उनके जहाजों के लिए ठहरने को कुछ स्थान मिल जाए। इंग्लैंड के व्यापारी भी मसालों की खोज करते हुए यहाँ श्राए। जब हालैंड के व्यापारियों ने दक्षिणी-पूर्वी एशिया के मसाले के व्यापार पर श्रधिकार कर लिया तब श्रंग्रेज व्यापारी विशेष रूप से भारतीय वस्त्रों का व्यापार करने लगे। शीघ्र ही उनका भारत के साथ होने वाले यूरोपीय व्यापार के एक बड़े भाग पर श्रधिकार हो गया।

श्रंग्रेज भारत के व्यापार पर श्रधिकार प्राप्त करने के श्रनेक प्रयत्न कर रहे थे। जैसा कि हम देख चुके हैं उन्होंने केवल इसी उद्देश्य से जहाँगीर के दरबार में श्रपना राजदूत भेजा। श्रंत में उनको सफलता मिली श्रौर उन्होंने सन् **1600** ई० में श्रपनी व्यापारिक कंपनी की स्थापना की। श्रंग्रेजों ने मछलीपट्टम्, सूरत, फोर्ट सैंट जॉर्ज श्रौर फोर्ट विलियम में श्रपनी फैक्ट्रियाँ बनाईं। श्रंतिम दो स्थान बाद में मद्रास श्रौर कलकत्ता के प्रसिद्ध नगर बन गए। पुर्तगाली राजकुमारी का इंग्लैंड

के शासक चार्ल्स द्वितीय के साथ विवाह होने पर अंग्रेजों को पुर्तगालियों से दहेज के रूप में बंबई प्राप्त हुआ। व्यापार और जहाजरानी की दृष्टि से इन सभी स्थानों की स्थिति बहुत अच्छी थी।

धीरे-धीरे हालैंड और पुर्तगाल के व्यापारियों को भारतीय व्यापार से बाहर निकाल देने में अंग्रेज सफल हुए। पुर्तगाली भारत में लोकप्रिय नहीं रहे। इसके अतिरिक्त पुर्तगालियों और हालैंडवासियों की सामुद्रिक शक्ति की अपेक्षा अंग्रेजों की सामुद्रिक शक्ति अब बहुत बढ़ गई थी और इस बात से अंग्रेजों को भारतीय व्यापार पर अधिकार करने में बड़ी सहायता मिली। भारत से व्यापार करने वाली दो अंग्रेजी कंपनियां थीं। इससे कुछ कठिनाइयाँ उत्पन्न हुईं। सन् **1703** ई० में ये दोनों कंपनियां मिलकर एक हो गईं और उसका नाम 'दि यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टु दि ईस्ट इंडीज' रखा गया।

परंतु आगे चलकर भी अंग्रेजों को प्रतिद्वंद्विता का सामना करना पड़ा। सन् **1664** ई० में फ्रांस के लोगों ने भी भारत से व्यापार करने के लिए एक कंपनी बनाई। मद्रास के दक्षिण में फ्रांसीसी एक स्थान पर बस गए जो पांडिचेरी कहलाया। आश्चर्य यह है कि यह लगभग वही स्थान था जो ईसा की पहली शताब्दी में प्राचीन रोमन व्यापार का केन्द्र अरिकमेदु था। अन्य यूरोपीय कंपनियों की अपेक्षा फ्रांसीसी अंग्रेजों के अधिक शक्तिशाली प्रतिद्वंदि थे। जैसा कि हम देखेंगे उनमें अठारहवीं शताब्दी में बड़ी गंभीर प्रतिद्वंद्विता चली। फ्रांसीसी और अंग्रेजी कंपनियाँ केवल भारतीय व्यापार पर ही अधिकार करने में सफल नहीं हुईं अपितु वे अठारहवीं शताब्दी में स्थापित होने वाले नए राज्यों की राजनीति में भी दखल देने लगीं।

मुगल राज्य के पतन के कारण

अठारहवीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य छिन्न-भिन्न होने लगा। पतन के कुछ कारण तो सत्रहवीं शताब्दी में ही जड़ पकड़ चुके थे पर वास्तविक कमजोरियाँ अठारहवीं शताब्दी में दिखाई पड़ीं।

औरंगजेब के उत्तराधिकारी कमजोर शासक थे। वे साम्राज्य का पतन होने से रोक न सके। उनको अपनी प्रजा का सम्मान प्राप्त नहीं था। शासक के मरने के बाद हर बार उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता था। इस प्रकार बहुत-सा धन और शक्ति नष्ट होती थी। जो शाहजादा अंत में विजयी होता था वह अपने अधिकारियों और दरबारियों से सशंकित रहता था। जब सम्राट कमजोर हो जाते थे, प्रांतीय गवर्नर शक्तिशाली बन जाते थे। जैसा कि हम देख चुके है हैदराबाद, अवध और बंगाल जैसे कुछ प्रांत इसी प्रकार स्वतंत्र हो गए।

मुगल साम्राज्य के पतन का दूसरा महत्त्वपूर्ण कारण आर्थिक कठिनाइयाँ थीं। इस समय तक न तो पर्याप्त धन बचा था और न जागीरें ही जो विभिन्न अधिकारियों को दी जा सकती थीं। जमींदार असंतुष्ट थे क्योंकि उन पर शासन का कठोर नियंत्रण था। वे समझने लगे कि सरदार राज्य की आमदनी का बहुत बड़ा भाग स्वयं ले लेते हैं अतः उनका सरदारों से संघर्ष आरंभ हो गया। एक अवसर पर तो जमींदारों के विरोध ने विद्रोह का रूप धारण कर लिया। लगान अदा करने के बाद किसानों के पास बहुत कम धन बचता था अतः वे अधिकाधिक गरीब होते गए। कभी-कभी किसान भी असंतुष्ट जमींदारों का साथ देते थे। मुगल इस समय बहुत-से युद्धों में फँसे हुए थे अत. उनको नियमित रूप से धन की आवश्यकता बनी रहती थी। औरंगजेब के दक्षिण के अभियान में मुगल आय निरंतर व्यय होती रही। मराठे और सिक्ख बराबर मुगलों को धमकी देते रहते थे अतः मुगलों की एक बड़ी सेना इन दोनों क्षेत्रों को अपने अधिकार में बनाए रखने में व्यस्त रहती थी।

लगान का कुछ भाग प्रशासन पर भी खर्च किया जाता था। मुगल प्रशासन अब इतना सक्षम नहीं रहा जितना अकबर के शासन-काल में था। मनसबदारी प्रथा में अनेक परिवर्तन हो गए थे। अब मनसबों की संख्या अकबर के काल से तीन गुना बढ़ गई थी। मनसबदार अब उतने ईमानदार नहीं रह गए थे। वे जो लगान जमा करते थे उसका सही हिसाब नहीं रखते थे। वे बादशाह के लिए निश्चित संख्या में घुड़सवार भी नहीं रखते थे। वास्तव में कुछ ने तो इतना अधिक धोखा देना आरंभ कर दिया कि घोड़ों को संख्या से दागना आवश्यक हो गया। अकबर ने अधिकारियों को एक प्रांत से दूसरे प्रांत को स्थानांतरित करते रहने पर अधिक बल दिया था।

इससे वे किसी क्षेत्र में बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं हो पाते थे। अठारहवीं शताब्दी में अधिकारियों का प्रांय: स्थानांतरण नहीं होता था जिससे उनमें से बहुत-से अधिकारी छोटे स्थानीय शासकों का सा व्यवहार करने लगे।

मुगलों का सैनिक प्रशासन भी कमजोर हो गया था। अब उच्च अधिकारियों की संख्या का अनुपात बहुत बढ़ गया था। सेना की निपुणता भी अब पहले जैसी नहीं रह गई थी। किसी समय मुगल सेना अपने तोपखाने पर घमंड करती थी किन्तु अब अन्य सेनाओं की तुलना में मुगल तोपखाना तकनॉलॉजी में बहुत पिछड़ गया था। बंदूकों और तोपों के उन नवीनतम नमूनों में मुगलों की अब कोई रुचि नहीं रह गई थी जिनका प्रयोग संसार के अन्य देशों में किया जा रहा था। भारतीय सैनिकों को प्रशिक्षित करने के स्थान पर वे विदेशियों को अपनी तोपों को चलाने के लिए नियुक्त करके संतुष्ट हो जाते थे। मुगलों ने नौसेना के विकास करने की ओर भी अधिक ध्यान नहीं दिया। उनको यूरोप के देशों के आक्रमण की कोई आशंका नहीं थी इसलिए उन्होंने यह नहीं सोचा कि एक शक्तिशाली नौसेना का निर्माण बड़ा उपयोगी हो सकता है। पुर्तगालियों और अंग्रेजों के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले नए ढंग के जहाजों को देखकर भी मुगलो के मन में उनके निर्माण का कोई उत्साह जाग्रत नहीं हुआ।

यूरोप में नवीन विज्ञान का विकास हो रहा था। वहाँ के विचारशील व्यक्ति नया ज्ञान प्राप्त करके नवीन अनुसंधान कर रहे थे। मुगलकालीन भारत इन नवीन खोजों की ओर से पूर्णत: उदासीन रहा। घड़ी जैसी महत्त्वपूर्ण उपयोगी यांत्रिक वस्तु की ओर भी उस समय के लोगों का ध्यान नहीं गया। अभिजात वर्ग के लोग और धनी व्यापारी अपने ऐश्वर्य, वैभव और विलासिता की वस्तुओं से इतने संतुष्ट थे कि ज्ञान के नवीन विकास में उनकी कोई रुचि नहीं थी।

विलासिता का जीवन मुगलकालीन भारत का दूसरा पक्ष था जिससे व्यापार की आमदनी और भूमि के लगान से प्राप्त बहुत-सा धन व्यय हो जाता था। किसानों और कारीगरों को जितना ही कठिनाई का जीवन व्यतीत करना पड़ता था, शहरों के अभिजात वर्ग के लोग और व्यापारी उतने ही सुख का जीवन व्यतीत करते थे। चारों ओर से देश में धन आ रहा था। इससे मुगल बड़ी शान-शौकत का

जीवन व्यतीत करने लगे। घरेलू शान-शौकत, कीमती वस्त्रों के प्रयोग, मूल्यवान रत्न धारण करने और कवि, कलाकारो तथा संगीतकारों को संरक्षता देने में धनी लोग आपस में प्रतिद्वंद्विता करने लगे। कवियों, कलाकारों और संगीतकारों के संरक्षण से उनका जीवन अधिक आनंदमय हो गया। ये सारे कार्य वैभवशाली जीवन के प्रतीक बन गए और इन पर बड़ी मात्रा में धन व्यय होने लगा। इस विलासितापूर्ण जीवन से अठारहवीं शताब्दी में देश का चारित्रिक और सामाजिक पतन हो गया। अभिजात कुलों के लोग अपना समय आलस्य और शराब पीने में नष्ट कर देते थे। अंत में जब साम्राज्य का पतन हो रहा था तब भी वह अपनी और साम्राज्य की रक्षा के लिए कुछ न कर सके। फिर भी सभी प्रांतीय दरबारो में इस प्रकार के आलसी और अयोग्य उच्च वर्ग के लोग नहीं थे। नवीन राज्यो के स्थानीय गवर्नर महत्त्वाकांक्षी थे और उन्होंने अपने अधिकारियों को अनुशासन में रखने का प्रयत्न किया।

मुगल साम्राज्य का पतन हो गया और दिल्ली, जिसने कभी शाही शान देखी थी, एक अरक्षित कमजोर नगर बन गया। पर उस संस्कृति और जीवन के उन तरीकों का जो इस ऐश्वर्य-वैभव के अंग थे, पतन नहीं हुआ। यह सभ्यता और संस्कृति अब दिल्ली से उन प्रांतीय छोटे राज्यों में पहुँच गई जिनका उदय अठारहवीं शताब्दी में हुआ था। अठारहवी शताब्दी के भारत का इतिहास इन्ही राज्यों का इतिहास है। इन राज्यों में मुगल वैभव का अवशिष्ट अब भी देखा जा सकता था। इन राज्यों में घटित होने वाली घटनाओं ने ही भारत के भविष्य के इतिहास का निर्णय किया।

अभ्यास

1—स्तंभ अ के कथन का स्तंभ आ के कथन से सही संबंध स्थापित कीजिए :

अ	आ
1–हालैण्डवालों और पुर्तगालियों को भारत के व्यापार क्षेत्र से	1–इसलिए उन्होंने कभी भी सुदृढ़ नौसेना बनाने का विचार नहीं किया।
2–मुगल साम्राज्य के पतन के कुछ कारण	2–ईरान ले जाया गया।
3–मुगलों को यूरोपीय देशों के आक्रमण का खतरा महसूस नहीं हुआ	3–बाहर निकालने में अंग्रेजों को धीरे-धीरे सफलता मिल गई।
शाहजहाँ का प्रसिद्ध तख्तेताऊस	4–सत्रहवीं शताब्दी में खोजे जा सकते हैं।

2—नीचे दिए हुए कथनों में जो सही हों उनके सामने 'हाँ' और जो सही न हों उनके सामने 'नहीं' लिखिए :

1–नादिरशाह ने सन् 1739 ई० में उत्तर-पश्चिमी भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा।

2–अहमदशाह अब्दाली ने पंजाब को जीत लिया पर उसको अपने अफगानिस्तान के राज्य में नहीं मिलाया।

3–मुगल सम्राटों ने समुद्री शक्ति के महत्त्व को कभी नही सोचा और इसी कारण उन्होंने अच्छी नौसेना नहीं बनाई।

4–सत्रहवीं शताब्दी में यूरोप की शक्तियों में केवल पुर्तगाली ही भारत से व्यापार करते थे।

5–औरंगजेब के उत्तराधिकारी शक्तिशाली शासक थे।

3—निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति आगे कोष्ठक में दिए हुए सही शब्द अथवा शब्दों से करो :

1————के विद्रोह का संचालन————ने किया। उसने————में एक सिक्ख राज्य की स्थापना करने का निश्चय किया। (अफगानों, मुगलों, सिक्खों, वंदा, नानक, बंगाल, बिहार, पंजाब)

2————और मराठों के बीच सन् 1761 ई० में————के मैदान में एक तीसरा युद्ध हुआ। (तलीकोट, तराइन, पानीपत, अफगानों, मुगलों, सतनामियों)

3—सबसे पहले यूरोप-निवासियों में से————भारत में आकर बस गए। (अंग्रेज, हालैण्ड-वासी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली)

4—अन्य यूरोपीय कंपनियों की अपेक्षा————की कंपनी अंग्रेजों के लिए अधिक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी सिद्ध हुई। (हालैण्ड, पुर्तगाल, फ्रांस, जर्मनी)

5————राजा शाहू ने————प्रशासन में एक मनसब स्वीकार कर लिया। (अफगान, मराठा, अंग्रेज, पुर्तगाली, मुगल)

4—निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो :

1–मुगल साम्राज्य के पतन के लिए औरंगजेब कहाँ तक उत्तरदायी था ?

2–भारत में मुगलों के विरुद्ध यूरोप-निवासियों को कौन-सी विशेष सुविधाएँ प्राप्त थीं ?

3–भारत के व्यापार पर अधिकार करने में अंग्रेजों को किस बात से सहायता मिली ?

4–भारत में अंग्रेजों के प्रमुख प्रतिद्वंद्वी कौन थे ?

5–मुगल साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे ?

5—करने के लिए कुछ रुचिकर कार्य :

1–भारत के मानचित्र में उन स्थानों को दिखाइए जिनको यूरोप-निवासियों ने व्यापारिक केन्द्र बनाया था।

2–अपने नगर के निकटतम जुलाहे के यहाँ जाइए और कपड़ा जिस प्रकार बुना जाता है देखकर, उसका विस्तार से वर्णन कीजिए।

महत्त्वपूर्ण व्यक्ति

1—अकबर	हुमायूँ का पुत्र और अपने उदारतावादी दृष्टिकोण के लिए विख्यात। मुगल सम्राटों में महानतम।
2—अफजल खाँ	उच्च पदाधिकारी और बीजापुर राज्य का अनुभवी सेनापति।
3—अबुल फजल	लब्धप्रतिष्ठ विद्वान तथा अकबर का अत्यंत विश्वासपात्र मित्र और परामर्शदाता। 'अकबर नामा' का लेखक।
4—अमीर खुसरो	प्रसिद्ध कवि तथा लेखक। इसने गद्य और पद्य दोनों ही में रचना की।
5—अला-उद्-दीन खिलजी	खिलजी शासकों में योग्यतम। प्रथम खिलजी सुल्तान जलाल-उद्-दीन का भतीजा और दामाद।
6—अलबेरुनी	प्रसिद्ध विद्वान जो सुल्तान महमूद के साथ भारत आया था।
7—आर्य भट्ट	ज्योतिर्विद तथा गणितज्ञ।
8—इब्नबतूता	अफ्रीकी यात्री जो मुहम्मद बिन तुगलक के शासन-काल में भारत आया। भारत में अपने अनुभवों का वृत्तांत इसने लिखा है।
9—इल्तुतमिश	गुलाम सुल्तानों में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण। मूलतः कुतुब-उद्-दीन का दास था किन्तु बाद में अपने स्वामी की कृपा प्राप्त करके उसका दामाद बन गया।
10—औरंगजेब	शाहजहाँ का तृतीय पुत्र जो अपने पिता के जीवन-काल में भारत का सम्राट् बना।
11—कबीर	बनारस के भक्त संत जो अपने दोहों तथा साखियों के कारण प्रसिद्ध है।
12—कल्हण	'राजतरंगिणी' का लेखक।
13—कुतुब-उद्-दीन	दिल्ली का प्रथम सुल्तान, मूलतः तुर्क जिसने अपना जीवन मुहम्मद गौरी के दास के रूप में प्रारंभ किया।

14—कृष्ण द्वितीय	राष्ट्रकूट राजा जिसने चोल राजा परांतक को पराजित किया।
15—कृष्ण देव राय	विजयनगर के राजाओं में सर्वाधिक प्रसिद्ध। (शासन-काल 1509–30)
16—गयास-उद-दीन बलबन	गुलाम वंश का अंतिम महत्त्वपूर्ण सुल्तान।
17—गुरु गोविन्दसिंह	सिक्खों के दसवें और अंतिम गुरु।
18—गोपाल	बंगाल का प्रथम महत्त्वपूर्ण पाल राजा जो अपने सामंतो द्वारा मनोनीत हुआ था।
19—चैतन्य	बंगाल के वैष्णव संत।
20—जयदेव	'गीत गोविन्द' का रचयिता।
21—जयसिंह	आमेर का राजा और योग्य सेनापति जो शाहजहाँ और औरंगजेब की सेना में रहा था।
22—जिया-उद्-दीन बरनी	'तारीख-ए-फिरोजशाही' तथा 'फतवा-ए-जहाँदारी' का लेखक।
23—जैनुल आबेदीन	कश्मीर का लोकप्रिय सुल्तान जिसने पचास वर्ष (1420 से 1470 तक) शासन किया।
24—ज्ञानेश्वर	महाराष्ट्र के भक्त संत।
25—टोडरमल	भूमि नियोजन तथा लगान संबंधी मामलो में अकबर के विश्वासपात्र।
26—तुकाराम	महाराष्ट्र के भक्त संत :
27—तुलसीदास	'रामचरितमानस' के रचयिता।
28—तेग बहादुर	सिक्खों के नवें गुरु जिनका वध औरंगजेब ने कराया।
29—तैमूरलंग अथवा तैमूर	एक तुर्क जिसने 1398 में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली सल्तनत की नीव हिला दी।
30—धर्मपाल	पाल वंश का राजा जिसने राष्ट्रकूटों से कन्नौज छीन लिया।
31—ध्रुव	प्रसिद्ध राष्ट्रकूट राजा जिसने भोज को पराजित किया।
32—नादिरशाह	फारस का राजा। इसने मुहम्मदशाह के शासन-काल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली से शाहजहाँ का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन अपने साथ ले गया।

33—नानक	सिक्ख धर्म के संस्थापक तथा प्रथम गुरु ।
34—नामदेव	महाराष्ट्र के भक्त संत ।
35—निजाम-उद्-दीन औलिया	दिल्ली के निकट रहने वाले सूफी संत ।
36—परांतक	चोल राजा जिसने पांड्यों के देश पर विजय प्राप्त की ।
37—फिरदौसी	फारसी कवि, 'शाहनामा' का रचयिता ।
38—बहा-उद्-दीन जकरिया	मुल्तान का निवासी एक सूफी संत ।
39—बाबर	इब्राहीम लोदी को पानीपत की पहली लड़ाई में परास्त किया और भारत में मुगल राज्य की स्थापना की ।
40—बाबा फरीद	अजोधन (पाक पाटन) के सूफी संत ।
41—बासव	लिंगायत संप्रदाय का संस्थापक ।
42—बिल्हण	'विक्रमांक-देव-चरित' का रचयिता ।
43—बिशनदास	जहाँगीर के दरबार का कलाकार (चित्रकार) ।
44—बैरम खाँ	तुर्क जाति का सरदार जो बाबर और हुमायूँ दोनों की सेवा में रहा । अवयस्क (नाबालिग) अकबर का संरक्षक भी रहा ।
45—भोज	प्रतिहार राजा जिसने पालों को पराजित करके कन्नौज पर पुनः अधिकार किया ।
46—मध्वाचार्य	तेरहवीं शताब्दी के धर्मोपदेशक ।
47—मलिक अंबर	जन्म से अबीसीनिया देश का । उन्नति करते-करते अहमद-नगर के निजामशाही राज्य का मंत्री बन गया ।
48—मलिक मुहम्मद जायसी	सूफी संत, हिन्दी काव्य 'पद्मावत' का रचयिता ।
49—महमूद गवाँ	जन्म से फारस देश का, बहमनी सुल्तान की सेवा में आया ।
50—मानसिंह	अकबर का सर्वाधिक विश्वास प्राप्त सेनापति तथा मित्र ।
51—मीर जुम्ला	फारस का एक पर्यटक जो गोलकुंडा के सुल्तान की सेवा में आया और धीरे-धीरे राज्य का प्रधान मंत्री बन गया ।
52—मीरा बाई	राजस्थान की राजकुमारी जिसने विलासितापूर्ण जीवन को छोड़ दिया और कृष्ण की भक्त हो गई ।
53—मुईन-उद्-दीन चिश्ती	तेरहवीं शताब्दी का सूफी संत ।

54—मुहम्मद गौरी	अफगानिस्तान के एक छोटे-से राज्य का शासक। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया।
55—मुहम्मद बिन तुगलक	तुगलक वंश का प्रसिद्ध सुल्तान।
56—राजराज प्रथम	चोल राजा।
57—राजेन्द्र चोल	चोल राजा, राजराज प्रथम का पुत्र।
58—राणा प्रताप	मेवाड़ का राजपूत राणा, अकबर की अधीनता स्वीकार न करने के लिए विख्यात।
59—राणा सांगा	राजपूत सैन्य-संघ का नेता जो खनुवा के युद्ध में बाबर से पराजित हुआ।
60—रामानुज	वैष्णव दार्शनिक जो भक्ति के उपदेशों के लिए विख्यात हैं।
61—वास्को-डि-गामा	उत्तमाशा अंतरीप (केप ऑफ गुड होप) होता हुआ भारत पहुँचने वाला प्रथम यूरोपीय।
62—शंकराचार्य	आठवीं शताब्दी के दार्शनिक, अपने अद्वैत दर्शन के लिए विख्यात।
63—शाह आलम बुखारी	गुजरात के सूफी संत।
64—शिवाजी	बीजापुर के जागीरदार शाहजी का पुत्र, मराठा साम्राज्य का संस्थापक।
65—शेख शिहाब-उद्-दीन सुहरावर्दी	मिलहट के सूफी संत।
66—शेरशाह	सूर वंश के एक अफगान सामंत का पुत्र जिसने हुमायूँ को पराजित किया।
67—सर टॉमस रो	जहाँगीर के दरबार में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का भेजा हुआ राजदूत।
68—सुल्तान महमूद	गजनी का शासक।
69—सूरदास	भक्त संत।
70—सैयद मुहम्मद गैसू दराज	गुलबर्गा के सूफी संत।
71—हरिहर और बुक्का	विजयनगर राज्य के संस्थापक।
72—हसन गंगू	बहमनी राज्य का संस्थापक।
73—हुमायूँ	द्वितीय मुगल सम्राट्, बाबर का ज्येष्ठ पुत्र।

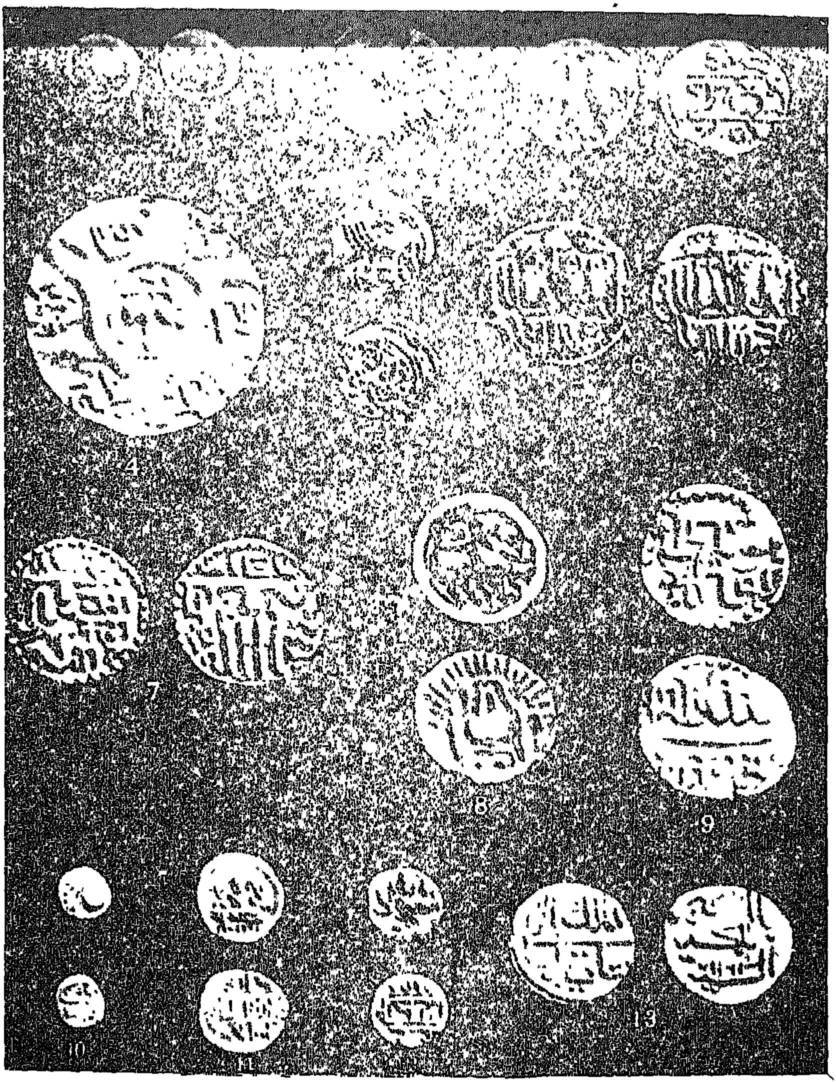
महत्त्वपूर्ण तिथियाँ

ईसवी 712—	दाहिर की पराजय और मृत्यु तथा सिन्ध पर अरब वालों की विजय।
753—	राष्ट्रकूट साम्राज्य का उत्कर्ष।
836—	प्रतिहार राजा भोज प्रथम का राज्याभिषेक।
907—	चोल राजा परांतक प्रथम का राज्याभिषेक।
973—	उत्तरकालीन चालुक्य राज्य की स्थापना।
1026—	सुल्तान महमूद द्वारा सोमनाथ का पराभव।
1030—	सुल्तान महमूद की मृत्यु।
1192—	तराइन का द्वितीय युद्ध, मुहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज तृतीय की पराजय।
1206—	मुहम्मद गौरी की मृत्यु।
1206—	कुतुब-उद्-दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की।
1210—	कुतुब-उद्-दीन ऐबक की मृत्यु।
1210-11—	इल्तुतमिश का राज्यारोहण।
1236—	इल्तुतमिश की मृत्यु और रजिया का राज्यारोहण।
1266—	गयास-उद्-दीन बलबन का राज्यारोहण।
1290—	खिलजी वंश की स्थापना।
1296—	अल-उद्-दीन खिलजी का राज्यारोहण।
1297-1305—	गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, उज्जैन, मांडू, धार और चंदेरी पर अल-उद्-दीन की विजय।
1306-7—	देवगिरि पर मलिक काफूर का अभियान।
1325—	मुहम्मद बिन तुगलक का राज्यारोहण।
1336—	विजयनगर राज्य की स्थापना की परंपरागत तिथि।
1347—	बहमनी राज्य की स्थापना।

1393-94—	जौनपुर राज्य की स्थापना।
1398—	तैमूर का आक्रमण।
1451—	लोदी राजवंश की स्थापना।
1481—	महमूद गवाँ की हत्या।
1484—	बरार राज्य की स्थापना, बहमनी राज्य के विघटन का प्रारंभ।
1498—	वास्को-डि-गामा का आगमन।
1526—	पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर ने इब्राहीम लोदी को पराजित किया।
1527—	खानुआ का युद्ध—बाबर ने राणा साँगा को हराया।
1529-30—	कृष्णदेव राय की मृत्यु।
1530—	बाबर की मृत्यु और हुमायूँ का राज्यारोहण।
1538—	गुरु नानक की मृत्यु।
1539—	शेरशाह ने हुमायूँ को चौसा के युद्ध में पराजित किया।
1545—	शेरशाह की मृत्यु।
1556—	हुमायूँ की मृत्यु और अकबर का राज्याभिषेक।
1556—	पानीपत का द्वितीय युद्ध, अकबर ने हेमू को पराजित किया।
1565—	तालीकोट का युद्ध।
1568-95—	अकबर ने चित्तौड, रणथंभौर, गुजरात, कश्मीर, सिन्ध, उड़ीसा तथा बलूचिस्तान पर अधिकार कर लिया।
1600—	महारानी एलिजाबेथ ने इंग्लैण्ड के व्यापारियों की कंपनी का पूर्व से व्यापार करने के लिए चार्टर स्वीकार किया।
1605—	अकबर की मृत्यु और जहाँगीर का राज्यारोहण।
1616—	जहाँगीर के पास सर टॉमस रो आया।
1627—	शिवाजी का जन्म (कुछ के अनुसार 1630)।
1627—	जहाँगीर की मृत्यु।
1628—	शाहजहाँ सम्राट घोषित हुआ।
1674—	शिवाजी ने राजा की पदवी धारण की।
1680—	शिवाजी की मृत्यु।

1686—	बीजापुर का विलयन।
1687—	गोलकुंडा का विलयन।
1707—	औरंगजेब की मृत्यु।
1707—	बहादुरशाह का राज्यारोहण।
1712—	बहादुरशाह की मृत्यु।
1739—	नादिरशाह का आक्रमण और दिल्ली पर उसका अधिकार।
1747-61—	अहमदशाह अब्दाली के आक्रमण।
1761—	पानीपत की तीसरी लड़ाई, अहमदशाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया।

टिप्पणी सहित प्लेट



प्लेट संख्या 1

प्लेट संख्या 1

1—सोने का गोलाकार।

दूसरी ओर :	हल्का पत्र का चिन्ह।

2—पद्म टंका।

सामने की ओर :	साँक और दो अन्य चिन्हों से घिरा अष्टदल कमल। नागरी लिपि के एक रूप में अभिलेख।

3—पांड्य।

सामने की ओर :	छतरी के नीचे दो मछलियाँ। दाहिनी ओर दीपक। बाईं ओर चँवर।
दूसरी ओर :	अपठनीय अभिलेख।

4—पूर्वी चालुक्य : राजराज।

सामने की ओर :	दाहिनी ओर बीच में वाराह। चारों ओर **श्री राजराज संवत् 35**।

5—कांगुदेश।

सामने की ओर :	दाहिनी ओर सजा हुआ हाथी।
दूसरी ओर :	पट्ट पर बनी फूलों की डिजाइन।

6—चोल।

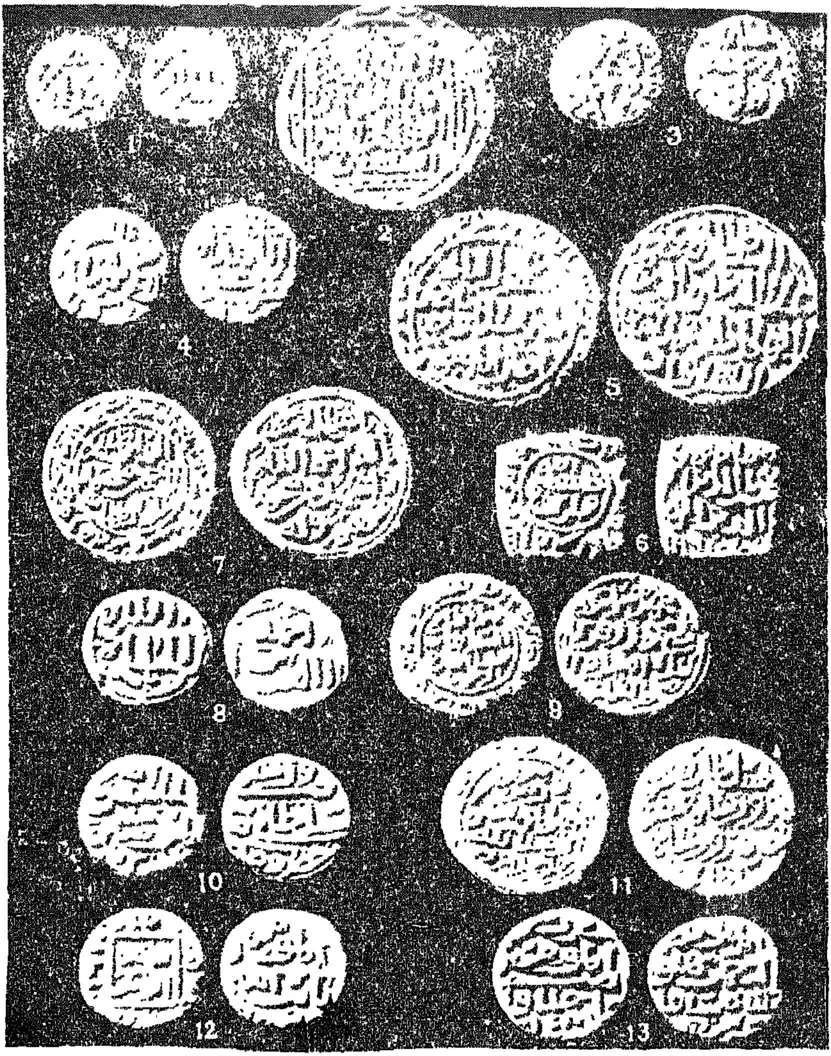
सामने की ओर :	एक छतरी के नीचे बैठा हुआ चीता। इसके पीछे एक धनुष, सामने दो मछलियाँ। संपूर्ण के दोनों ओर दो चँवर। नीचे नागरी लिपि में **श्री राजेन्द्र:**।
दूसरी ओर :	वही जो सामने की ओर।

7—लंका : पराक्रमबाहु।

सामने की ओर :	खड़ा हुआ राजा।
दूसरी ओर :	बैठी हुई देवी। नागरी लिपि में **श्री पराक्रमबाहु**।

8—पल्लव अथवा चालुक्य (?)।

सामने की ओर :	दाहिनी ओर शेर।
दूसरी ओर :	आधार पर कलश। किरणों का वृत्त।



प्लेट संख्या 2

9—केरल ।

सामने की ओर : अपठनीय अभिलेख ।

दूसरी ओर : नागरी में **श्री वीरकेरलस्य** ।

10—कालीकट : टीपू ।

सामने की ओर : फारसी में 'हे' (हैदर) ।

दूसरी ओर : फारसी मे **कालीकट, 1199** ।

11—विजयनगर : कृष्ण देव राय ।

सामने की ओर : शंख और चक्र धारण किए बैठे हुए विष्णु ।

दूसरी ओर : नागरी लिपि में **श्री प्रताप कृष्ण राय** ।

12—विजयनगर : हरिहर द्वितीय ।

सामने की ओर : बैठे हुए देवी और देवता ।

दूसरी ओर : नागरी लिपि में **श्री प्रताप हरिहर** ।

13—कनानूर : अली राजा ।

सामने की ओर : अरबी में **अलवली उलमुल्क अला राजा** (राज्य का संरक्षक अली राजा)

दूसरी ओर : **बिल हिजरती आस्सीना 1194** (हिजरी सन् 1194 मे) ।

प्लेट संख्या 2

1—अल्तमश ।

सामने की ओर : षटकोण मे, अदल (न्याय) ।

दूसरी ओर : वर्ग के अंदर वृत्त मे अभिलेख अस्सुल्तान

2—अल्तमश ।

दूसरी ओर :	वर्ग के अंदर वृत्त में अभिलेख **अस्सुल्तानुल आजम शमसुद्दुनयावद्दीन अबुल-मुजफ्फर अल्तमश अस्सुल्तान** (सर्वशक्तिमान सुल्तान, धर्म और ससार का सूर्य, विजय प्राप्त करने वालों का पिता, सुल्तान अल्तमश) हाशिए का लेख अपूर्ण ।

3—रजिया ।

सामने की ओर :	दाहिनी ओर घड़सवार । चारों ओर नागरी लिपि मे **श्री हमीरा:** (अमीर) ।
दूसरी ओर :	अरबी लिपि मे **अस्सुल्तानुलआजम रजियानुद्दुनिया वद्दीन ।**

4—गयासुद्दीन बलबन ।

सामने की ओर :	अरबी लिपि में वृत्त के अंदर **बलबन**; चारो ओर नागरी लिपि में **श्री सुल्तान गयासुद्दीन ।**
दूसरी ओर :	अरबी में **अस्सुल्तानुल् आजम गयासुद्दुनिया वद्दीन ।**

5—अलाउद्दीन मुहम्मद, दिल्ली ।

सामने की ओर :	वृत्त में **सिकंदरुस्सानी यामिनुल खिलाफती नासिरू अमीरूलमोमिनिन** (दूसरा सिकदर, खलीफा का दाहिना हाथ, धार्मिक नायक का सहायक) हाशिए पर **जुरीबा हाजिहिस्सिक्कतु बी हजरते देहली फी सिनाते समना वा तिस आइना वा सितमी अता** (यह सिक्का राजधानी दिल्ली मे ढाला साल आठ और नब्बे और छ: सौ) ।
दूसरी ओर :	जैसा कि दूसरे नंबर पर, किन्तु शीर्षक **अलाउद्दुनिया वद्दीन,** और नाम **मुहम्मद शाह ।**

6—कुतब-उद्-दीन मुबारक ।

सामने की ओर :	वृत्त में **खलीफतुल्लाह मुबारक शाह** (ईश्वर का खलीफा, मुबारक शाह) चारो ओर **अस्सुल्तान अल वासिक बिल्लाह अमीरूल मोमिनीन** (ईश्वर पर विश्वास रखने वाला धर्म का नेता सुल्तान) ।

दूसरी ओर : अल इमामुलाजम कुतुबुद्दुनिया वद्दीन अबुल मुजफ्फर (सर्वशक्तिमान इमान, विजय प्राप्त करने वालो का पिता कुतुबुद्दीन)।

7—मुहम्मद बिन तुगलक, दिल्ली

सामने की ओर : वृत्त में, अल **वासिक बी ताई दुर्रहमान** (दयालु की सेवा में विश्वास रखने वाला) **मुहम्मद शाह अस्सुल्तान**। हाशिए पर नबर 5 की भाँति लेकिन **हाजिहिद्दीनार** और **726** अरबी शब्दों में।

दूसरी ओर : **अशहदोअन ला इलाहा इल्ललाहो वा अश्हदो अन मुहम्मदन अब्दुहू वा रसूलहू** (मै प्रमाणित करता हूँ कि ईश्वर के अलावा कोई देवता नही और मैं प्रमाणित करता हूँ कि मुहम्मद उसका धर्मापदेशक सेवक है)।

8—मुहम्मद बिन तुगलक, दिल्ल

सामने की ओर : चौखटे में **अल हाकिम बे अमरूल्लाह**।

दूसरी ओर : चौखटे मे **अबुल अब्बास अहमद**।

9—मुहम्मक बिन तुगलक, दिल्ली।

कृत्रिम मुद्रा। तुगलकपुर।

सामने की ओर : वृत्त में **मन अता अस्सुल्तान फकद अता अर्रहमान** (जो सुल्तान की आज्ञा का पालन करता है वह दयालु ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है)। हाशिए पर फारसी मे **दर इक्लमे तुगलकपुर उर्फ तिरहुत साल बार हफ्सद सी** (तुगलकपुर उपनाम तिरहुत में हि० **730** में ढाला गया)।

दूसरी ओर : फारसी में **मुहर शुद टंकए राइज दरो जमाहे बंदाहे उम्मीदवार मुहम्मद तुगलक** [टका की भाँति मुहर किया हुआ गुलामों के क्षेत्र मे प्रचलित, (दया की) आशा रखने वाला मुहम्मद तुगलक]।

10--फिरोज शाह्।

सामने की ओर :	अल खलीफतु अमीरूल मोमिनीन खुल्दत खिलाफतुहू 773। (धर्म के नायक का खलीफा। खिलाफत अनंत काल तक चलती रहे)।
दूसरी ओर :	फीरोजशाह् सुल्ताने जरीबा बे हज़रते देहली। हाशिए पर नंबर 5 की भाँति।

11--फीरोजशाह जफर।

सामने की ओर :	वृत्त मे फी जमानेल इमामी अमीरूलमोमीन अबू 'अबदुलाह खुलदात खिलाफतुह् (धर्म के नायक इमाम के काल मे अबू अब्दुलाह) इत्यादि। हाशिया अपठनीय।
दूसरी ओर :	अस्सुल्तानुल आजम फीरोजशाह् जफरशाह इब्नेफी रोज शाह् सुल्तानी (सर्वशक्तिमान सुल्तान फीरोजशाह् का पुत्र सुल्तान फीरोजशाह जफर शाह्)।

12--अबू बकर शाह्।

सामने की ओर :	वर्ग में अबू बकर शाह्; हाशिए में बिन जफर बिन फीरोज शाह् सुल्तानी।
दूसरी ओर :	नाइबे अमीरूल मोमिनीन 792 (धर्म के नायक का सहायक)।

13--बहलोल लोदी, दिल्ली।

सामने की ओर .	फी जमानी अमीरूल मोमनीन खुलदत खिलाफतुहू 858।
दूसरी ओर :	अल मुतावक्किलु अलअर्रहमान (दयालु ईश्वर पर विश्वास करने वाला) बहलोल शाह् सुल्तान बे हजरते देहली।

प्लेट संख्या 3

1—बाबर, लाहौर ।

सामने की ओर :	वृत्त में कल्मा। हाशिए पर वृत्त के हिस्सों में **अबाबक रेस्सादिक** ('अ' विश्वासपात्र गवाह) के कुछ भाग, **उमरूल फारूक** (उ, भलाई और बुराई में अंतर करने वाला), **उस्मान अबू नरैन** (उ, दोनों प्रकाशों का पिता) **अलीउल् मर्तजा** (अ, ईश्वर को प्रिय) ।
दूसरी ओर :	चौरस मेहरावी क्षत्र में **जहीरूद्दीन मुहम्मद बाबर बादशाह गाजी 936**, ऊपर, **अस्सुल्तानुल आजमुल खाकानो मुकर्रम** (सबसे महान सुल्तान और शहशाह), नीचे, **खल्लदा अल्लाह ताला मुल्कहू वा सुल्तानतुहू** (सर्वशक्तिमान ईश्वर साम्राज्य को चलाता रहे) और **जुरीबा लाहोर** (लाहौर में ढाला गया) ।

2—हुमायूँ ।

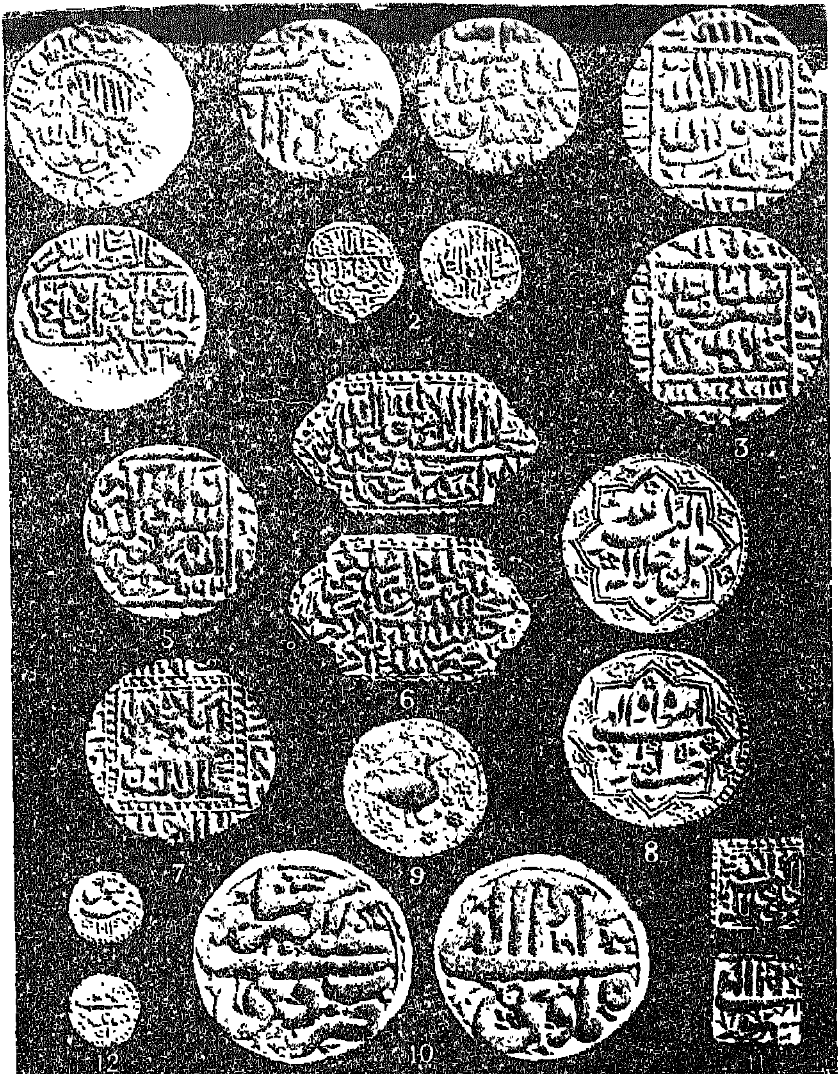
सामने की ओर :	वृत्त में कल्मा ।
दूसरी ओर :	**खल्लदा अल्लाहताला मुल्कहूमुहम्मद हुमायूँ बादशाह गाजी।**

3—शेरशाह, आगरा ।

सामने की ओर :	वर्ग में कल्मा । हाशिए पर जैसा नंबर एक में ।
दूसरी ओर :	वर्ग में, **शेरशाह सुल्तान खल्लदा अल्लहू मुल्कहू 948**, नीचे नागरी मे **श्री शेरशाही** (शेरशाह के नाम का प्रयत्न) । हाशिए में **अस्सुल्तानुल आदिल अबुल मुजफ्फर** (न्यायी सुल्तान, विजय पाने वालों का पिता) **फरीदुद्दीन जुरीबा आगरा** ।

4—इस्लाम शाह, कन्नौज ।

सामने की ओर :	**फी आहदिल अमीरूल हमीउद्दीनी वद्दयान 95** (शाहजादे के समय बदला देने वाले के धर्म की रक्षा करने वाला) । दो छड़ें जिनके बीच में गाँठ लेख को दो भागो में बाँटती है ।



प्लेट संख्या 3

दूसरी ओर : अबुलमुजफ्फर इस्लाम शाह बिन शेरशाह सुल्तान जुरीबा शेरगढ़ उर्फ कन्नौज खल्दा अल्लहू मुल्कहू [शेरशाह सुल्तान का पुत्र, विजय करने वालों का पिता इस्लाम शाह, शेरगढ़ उपनाम कन्नौज में (यह सिक्का) ढला। ईश्वर इस राज्य को अनन्त काल तक बनाए रक्खे।]

5—सिकंदर सूर।

दूसरी ओर : वर्ग में, **सुल्तान सिकंदर शाह इस्माइल सूर 962**। हाशिया अपठनीय।

6—अकबर, आगरा।

सामने की ओर : बिन्दियोंवाले घेरे में कल्मा। चार सथियों के नाम और **981**।

दूसरी ओर : **खल्लदा मुल्कहू जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर बादशाह गाजी जुरीबा बल्दती आगरा**। (आगरा शहर में ढाला गया)।

7—अकबर, अहमदाबाद।

दूसरी ओर : बिन्दियों वाले वर्ग के बीच में, **जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर बादशाह गाजी 982**, हाशियों पर **अस्सुल्तानुल आजम खल्लदा अल्लहू ताला मुलकहू वा सल्तनतहू जुरीबा दारू स्सल्तनते अहमदाबाद** (शासन की राजधानी अहमदाबाद में ढाला गया)।

8—अकबर, आगरा।

सामने की ओर : सजी हुई भूमि पर अष्टभुज के अंदर **अल्लहू अकबर जल्ल जलालहू** (ईश्वर महान है उसका ऐश्वर्य महान है)।

दूसरी ओर : उसी प्रकार के घेरे में **जरबे आगरा अमरदाद इलाही 50** (आगरा में अमरदाद इलाही के वर्ष **50** में ढाला गया)।

9—अकबर, आगरा।

सामने की ओर : बिन्दियों वाले वृत्त के अंदर सजी हुई भूमि पर दाहिनी ओर एक बतख।

10—अकबर, दिल्ली।

सामने की ओर : **टंकाए अकबर शाही जरबे देहली** (अकबर शाह का टंका दिल्ली में ढाला गया)।

दूसरी ओर : **माह् वे इलाही 43** (इलाही सन् 43 के महीने दूसरे में) ।

11—अकबर (बिना टकसाल के)

सामने की ओर : बिन्दियों वाले वर्ग में, नंबर 8 की तरह अभिलेख ।

दूसरी ओर : शहरे वार इलाही 43 ।

12—जहाँगीर ।

सामने की ओर : बिन्दियों वाले घेरे में **जहाँगीर बादशाह गाजी** ।

दूसरी ओर : **खैर कबूल** (यह दान स्वीकार किया जाए) ।

नागरिक शास्त्र

हम अपना शासन कैसे चलाते हैं

दि० सी० मुले

अ० च० शर्मा

सुप्ता दास

आमुख

भारत के लोगों ने, अपने संविधान के द्वारा, अपने देश में लोकतांत्रिक सरकार को अपनाया है। लोकतंत्र में अपने देश के शासन और संविधान का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए स्कूली पाठ्यक्रम में, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत देश के शासन और संविधान के आधारभूत ज्ञान का विशेष महत्व होता है।

'हम अपना शासन कैसे चलाते हैं' नामक पुस्तक माध्यमिक स्तर पर पढ़ाए जाने वाले नागरिक शास्त्र विषय की दूसरी कड़ी है। पुस्तक का उद्देश्य, छात्रों को भारतीय संविधान और शासन के विषय में आधारभूत तथा सामान्य जानकारी कराना है। साथ ही संविधान और शासन के प्रति उचित धारणा पैदा करना भी इस पुस्तक का एक उद्देश्य है।

पाठ्यपुस्तक की भाषा को सरस, रुचिपूर्ण और सरल बनाने का प्रयास किया गया है। पाठ्य-सामग्री को बालकों को ग्राह्य बनाने के लिए कठिन सिद्धान्तों को सरल रूप में रखने का प्रयत्न किया गया है। पाठ्यपुस्तक में उपयुक्त चित्र दिए गए हैं। अभ्यास के प्रश्न, छात्रों और अध्यापक दोनों के हेतु दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त कठिन शब्दों की सूची व्याख्या सहित पुस्तक के अन्त में दी गई है। इससे निःसन्देह पुस्तक की उपयोगिता बढ़ जाएगी।

इस पुस्तक की पाण्डुलिपि को सामाजिक विज्ञान एव मानविकी शिक्षा विभाग के डा॰ दिवाकर मुले, श्री अमीचन्द शर्मा एवं श्रीमती सुप्ता दास ने तैयार किया। तदुपरान्त, इसको उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के तथा विश्वविद्यालीय स्तर के अनुभवी अध्यापकों द्वारा पुनरीक्षण करके अन्तिम रूप दिया गया। परिषद् इन सभी के योगदान के लिए आभारी है। मैं, श्री के॰ सी॰ वाघ को जिन्होंने इस पुस्तक के लिए चित्र तैयार किए, धन्यवाद देता हूँ।

हम दिल्ली प्रशासन में अध्यापक श्री त्रिलोक चन्द गुप्ता तथा सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग के डा० हीरालाल बाछोतिया के प्रति भी कृतज्ञ हैं जिन्होंने इस पाण्डुलिपि का हिन्दी में अनुवाद किया।

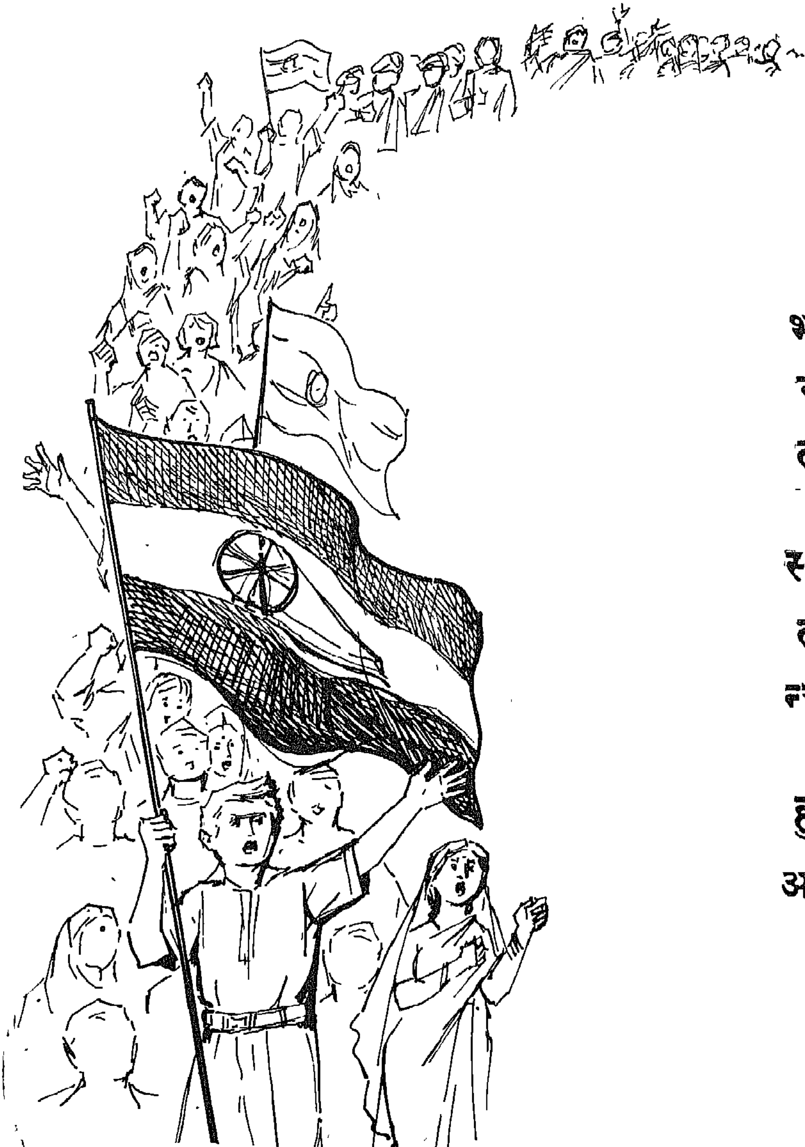
पुस्तक को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए शिक्षकों और छात्रों से जो सुझाव मिलेंगे उनका हार्दिक स्वागत किया जाएगा।

भा० स० पारख

नई दिल्ली

विभागाध्यक्ष
सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी
शिक्षा विभाग

विषय सूची



भारत स्वतन्त्र हुआ

अध्याय 1

हमने अपना संविधान कैसे बनाया

हम रोज अखबारों में प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ते हैं। हम राष्ट्रपति के बारे में भी पढ़ते हैं। इसी प्रकार तुमने अपने राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में भी पढा होगा। इन लोगों के काम क्या हैं ? उन्हें कौन चुनता या नियुक्त करता है। इन लोगों के कामों के बारे में भारतीय संविधान में नियम दिए गए हैं।

हर सरकार को तरह भारत सरकार की भी तीन शाखाएं हैं। वह भाग जो विधि या कानून बनाता है, विधायी कहा जाता है। हमारे यहां लोकसभा और राज्यसभा हैं जो पूरे देश के लिए कानून बनाती हैं। जो इन्हें क्रियान्वित करती हैं, कार्यपालिका कही जाती है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल मिलकर शासन की कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। वह जो इन कानूनों के अनुसार झगड़ों का निपटारा करती है न्यायपालिका कही जाती है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा अन्य न्याय करने वाली अदालतें सरकार के इस तीसरे अंग का निर्माण करती हैं।

संविधान का अर्थ

भारतीय संविधान में शासन के इन अंगों की स्थिति तथा शक्तियों की परिभाषा दी गई है। इस प्रकार संविधान नियमों का संकलन है जिसके आधार पर देश का शासन होता है। हमारे संविधान में हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता तथा समाजवाद का समावेश है। इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सरकार बनाने की योजना संविधान में है। इसके साथ ही हमारे संविधान में हमारे अधिकारों और कर्तव्यों की परिगणना की गई है। इस प्रकार हमारा संविधान हमारे लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने संविधान का आदर करें।

हमारा संविधान किसने बनाया ? भारतीय जनता के प्रतिनिधियों ने एक लम्बे वाद-विवाद तथा चर्चा के बाद इस संविधान का निर्माण किया है।

15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। इस आजादी के लिए भारतीय जनता को ब्रिटिश हुकूमत से एक लम्बा संघर्ष करना पड़ा था। राष्ट्रीय आन्दोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे आगे थी। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद और अन्य नेताओं के नेतृत्व में इस राजनैतिक दल में अलग-अलग समुदायों के लोग शामिल थे। कुछ दूसरे राजनैतिक दल भी थे। मौहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य, पाकिस्तान चाहती थी। मुस्लिम लीग ने यह गलत धारणा बनाई कि भारत में स्वतंत्र होने पर हिन्दू बहुमत का वर्चस्व होगा। उनका ख्याल था ऐसे राज्य में मुसलमानों के प्रति भेदभाव होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पाकिस्तान की मांग से सहमत नहीं थी। उसका विश्वास था कि हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, सिक्ख और दूसरे बहुत से समुदायों को मिला कर भारत देश बना है। वे सब मिलकर एक राष्ट्र और देश का निर्माण करते हैं। इसके नेताओं ने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी सभी समुदायों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है।

1939 में दूसरा महायुद्ध शुरू होने के साथ ही, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वाधीनता संघर्ष ने जोर पकड़ा। इसलिए ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीय स्वतंत्रता के प्रश्न का हल खोजने के लिए एक शिष्टमंडल भेजा जो केबिनेट मिशन के नाम से प्रसिद्ध है।

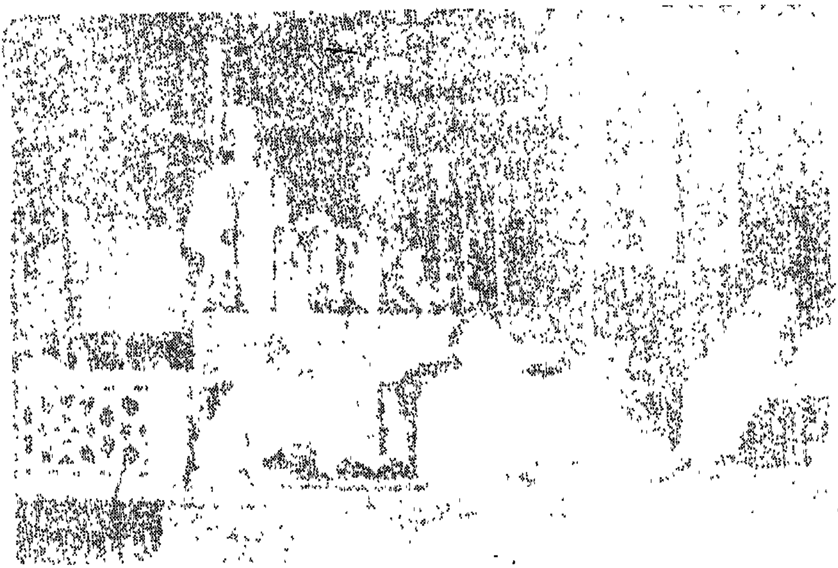
मिशन ने सिफारिश की कि नए संविधान की रचना के लिए एक संविधान सभा हो। जो सभा अपने देश के लिए संविधान बनाती है, ऐसी सभा को संविधान सभा कहा जाता है। केबिनेट मिशन की सिफारिशों के अनुसार, भारतीय संविधान सभा के निर्वाचन के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए। सदस्यों का चुनाव सीधा जनता द्वारा न कर प्रान्तीय सभाओं के सदस्यों द्वारा किया गया। सदस्यों की संख्या के निर्धारण का आधार था, दस लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि। सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी। इनमें से ज्यादातर सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे। जब 1947 में पाकिस्तान की स्थापना हुई तो वे सदस्य जो मुस्लिम लीग के थे पाकिस्तान चले गए। इस तरह, 1947 में सविधान सभा की सदस्य संख्या 308 रह गई। यहां तक कि पाकिस्तान के बनने से पहले, मुस्लिम लीग के सदस्यों ने सभा का बहिष्कार किया और 9 दिसंबर 1946 को हुई इसकी पहली बैठक में उपस्थित ही नहीं हुए।

संविधान सभा जिसकी बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, में भारत के विभिन्न समुदायों तथा क्षेत्रों के सदस्य थे। इसमें विभिन्न राजनैतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य भी थे। देश में उपलब्ध अच्छे से अच्छे कानून-विशेषज्ञ सभा में रखे गए थे। सभा इस मायने में भी भाग्यशाली थी कि कई महत्वपूर्ण राजनीतिक नेता इसके सदस्य थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डा० राजेन्द्र प्रसाद, सरदार वल्लभभाई पटेल, मौलाना आजाद, डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी तथा सरदार बल्देव सिंह कुछ वे महत्वपूर्ण नेता थे



संविधान सभा के कुछ सदस्य : (1) डा० राजेन्द्र प्रसाद; (2) सरदार वल्लभभाई पटेल; (3) मौलाना अबुल कलाम आजाद; (4) डा० बी० आर० अम्बेडकर।

जिन्होंने सभा की चर्चाओं का दिशा निर्देशन किया। तीस से अधिक सदस्य अनुसूचित जातियों के थे, तो छोटे अल्पसंख्यक वर्गों जैसे एंग्लो-इंडियन और पारसियों का प्रतिनिधित्व क्रमशः श्री फ्रैंक एन्थनी और डा०एच०पी० मोदी ने किया। कुछ एक कानूनी पंडित जैसे, सर अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर, डा०बी०आर० अम्बेडकर तथा श्री के० एम० मुंशी भी सभा के सदस्य थे। श्रीमती सरोजिनी नायडू तथा श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित, महत्वपूर्ण महिला सदस्य थीं।



संविधान सभा की अध्यक्षता करते हुए डा० राजेन्द्र प्रसाद

संविधान सभा ने अपना काम डा० राजेन्द्र प्रसाद को अपना सभापति चुनकर शुरु किया। संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए एक प्रारूप-समिति बनाई गई। इस प्रारूप-समिति के सभापति डा०बी०आर० अम्बेडकर

थे । इसके अन्य प्रमुख सदस्य थे, श्री एन० गोपालस्वामी आयंगर, श्री अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर, श्री के०एम० मुंशी और श्री सैय्यद मोहम्मद सादुल्ला ।

संविधान सभा को अपना काम पूरा करने में कोई तीन साल लगे । इस अरसे में सभा पर 6.4 करोड़ रुपया खर्च किया गया ।

जैसाकि हम पहले देख चुके हैं, सभा का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं हुआ था । प्रान्तीय सभाओं ने इसका चुनाव किया था । लेकिन सभा के सारे अधिवेशन पत्र-प्रतिनिधियों तथा जनता के लिए खुले थे । लोगों को समाचार पत्रों में अपने दृष्टिकोण और विचारों को प्रकट करने की पूरी छूट थी । इस तरह संविधान के निर्माण में परोक्ष रूप से भारतीय जनता भी शामिल थी ।



पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान के अन्तिम मसौदे पर हस्ताक्षर करते हुए

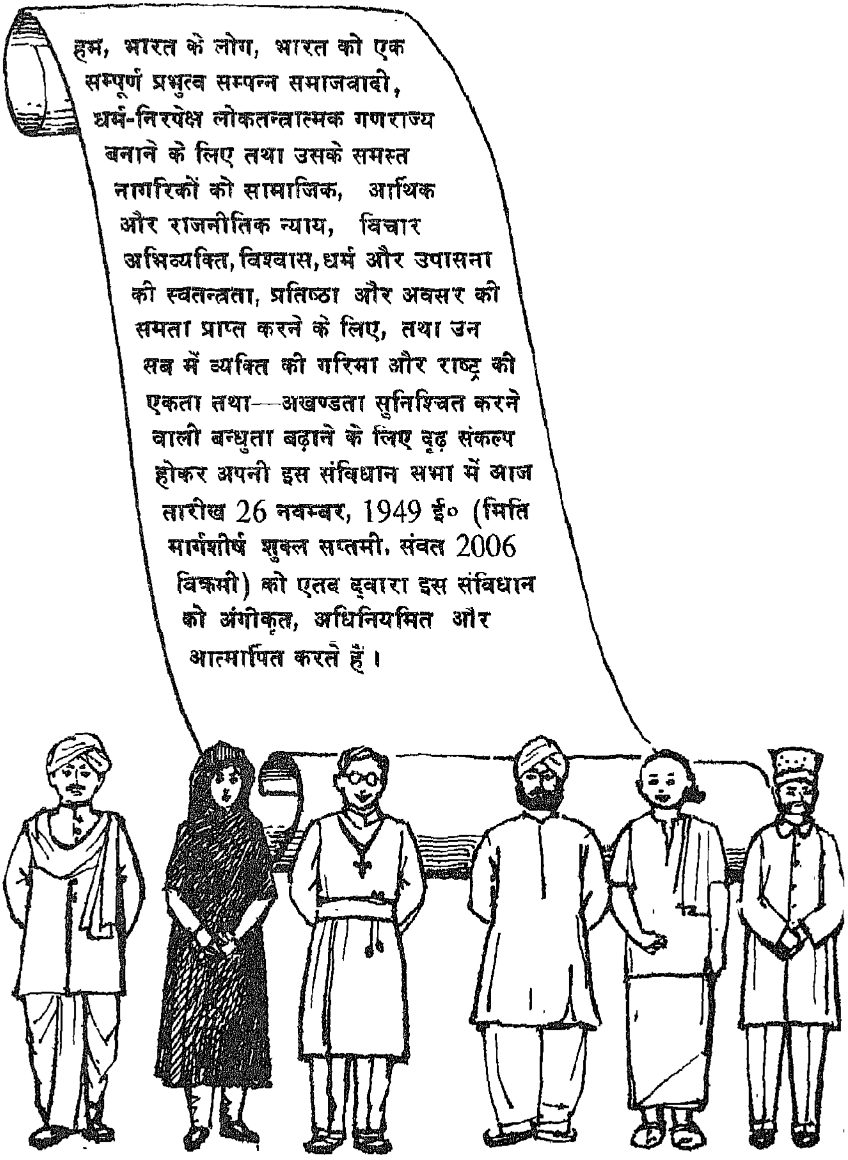
सभा द्वारा 26 नवम्बर 1949 को संविधान पारित कर दिया गया था, परन्तु यह लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से। इसका एक कारण है। कांग्रेस ने दिसंबर 1929 के अपने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य या भारत की पूरी आजादी के संघर्ष का निर्णय लिया था। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तब से हर साल 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। यही वह कारण है, कि हमारे नेताओं ने भारतीय संविधान को अमल में लाने के लिए 26 जनवरी 1950 का दिन चुना। संविधान हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक है।

1947 में जब भारत आजाद हुआ, लार्ड माउंटबैटन भारत के गवर्नर-जनरल थे। उनके बाद श्री सी० राजगोपालाचारी पहले भारतीय गवर्नर-जनरल बने। 1950 में संविधान के लागू होने पर, डा० राजेन्द्र प्रसाद, जो संविधान सभा के सभापति थे, 1952 में हमारे देश के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति बने। इस तरह स्वतंत्र भारत ने अपना संविधान बनाया।

अभ्यास

1. संविधान का क्या अर्थ है ? इसमें कौन-कौन सी बातें दी हुई हैं ?
2. हमारे देश का संविधान किसने बनाया ?
3. संविधान सभा की प्रारूप-समिति का सभापति कौन था ?
4. हमारा संविधान 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया ?
5. संक्षेप में निम्नलिखित शब्दों का आशय समझाओ :

   (क) संविधान सभा (ख) विधायिका


हम, भारत के लोग, भारत को एक
सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी,
धर्म-निरपेक्ष लोकतन्त्रात्मक गणराज्य
बनाने के लिए तथा उसके समस्त
नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक
और राजनीतिक न्याय, विचार
अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना
की स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की
समता प्राप्त करने के लिए, तथा उन
सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की
एकता तथा—अखण्डता सुनिश्चित करने
वाली बन्धुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प
होकर अपनी इस संविधान सभा में आज
तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई० (मिति
मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत 2006
विक्रमी) को एतद् द्वारा इस संविधान
को अंगीकृत, अधिनियमित और
आत्मार्पित करते हैं।

अध्याय 2

हमारे आदर्श क्या हैं—प्रस्तावना

हमारी जनता ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान बड़ा संघर्ष और त्याग किया। उनका संघर्ष किसलिए था ? आदर्श समाज का उनका एक सपना था। कविवर टैगोर ने आदर्श समाज के इस सपने को इस तरह व्यक्त किया—

"मन भय मुक्त हो जहां
और मस्तक ऊंचा।"

ये आदर्श हमारे संविधान की प्रस्तावना में झलकते हैं।

भारतीय संविधान का दस्तावेज निम्नांकित शब्दों से शुरू होता है—

"हम, भारत के लोग, भारत को एक सार्वभौम (सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न) धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखडता सुनिश्चित कराने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिए दृढ़

संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर 1949 को एतद् द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।"

प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द हैं 'हम, भारत के लोग'। इसका मतलब है संविधान भारत के लोगों के नाम से जारी हुआ है। ये, लोगों के प्रतिनिधि ही थे, जिन्होंने संविधान तैयार किया। इसका यह मतलब भी है कि शक्ति का अंतिम स्रोत जनता ही है। प्रस्तावना भारतीय जनता के अपने संविधान बनाने के अधिकार की रक्षा करती है। सन् 1947 से पहले हमारे देश का शासन ब्रिटिश हुकूमत चलाती थी। स्वतंत्रता के बाद हम गुलाम नहीं रहे। ये हम भारत के लोग हैं जो शासन चलाते हैं। अब हमारा देश सार्वभौम या सर्वोच्च है, उन सब मामलों में जो हमसे संबंधित है। यही कारण है कि प्रस्तावना में उल्लेख है कि हमारा देश सार्वभौम है।

लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद राष्ट्रीय लक्ष्य बन गए हैं। ये आधारभूत सिद्धान्त हैं जिनमें हमारे नागरिकों की पूर्ण आस्था है। इन सिद्धान्तों के आधार पर हमारा देश अपनी प्रधान समस्यायें जैसे गरीबी, सामाजिक और आर्थिक विषमताओं आदि को हल करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए यह जरूरी है कि हम शब्दों के सामान्य अर्थ जान लें।

लोकतंत्र

लोकतंत्र का अर्थ है ऐसी सरकार जिसमें लोगों का हिस्सा हो। लोकतन्त्रात्मक सरकार लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा चलाई जाती है। भारत में हर पांचवें साल आम चुनाव होते हैं और लोग अपनी सरकार चुनते हैं। राज्यतन्त्र में राज्य का मुखिया राजा या अधिपति होता है। राजा को जनता नहीं चुनती। उसकी नियुक्ति वंशपरंपरागत सिद्धान्त के आधार पर होती है। इसके विपरीत भारत में राज्य का मुखिया निर्वाचित



राष्ट्रपति होता है। इस प्रकार की पद्धति गणतंत्र कही जाती है। भारत एक गणतंत्र है।

धर्मनिरपेक्ष राज्य

धर्मनिरपेक्ष राज्य वह राज्य है जो सभी धर्मों को बराबर समझता है। भारत भी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत में हर नागरिक को चाहे वह हिन्दू हो, मुसलमान हो, सिक्ख हो या ईसाई, अपने धर्म के पालन करने का अधिकार है। हमारा देश किसी धर्म विशेष का पक्ष नहीं लेता। न यह किसी धर्म के साथ भेदभाव ही करता है। भारत में हर धर्म को विकसित होने और उन्नति करने की पूरी छूट है।

समाजवाद

जैसा कि तुम्हें मालूम है हमारे देश में ज्यादातर लोग गरीब हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी मासिक आमदनी मुश्किल से 100 रु० के करीब है। दूसरी ओर भारत में ऐसे भी लोग हैं जिनकी मासिक आमदनी लाखों में है। इसे आर्थिक विषमता कहा जाता है। ऐसी आर्थिक भिन्नता कुंठा और तनाव पैदा करती है। ऐसी परिस्थितियों में देश उन्नति

← लोकतन्त्रात्मक सरकार किस प्रकार कार्य करती है

नहीं कर सकता। इसी प्रकार हमारे यहां सामाजिक भिन्नताएं भी हैं। हमारा समाज सैकड़ों जातियों में बंटा हुआ है। कुछ जातियों को ऊंचा और कुछ को नीचा समझा जाता है। नीची जाति के लोगों को कभी-कभी तंग किया जाता है और उनके साथ भेदभाव किया जाता है। ऐसी सामाजिक असमानता असन्तोष पैदा करती है।

इसलिए हमारे देश में आर्थिक और सामाजिक समानता लाना जरूरी है। आर्थिक और सामाजिक समानता पर आधारित समाज की इस विचार-धारा को समाजवाद कहा जाता है। इसलिए, हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों में से समाजवाद भी एक लक्ष्य है।

भारतीय संविधान के चौथे भाग में समानता सामाजिक न्याय के इन लक्ष्यों या सिद्धान्तों का साफ-साफ शब्दों में उल्लेख किया गया है। इस भाग में समाहित सिद्धांतों को राज्य के नीति-निर्देशक तत्व कहा जाता है। उन्हें नीति-निर्देशक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे भारत की सभी सरकारों के लिए नीति-निर्देशक का काम करते हैं। हर एक सरकार का कर्तव्य है कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को अमल में लाए।

अभ्यास

1. प्रस्तावना में क्या दिया जाता है ?
2. भारत की सरकार गणतंत्र क्यों कही जाती है ?
3. संक्षेप में निम्नलिखित शब्दों का आशय स्पष्ट करो :
   (क) धर्मनिरपेक्ष राज्य (ख) आर्थिक न्याय।

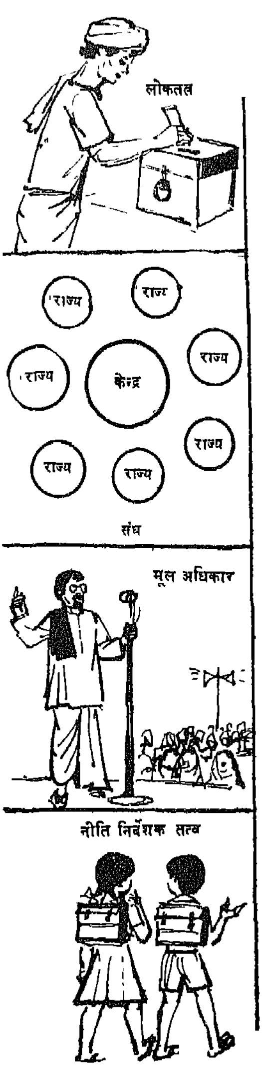
अध्याय 3

हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताएं

पहले हम अपने संविधान की कुछ आधारभूत विशेषताओं को जान लें।

इनमें सबसे प्रमुख विशेषता जिसे ध्यान में रखना है, वह है लोकतंत्रात्मक शासन, जो भारत को संविधान की देन है।

हमने पहले अध्याय में पढ़ा है कि किस तरह लोग संविधान बनाने में शामिल थे। हमारे देश में सर्वोच्च शक्ति जनता के पास है। भारत की जनता को मतदान का अधिकार है। मतदान के द्वारा वह अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। 1980 में लोकसभा के चुनाव हुए। कांग्रेस (ई), लोकदल और जनता पार्टी प्रमुख रूप से मुकाबले में थीं। तुमने अपने इलाके में देखा होगा कैसी बड़ी-बड़ी आम सभाएं हुईं जिनमें स्थानीय और राष्ट्रीय नेताओं ने भाषण दिए। तुमने जरूर उन बड़े-बड़े पोस्टरों को देखा होगा जिनमें उम्मीदवारों द्वारा मतदाताओं से उन्हें मत देने का अनुरोध किया गया था। मतदान के दिन तुम्हारे स्कूल में छुट्टी जरूर रही होगी। यहां तक की तुम्हारा स्कूल एक मतदान केन्द्र भी बना दिया गया होगा। तुम्हारे माता पिता



और पड़ोसी ज़रूर इस मतदान केन्द्र पर मत देने के लिए गए होंगे ।

इस प्रकार के चुनावों में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है । ये प्रतिनिधि जनता की भलाई के लिए कानून बनाते हैं । इन कानूनों के अनुसार जनता पर शासन किया जाता है और जनता इन कानूनों का पालन करती है । यही लोकतंत्र है । लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधि ही सरकार बनाते हैं । यदि जनता सरकार के काम से सतुष्ट नही है तो वह अगले आमचुनाव में सत्ता के लिए उसे नहीं चुनती । हमारा संविधान भारत में ऐसी ही सरकार की स्थापना करता है ।

हमारा संविधान दुनिया के संविधानों में सबसे विस्तृत है । इसमें कोई 90,000 शब्द हैं । संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं । वास्तव में खुद संविधान में ही वह तरीका बताया गया है, जिसके अनुसार संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है । ऐसे परिवर्तनों को संशोधन कहा जाता है । ऐसे संशोधन समय-समय पर पैदा होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए किए जाते हैं । उदाहरण के लिए, सन् 1956 में भारत के राज्यों का पुनर्गठन किया गया था और अनेक

← भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं

नए राज्य बनाए गए थे। इसके लिए संविधान में जरूरी परिवर्तन किए गए थे। इसी तरह, जमींदारी प्रथा को खत्म किया गया तो देश के कई हिस्सों में जमींदारों ने कठिनाइयां खडी कीं। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए संविधाम में संशोधन जरूरी हो गए थे।

भारत में दो तरह की सरकारें हैं। उनमें से एक राष्ट्रीय स्तर पर है जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, लोकसभा आदि हैं। दूसरा राज्य स्तर (क्षेत्रीय,) है जिसमें राज्यपाल, मुख्यमन्त्री, विधानसभा आदि हैं। भारत एक विशाल देश है। एक केन्द्र से पूरे देश का शासन चलाना कठिन है। इतना ही नही, हमारे देश में कई भाषाएं हैं और सांस्कृतिक विभिन्नता भी है। इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर की सरकार के साथ राज्य स्तर पर भी सरकारें हों। हमारे देश में 22 राज्य तथा 9 केन्द्र शासित क्षेत्र हैं। हर राज्य की अपनी सरकार है। सरकार की इस तरह की पद्धति को संघात्मक पद्धति कहा जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर संघात्मक ढंग की सरकार को संघ सरकार कहा जाता हैं। भारत में इस संघ सरकार को लोक प्रचलित रूप में केन्द्रीय सरकार कहा जाता है।

इस तरह, हमारा सविधान सघात्मक सरकार की स्थापना करता है। इन दोनों सरकारों अर्थात् संघ सरकार तथा राज्य सरकारों के अपने अधिकार हैं जिन्हें संविधान में साफ-साफ लिखा गया हैं। केन्द्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में उन विषयों को रखा गया हैं जो राष्ट्रीय महत्व के हैं। इस सूची में रेलवे, डाक-तार, विदेशी सम्बन्ध, सशस्त्र सेनाएं आदि विषय आते हैं। इन विषयों का उल्लेख जिस सूची में है, उसे केन्द्रीय सूची कहा जाता है। क्षेत्रीय तथा स्थानीय विषय राज्य सरकारों के अधिकार में हैं। इस सूची में, जन स्वास्थ्य, पुलिस, जेल, कृषि आदि विषय आते हैं। इन विषयों का उल्लेख जिस सूची में हैं उसे राज्य सूची कहा जाता हैं।



हमारे संविधान का संघीय तथा धर्मनिरपेक्ष स्वरूप

वे लोग जो भारत में पैदा हुए और भारत ही में रहते हैं, भारत के नागरिक हैं। एक नागरिक के नाते उनके निश्चित अधिकार और उत्तर-दायित्व हैं। उदाहरण के लिए हमारे देश के हर नागरिक को मत देने का

अधिकार है दूसरी ओर उसका यह उत्तरदायित्व है कि वह अपने अधिकार का उपयोग ठीक से करे। इस तरह नागरिकता, एक विशेषाधिकार है जो भारत के हर नागरिक को दिया जाता है।

इसका यह अर्थ नहीं कि जो भी भारत में रहता है, वह भारत का नागरिक हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो विभिन्न उद्देश्यों से विदेशों से भारत आते हैं। उन्हें विदेशी कहा जाता है। उन्हें बहुत सारे वे अधिकार नहीं होते जो भारत के नागरिकों को होते हैं।

हमने यह देखा कि संघात्मक पद्धति में दोहरी सरकार होती है। दुनिया के कुछ देशों जैसे सयुक्त राज्य अमेरिका में जहां संघ सरकार है, दोहरी नागरिकता की प्रथा है। लेकिन हमारे यहां, भारत में दोहरी नागरिकता की प्रथा नहीं है। हमें दो नागरिकताए नही मिलती, एक राज्य की तथा दूसरी देश की। उदाहरण के लिए एक आदमी जो महाराष्ट्र में रहता है, उसे एक ही नागरिकता उपलब्ध है और वह है भारत की नागरिकता। उसे दो नागरिकताए नही मिलेंगी, एक अपने राज्य की और दूसरी देश की। इस तरह, हमारा संविधान भले ही संघात्मक संविधान है, एक ही नागरिकता प्रदान करता है।

जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि हमारा संविधान भारत में लोकतंत्रात्मक शासन की स्थापना करता है। लोकतंत्र में जनता सरकार का चुनाव भी करती है, इसे बदलती भी है। जनता इस महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह नहीं कर सकती, यदि उसे स्वतंत्रता का अधिकार न दिया गया हो। इसलिए संविधान भारत के हर नागरिक को कुछ आधारभूत अधिकारों की गारंटी देता है। ये अधिकार अक्सर मूल अधिकार कहे जाते हैं। ये अधिकार न सिर्फ लोकतंत्रात्मक सरकार को चलाने के लिए जरूरी है वरन् हर नागरिक

के व्यक्तित्व के विकास के लिए भी जरूरी हैं। ये अधिकार हर नागरिक के जीवन के लिए आधारभूत हैं और इसलिए उन्हें मूल अधिकार कहा जाता है। हम इन अधिकारों के बारे में एक अलग अध्याय में पढ़ेंगे।

जैसा कि हम देखगे, अगर हमारे अधिकारों का अतिक्रमण किया जाए, तो हम न्याय के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय हमारे अधिकारों का रक्षक है। यह तटस्थतापूर्वक सारे प्रकरणों का निपटारा करता है। यहां तक कि यह भारत सरकार के खिलाफ भी निर्णय दे सकता है। इससे यह दखा जा सकता है कि हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय कितना स्वतंत्र है।



उच्चतम न्यायालय

हमारे संविधान ने राज्य को धर्मनिरपेक्ष रखा है। भारत के सभी धर्म बराबर हैं। किसी धर्म के प्रति कोई भेदभाव नहीं है। सरकार किसी धर्म विशेष का पक्ष नहीं लेती।

अभ्यास

1. तुम संघात्मक सरकार से क्या समझते हो?
2. उन पाच विषयों का उल्लेख करो जो केन्द्रीय तथा राज्य सूची में हों।
3. संक्षेप मे निम्नलिखित के अर्थ बताओ :
   (क) एक नागरिकता (ख) लोकतन्त्रात्मक सरकार (ग) धर्मनिरपेक्षता
4. 'रक्षा' केन्द्रीय सूची में तथा 'पुलिस' राज्य सूची में क्यों है?

अध्याय 4

हमारे मूल अधिकार और कर्त्तव्य

हर नागरिक को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए विशिष्ट परिस्थितियों की जरूरत होती है। उसकी सरकार का काम है उसके लिए ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करे। जीवन को बेहतर समझने के लिए उसे शिक्षा चाहिए। अच्छे रहन-सहन के लिए जीवनयापन की अच्छी परिस्थितियां जरूरी हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे कि अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता न सिर्फ व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी है वरन् देश में लोकतंत्र के विकास के लिए भी जरूरी है।

ऐसी सारी परिस्थितियां एक नागरिक के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। ये परिस्थितियां विशेषाधिकार या अधिकार कही जा सकती हैं।

संविधान में कुल छः मूल अधिकार दिए गए हैं। हमें एक-एक कर समझ लेना है कि ये अधिकार क्या हैं?

समानता का अधिकार

जन्म से सभी मनुष्य समान होते हैं और इसलिए उनसे समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। हमारे संविधान ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया है। यह सारे नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। भारत में कानून सभी नागरिकों से समानता का व्यवहार करता है और धर्म, लिंग, जाति या जन्म स्थान के आधार पर उनके बीच कोई भेद नहीं करता। यदि दो अलग-अलग जाति के लोग एक जैसा अपराध करते हैं तो दोनों एक जैसे दंड के भागीदार होंगे। जाति के आधार पर कोई अंतर नहीं पड़ता। कानून दोनों के लिए एक जैसा है। किसी भी आदमी को धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार नहीं है।

लेकिन समाज के विशिष्ट वर्गों के हितों की रक्षा के लिए कानून हो सकते हैं। उदाहरण के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों को कुछ विशेष सुविधाएं दी गई हैं। स्कूलों, कालेजों तथा सरकारी नौकरियों में इन लोगों के लिए कुछ स्थान आरक्षित रखे जाते हैं। अतीत काल में अनुसूचित जाति के लोगों से बुरा बर्ताव किया गया। उनके बच्चों को स्कूलों में प्रवेश नहीं दिया जाता था। इन लोगों को हिन्दू मंदिरों में प्रवेश की आज्ञा नहीं थी। अतीत के इस भेदभाव के कारण वे पिछड़े हुए रह गए। अगर वे पिछड़े हुए रहते हैं तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। यह हमारा कर्तव्य है कि अब उन्हें विशेष सुविधाएं दें और उन्हें समाज के दूसरे वर्गों के बराबर लाएं। हमारे संविधान के अनुसार छुआछूत का व्यवहार करना अपराध है। कोई अगर ऐसा अपराध करे तो उसे छह महीने की सजा दी जा सकती है और 500 रु० जुर्माने के भरने पड़ सकते हैं।

स्वतंत्र भारत में हर नागरिक को स्कूल में प्रवेश के मामले और रोजगार के मामले में अवसर की समानता का अधिकार है।

इस अधिकार के अंतर्गत सारी उपाधियां समाप्त कर दी गई हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहिले राय बहादुर, खान बहादुर आदि किस्म की उपाधियां होती थीं। ये उपाधियां समाप्त कर दी गई हैं। स्वतंत्रता के बाद सरकार ने भारत रत्न, पद्मश्री आदि अलंकार प्रारम्भ किए हैं। ये अलंकार राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं।

स्वतंत्रता का अधिकार

व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, लोकतंत्र का आधार है। इसलिए हमारे संविधान ने हर नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। इस अधिकार के अंतर्गत किसी भी नागरिक को अपने विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसे मनचाहा बोलने और लिखने की छूट है। वह अपने मित्रों के साथ हिलमिल सकता है और आम सभाएं कर सकता है। वह भारत के किसी भी हिस्से में आ-जा सकता है। वह भारत में कही भी उद्योग-धंधा कर सकता है।

लेकिन इन स्वतंत्रताओं में कुछ शर्तें भी हैं। बिना शर्त की स्वतंत्रता कानून हीनता बन सकती है। उदाहरण के लिए इकट्ठे होने या आम सभा करने के अधिकार का यह मतलब नहीं होता कि लोग गड़बड़ी पैदा करें और दूसरों को नुकसान पहुंचाएं। आम सभाएं शांतिपूर्ण तरीके से होनी चाहिएं। इसी प्रकार कोई दूसरे के खिलाफ यूं ही मन में जो भी आए नहीं बोल सकता। हमें एक दूसरे की आजादी का आदर करना चाहिए और अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।

आगे संविधान में यह भी दिया गया है कि कोई भी नागरिक न तो पकड़ा जा सकता है न उसे सजा दी जा सकती है जब तक कि अदालत में यह प्रमाणित न हो जाए कि उसने कानून विशेष का उल्लंघन किया है। कानूनी अदालत में व्यक्ति पर मुकदमा चलना चाहिए और अगर वह दोषी

पाया जाए, तभी उसे सज़ा दी जाए अन्यथा नहीं। एक ही अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती। यदि व्यक्ति पर मुकदमा चलाया गया और उसे किसी अपराध के लिए सजा दी गई तो उसी अपराध के लिए उसे दुबारा सजा नहीं दी जा सकती।

शोषण के विरुद्ध अधिकार

गरीबी आदमी को असहाय बनाती है, विशेष रूप से स्त्रियों और बच्चों को। गरीबी और असहायता की ऐसी परिस्थितियों में कुछ लोग उनका फायदा उठाते हैं। संविधान बेगार लेने पर प्रतिबंध लगाता है। कोई व्यक्ति किसी मजदूर को बिना उचित मेहनताना दिए काम के लिए बाध्य नहीं कर सकता। यदि कोई ऐसा करे तो यह अपराध है और उसे दंडित किया जा सकता है।

चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को **कारखाने या खान** के काम में नहीं लगाया जा सकता। गरीबों के बच्चों का ऐसे खतरनाक कामों के लिए शोषण किया जाता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह ऐसे शोषण को रोके।

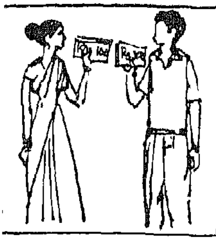
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। हमारे देश में अनेक धर्म हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हमारे देश में धार्मिक स्वतन्त्रता हो। भारत के हर नागरिक को अपने धर्म के पालन करने का, पूजन का और धर्म प्रचार का अधिकार है। कानून की निगाह में सारे धर्म समान है और हम में से हर एक को दूसरे धर्मों का आदर करना चाहिए।

संस्कृति और शिक्षा का अधिकार

भारत के लोग कई भाषाए बोलते हैं और उनमें सांस्कृतिक विविधता

समता का अधिकार



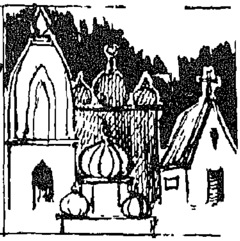
स्वतन्त्रता का अधिकार



शोषण के विरुद्ध अधिकार



धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार



संस्कृति तथा शिक्षा सम्बन्धी अधिकार





संवैधानिक उपचारों का अधिकार

हमारे मूल अधिकार

भी है। हर भाषा का अपना विशिष्ट साहित्य है। लोग अपनी भाषा और संस्कृति पर गौरव करते हैं। वे इसे प्यार करते हैं। इसलिए, यह जरूरी है कि नागरिकों को अपनी भाषा और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार हो। संविधान भी हर समुदाय के इस अधिकार को मान्यता देता है जिससे कि वे अपनी शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना और उनका रख रखाव कर सकें।

44 वें संशोधन के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान से निकाल दिया गया है। लेकिन, नागरिक इस अधिकार का उपयोग कानूनी अधिकार के रूप में कर सकेंगे।

संवैधानिक उपचारों का अधिकार

यह सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। हमने अभी देखा कि हमारे संविधान ने पांच अधिकारों की गारंटी दी है। ये हैं—समानता का अधिकार, स्वतन्त्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का

अधिकार और सस्कृति और शिक्षा का अधिकार। यह संभव है कि सरकार कुछ विशेष परिस्थितियों में इन अधिकारों का आदर न करे या उनका अतिक्रमण करे। ऐसी परिस्थिति में एक नागरिक के पास क्या उपचार है ? संविधान में उपचार की व्यवस्था है। छटे अधिकार के अन्तर्गत कोई भी नागरिक भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सरकार की कार्यवाही को चुनौती दे सकता है। संविधान ने इस न्यायालय को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का अधिकार दिया है। सरकार का कोई भी आदेश या कानून जो मूल अधिकारों में हस्तक्षेप करता हो, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द किया जा सकता है। यही कारण है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय को नागरिक अधिकारों का रक्षक माना जाता है।

इस तरह हमने नागरिकों के छः आधारभूत अधिकारों के बारे में पढ़ा। ये मूल अधिकार असीमित तथा निरपेक्ष नहीं हैं। हर अधिकार के साथ कुछ निश्चित शर्तें भी हैं। यहां तक कि आपत्काल में राष्ट्रपति व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन के संरक्षण को छोडकर इन सभी अधिकारों को स्थगित कर सकता है। आपत्काल में जब अधिकार स्थगित किए जाते हैं, तो कोई नागरिक अपने अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में नहीं जा सकता।

हर अधिकार के साथ कर्त्तव्य भी जुड़ा है। हम में से बहुतों की अधिकार की मांग करने की मनोवृत्ति होती है। लेकिन हम अक्सर इससे जुड़े कर्त्तव्य को भूल जाते हैं। यह सच है कि बिना अधिकारों के लोग गुलाम बन सकते हैं और इसीलिए हमें अपने अधिकारों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। लेकिन केवल अधिकारों पर बल देना और कर्त्तव्यों को भूलने का मतलब होगा देश में अव्यवस्था और गड़बड़ पैदा करना। अधिकार और कर्त्तव्यों के बीच संतुलन होना चाहिए। अगर हमें अपने ढंग से पूजा करने का अधिकार है तो दूसरी ओर हमारा यह कर्त्तव्य है कि दूसरों को उनके ढंग से पूजा करने की सुविधा दें।

अधिकार और कर्त्तव्य समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। इसी दृष्टि से हमारे संविधान में नागरिकों के मूल कर्त्तव्यों का उल्लेख है।

भारत के हर नागरिक का पहला मूल कर्तव्य है कि वह संविधान और उसमें दिए कानूनों का आदर करें। हर नागरिक को चाहिए कि वह राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्र गीत को उचित आदर दें।

राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान लोगों ने अहिंसा, लोकतंत्र और धर्म-निरपेक्षता जैसे उच्च आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त की थी। हमें चाहिए कि हम इन आदर्शों में आस्था रखें और अपने जीवन में इनका पालन करें।

विरोध प्रदर्शन में भाग लेते समय हम कभी-कभी हिंसा में प्रवृत्त हो जाते हैं और सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करते हैं। सार्वजनिक संपत्ति जैसे स्कूल फर्नीचर, सार्वजनिक बसों आदि को नष्ट करना हमारा अपना नुकसान है। प्रदर्शन और जुलूस शांतिपूर्ण होने चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है कि हम हिंसात्मक तरीकों का बहिष्कार करें।

हमने देखा है कि भारत के हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। उसे यह अधिकार भी है कि वह अपनी भाषा और संस्कृति को बनाए रख सके। भारत में अनेक धर्म और संस्कृतियां हैं। इसलिए जरूरी है कि भिन्न-भिन्न आस्था और संस्कृति के लोगों के बीच बंधुत्व की भावना हो। हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे धर्म और भाषा के आधार पर लोगों में दरार पैदा हो। यह हमारा कर्तव्य है कि हम सभी वर्गों के लोगों के बीच सद्भावना लाएं। धर्म और भाषाओं की भिन्नता के बावजूद भारत की जनता ने अपने बीच आधारभूत एकता का परिचय दिया है। यह आधारभूत एकता बनाई रखी जानी चाहिए।

हम में एकता होनी चाहिए और जब भी आवश्यकता पड़े देश की

रक्षा करना चाहिए। हमें देश के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए। भारत की सेवा करना हमारा मूल कर्तव्य है।

संविधान हमें यह जिम्मेदारी भी सौंपता है कि हम अपनी प्राकृतिक संपदाओं जैसे वनों, झीलों, नदियों तथा वन्य जीवन इत्यादि का संरक्षण करें और उन्हें बेहतर बनाएं।

हमें चाहिए कि हम जीवन के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें। हमें अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें सामाजिक बुराइयां जैसे दहेज, जुआ इत्यादि को छोड़ देना चाहिए और अपने समाज का सुधार करना चाहिए।

हमें चाहिए कि हम इन मूल कर्त्तव्यों का पालन करें। हमारा देश केवल तभी उन्नति कर सकता है जब हम सब पूरी क्षमता से इन मूल कर्त्तव्यों को व्यवहार में लाएं।

अभ्यास

1. तुम मूल अधिकारों से क्या समझते हो ?
2. विभिन्न मूल अधिकार क्या हैं ?
3. हमारे मूल कर्तव्य क्या है ? किन्हीं चार का उल्लेख करो।
4. संक्षेप में निम्नलिखित के बारे में समझाओ :
   (क) समानता का अधिकार
   (ख) संवैधानिक उपचारों का अधिकार

अध्याय 5

राज्य के नीति-निर्देशक तत्व

ब्रिटिश शासन की वर्षों की गुलामी से हमारी जनता बहुत गरीब हो गई। अंग्रेजों ने संपत्ति की दृष्टि से भारत को निचोड़ डाला। एक-एक करके हमारे उद्योग बर्बाद होते गए और देश का कच्चा माल बाहर ले जाया गया। देश का सामाजिक और आर्थिक जीवन चौपट हो गया। हमारे संविधान निर्माता लोगों की माली हालत से खूब परिचित थे। उन्होंने यह समझ लिया था कि यदि भारत को उन्नत करना है तो गरीबों, अशिक्षितों और पिछड़ी हुई आम जनता की हालत सुधारना जरूरी है। लोगों की माली हालत में सुधार करने के लिए स्पष्ट कदम उठाने तथा निश्चित 'निर्देश' देने की जरूरत थी। इस जरूरत को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने संविधान में एक और भाग जोड दिया। इस भाग में 4 नीति-निर्देशक तत्वों का उल्लेख है।

इन्हें नीति-निर्देशक तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भारत की सारी सरकारों के लिए निर्देश हैं। हर सरकार का यह कर्तव्य है कि कानून बनाते समय इन निर्देशों पर अमल करें। ये तत्व सरकारों को देश में

सामाजिक और आर्थिक सुधार लाने में सहायक सिद्ध होते हैं। अगर लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में सुधार होता है तो वे जीवन में सुखी और समृद्ध हो सकते हैं। इस तरह यदि ये सिद्धान्त हमारी सरकारों के द्वारा व्यवहार में लाए जाते हैं तो जीवन के हर क्षेत्र में सुधार हो सकता है।

ये निर्देशक तत्व सरकार को निर्देश देते हैं कि वह लोगों की सामाजिक भलाई की सुरक्षा और राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए काम करें। देश में अमीर और गरीब के बीच बड़ा अन्तर है। यह अन्तर कम किया जाना चाहिए। नीति-निर्देशक तत्व यह साफ बताते हैं कि सरकार का कर्तव्य है कि वह ऐसी नीति अपनाए जिससे आर्थिक शक्ति कुछ ही हाथों में सीमित न रह जाए। जो भी कानून इन उद्देश्यों को अमल में लाने के लिए पारित किया जाए वह किसी भी अदालत में चुनौती से परे होगा। और भी अनेक समस्याएं हैं जो देश के लिए रुकावट हैं। अनेक बालक और प्रौढ़ हैं जो निरक्षर हैं। बूढ़े और गरीब लोग हैं जो बुढ़ापे और बीमारी में कोई सहारा नहीं पाते। तुम ऐतिहासिक अवशेषों पर गए होंगे और देखा होगा लोग कैसे खरोंच कर या उनपर अपना नाम लिखकर अवशेषों को बिगाड़ते हैं। इस तरह की समस्याएं सरकार द्वारा सुलझाई जा सकती हैं।

कुछ नीति-निर्देशक तत्व निम्नलिखित हैं:

एक निर्देशक तत्व के अनुसार समाज में सभी नागरिकों को जीवन-यापन के यथोचित साधनों को प्राप्त करने का अधिकार दिया जाए। दूसरे तत्व के अनुसार 14 साल तक की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिले। सरकार को काम की उचित परिस्थितियां निर्माण करनी चाहिए। भारत के सारे नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर का आश्वासन दिया जाना चाहिए। इन तत्वों में नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध लगाना भी शामिल हैं जिससे जन स्वास्थ्य में सुधार हो। निर्देशक तत्वों में

समान कार्य के लिए औरत और आदमी दोनों को समान वेतन देने की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि सरकार का यह कर्तव्य है कि वह समाज के कमजोर वर्गों विशेष रूप से अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के हितों की रक्षा करें। अंत में, ये तत्व न सिर्फ देश के अंदर लोगों के चहुमुखी विकास के लिए हैं वरन् अंतर-राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा का हित साधन भी करते हैं।

हमारा देश विशाल है और उसकी समस्याएं विभिन्न तरह की हैं। इस देश को समस्याओं से मुक्त करने में बहुत समय लगेगा। लेकिन हमारी सरकार द्वारा इस दृष्टि से समय-समय पर प्रयत्न किऐ जाते रहे हैं। अभी कुछ ही समय पहले तक महिलाओं को समान कार्य के लिए मर्दों की बजाय कम मजदूरी मिलती थी। लेकिन अब यह अन्तर धीरे-धीरे कम हो रहा है। इसी तरह समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए सरकार ने कुछ विशेष सुविधाएं दी हैं। गरीब और जरूरतमंद लोगों को अधिक से अधिक स्वास्थ्य



राज्य-नीति के कुछ निर्देशक तत्व—(1) 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा, (2) समान काम के लिए समान मजदूरी, (3) ग्राम पंचायतों को पर्याप्त अधिकार, (4) जनस्वास्थ्य के लिए उपयुक्त सुविधाएं।

सुविधाएं दो जा रही हैं। इसी तरह के अनेक उदाहरण हैं जो यह बताते हैं कि हमारी सरकार इन समस्याओं को हल करने के लिए कितनी उत्सुक है। ऐसी आशा की जाती है कि इनमें से ज्यादातर समस्याएं हल हो जाएंगी तथा नीति-निर्देशक तत्व एक वास्तविकता होंगे।

नीति-निर्देशक तत्व और मूल अधिकार

जैसा कि तुम देखते हो ये तत्व हमारे जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। लेकिन क्या ये तत्व उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने मूल अधिकार? तुमने अपने पूर्व अध्याय में पढ़ा है कि अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का अतिक्रमण किया जाए तो वह व्यक्ति इनकी सुरक्षा के लिए न्यायालय में जा सकता है। लेकिन निर्देश तत्वों को न्यायालय से ऐसी सुरक्षा नहीं मिली है। यदि तुम्हें बचपन में निःशुल्क शिक्षा नहीं मिलती है तो तुम इस सुविधा को पाने के लिए अदालत में नहीं जा सकते। तब इन निर्देशक तत्वों का क्या लाभ है। तुम अपने आपसे पूछ कर देखो।

हमारी सरकार किसी भी निर्देशक तत्व को क्रियान्वित करने के लिए कानून बना सकती है। ऐसा कानून यदि किसी मूल अधिकार को सीमित करता हो तो भी अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। लेकिन एक और बड़ी ताकत है जो इन निर्देश तत्वों को यथार्थ बनाती है। तुम जानते हो, हमारी सरकार लोकतंत्रात्मक है। वे जो देश का शासन चलाते हैं, जनता द्वारा चुने जाते हैं। लोग किसी भी राजनैतिक दल को सरकार बनाने/चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। यदि सरकार लोगों की भलाई के प्रति ध्यान देने में असफल रहे, यदि वह इन निर्देश तत्वों को आगे न बढ़ाए और यदि वह लोगों की सुविधाओं की ओर ध्यान ही न दें तो लोगों को भी छूट है कि ऐसी सरकार को सत्ता से हटा दें। यही वह ताकत है जो सत्ता में आई सरकार

को इन तत्वों के प्रति दुर्लक्ष्य करने का मौका नहीं देती। सरकार लोगों की सामाजिक और आर्थिक भलाई के लिए इन तत्वों की सहायता लेती है। सब लोगों को इन निर्देश तत्वों का जानना बहुत महत्वपूर्ण है।

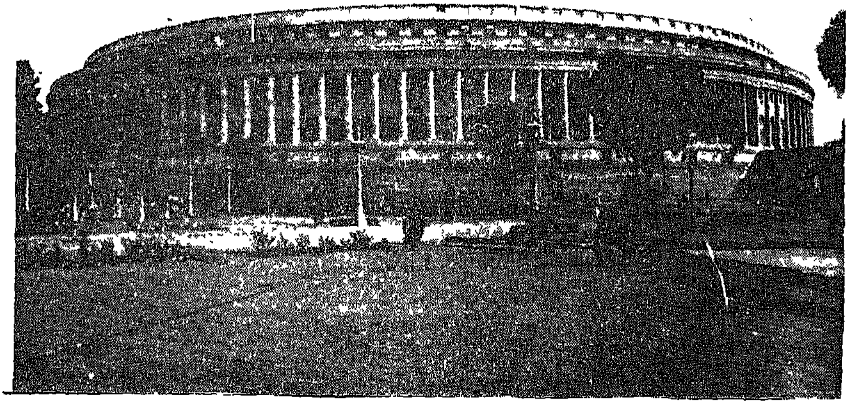
अभ्यास

1. नीति-निर्देशक तत्व इतने महत्वपूर्ण क्यों है ?
2. किन्हीं तीन नीति-निर्देशक तत्वों पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखो।
3. लोकतंत्रात्मक सरकार में हम इन निर्देश तत्वों को कैसे कारगर बना सकते हैं।
4. संक्षेप में लिखो कि नीति-निर्देशक तत्व लोगों की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में किस तरह सुधार करते है।

अध्याय 6

कानून बनाने वाली संस्थाएं

हम पहले ही देख चुके हैं कि हमारे संविधान में लोकतांत्रिक सरकार की योजना का प्रावधान है। हमने यह भी देखा है कि संविधान में दोहरी शासन व्यवस्था का प्रावधान है। केन्द्र की सरकार को संघ सरकार कहा



संसद भवन का एक दृश्य

जाता है। संघ सरकार में संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा उनके सहयोगी श्रौर सर्वोच्च न्यायालय हैं। ये सब मिलकर सरकार के तीनों श्रंगों का निर्माण करते हैं। हम श्रगले श्रध्याय में चर्चा करेंगे कि हमारे देश में कानून कैसे बनाए जाते हैं।

तुमने या तो संसद भवन देखा होगा या समाचार पत्र में इसका चित्र देखा होगा। इस भवन में श्राम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं श्रौर हमारे देश के लिए कानून बनाते हैं। हर कानून जब संसद में पेश किया जाता है, बिल (विधेयक) कहा जाता है। हर कानून बिल की शक्ल में संसद में पेश किया जाता है। संसद द्वारा पारित कर दिए जाने पर बिल राष्ट्रपति के पास उनकी स्वीकृति श्रौर हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने पर वह बिल कानून बन जाता है। संसद उन विषयों पर कानून बनाती है जो संघ सूची में श्राते हैं।

राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा को मिलाकर भारतीय संसद् बनती है। लोकसभा श्रौर राज्यसभा संसद के दो सदन हैं।

लोकसभा

लोकसभा जनता का सदन है क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव श्राम जनता द्वारा किया जाता है। हर पांच साल में इन सदस्यों को चुनने के लिए चुनाव होते हैं। पूरा देश निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। निर्वाचन क्षेत्र वह इलाका होता है जिससे एक उम्मीदवार चुना जाता है। 5 से 7½ लाख की जनसंख्या मिलाकर एक निर्वाचन क्षेत्र होता है। हर निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। 21 साल या उससे श्रधिक श्रायु के लोगों को मतदान का श्रधिकार होता है। भारत में वयस्क मताधिकार की व्यवस्था है। इसका मतलब है हर बालिग श्रादमी को मतदान का श्रधिकार है।

मतदान गुप्त मतों के आधार पर होता है। जब एक मतदाता मत देता है तो कोई नहीं जान सकता कि उसने किस उम्मीदवार को मत दिया है। उसका मत गुप्त रखा जाता है और इसलिए इसे गुप्त मतदान प्रणाली कहा जाता है। वह पत्र जिस पर मतदाता अपनी पसन्द व्यक्त करता है मतदान पत्र कहा जाता है। मतदान पत्र पर उम्मीदवारों के नाम तथा उनके चुनाव चिह्न अंकित रहते हैं। मतदाता को उस उम्मीदवार के नाम तथा चनाव चिह्न के सामने मुहर लगानी होती है जिसे वह अपना मत देना चाहता है।

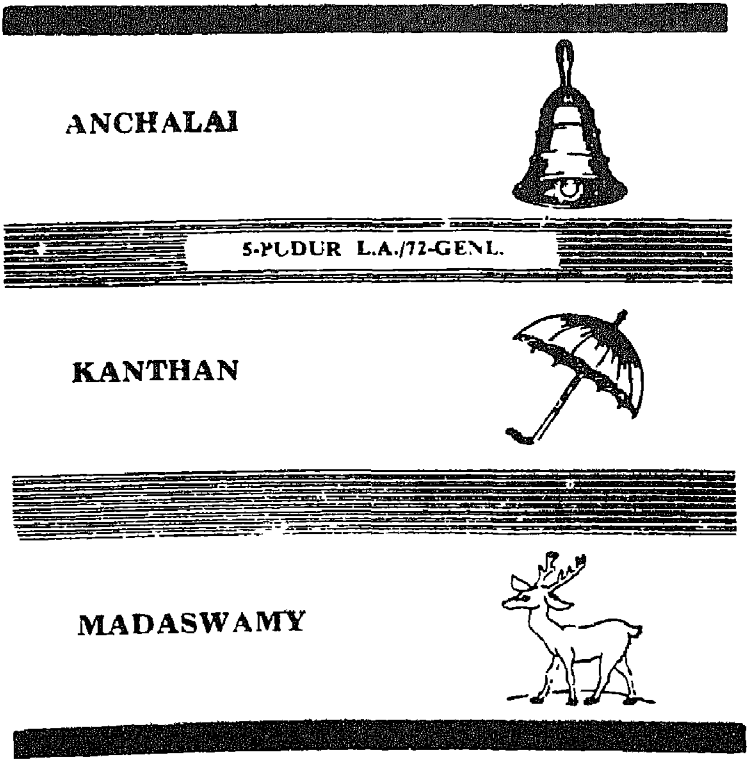

मतदान करते हुए एक व्यक्ति

उम्मीदवार वह व्यक्ति है जो चुनाव में खड़ा होता है। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो और जिसकी आयु 25 वर्ष है, लोकसभा चुनाव में खड़ा हो सकता है। कोई व्यक्ति जो सरकारी नौकर हो, दिवालिया हो या पागल हो, लोकसभा के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता।

लोकसभा के चुनाव वास्तव में राजनैतिक दलों द्वारा लड़े जाते हैं। विभिन्न राजनैतिक दलों के उम्मीदवार चुनाव में खड़े होते हैं। हमारे देश में कई राजनैतिक दल हैं। कुछ महत्वपूर्ण राजनैतिक दल हैं—कांग्रेस (ई), लोकदल (दो दलों में विभाजित), जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। पिछले तीस सालों तक देश पर कांग्रेस ने शासन किया। मार्च 1977 में हुए चुनावों में जनता पार्टी सत्ता में आई। लेकिन 1980 के चुनावों में कांग्रेस (ई) फिर से सत्ता में आ गई।

INVALID CASE I

This will be put in the "Doubtful" bundle by the Counting Party and rejected by the Returning Officer

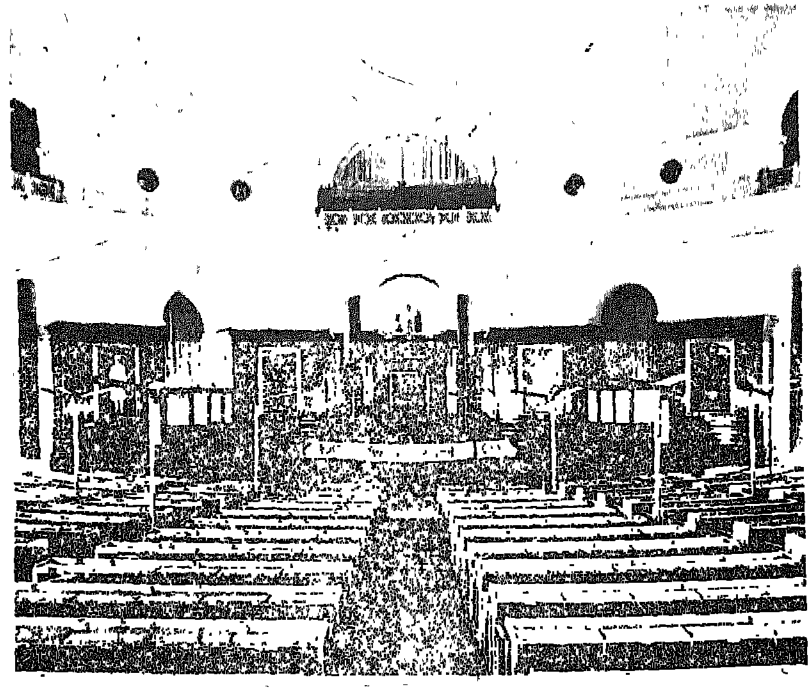


1. No Mark.

अवैध मतपत्र : इस मतपत्र पर कोई निशान नहीं लगाया गया है इसलिए इसे अवैध माना जाएगा।

वर्तमान लोकसभा में 544 सदस्य तक हो सकते हैं। सदस्य पांच साल के लिए चुने जाते हैं। हर सदस्य को राष्ट्रपति के सामने संविधान में आस्था और निष्ठा की शपथ लेनी होती है।

हमने देखा है कि बहुसंख्यक सदस्य पार्टी-टिकट पर चुनकर आते हैं।



संसद भवन का केन्द्रीय हाल (अन्दर का दृश्य)

राष्ट्रपति उस राजनैतिक दल को सरकार बनाने के लिए कहते हैं जिसके सदस्यों का लोकसभा में बहुमत हो। आने वाले अध्यायों में हम पढ़ेंगे प्रधान-मंत्री और उनके सहयोगी मंत्री किस तरह सरकार बनाते हैं।

राज्यसभा

राज्यसभा संसद का दूसरा सदन है। राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं। इनमें से 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा होता है। इनका चुनाव नहीं होता। ये साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं। उदाहरण के लिए श्री पृथ्वीराज कपूर का जो, अपने समय के प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता थे, राज्यसभा के लिए मनोनयन हुआ था। इन 12 नामजद सदस्यों के अलावा बाकी सदस्यों का चुनाव राज्य-विधानसभा सदस्यों द्वारा होता है। हर राज्य की



राज्यसभा सदन का भीतरी दृश्य

उसकी जनसंख्या के आधार पर सीटें निश्चित हैं। उत्तर प्रदेश 34 प्रतिनिधियों का चुनाव करता है, नागालैंड 1 का तथा कर्नाटक 12 का। कुल मिलाकर इस समय राज्यसभा में 232 निर्वाचित सदस्य हैं। इनमें से एक-तिहाई सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस तरह हर सदस्य छह वर्ष तक राज्यसभा का सदस्य रहता है।

कोई भी व्यक्ति जो तीस साल और इससे अधिक आयु का हो, राज्यसभा का सदस्य बन सकता है।

संविधान ने संसद सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार दिए हैं। उन्हें हर माह वेतन और भत्ता मिलता है। हर एक को दिल्ली में रहने के लिए यथोचित जगह दी जाती है। वह भारत के किसी भी हिस्से में बिना किराया दिए रेल से प्रथम श्रेणी में यात्रा कर सकता है।

हमारे देश में राज्यों के लिए राज्य की विधानसभाएं कानून बनाती हैं। संसद के समान राज्यों की अपनी विधानसभाएं हैं। राज्य विधान-सभाओं का गठन बहुत कुछ संसद के समान है। फिर भी दोनों में कुछ अंतर हैं।

राज्य विधानसभाएं

लोकसभा के समान राज्यों में विधानसभाएं हैं और राज्यसभा के समान विधानपरिषदें हैं। लेकिन सारे राज्यों में विधानपरिषदें नहीं हैं। पश्चिमी बंगाल केरल और राजस्थान में विधानपरिषदें नहीं हैं जबकि महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में दो सदन हैं।

लोकसभा की तरह राज्य विधानसभा राज्य की जनता का सदन है। इसके सदस्यों का चुनाव राज्य की जनता द्वारा होता है। इसके सदस्यो

की संख्या हर राज्य में अलग-अलग है। उत्तर प्रदेश में यह संख्या 426 है तो कर्नाटक में 216 है।

विधान परिषदों का चुनाव अलग ढंग से होता है। इसके एक - तिहाई सदस्यों का चुनाव विधानसभा सदस्यों द्वारा होता है, दूसरे एक - तिहाई राज्य की स्थानीय संस्थाओं जैसे, म्युनिसिपल कमेटियों और जिला परिषदों द्वारा, कुछ विश्वविद्यालय स्नातकों और कुछ शिक्षक-निर्वाचन क्षेत्र द्वारा चुने जाते हैं। शेष सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। विधान-सभा और विधानपरिषद के सदस्यों की योग्यता लाकसभा और राज्य-सभा के सदस्यों के समान ही है।

राज्य विधानसभाएं राज्य सूची में दिए विषयों पर कानून बनाती हैं। राज्य विधानसभाओं की प्रक्रिया और अधिकार बहुत कुछ संसद के समान हैं।

अभ्यास

1. लोकसभा का चुनाव कैसे होता है ?
2. राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है ?
3. किसी राज्य की विधानपरिषद के सदस्य किस तरह चुने जाते हैं ?
4. विधानसभा और विधानपरिषद में क्या अन्तर है ?
5. निम्नलिखित को संक्षेप में समझाओ :
   (क) गुप्त मतपत्र
   (ख) निर्वाचन क्षेत्र
   (ग) वयस्क मताधिकार

अध्याय 7

हमारी कार्यशील संसद्

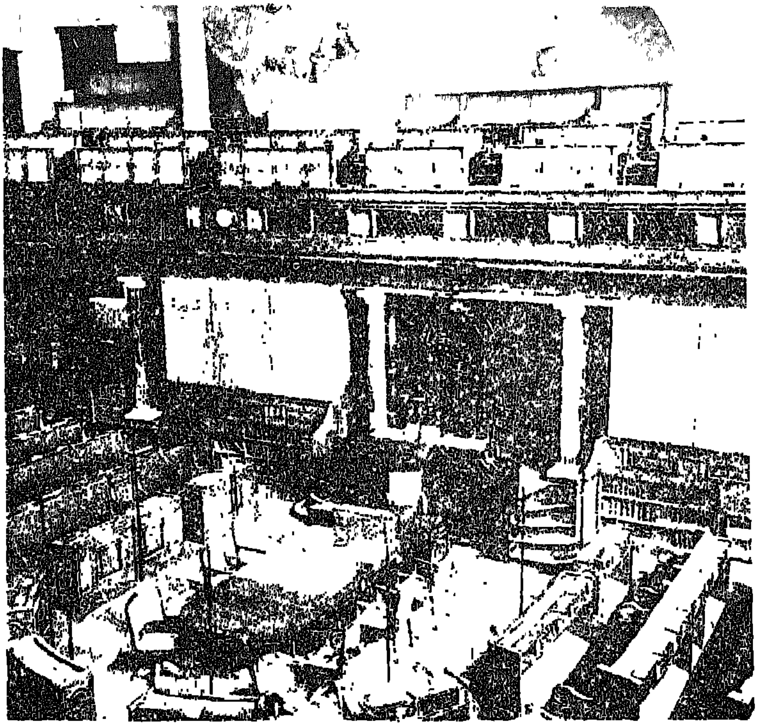
लोकसभा के सदस्य अपनी सभाओं की अध्यक्षता के लिए अपने में से एक व्यक्ति को चुनते हैं, यह व्यक्ति लोकसभा का अध्यक्ष कहलाता है। उसे निष्पक्ष होना चाहिए, इसीलिए अध्यक्ष के रूप में चुने जाने के बाद वह अपने राजनैतिक दल की सभाओं में उपस्थित होना बन्द कर देता है। अध्यक्ष को प्रति माह 2250 रु० वेतन तथा 500 रु० अन्य भत्ते के रूप में मिलते हैं।

भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। वह राज्यसभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है तथा इसकी कार्यवाही चलाता है।

कार्य

संसद सारे राष्ट्र के लिए कानून बनाती है। यह राष्ट्र में कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था है।

केन्द्रीय सरकार को धन की आय विभिन्न करों से होती है। यह धन



लोकसभा अध्यक्ष के बैठने का स्थान तथा दर्शक दीर्घा

जनता के कल्याण पर व्यय किया जाता है। हर वर्ष आय-व्यय का विवरण सरकार बजट में दिखाती है। बजट को संसद पास करती है। संसद की अनुमति के बिना सरकार न तो कोई कर लगा सकती है और न ही कोई पैसा खर्च कर सकती है। इस प्रकार संसद सरकार की आय और व्यय पर नियन्त्रण रखती है।

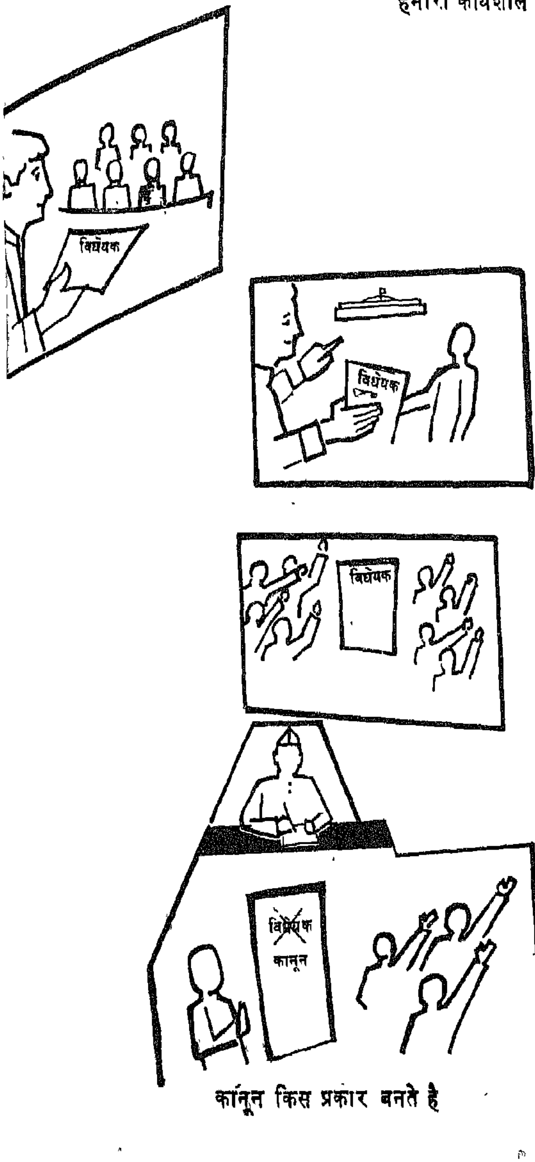
विधेयक दो प्रकार के होते हैं—धन विधेयक तथा साधारण विधेयक,

जिनका संबध धन से नहीं होता। आय और व्यय से संबंधित प्रत्येक विधेयक धन विधेयक कहलाता है। धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यह पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा द्वारा स्वीकृत किए जाने के बाद धन विधेयक राज्यसभा को भेज दिया जाता है। ऐसे विधेयक जो धन से संबंधित नहीं होते, वे संसद् के किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य मंत्रियों व उनके कार्यों को नियंत्रित करना है। संसद का कोई भी सदस्य किसी भी मंत्री से उसके विभाग से संबधित प्रश्न पूछ सकता है। इन प्रश्नों के द्वारा सदस्य विभिन्न विभागों के कार्यों पर नियन्त्रण रखते हैं। प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्री अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करके उन्हें पद से हटा भी सकती है।

संसद में पेश किया गया प्रत्येक विधेयक तीन वाचनों से गुजरता है। प्रथम वाचन में सभी सदस्यों को विधेयक की प्रतियां दी जाती हैं। विधेयक प्रस्तुत करने वाला मंत्री या उससे सम्बद्ध व्यक्ति विधेयक के उद्देश्यों की व्याख्या करते हुए एक भाषण देता है। द्वितीय वाचन में विधेयक की प्रत्येक धारा पर बहस होती है। विधेयक के समर्थक सिद्ध करते हैं कि विधेयक किस लिए महत्वपूर्ण व आवश्यक है। जो विधेयक के विपक्ष में होते हैं वे विधेयक की आलोचना करते हैं, उस पर प्रहार करते हैं। तृतीय वाचन में विधेयक की समस्त धाराओं पर बहस होती है तथा मतदान होता है। यदि सदस्यों का बहुमत पक्ष में हो तो विधेयक पास कर दिया जाता है।

यह प्रक्रिया दोनों सदनों में अपनायी जाती है। जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों विधेयक पास कर देते हैं तब यह राष्ट्रपति के पास उसके हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है।



कानून किस प्रकार बनते है

सामान्यत: विधेयक संसद में सामान्य बहुमत से पास किए जाते हैं। इसका अर्थ है यदि सदन में 100 सदस्य उपस्थित हैं और 51 सदस्य पक्ष में और 49 विपक्ष में हैं तो विधेयक सामान्य बहुमत से पारित हुआ माना जाएगा। तुम पहले पढ़ चुके हो कि संविधान में परिवर्तन या संशोधन किये जा सकते हैं। इन परिवर्तनों से संबंधित विधेयक पास करने के लिए विशेष बहुमत अनिवार्य है। उदाहरण के तौर पर कुछ परिवर्तनों के लिए संसद के दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है।

यदि कोई भी सदस्य, संसद में अशिष्ट व्यवहार करता है तो उसे दंड दिया जा सकता है। कई बार अवज्ञा करने वाले सदस्यों को सदन से निष्कासित कर दिया जाता है। यदि कोई भी व्यक्ति दर्शक के रूप में संसद की कार्यवाही देखना चाहता है तो उस के लिए उसे

अनुमति लेनी पड़ती है। यह अनुमति किसी भी संसद सदस्य से 'पास' के रूप में ली जा सकती है। परन्तु यदि कोई भी बाहरी व्यक्ति सदन में अशिष्ट व्यवहार करता है या अनुशासन हीनता फैलाता है, तो ऐसे व्यक्ति को सदन जुर्माना या कैद की सजा दे सकता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि संसद महत्वपूर्ण कार्य करती है। इसके कार्यों को पांच मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। पहला, यह सरकार तथा इसके आय-व्यय पर नियंत्रण रखती है। दूसरे, यह विभिन्न विषयों पर कानून बनाती है। तीसरे, संसद के सदस्य विभिन्न सार्वजनिक विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार वे जनता की शिकायतें सरकार के ध्यान में लाते हैं। चौथे, जैसा हमने देखा सदस्य सूचना के लिए मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। यह सूचना समाचार पत्रों में छपती है। इस प्रकार लोगों को बहुत से सार्वजनिक महत्वपूर्ण विषयों पर शिक्षा दी जाती है। लोगों को सरकार की कमियों का भी पता चलता है। पांचवे तथा अन्तिम, संसद भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को एक निश्चित प्रक्रिया के अनुसार हटा सकती है।

अभ्यास

1. लोकसभा के अध्यक्ष पर तीन वाक्य लिखिये।
2. भारतीय संसद के क्या कार्य हैं? व्याख्या कीजिये।
3. विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए जिनमें से एक विधेयक को कानून बनने से पहले गुजरना पड़ता है।
4. संसद कार्यपालिका को किस प्रकार नियंत्रित करती है?
5. निम्नलिखित की संक्षेप में व्याख्या करो:

   (क) वित्त विधेयक (ख) अविश्वास प्रस्ताव

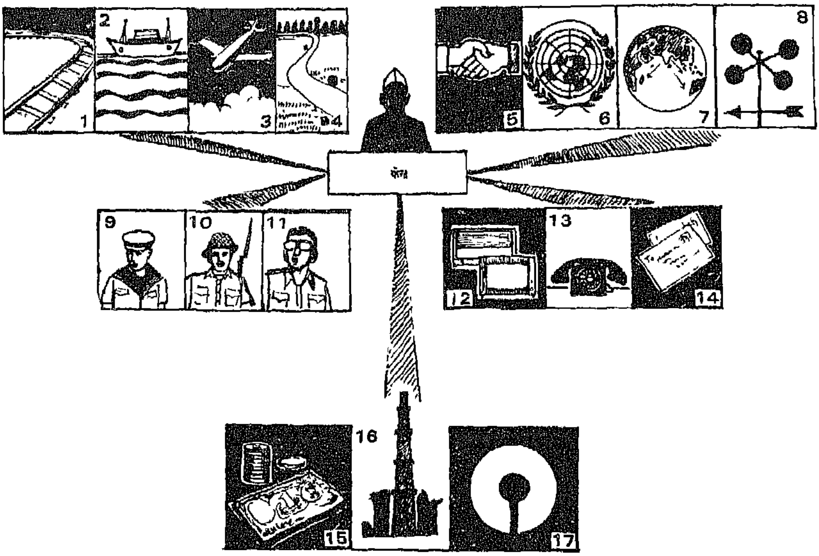
अध्याय 8

कानून कैसे लागू किये जाते हैं-भाग 1

हमारे देश में कानून केन्द्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर बनाए जाते हैं। हमारे संविधान में विषयों की अलग-अलग सूचियां दी गई हैं जिन पर सरकारें कानून बना सकती हैं। संघ सूची में लगभग 97 विषय दिए गए हैं। इन विषयों पर केवल भारत की संसद ही कानून बना सकती है। देश की सुरक्षा, रेलवे, जहाजरानी, मुद्रा, डाक तथा तार एवं ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा के लिए केन्द्रीय सरकार कानून बनाती है।

लगभग 66 विषय ऐसे हैं जिन पर राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। जिनमें कृषि, स्वास्थ्य, वन, सिचाई, विद्युत, राज्य की कानून एवं व्यवस्था, पुलिस तथा मनोरंजन आदि महत्वपूर्ण हैं।

इसके साथ ही लगभग 47 विषय ऐसे हैं जिन पर संसद तथा राज्य विधान-मंडल दोनों को कानून बनाने का अधिकार है यदि समवर्ती सूची के किसी भी विषय पर संघ सरकार तथा राज्य सरकार दोनों ही कानून पास कर दें, तो संघ सरकार का कानून कार्यान्वित किया जाएगा। इस सूची में महत्वपूर्ण

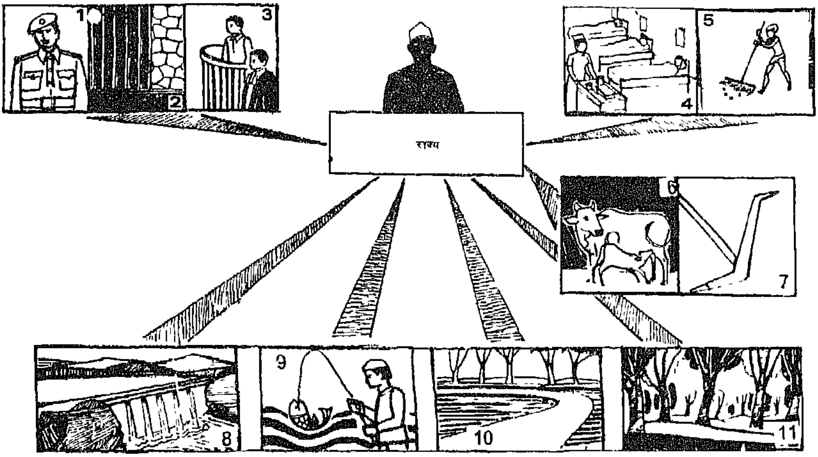


1. रेल विभाग ; 2. जहाज रानी ; 3. हवाई यातायात ; 4. राष्ट्रीय सड़क मार्ग ; 5. अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध ; 6. संयुक्त राष्ट्र संघ ; 7. वैदेशिक कार्य ; 8. मौसम विज्ञान ; 9. नौ सेना ; 10. सेना ; 11. हवाई सेना ; 12. बेतार का तार ; 13. टेलीफोन ; 14. डाक और तार ; 15. मुद्रा ; 16. प्राचीन स्मारक ; 17. बैंक

विषय दीवानी और फौजदारी मुकदमें, श्रमकल्याण, कारखाने तथा समाचार-पत्र व पुस्तकें आदि आते हैं।

इस अध्याय में हम यह अध्ययन करेंगे कि संघ द्वारा पास किए गए कानून किस प्रकार लागू किए जाते हैं।

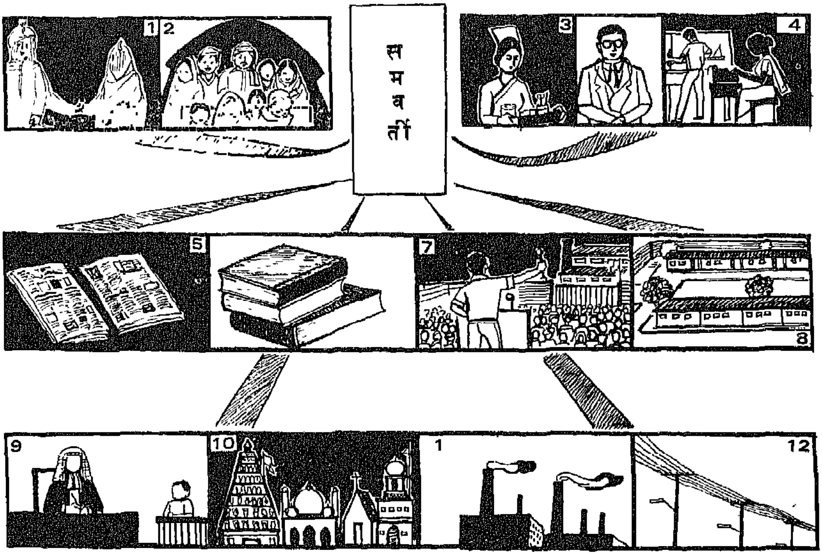
भारत संघ की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति है। यह इसका कर्त्तव्य है कि वह संसद् द्वारा पास किए गए कानूनों को लागू करे। संघ सरकार द्वारा जारी किए गए सभी आदेश राष्ट्रपति के नाम से होते हैं लेकिन संविधान में राष्ट्रपति को उसके कार्यों में मदद करने तथा सलाह देने के



1. पुलिस ; 2. जेल ; 3. अदालतें (उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को छोड़कर); 4. अस्पताल; 5 सफाई; 6. पशु स्वास्थ्य; 7. कृषि; 8. सिंचाई; 9. मत्स्य पालन; 10. सड़क; 11. वन

लिए एक मंत्रिपरिषद् की व्यवस्था की गई हैं। प्रधानमंत्री मंत्रि-परिषद् द्वारा किए गए सभी फैसलों से राष्ट्रपति को अवगत कराता है। भारत के राष्ट्रपति को संघ सरकार के सभी उच्च अधिकारियों को नियुक्त करने तथा हटाने की शक्ति प्राप्त है। संघीय क्षेत्रों का प्रशासन उसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में होता है। राज्य का मुखिया होने के नाते वह राजदूत नियुक्त करता है, विदेशों से राजदूतों एवं कूटनीतिज्ञ प्रतिनिधियों को स्वीकार करता है।

कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति को बिना सिफारिश के संसद में पेश



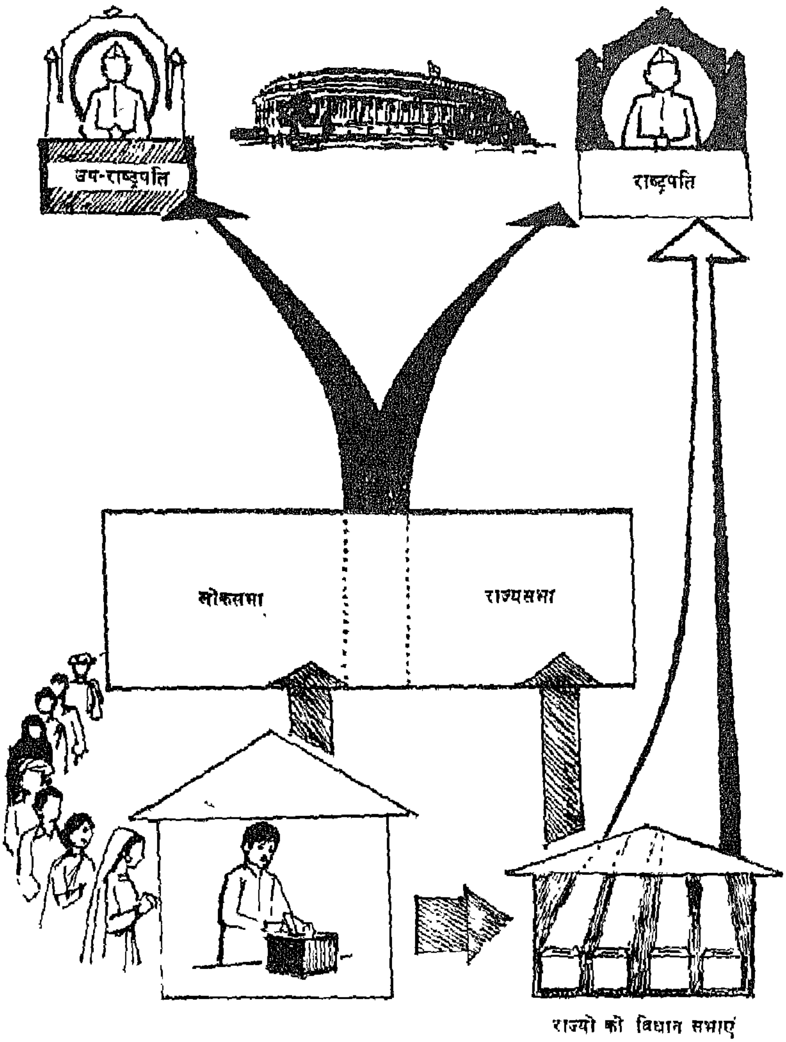
1. विवाह; 2. संयुक्त परिवार; 3. चिकित्सा; 4. अन्य व्यवसाय; 5. समाचारपत्र; 6. पुस्तकें; 7. मजदूर संघ; 8. श्रम कल्याण; 9. दीवानी प्रक्रिया; 10. धार्मिक अनुदान; 11. कारखाने; 12. विद्युत

नहीं किया जा सकता। वह भारत की संचित निधि से आकस्मिक खर्चों के लिए धन स्वीकृत कर सकता है।

राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल

राष्ट्रपति अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल की सलाह पर करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मंत्रियों की तीन श्रेणियां होती हैं, मंत्रिमण्डलीय अथवा केबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री तथा उपमंत्री। सभी प्रमुख निर्णय मंत्रिमंडल द्वारा लिए जाते हैं। मंत्रिमंडल के निर्णय सभी मंत्रियों के लिए बाध्य होते हैं। मंत्रिमंडल की प्रायः सप्ताह में एक बार बैठक होती है।

केन्द्रीय सरकार



प्रत्येक व्यक्ति, जो मंत्रीपद के लिए चुना जाये, के लिए राज्यसभा अथवा लोकसभा का सदस्य होना आवश्यक है। परन्तु कोई बाहर का व्यक्ति भी छः मास की अवधि के लिए मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, परन्तु इस अवधि में उसे अपने आपको राज्यसभा अथवा लोकसभा का सदस्य बनाना आवश्यक होता है। प्रधानमत्री प्रायः लोकसभा का सदस्य होता है। प्रधानमंत्री के साथ दूसरे मत्री भी प्रायः लोकसभा के सदस्य होते हैं।

मंत्रिमंडल की कार्यप्रणाली

मंत्रिमंडल के सभी मंत्री प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आपसी सहयोग से कार्य करते हैं। मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। सभी मत्री सामूहिक तथा व्यक्तिगत रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रायः मंत्रिमंडल में साठ सदस्य होते हैं। मंत्रियों की इतनी बड़ी सख्या दिन-प्रतिदिन के प्रशासनिक विषयों पर निर्णय लेने के लिए नियमित रूप से नहीं मिल सकती। अतः कार्य को शीघ्रता से निपटाने के लिए केन्द्रीय सरकार के विभाग विभिन्न मंत्रियों के सुपुर्द कर दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए रेल विभाग के कार्यों को रेलमत्री देखता है।

प्रधानमंत्री की स्थिति

भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा का भी नेता होता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। अतः राष्ट्रपति इस सदन की इच्छाओं का आदर करता है।

इस प्रकार प्रधानमंत्री भी सरकार का नेता माना जाता है एवं प्रधानमंत्री की ही सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद् के सदस्यों को नियुक्त तथा निष्कासित किया जाता है। सरकार की सफलता तथा असफलता का बोझ प्रधानमंत्री के कन्धों पर होता है।

लोकसेवा

जैसा कि हम जानते हैं कि कानूनों को लागू करने के विषय में मुख्य निर्णय मंत्रिमंडल द्वारा लिए जाते हैं। संघीय मंत्रिमंडल केन्द्र की राजनैतिक कार्यकारिणी होती है। मंत्रिमंडल मुख्य विषयों तथा नीतियों के विषय में निर्णय लेता है, परन्तु उन्हें लागू करने में मुख्य भाग संबंधित मंत्री का होता है। मंत्री अपने मंत्रालय के लिए नीतियां बनाता है तथा दिशा निर्देशन करता है। बचा हुआ कार्य लोकसेवकों के लिए होता है, ये लोकसेवक प्रशासनिक कार्यकारिणी कहलाते हैं। इसे प्रायः प्रशासन कहते हैं। लोकसेवक कानूनों को जन-स्तर पर लागू करते हैं। लोकसेवक किसी भी राजनैतिक पार्टी से सबंधित नहीं होते और इनको किसी भी नीति अथवा कानून को लागू करने में निष्पक्ष समझा जाता है।

केन्द्रीय कानूनों को लागू करने के लिए एक बहुत बड़ी संख्या में लोक-सेवकों को भर्ती किया जाता है। अधिकतर लोकसेवक केन्द्रीय सेवा के लिए केन्द्रीय लोकसेवा आयोग द्वारा लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार द्वारा छांटे जाते हैं।

पूर्व काल में लोकसेवकों का मुख्य कार्य देश में कानून और व्यवस्था को बनाये रखना तथा करों को इकट्ठा करना था। परन्तु वर्तमानकाल में सरकार का कार्य कई गुणा बढ़ गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामान्य कल्याण, सड़कें बनाना, यातायात तथा संचार व्यवस्था बनाए रखने इत्यादि के लिए एक बड़ी संख्या में लोगों की जरूरत पड़ती है। इन्हें सरकारी कर्मचारी कहा जाता है।

प्रायः एक आम नागरिक, मंत्री अथवा विभागीय सचिव को नहीं जानता परन्तु वह प्रायः स्थानीय पुलिस, कर इकट्ठा करने एवं डाक संबंधी

व्यक्तियों, अध्यापकों और विद्यालय निरीक्षकों, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों आदि के सम्पर्क में आता है। अतः किसी सरकार की सफलता काफी हद तक लोकसेवकों के कार्य पर निर्भर है।

अभ्यास

1. हमारे देश में कानून बनाने वाली कौन-कौन सी संस्थाएं हैं ?
   अंत में स्वीकृति कौन देता है ?
2. भारतीय संघ का मुख्य कार्यकारिणी अध्यक्ष कौन है ? कानूनों को वास्तव में लागू करने वाले कौन लोग हैं ?
3. मंत्रिमंडल के दो मुख्य कार्य बताइये।
4. भारतीय प्रधानमंत्री की इतनी महत्वपूर्ण स्थिति क्यों है ?
5. एक लोकसेवक से क्या-क्या गुण अपेक्षित हैं ?
6. संक्षेप में बताइये :
   (क) सामूहिक उत्तरदायित्व।
   (ख) राजनैतिक कार्यकारिणी।

अध्याय 9

कानून कैसे लागू किये जाते हैं-भाग 2

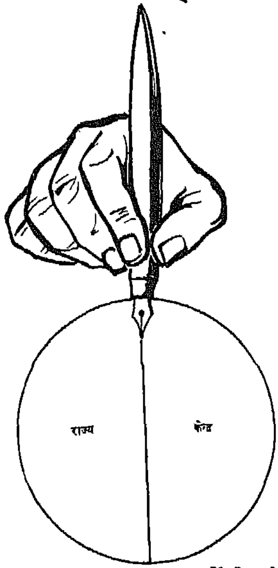
पिछले अध्याय में तुमने केन्द्र की कार्यपालिका के बारे में पढ़ा है। केन्द्रीय कार्यपालिका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद् और ऐसे लोकसेवकों से मिलकर बनती है जो केन्द्र सरकार के लिये कार्य करते हैं। तुमने कई बार पढ़ा है कि भारत भिन्न-भिन्न संस्कृतियों का देश है। यह केवल आकार की दृष्टि से ही बड़ा नहीं है अपितु जनसंख्या में भी बड़ा है। हमारे देश जैसे बड़े राष्ट्र को केवल एक केन्द्र से संचालित करना कठिन होता है। संभवतः केन्द्र विभिन्न राज्यों के लोगों की भिन्न-भिन्न समस्याओं को नहीं जान सकता। अतः हमारे देश में केन्द्र उन्हीं समस्याओं या विषयों पर ध्यान देता है जिनका राष्ट्रीय महत्व होता है बाकी विषयों पर राज्य सरकार स्वयं ध्यान देती है।

जैसा तुमने देखा कि राज्य के कानून राज्य-विधान मंडल बनाते हैं इसी प्रकार ये कानून राज्यों में राज्य-कार्यपालिकाओं द्वारा लागू किए जाते

हैं। राज्य-कार्यपालिका राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद् तथा राज्य स्तर की लोकसेवा में कार्यरत लोगों से मिलकर बनती है।

राज्यपाल

प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है। राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से विचार-विमर्श करता है और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को किसी नाम की सिफारिश करने से पहले संबधित राज्य के मुख्यमंत्री से विचार-विमर्श करता है।



केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बटवारा

पिछले अध्याय में तुमने पढ़ा कि केन्द्र में प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाता है। ठीक इसी प्रकार राज्य में राज्य का प्रशासन राज्यपाल के नाम से किया जाता है। परन्तु वास्तविक कार्य मुख्यमंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद् द्वारा किया जाता है।

भारत का नागरिक जो 35 वर्ष का हो, राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राष्ट्रपति की भांति राज्यपाल की अवधि पांच वर्ष होती है। लेकिन किसी भी समय राष्ट्रपति उसे हटा सकता है। उसका कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है।

राज्यपाल की शक्तियां व कार्य भारत के राष्ट्रपति के समान होती हैं। राज्यपाल राज्य के सभी उच्च अधिकारियों की नियुक्तियों के लिए उत्तरदायी होता है। तुम्हें मालूम है कि केन्द्रीय लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों तथा अटर्नी-जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसी प्रकार राज्य लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों तथा राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।

प्रत्येक वर्ष राज्य विधानमंडल का अधिवेशन राज्यपाल के भाषण से शुरू होता है। राज्यपाल को राज्य विधानमंडल में भाषण देने तथा लिखित संदेश भेजने का अधिकार है। आम चुनावों के बाद प्रथम अधिवेशन का प्रारम्भ राज्यपाल के भाषण से होता है।

राज्यपाल को विधानमंडल का अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। वह अधिवेशन को समाप्त भी कर सकता है। वह विधानसभा को भंग भी कर सकता है। पहले अध्यायों में तुमने पढ़ा है कि विधेयक कैसे पास किये जाते हैं। उनमें सभी विधयकों पर जो राज्य विधानमडलों द्वारा पास कर दिए जाते हैं, राज्यपाल की स्वीकृति ली जाती है। राज्यपाल को किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति से परामर्श लेने का अधिकार है। कभी-कभी राज्यपाल स्वयं भी कुछ आदेश जारी कर सकता है। इन आदेशों को अध्यादेश कहते हैं। राज्यपाल ऐसे अध्यादेश तभी जारी कर सकता है जब विधानमंडल का अधिवेशन न चल रहा हो। ये अध्यादेश विधानमंडल का अधिवेशन शुरू होने के केवल 6 सप्ताह बाद तक लागू रह सकते हैं। इस अवधि की समाप्ति से पहले भी विधानमडल किसी भी अध्यादेश को समाप्त कर सकता है।

धन विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने से पहले राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है।

राज्यपाल राज्य कानून के अधीन दी गई सजा को माफ भी कर सकता है। वह सजा को कम भी कर सकता है।

मुख्यमंत्री

केन्द्र में प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति को सहायता तथा परामर्श देता है। राज्य में यह कार्य मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। 'राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार कार्य करता है। राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री चुनने में स्वतंत्र नहीं है। वह विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। यदि सभा में किसी एक दल को बहुमत प्राप्त न हो तो दो या इससे अधिक दल आपस में मिल कर एक नेता को चुन लेते हैं। इस प्रकार की मिली-जुली सरकार को संयुक्त दल सरकार कहते हैं।

इस प्रकार चुने हुए नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त कर देता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बाद, वह राज्यपाल को अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में परामर्श देता है।

इस प्रकार मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्री मंत्रिपरिषद् का गठन करते हैं। कई राज्यों में मंत्रिपरिषद् में मंत्रियों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है मन्त्रि-मंडलीय मंत्री, राज्यमंत्री तथा उपमंत्री।

मंत्रिमंडल में केवल प्रथम श्रेणी के मंत्री होते हैं। अतः यह परिषद् का एक भाग होता है। मंत्रिमंडल ही राज्य सरकार का कार्यसंचालन करता है। इसके द्वारा लिए गए निर्णय पूरे मंत्रिपरिषद् के द्वारा लिए गए निर्णय माने जाते हैं।

मुख्यमंत्री राज्यपाल को न केवल परामर्श ही देता है अपितु इसकी मंत्रिमंडल में विशेष स्थिति होती है। वह किसी भी मंत्री से त्यागपत्र मांग

सकता है। मुख्यमंत्री के स्वयं के त्यागपत्र देने से सारी मंत्रिपरिषद् का पतन हो जाता है। वह मंत्रिमंडल के स्वरूप का निर्णय स्वयं करता है।

मुख्यमंत्री मंत्रिमडलों की बैठकों की अध्यक्षता करता हैं। वह मंत्रियों के बीच कार्यों का बटवारा करता है। वह एक या एक से अधिक मंत्रालय अपने अधीन रख सकता है।

विधानमंडल में मुख्यमंत्री का स्थान सर्वोच्च होता है। मंत्रिपरिषद् का नेता होने के कारण वह इसके सभी कार्यों के लिये उत्तरदायी होता है। वास्तव में, मुख्यमन्त्री अपनी सरकार के कार्य के लिए सारे राज्य की जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। हालांकि राज्य को कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है, परन्तु सामान्यतः यह मन्त्रिपरिषद् के परामर्श पर कार्य करता है जिसका नेता मुख्यमन्त्री होता है। इसलिए राज्य की राजनीति में व उसकी सरकार में मुख्यमंत्री का स्थान प्रमुख होता है। फिर भी, कुछ परिस्थितियों में राज्यपाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसी स्थिति तब पैदा होती हैं जब राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करने में समर्थ न हो। ऐसी स्थिति की सूचना उसे राष्ट्रपति को देनी होती है।

लोकसेवक के कार्यों को शामिल किए बिना यह अध्याय पूरा नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद् नीति निर्धारण करते हैं। राज्यपाल उन्हें स्वीकृति देता हैं। परन्तु इन निर्णयों को कौन लागू करता है? यहां लोकसेवाएं अपनी भूमिका निभाती हैं। राज्य में कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी मंत्री के अधीन होती है। जो व्यक्ति सार्वजनिक सम्पति को हानि पहुंचा रहे हों उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाती है। यह आशा नहीं की जा सकती कि कथित मंत्री यह सब कार्य करे। उसके

पास इस कार्य को करने के लिए एक बहुत बड़ी पुलिस की शक्ति होती है। यह सभी लोग (स्त्री-पुरुष) जो इस कार्य को पूरा करते हैं लोकसेवा की ही एक श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार अन्य लोकसेवक होते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों जैसे— यातायात, जंगल तथा कर आदि के लिए कार्य करते हैं। हमारा यह कर्तव्य है कि इन लोकसेवक अधिकारियों को सहयोग दें ताकि ये अपना कार्य सुचारू रूप से तथा सफलतापूर्वक चला सकें।

अभ्यास

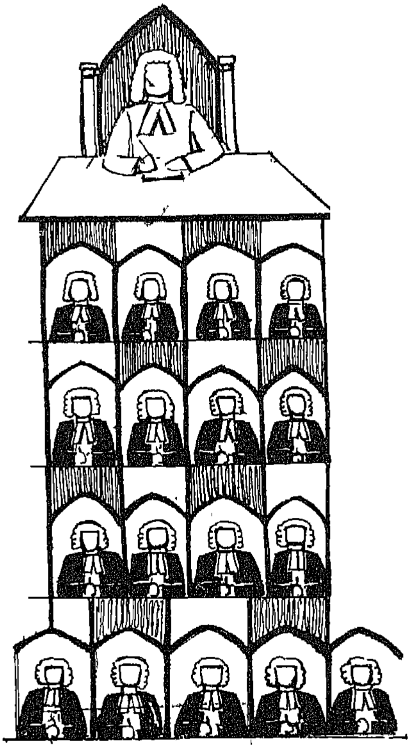
1. राज्य का राज्यपाल किसे नियुक्त किया जा सकता है ?
2. राज्यपाल के कार्य क्या हैं ?
3. राज्यपाल मुख्यमन्त्री की नियुक्ति कैसे करता है ?
4. वास्तव में कानून लागू कौन करता है ? वे किस प्रकार कार्य करते हैं ?
5. संक्षेप में व्याख्या करो :
   (क) अध्यादेश
   (ख) धन विधेयक
   (ग) मंत्रियों की तीन श्रेणियां

अध्याय 10

हमारे न्यायालय

हम सब शान्तिपूर्वक रहना चाहते हैं। परन्तु कभी-कभी झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं। झगड़ा करने वाले लोग एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं तथा प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष को दोषी ठहराता है। कोई भी अपने आपको गलती करने वाला नहीं मानता। यही बात मुकदमे को जन्म देती है। ऐसे मुकदमे न्यायालयों द्वारा निपटाये जाते हैं।

चोरियों, डकैतियों तथा हत्याओं के विषयों में पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार करती है जिनको वह दोषी समझती है। वे केवल इसलिए दंडित नहीं किए जा सकते क्योंकि उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है अपितु न्यायालय में यह साबित करना पड़ता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति ने वास्तव में अपराध किया है। न्यायालय अभियुक्त या अपराधी को दंडित करता है। न्यायालय केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार ही मामलों में निर्णय देते हैं।



हमारे देश के न्यायालयों द्वारा निपटाये जाने वाले मामले मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं :

चोरी के मामले, डकैती, मारपिटाई, हत्या आदि के मामले। यह मामले फौजदारी मुकदमें कहलाते हैं।

सम्पत्ति के मामले, रेलवे द्वारा ढोये गए माल के नुकसान वाले मामले, कर्जदार व देनदार वाले मामले तथा इसी प्रकार के मामले दीवानी मुकदमें कहलाते हैं।

भारत का उच्चतम न्यायालय

हमारे देश में न्याय का सबसे बड़ा न्यायालय उच्चतम न्यायालय है। यह नई दिल्ली में स्थित है। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 17 अन्य न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीशों की संख्या संसद के कानून द्वारा बदली जा सकती है। मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की भी सलाह ली जाती है।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है। उसके पास कानूनी प्रशिक्षण एवं ज्ञान होना चाहिए। वह या तो दस वर्ष तक वकालत कर चुका हो या राज्य के उच्च न्यायालय में पांच

वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो अथवा वह भारत के राष्ट्रपति की दृष्टि में एक कानूनी पण्डित हो।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में सेवा निवृत्त होते हैं। एक बार नियुक्त करने के पश्चात् आसानी से सेवा मुक्त नहीं किया जा सकता। न ही उनकी इच्छा के खिलाफ उनकी आय अथवा सेवा शर्तों में कोई परिवर्तन किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा वे केवल अभद्र व्यवहार और अयोग्यता के सिद्ध किए जाने पर ही हटाये जा सकते हैं। इसके लिए संसद को दो-तिहाई मत से एक प्रस्ताव पास करना होता है। यह एक कठिन प्रक्रिया है। यही कारण है कि पिछले 28 वर्षों में कोई भी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश संसद द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव द्वारा हटाया नहीं गया है।

उच्चतम न्यायालय फौजदारी और दीवानी दोनों प्रकार के मुकदमे सुन सकता है। इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय भारतीय संविधान संबंधी मुकदमों का भी फैसला करता है।

उच्चतम न्यायालय के दो अधिकार क्षेत्र हैं—एक प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र तथा दूसरा अपीलीय अधिकार क्षेत्र। प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र से अभिप्राय है कि इस न्यायालय के पास अभियोगों को सीधे पहले ही सुनने की शक्ति है।

यह उस समय होता है जब संघ एवं राज्य अथवा राज्यों के बीच आपसी झगड़ा हो। यदि सरकार द्वारा किसी भी स्तर पर मौलिक अधिकारों का हनन किया गया हो अथवा उनको छीनने का प्रयत्न किया गया हो तो उसके विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में सीधे प्रारंभिक सुनवाई की जा सकती है।

प्रायः उच्चतम न्यायालय राज्यों के उच्च न्यायालय से आए हुए

मुकदमें सुनता है। अन्तिम अपील उच्चतम न्यायालय में की जाती है। कभी कभी राष्ट्रपति कुछ कानूनी प्रश्नों या महत्वपूर्ण सार्वजनिक प्रकृति के विषयों पर भी उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग लेता है। परन्तु राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय की इस सलाह को मानने अथवा न मानने के लिए स्वतंत्र होता है।

उच्चतम न्यायालय अभिलेख भी रखता है। इसके सभी निर्णय लिखे तथा मुद्रित किए जाते हैं तथा अधीनस्थ न्यायालयों में कुछ मुकदमों का निर्णय करते समय उन्हें उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय देश के समस्त अधीनस्थ न्यायालयों में कानून की तरह से प्रयोग में लाए जाते हैं।

भारत में एकल न्यायिक पद्धति है। उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है। देश के अन्य सभी न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अधीनस्थ हैं।

उच्च न्यायालय

भारत में 22 राज्य तथा 9 संघीय क्षेत्र हैं। संविधान ने प्रत्येक राज्य को एक उच्च न्यायालय दिया है। लेकिन दो राज्यों अथवा संघीय क्षेत्रों का एक संयुक्त उच्च न्यायालय भी हो सकता है। इस समय भारत में 17 उच्च न्यायालय हैं।

उच्च न्यायालय राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। शेष न्यायालय इसके अधीनस्थ होते हैं। दीवानी एवं फौजदारी मुकदमों में जिला न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जाती है।

कुछ विशेष प्रकार के मामले सीधे उच्च न्यायालयों में लिये जा सकते हैं। ये मूल अधिकारों से संबंधित होते हैं। अब उच्च न्यायालयों को निर्वाचन संबधी मुकदमों को निर्णित करने का अधिकार भी मिल गया है।

अधीनस्थ न्यायालय

भारत का प्रत्येक राज्य जिलों में बटा हुआ है। फौजदारी एवं दीवानी मुकदमों को सुनने के लिए जिला-स्तर पर कई तरह की अदालतें होती हैं। जिले में सबसे बड़ा दीवानी न्यायालय जिलाधीश का होता है। दीवानी मुकदमों को तथा अपीलों को सुनने की उसके पास शक्ति है। उसके कार्य में मदद देने के लिए अतिरिक्त सिविल न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। कम पैसे के दीवानी मुकदमें उप-न्यायाधीशों और मुनसिफों द्वारा सुने जाते हैं।

फौजदारी मुकदमों को सुनने के लिए जिला स्तर पर सबसे बडा न्यायालय सत्र न्यायाधीश का होता है। जिले में जिला न्यायाधीश एक सत्र न्यायाधीश के रूप में भी कार्य करता है। मजिस्ट्रेटों द्वारा फौजदारी मुकदमें भी सुने जाते हैं।

दीवानी तथा फौजदारी अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध जिला न्यायालयों में अपील की जा सकती है तथा जिला न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध राज्य के उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

अभ्यास

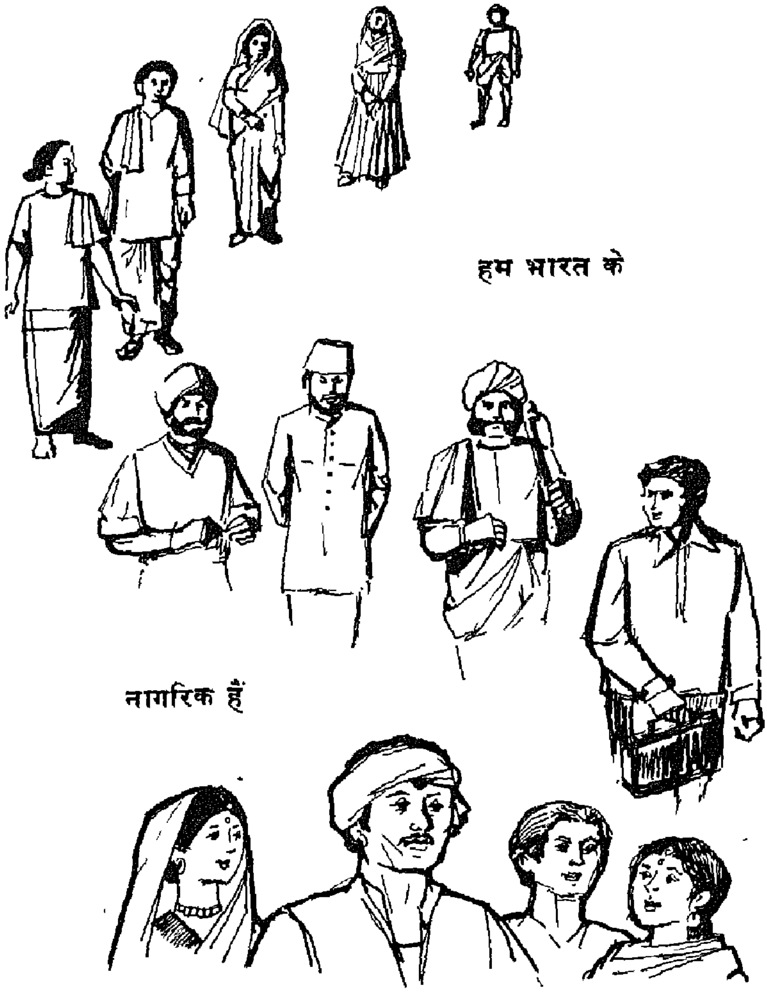
1. हमें न्यायालयों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तीन कारण बताओ।
2. उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है तथा उनकी क्या योग्यताएं है ?
3. भारतीय उच्चतम न्यायालय की शक्तियों एवं अधिकार क्षेत्रों का वर्णन करो।
4. भारत में उच्च न्यायालय के क्या कार्य तथा शक्तियाँ हैं ?
5. संक्षेप में टिप्पणियां लिखिए :
   (क) दीवानी और फौजदारी मुकदमें।
   (ख) उच्चतम न्यायालय से न्यायाधीश को हटाना।
   (ग) जिला-न्यायालय।

अध्याय 11

नागरिकता

तुमने भारत-भ्रमण करने के लिए अमेरिका से आने वाले पर्यटकों को देखा होगा। इसी प्रकार विभिन्न देशों जैसे ईरान या कीनिया से कई छात्र भारत में पढ़ने के लिए आते हैं। ये पर्यटक या छात्र नागरिक नहीं अपितु विदेशी कहे जाते हैं। ये लोग भारत में स्थायी रूप से रहने के लिये नहीं आते और न ही इन्हें किसी प्रकार के राजनैतिक अधिकार मिलते हैं जैसे मत देने का अधिकार या भारत में आवास की अवधि के दौरान कोई भी लोकपद या सरकारी लाभ प्राप्त करने का अधिकार। परन्तु फिर भी इन्हें कुछ अधिकार प्राप्त हैं, जैसे—जीवन, सम्पत्ति तथा उपासना का अधिकार आदि। अतः तुम एक विदेशी और एक नागरिक में अन्तर स्पष्ट कर सकते हो।

एक विदेशी की अपेक्षा एक नागरिक सामान्यतः अपने देश में स्थायी रूप से रहता है। वह अपने देश के प्रति निष्ठावान होता है। उसे देश के सभी राजनैतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। वह मत दे सकता है, उसे चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त है। वह सरकारी सेवा में कार्यरत हो सकता है।


हम भारत के
नागरिक हैं

वह केवल अधिकार ही प्राप्त नहीं करता अपितु वह अपने कर्तव्य के प्रति भी जागरूक होता है।

नागरिकता में अधिकार और कर्तव्य दोनों सम्मिलित हैं। एक भारतीय नागरिक को कुछ अधिकार मिले हुए हैं जो संविधान द्वारा स्वीकृत हैं। इसके साथ, संविधान में कुछ कर्तव्य भी दिए गए हैं जिन्हें उसे निभाना है।

हमारे संविधान के अनुसार केवल भारतीय नागरिक ही संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्य तथा न्यायालयों के न्यायाधीश बन सकते हैं और उन्हें ही स्थायी राजकीय कर्मचारी नियुक्त किया जा सकता है।

हमारे देश में इकहरी नागरिकता है। यहां संयुक्त राज्य अमरीका की तरह दोहरी नागरिकता नहीं है। संयुक्त राज्य अमरीका में एक व्यक्ति अपने संघीय देश तथा राज्य दोनों का नागरिक होता है जैसे वह अपने राज्य टैक्सास का और साथ ही साथ अमरीका का भी नागरिक है। भारत में राज्य नागरिकता जैसी कोई चीज़ नहीं है अर्थात् कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या केरल का नागरिक न होकर भारत का ही नागरिक होता है।

नागरिकता दो प्रकार से प्राप्त होती है— एक जन्म से और दूसरी राज्यकृत। जो बच्चे भारत में पैदा हुए हैं या जिनके माता-पिता भारतीय हैं उन्हें भारतीय नागरिकता जन्म से ही मिल जाती है। किन्तु एक विदेशी को भारतीय नागरिकता तभी मिलती है जबकि वह भारत में पांच वर्ष से अधिक समय से रह रहा हो तथा भारतीय संविधान के अनुसार कुछ शर्तों को पूरा करता हो। कुछ शर्तें इस प्रकार हैं जैसे कि वह पांच वर्ष से भारत में रह रहा हो, अपनी पहली नागरिकता को छोड़ चुका हो, तथा एक भारतीय भाषा जानता हो।



भारतीय नागरिक कौन हैं ?

भारतीय संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया। सभी व्यक्ति जिनके माता-पिता या दादा-दादी भारत में पैदा हुए हों या इस समय से पांच वर्ष पहले से भारत में रह रहे हों, इस तिथि से भारत के नागरिक माने गए। दूर विदेश में पैदा हुए व्यक्ति को भी भारत का नागरिक माना गया बशर्ते कि उनके माता-पिता अविभाजित भारत में पैदा हुए हों। आवश्यकता पड़े तो भारतीय संसद कानून बनाकर भारत की नागरिकता को नियमित भी कर सकती है।

भारतीय नागरिकता को खोना

यदि भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर ले तो उसे भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ती है। कुछ स्थितियों में यदि कोई व्यक्ति देश के हितों के विरुद्ध कोई कार्य करता है तो उसे उसकी नागरिकता का अधिकार देने से वंचित या मना किया जा सकता है।

अच्छा नागरिक कौन है ?

तुम्हें यह मालूम हो चुका है कि भारत का नागरिक कौन है। प्रत्येक को अच्छा नागरिक

होना चाहिए। एक अच्छा नागरिक देश के उत्तरदायित्वों को पूरा करता है तथा देश के कानूनों का पालन करता है। वह अपना काम ईमानदारी से करता है और देश में होने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाओं की जानकारी रखता है। अपना कार्य भली प्रकार करके वह सरकार की सहायता करता है। वह उन्हें ही मत देता है जो उसकी दृष्टि में ठीक प्रकार से सरकार चला सकते हैं। वह समय पर कर देता है। वह जानता है कि देश का हित उसके हित से अधिक महत्वपूर्ण है। एक अच्छा नागरिक देश की समस्याओं को समझता है। देश में जो कुछ भी हो रहा हो, उसके संबंध में वह जागरूक तथा संवेदनशील होता है। स्थानीय अथवा राष्ट्रीय स्तर पर वह अपनी क्षमता के अनुसार देश की गतिविधियों में भाग लेता है। एक व्यापारी एक अच्छा नागरिक होने के नाते चोर-बाजारी अथवा वस्तुओं की मिलावट में विश्वास नहीं रखता। एक विद्यार्थी एक अच्छा नागरिक होने के नाते अपना समय पढ़ाई में लगाता है और किसी भी असामाजिक गतिविधि में भाग नहीं लेता। एक लोकसेवक एक अच्छा नागरिक होने के कारण दक्षतापूर्वक लोगों की भलाई के लिए कार्य करता है।

अभ्यास

1. नागरिक तथा विदेशी में अन्तर बताइये।
2. हमारे संविधान के अनुसार भारतीय नागरिक कौन है ?
3. विदेशियों को नागरिकता कैसे मिल सकती है ?
4. एक अच्छे नागरिक की चार विशेषताएं बताइये।
5. निम्नलिखित के विषयों में संक्षेप में लिखिए :
   (क) दोहरी नागरिकता।
   (ख) नागरिकता को खोना।

अध्याय 12

हमारे राष्ट्रीय चिह्न

भारत एक विशाल देश है। यहां एकता की बहुत प्राचीन और मूल परम्परा चली आ रही है जो प्रत्येक भारतीय के मन में देश से लगाव पैदा करती है। भारत की इसी एकरूपता के कारण हम पूरे देश के संचालन के लिए एक संविधान अपना सके। एक भारतीय चाहे वह कश्मीर या केरल कहीं का भी निवासी हो अपने देश पर गर्व करता है तथा संविधान का आदर करता है। संविधान विभिन्नता में हमारी एकता का परिचायक है।

राष्ट्रीय एकता के तीन चिह्न हमारे राष्ट्र की एकरूपता को प्रदर्शित करते है। वे हैं :

1. राष्ट्रीय ध्वज
2. राष्ट्रीय गान
3. राष्ट्रीय चिह्न

केवल एक स्वतंत्र राज्य का ही अपना ध्वज गान व चिह्न होता है। यह केवल राष्ट्रीय एकता का ही परिचायक नहीं है अपितु देश की स्वतंत्रता

का भी प्रतीक है। इनमें से किसी के प्रति भी किया गया अपमान समस्त देश का अपमान माना जाता है।

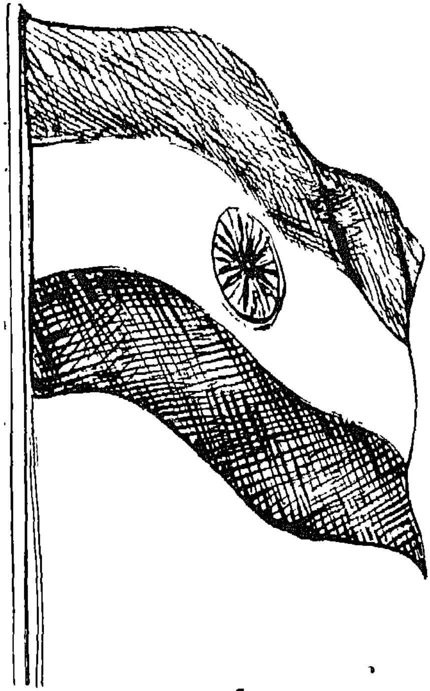
प्रत्येक वर्ष तुम गणतन्त्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस मनाते हो। ये राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाये जाते हैं। इन विशेष अवसरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है और राष्ट्रीय गान गाया जाता है। तुमने मुद्रा के नोटों तथा सिक्कों पर तीन शेरों का चिह्न अवश्य देखा होगा। यह हमारा राष्ट्रीय चिह्न है।

राष्ट्रीय ध्वज

भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति से तीन सप्ताह पूर्व संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृति दी थी। यह आकार में आयताकार है। इसकी लम्बाई-चौड़ाई का अनुपात ३:२ का है। उदाहरण के लिए यदि ध्वज की लम्बाई 15 से० मी० है तो चौ० 10 से० मी० होनी चाहिए।

राष्ट्रीय ध्वज तीन बराबर समानान्तर भागों या पट्टियों में बटा हुआ है जो तीन विभिन्न रंगों की हैं।

सबसे ऊपर की पट्टी गहरे केसरिया रंग की है। इस रंग के



हमारा राष्ट्रीय ध्वज

पीछे एक लम्बा इतिहास और परंपरा है। साधु और सन्यासी इसी रंग के वस्त्र पहनते हैं। इसलिए केसरिया रंग जागृति, शौर्य तथा त्याग का प्रतीक है। यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में प्राणों की आहुति देने वाले वीरों की देश-भक्ति तथा त्याग की लगातार याद दिलाता रहता है। यह हमें अपने चरित्र में इन उच्च गुणों को जागृत करने की प्रेरणा देता है।

बीच की पट्टी बिल्कुल सफेद है। सफेद रंग सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। इन दोनों गुणों पर हमारे धर्मों में बल दिया गया है। महात्मा गांधी सत्य को भगवान् मानते थे। इसलिए सफेद रंग हमें सत्य बोलने, शुद्ध तथा सादा जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देता है।

सबसे नीचे की पट्टी गहरे हरे रंग की है। इस रंग में जीवन और खुशहाली चमकती है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपने देश से गरीबी और धार्मिक भेद-भाव को समाप्त करना है तथा खुशहाली लानी है।

तीन रंगों से बनने के कारण हमारा झंडा तिरंगा झंडा कहलाता है। इसे हम कभी-कभी केवल 'तिरंगा' भी कहते हैं।

सफेद पट्टी के बीचोंबीच नीले रंग का एक गोलाकार घेरा (चक्र) है। इसका व्यास इसकी समूची पट्टी की चौड़ाई के बराबर है। इसमें 24 कमानियां हैं।

चक्र की ऐतिहासिक महत्ता है। वाराणसी के पास सारनाथ में एक स्तम्भ है। यह सम्राट् अशोक ने महात्मा बुद्ध के प्रथम प्रवचन की याद में बनवाया था जो उन्होंने इसी स्थान पर दिया था। इस स्तंभ के शिखर पर एक शीर्ष है जो इतना शानदार है कि भारत सरकार ने इसे अपनी राजमुद्रा के रूप में अपनाया। इस शीर्ष के आधार में बाईं ओर एक घोड़ा, दाईं ओर एक वृषभ तथा बीच में एक चक्र है।

हमारे राष्ट्रीय ध्वज का चक्र इसी अशोक स्तंभ से लिया गया है।

अशोक के स्तंभ में यह चक्र धर्म का प्रतीक है। चक्र गति, उन्नति तथा परिवर्तन की ओर संकेत करता है। ध्वज का चक्र हमें धर्म तथा ईमानदारी का रास्ता अपनाते हुए अग्रसर होने तथा देश को उन्नति तथा खुशहाली की ओर ले जाने की प्रेरणा देता है।

इस प्रकार हमारा ध्वज हमें कई तरह से प्रेरणा देता है। यह हमें स्वतन्त्रता संग्राम की भी याद दिलाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज भी इसी प्रकार का था। उसमें केवल एक अन्तर था। चक्र के स्थान पर चरखा था। गांधी जी को चरखा बहुत प्रिय था। उनका विचार था कि चरखा चलाकर आम आदमी स्वतंत्रता की लड़ाई में योगदान दे सकता है। राष्ट्रीय ध्वज में चरखे का स्थान चक्र ने ले लिया। इस प्रकार यह ध्वज हमारे वर्तमान को बीते हुए समय से जोड़ता है।

सभी राष्ट्रीय पर्वों पर इसे फहराया जाता है। तुम देश में सभी महत्वपूर्ण सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज देख सकते हो। अन्य देशों में भी यह भारतीय दूतावास के भवनों पर फहराया जाता है। इसे आदर के रूप में तब नीचे झुकाया जाता है जब किसी आदरणीय राष्ट्रीय नेता या किसी मित्र देश के माननीय व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है।

राष्ट्रीय गान

राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान अभिन्न है। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के तुरन्त बाद राष्ट्रीय गान गाया जाता है।

हम अपने राष्ट्रीय गान का आदर करते हैं। जब यह गाया जाता है या इसकी धुन बजाई जाती है, तो प्रत्येक व्यक्ति सावधान की मुद्रा में खडा हो जाता है। जब यह गान हो रहा हो, किसी को भी हिलना या बोलना नहीं चाहिए।

राष्ट्रीय ध्वज हमारी स्वतन्त्रता, एकता तथा समानता का प्रतीक है। राष्ट्रीय गान में हमारी मातृ-भूमि की प्रशंसा की गई है।

राष्ट्रीय गान इस प्रकार है:

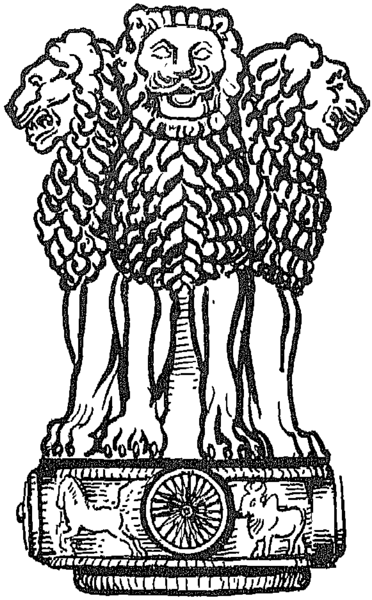
जन - गण - मन - अधिनायक जय हे
भारत - भाग्य विधाता,
पंजाब - सिन्धु - गुजरात - मराठा -
द्रविड़ - उत्कल - बंग,
विंध्य - हिमाचल - यमुना - गंगा -
उच्छल - जलधि तरंग,
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ अशीष मांगे,
गाहे तव जयगाथा।
जन - गण मंगल दायक जय हे
भारत - भाग्य - विधाता,
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे।

इसे कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। पूरी कविता पांच पद्यों में है। राष्ट्रीय गान के लिए केवल एक पद्य लिया गया है।

राष्ट्रीय चिह्न

यह भारत सरकार का चिह्न है। यह भारत सरकार की मुद्रा भी है। तुम इस चिह्न को सभी नोटों तथा सिक्कों पर देख सकते हो। सरकार की सभी किताबों तथा कागजों पर भी इसे देखा जा सकता है।

चिह्न दो भागों में है—शीर्ष और आधार। शीर्ष में तीन शेर दिखाई



हमारा राष्ट्रीय चिह्न

देते हैं जो पट्टीनुमा आधार पर पीठ से पीठ मिलाए हुए हैं। वास्तव में चार शेर हैं, परन्तु चौथा शेर चित्र में दिखाई नहीं देता। आधार में बाईं ओर एक घोड़ा, दाईं ओर एक वृषभ और बीच में चक्र है।

शीर्ष के नीचे देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है— 'सत्यमेव जयते'। इसका अर्थ है— 'सत्य की विजय होती है'।

चक्र धर्म का प्रतीक है। शेर साहस और शक्ति का प्रतीक है। घोड़ा ताकत और चाल, वृषभ कठिन परिश्रम और स्फूर्ति को दर्शाता है। ये वे गुण हैं जिनको इस देश के सभी नागरिकों को अपने चरित्र तथा व्यवहार में अपनाना चाहिए।

अभ्यास

1. हमारे राष्ट्रीय ध्वज में तीन रंग क्या दर्शाते हैं ?
2. हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमें स्वतन्त्रता संग्राम की याद कैसे दिलाता है ?
3. राष्ट्रीय गान कब गाया जाता है ? जब यह गाया जा रहा हो तब तुम्हें क्या करना चाहिए ?
4. हमारे राष्ट्रीय चिह्न की व्याख्या करो।

कठिन शब्द

1. संविधान	आधारभूत कानून और सिद्धान्त—जिनके अनुसार किसी देश का शासन चलता है।
2. व्यवस्थापिका	जनता द्वारा चुने हुए व्यक्तियों का वह समूह जो देश के लिए कानून बनाता है।
3. कार्यपालिका	सरकार का वह अंग जो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को अमल में लाता है।
4. न्यायपालिका	सरकार का वह अंग जो विभिन्न प्रकार के मुकदमों में फैसला देती है।
5. धर्मनिरपेक्ष राज्य	एक ऐसा राज्य जो किसी विशिष्ट धर्म को बढ़ावा नहीं देता अपितु सभी धर्मों के साथ एक सा व्यवहार करता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है।
6. समाजवादी राज्य	वह राज्य, जिसमें उत्पादन के सभी साधन, जैसे भूमि, खनिजपदार्थ, कल-कारखाने तथा वितरण व्यवस्था का कार्य उस राज्य की सरकार के अधीन होते हैं।
7. राजनैतिक दल	कांग्रेस, जनता और भारतीय साम्यवादी दल, भारत के कुछ राजनैतिक दल हैं। राजनैतिक दल, एक प्रकार का वह संगठन है, जो चुनावों द्वारा सरकार पर अधिकार करता है।
8. अनुसूचित जातियां	कुछ जातियां जिनकी आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति बहुत गिरी हुई है, उनकी गिनती अनुसूचित जातियों में की जाती है। इन जातियों की उन्नति के लिए कुछ विशेष रियायतें, कुछ समय के लिए प्रदान की गई हैं।
9. संशोधन	संसद द्वारा किसी भी कानून या संविधान की धारा में किया गया परिवर्तन संशोधन कहलाता है।

10.	जमींदारी व्यवस्था	अंग्रेजी सरकार द्वारा भूमि का लगान वसूल करने वाली व्यवस्था। यह लगान भारतीय जमींदारों-द्वारा, अंग्रेजी सरकार के लिए वसूल किया जाता था।
11.	संघात्मक सरकार की व्यवस्था	वह व्यवस्था जिसमें राजनैतिक सत्ता, केन्द्र और राज्यों के बीच बंट जाती है। इस प्रकार की व्यवस्था में दो सरकारें काम करती हैं . एक केन्द्र के स्तर पर तथा दूसरी राज्यों के स्तर पर।
12.	मौलिक अधिकार	यह अधिकार मूलभूत हैं और सुखी जीवन के लिए आवश्यक हैं। ये अधिकार हमें संविधान द्वारा मिले हैं और उसी के द्वारा उनकी रक्षा की जाती है।
13.	सामाजिक न्याय	राज्य द्वारा सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करना तथा नागरिकों में जाति-पांति तथा अमीर-गरीब को लेकर कोई भेद-भाव नहीं करना।
14.	आर्थिक न्याय	सभी नागरिकों को सम्मानित रूप से जीवनयापन का अवसर देना।
15.	स्वतंत्रता	सभी प्रकार की दासता तथा निरंकुश सरकार से मुक्ति। मुक्त रूप से सोचने तथा अपनी सुविधानुसार जीने की स्वतंत्रता।
16.	समानता	सभी नागरिकों को जाति, धर्म, लिंग तथा विश्वास का भेद-भाव किए बिना समान समझना। सभी नागरिकों को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर प्रदान करना। किसी व्यक्ति या समुदाय को विशेषाधिकार नहीं दिए जाते।
17.	बन्धुत्व की भावना	ऐसी भावना जिसमें सभी नागरिक एक दूसरे को भाई-भाई समझते हैं।

18. **प्रस्तावना** — संविधान के प्रारम्भ में लिखे गए वह वाक्य, जो उन मुख्य उद्देश्यों का उल्लेख करते हैं जिनकी प्राप्ति के लिए लोगों ने संविधान की रचना की।

19. **अनुसूचित जनजातियां** — वे जनजातियां जिनकी सूची बनाई गई है। इन जनजातियों पर उनके विकास के लिए विशेष ध्यान देना है। अतः कुछ समय के लिए इन्हें कुछ रियायतें दी गई हैं।

20. **अस्पृश्यता** — जाति प्रथा के कारण भारत में कुछ जातियों के लोग इतने नीचे समझे गए कि उनको छूना भी वर्जित माना जाने लगा। भारतीय संविधान ने छूआ-छूत का भेद मिटा दिया है। छूआ-छूत दंडनीय अपराध है।

21. **शोषण** — किसी भी व्यक्ति के परिश्रम, आय आदि से अनुचित लाभ उठाना।

22. **मुआवजा** — जनहित में ली गई किसी भी व्यक्ति या संस्था की जायदाद के लिए सरकार द्वारा धन देना।

23. **पिछड़ी जातियां** — अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के अलावा पिछड़ी जातियां। ये जातियां भी आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से पिछड़ी हुई हैं। इन जातियों के उत्थान के लिए भी कुछ रियायतें दी गई हैं।

24. **आपातकालीन अवस्था** — ऐसी भयानक परिस्थिति जिसकी ओर तुरन्त ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसे देश की सीमाओं पर हमला हो, देश के भीतर बहुत अधिक गड़बड़ी फैल गई हो या किसी प्रकार का आर्थिक संकट हो तो केन्द्रीय सरकार आपातकालीन घोषणा कर सकती है। इन अवस्थाओं में नागरिकों के मूल अधिकार प्रायः स्थगित कर दिए जाते हैं।

25. **विधेयक** — वह प्रस्तावित कानून जिस पर व्यवस्थापिका सभा विचार-

विमर्श करती है, वियधेक कहलाता है। पारित हो जाने के पश्चात् यह कानून बन जाता है।

26. **वयस्क मताधिकार** — देश के प्रत्येक वयस्क को मत देने का अधिकार। भारत में यह अधिकार प्रत्येक 21 वर्ष की तथा उससे ऊपर की आयु वाले को दिया गया है।

27. **गुप्त मतदान** — मतदाता अपनी पसन्द के व्यक्ति के नाम के आगे, गुप्त रूप से निशान लगाता है। मत इस ढंग से दिया जाता है कि कोई उसे जान न सके।

28. **पार्टी टिकट** — किसी भी राजनैतिक दल द्वारा उम्मीदवार को चुनाव लड़ने की अनुमति देना। पार्टी का टिकट मिलने के पश्चात् उम्मीदवार पार्टी के चिह्न पर चुनाव लड़ सकता है।

29. **सामूहिक उत्तरदायित्व** — मंत्रिपरिषद् एक टीम की भाँति कार्य करती है तथा सामूहिक रूप से निर्णय लेती है। प्रत्येक मंत्री का यह उत्तरदायित्व होता है कि वह इस निर्णय का अनुमोदन करे।

30. **राजनैतिक कार्यकारिणी** — राजनैतिक कार्यकारिणी वह कार्यकारिणी है जिसका चुनाव होता है तथा जो स्थायी नहीं होती। मन्त्रिपरिषद् राजनैतिक कार्यकारिणी है। यह कार्यकारिणी मुख्य निर्णय लेती है जो आगे चल कर विस्तार से सरकारी कर्मचारियों द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं।

31. **अध्यादेश** — राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल द्वारा निकाले गए आदेश। ये आदेश तब दिए जाते हैं जब व्यवस्थापिका सभा की बैठक न चल रही हो। ये आदेश कानून समान होते हैं।

32 **दीवानी मुकदमे** — दीवानी मुकदमे वे मुकदमे होते है जिनका नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकार, सम्पत्ति, माल की ढुलाई के समय होने वाली हानि इत्यादि से सम्बन्ध हो।

33.	फौजदारी मुकदमे	चोरी, डकैती, मारपीट, शारीरिक क्षति आदि से सम्बन्धित मुकदमे, फौजदारी मुकदमों के अन्तर्गत आते हैं।
34.	प्राथमिक न्यायिक क्षेत्र	किसी भी प्रकार के मुकदमों को सबसे पहले सुनने का अधिकार।
35.	अपीलीय न्यायिक क्षेत्र	निचली अदालतों के फैसलों के विरुद्ध की गई अपीलों को सुनने का अधिकार।
36.	चुनाव याचिकाएं	किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनाव सम्बन्धी निर्णय की निष्पक्षता के विरुद्ध प्रार्थना पत्र।
37.	बेगार	किसी भी व्यक्ति से बिना किसी प्रकार की मजदूरी दिए काम लेना।
38.	महाभियोग	किसी भी उच्चाधिकारी पर जैसे— राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश आदि के विरुद्ध देशद्रोहिता अथवा भ्रष्टाचार का संसद द्वारा आरोप लगाना तथा मुकदमा चलाना।
39.	आकस्मिक निधि	सरकार के पास काफी मात्रा में धन का होना। यह धन अत्यन्त आवश्यक कार्यों पर तथा न टलने वाली परिस्थिति में ही उपयोग में लाया जाता है।
40.	संविद सरकार	वह सरकार जिसमें विभिन्न राजनैतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं।
41.	निर्वाचन क्षेत्र	किसी क्षेत्र में बसे मतदाताओं का समूह जो कानून बनाने वाली सभाओं—जैसे विधानपरिषद्, और लोकसभा के लिए अपना प्रतिनिधि चुनते हैं।